खण्ड-406, अंक-1
सोमवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1914
(27 अप्रैल, 1992 ई0)

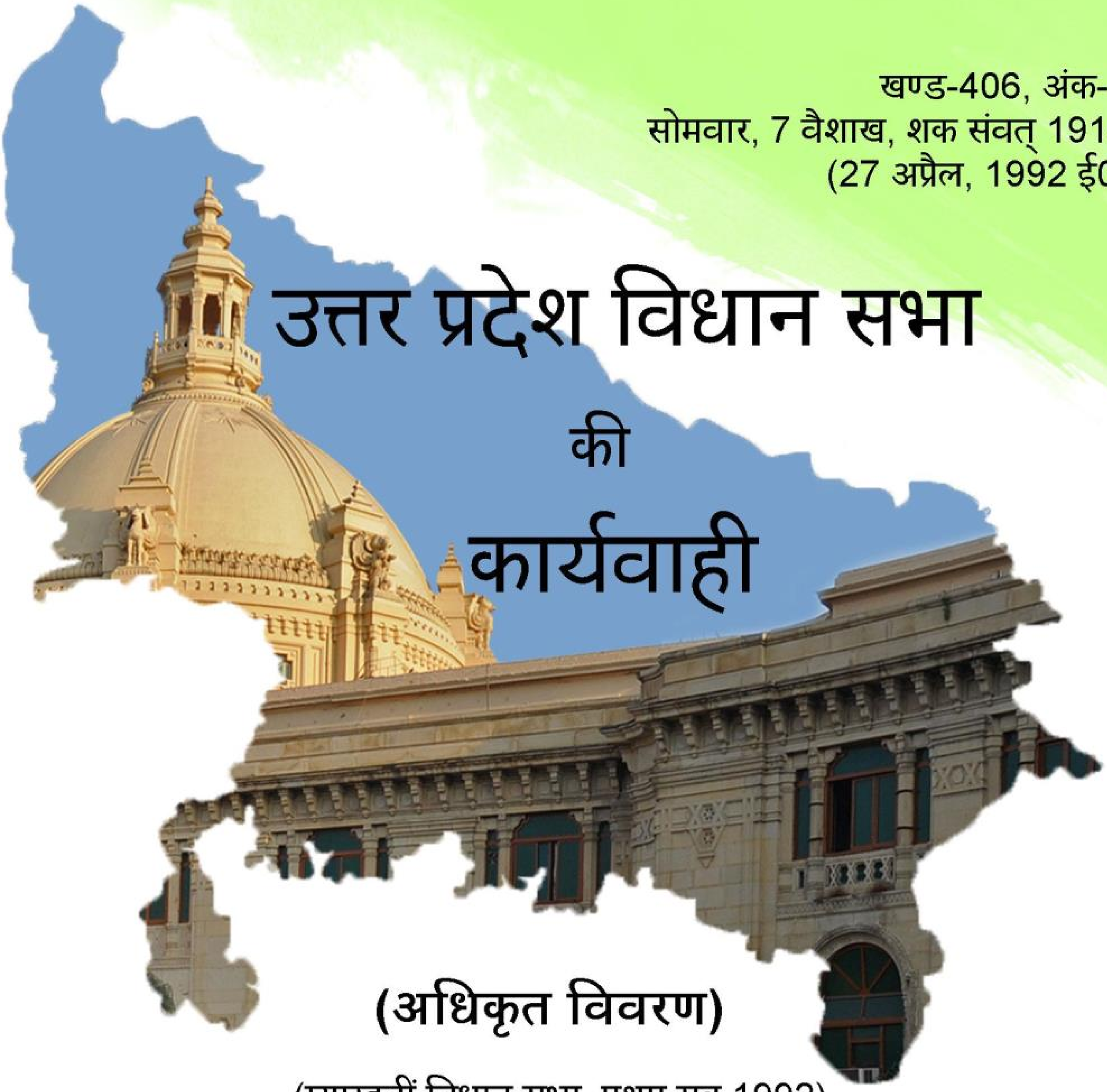

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के ... पूर्व ...	क–ज
श्री राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	झ–ट
उपस्थित सदस्य	ठ–ड
नियम 311 की सूचनायें लिये जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	1–128
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	128-129
बांदा में लघु डाल नहर खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता के कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के अनियमित कैडरों की विसंगतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जसौली में भूस्खलन रोकने हेतु भूमि संरक्षण इकाई खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
बांदा में बांदा बिसण्डा मार्ग पर गडरा नाले पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
आजमगढ़ के जिला अस्पताल की एक्स रे मशीनों को ठीक कराने एवं मरीजों को प्रदत्त सुविधायें दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
उ० प्र० जल निगम द्वारा सृजित स्टोर कीपर के 81 पदों पर नियुक्ति करने तथा चार्ज दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	131-132
जनपद बांदा के ग्राम सकरौली परसौजा एवं अखारा के अग्नि पीड़ितों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
टैम्पो स्ट्राइक के कारण मा० सदस्यों की असुविधा को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	132
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	133
मा० मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिया गया वक्तव्य संविधान की मूल भावना के विपरीत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	134-139
अग्राह्य औचित्य के प्रश्न को पुनः सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	139-142
मा० मुख्य मंत्री द्वारा अयोध्या में की गयी घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न	142-146

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रथम सत्र 1992 के 5वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न	146-147
प्रदेश के ग्राम प्रधानों का व्यापक स्तर पर निलम्बन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	147-149
जनपद फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों द्वारा बुद्ध की मूर्ति स्थापित न करने देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	149-150
रामगंगा नदी का बहाव गांगन नदी में होने के फलस्वरूप जनपद मुरादाबाद के 50 गांवों को बचाने हेतु 4 फरवरी, 1988 को दिये गये आश्वासन के संबंध में औचित्य का प्रश्न	151-152
केन्द्र सरकार द्वारा अयोध्या में जांच हेतु भेजी गयी समिति द्वारा प्रदेश सरकार के कार्य में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	152-153
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	153-171
वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिये आय-व्ययक की मांगो पर मतदान, अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या 80. समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण) अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	171-234
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	234-235
प्रदेश में नील गायों (वन रोजो) की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों की तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह राज्य मंत्री द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	235-237
जनपद सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर के ग्राम डिंगुरपुर मजरे रतापुर में कथित रूप से किये गये अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	237-238
जनपद गाजीपुर के थाना बड़ेसर के अन्तर्गत हत्या एवं डकैती विषयक नियम 51 की सूचना पर गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	238-239
जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद की चौकी शहनिन्दा के अन्तर्गत पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने विषयक नियम 51 की सूचना पर गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	239-240
दिनांक 11 मार्च, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	240-245
नत्थियां	246-259

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अंगद, श्री	आजमगढ़
2-अकबर, श्री	मुरादाबाद
3-अखिलेश, श्री	महराजगंज
4-अछैबर लाल, श्री	बहराइच
5-अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
6-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
7-अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
8-अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद
9-अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
10-अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़
11-अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
12-अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
13-अमर सिंह, श्री	बिजनौर
14-अमरेश चन्द्र, श्री	मऊ
15-अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया
16-अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर
17-अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
18-अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
19-अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
20-अर्जन, श्री	सुल्तानपुर
21-अवध पाल सिंह, श्री	एटा
22-अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
23-अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
24-अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
25-अशोक दुबे, श्री	इटावा
26-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
27-इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद
28-इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर
29-इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
30-इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ
31-इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
32-उदय प्रताप, श्री	गाजीपुर
33-उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
34-उमानाथ, श्री	जौनपुर
35-उम्मेद सिंह, श्री	आगरा
36-उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
37-ऊदल, श्री	वाराणसी
38-ओंकार सिंह, श्री	एटा
39-ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
40-ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर
41-ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
42-ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
43-ओम प्रकाश, श्री	बिजनौर
44-ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद
45-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
46-कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
47-कटार सिंह, श्री	मेरठ
48-कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
49-कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
50-कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा
51-कल्पनाथ, श्री	आजमगढ़
52-कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
53-कासिम हसन सैय्यद, श्री	फतेहपुर
54-किशन गोपाल, श्री	आगरा
55-किशन लाल, श्री	पीलीभीत
56-किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
57-किशोरी लाल, श्री	जौनपुर
58-किशोरी लाल, श्री	सीतापुर
59-किशोरी श्याम, श्री	मथुरा

विधान सभा

60-कुंवर रेवती रमण सिंह,
उर्फ मणि जी, श्री — इलाहाबाद
61-कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
62-कृष्ण कुमार, श्री — फतेहपुर
63-कृष्ण कुमार
उर्फ के० के० राज, श्री — इटावा
64-कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
65-कृष्ण चन्द्र, श्री — पिथौरागढ़
66-कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
67-कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
68-कृष्ण स्वरूप, श्री — बदायूं
69-केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71-केशव सिंह, श्री — जालौन
72-कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
73-कोविद कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74-खालिद गौरी, श्री — हरदोई
75-गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
76-गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
77-गंधर्व सिंह, श्री — मैनपुरी
78-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
79-गामाराम शास्त्री, श्री — गाजीपुर
80-गिरधारी, श्री — गाजीपुर
81-गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
82-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
83-गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
84-गोमती प्रसाद, श्री — लखनऊ
85-घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
86-घरहू, श्री — बलिया
87-चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
88-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
89-चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
90–चरन सिंह, श्री — मेरठ
91–छक्की लाल, श्री — इटावा
92–छत्रपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
93–छब्बू, श्री — वाराणसी
94–छेदी लाल, श्री — गोण्डा
95–छोटे लाल मिश्र, श्री — हमीरपुर
96–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
97–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
98–जगदीश मुनि आचार्य, श्री — हरिद्वार
99–जगदीश सिंह, श्री — सहारनपुर
100–जगराम सिंह यादव, श्री — कानपुर नगर
101–जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
102–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
103–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
104–जोगेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, श्री — फतेहपुर
105–जाहिद हुसेन, श्री — मुरादाबाद
106–जी०एस० विनोद, श्री — मुजफ्फरनगर
107–जे०पी० सिंह मेजर, श्री — मुरादाबाद
108–जैदान सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
109–ज्ञान चन्द्र, श्री — उत्तर काशी
110–ज्ञानवती सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
111-ज्ञानेन्द्र, श्री — महराजगंज
112-ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
113-ज्वाला प्रसाद, श्री — रामपुर
114-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
115-झाऊ लाल यादव, श्री — फिरोजाबाद

116-ठाकुर पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
117-तारकेश्वर, श्री — गोरखपुर
118-तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
119-तुलसी दास, श्री — गोण्डा
120-तुला राम सैनी, श्री — मुरादाबाद
121-तेज नारायन त्रिवेदी, श्री — लखीमपुर खीरी
122-तेजपाल, श्री — हरिद्वार
123-तेजभान यादव, श्री — सुल्तानपुर
124-त्रिवेनी, श्री — फैजाबाद
125-दयाराम वर्मा, श्री — हरदोई
126-दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
127-दलसिंगार, श्री — आजमगढ़
128-दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
129-दिनेश जौहरी, डा० — बरेली
130-दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
131-दीनानाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
132-दीप लाल भारती, श्री — देवरिया
133-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
134-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
135-दुलारे लाल, श्री — मिर्जापुर
136-देवेन्द्र पाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
137-देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
138-दौलत राम, श्री — सीतापुर
139-धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
140-धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
141-धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्द शहर
142-नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
143-नन्द राम, श्री — बरेली
144-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
145-नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
146-नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
147-नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
148-नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
149-नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
150-नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
151-नवाब सिंह, श्री — मथुरा
152-नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री — बांदा
153-नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
154-निर्वेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
155-नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
156-नीलम सिंह, श्रीमती — बहराइच
157-नेत राम, श्री — शाहजहांपुर
158-नेत राम सिंह, श्री — एटा
159-पतिराज, श्री — आजमगढ़
160-पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
161-परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री — रामपुर
162-पवन कुमार पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
163-पीतम सिंह, श्री — एटा
164-पूरन चन्द्र, श्री — अल्मोड़ा
165-पूरन चन्द्र शर्मा, श्री — अल्मोड़ा
166- पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
167-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
168-पूर्णमासी पंकज, श्री — वाराणसी
169-पृथ्वी सिंह, श्री — हरिद्वार
170-प्यारे लाल शंखवार, श्री — कानपुर देहात
171-प्रताप सिंह, श्री — मुरादाबाद
172-प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
173-प्रमोद कुमार, श्री — पीलीभीत
174-प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
175-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी

176-श्री प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
177-प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थ नगर
178-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
179-फतेह बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
180-फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
181-फागू, श्री — मऊ
182-बंशीधर, श्री — नैनीताल
183-बंशीधर राज, श्री — लखीमपुर खीरी
184-बची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
185-बच्चा पाठक, श्री — बलिया
186-बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
187-बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
188-बरखूराम वर्मा, श्री — आजमगढ़
189-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
190-बसंतलाल गुप्ता, श्री — लखनऊ
191-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
192-बाबू खां, श्री — हरदोई
193-बाबूराम एम० काम०, श्री — जालौन
194-बाबूराम यादव, श्री — मैनपुरी
195-बाबूलाल गोयल, श्री — आगरा
196-बालचन्द मिश्र, श्री — कानपुर नगर
197-बाला प्रसाद, श्री — खीरी
198-बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
199-बिन्दू लाल, श्री — गोण्डा
200-बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
201-बृजभान यादव, डा० — इलाहाबाद
202-बृजराज त्रिपाठी, श्री — बहराइच
203-बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
204-बृजेश कुमार शर्मा, श्री — प्रतापगढ़
205-बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
206-बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
207-ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
208-भगवन्त प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
209-भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
210-भगवती प्रसाद शुक्ला, श्री — लखनऊ
211-भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
212-भरत सिंह, श्री — बलिया
213-भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
214-भगीरथी, श्री — इलाहाबाद
215-भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री — जालौन
216-भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
217-भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
218-भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
219-मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
220-मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री — फैजाबाद
221-मदन भैया, श्री — मेरठ
222-मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
223-मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
224-मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
225-मस्तराम, श्री — उन्नाव
226-महक सिंह, श्री — मेरठ
227-महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
228-महावीर सिंह, श्री — बिजनौर
229-महावीर सिंह, श्री — हरदोई
230-महेन्द्र जैन, श्री — मेरठ
231-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
232-महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
233-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — इलाहाबाद
234-महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — अलीगढ़
235-महेन्द्र सिंह भाटी, श्री — गाजियाबाद

236–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
237–माधव, श्री — एटा
238–माम चन्द्र, श्री — सहारनपुर
239–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
240–मारकण्डेय, श्री — बलिया
241–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
242–मिही लाल, श्री — हमीरपुर
243–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
244–मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
245–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
246–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थ नगर
247–मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
248–मोहम्मद वसीम हाजी, श्री — रायबरेली
249–मोहम्मद हसन, श्री — सहारनपुर
250–यदुनाथ प्रसाद, श्री — गोरखपुर
251–यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
252–योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
253–रघुराज, श्री — जौनपुर
254–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
255–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
256–रमा कान्त यादव, श्री — आजमगढ़
257–रमापति उर्फ रमाकान्त यादव, श्री — देवरिया
258–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
259–रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
260–रमेश पोखरियाल, श्री — गढ़वाल
261–रमेश बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
262–रविकान्त गर्ग, श्री — मथुरा
263–रवीन्द्र प्रताप, श्री — देवरिया
264–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
265–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
266–राज नारायण बिन्द, श्री — जौनपुर
267–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
268–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
269–राजेन्द्र, श्री — बिजनौर
270–राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
271–राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री — मिर्जापुर
272–राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
273–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
274–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
275–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
276–राधेश्याम वर्मा, श्री — बाराबंकी
277–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
278–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
279–राम किशन ददाजू, श्री — फिरोजाबाद
280–राम कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
281–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
282–राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
283–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
284–राम गोपाल वर्मा, श्री — लखीमपुर खीरी
285–राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
286–राम चन्द्र चौधरी, श्री — सुल्तानपुर
287–राम चरित्तर, श्री — बस्ती
288–राम देव आचार्य, श्री — बाराबंकी
289–राम पारस रजक उर्फ नाटे, श्री — जौनपुर
290–राम पाल, श्री — हरदोई
291–राम पाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
292–राम प्यारे आजाद, श्री — महराजगंज
293–राम प्यारे शुक्ल, श्री — सुल्तानपुर
294–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा

295–राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
296–राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
297–राम मूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
298–राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
299–राम लखन , श्री फैजाबाद
300–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
301–राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
302–राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
303–राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
305–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह, श्री हमीरपुर
307–राम सेवक, श्री बदायूं
308–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
309–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
310–राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर देहात
311–राम प्रियदर्शी, श्री फैजाबाद
312–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
313–रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
314–रूदेन्द्र विक्रम सिंह, श्री बहराइच
315–लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री बस्ती
316–लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
317–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
318–लाखन सिंह, श्री नैनीताल
319–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
320–लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
321–लाल चन्द, श्री जौनपुर
322–लाल चन्द निषाद, श्री गोरखपुर
323–लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री वाराणसी
324–लालजी वर्मा, श्री फैजाबाद
325–लीला राम शर्मा, श्री पिथौरागढ़
326–वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
327–विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
328–विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
329–विजय कुमार त्रिपाठी राजा, श्री लखनऊ
330–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
331–विजय पाल सिंह तोमर, श्री मेरठ
332–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
333–विजय सिंह राणा, श्री आगरा
334–विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
335–विजेन्द्र सिंह, श्री मथुरा
336–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
337–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
338–विशुन दयाल, श्री बहराइच
339–विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
340–विश्वनाथ, श्री देवरिया
341–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
342–वीरेन्द्र सिंह, ठाकुर सहारनपुर
343–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
344–श्याद अली, श्री प्रतापगढ़
345–शारदा चौहान, श्रीमती गाजीपुर
346–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
347–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
348–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349–शिव दर्शन, श्री रायबरेली
350–शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री कानपुर देहात
351–शिव नारायण मिश्र, श्री प्रतापगढ़
352–शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
353–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी

354–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
355–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
356–शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
357–शिव लाल मित्तल, श्री — सिद्धार्थ नगर
358–शिवा कान्त ओझा, श्री — प्रतापगढ़
359–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
360–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
361–श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
362–श्माय बिहारी सिंह, श्री — बरेली
363–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
364–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
365–श्री निवास, श्री — देवरिया
366–श्रीराम, श्री — जालौन
367–श्रीराम, श्री — मऊ
368–श्रीराम चौहान, श्री — बस्ती
369–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
370–सतीश भाटिया, श्री — लखनऊ
371–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
372–सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
373–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
374–सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
375–सन्त श्रीराम द्विवेदी, श्री — फैजाबाद
376–समीउल्ला, श्री — गोण्डा
377–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
378–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
379–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
380–सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
381–सुधाकर वर्मा, श्री — एटा
382–सुधीर, श्री — बलिया
383–सुधीर कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
384–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
385–सुभाष चन्द्र पटेल, श्री — बरेली
386–सुरेन्द्र प्रताप, कुंवर — बरेली
387–सुरेन्द्र नाथ, श्री — बाराबंकी
388–सुरेन्द्र शुक्ला, श्री — देवरिया
389–सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
390–सुरेश, श्री — मुजफ्फरनगर
391–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
392–सुरेश प्रताप गांधी, श्री — अलीगढ़
393–सुरेश भारती, श्री — प्रतापगढ़
394–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
395–सुलतान रजा मिर्जा, श्री — जौनपुर
396–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
397–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
398–सोमनाथ शुक्ला, डा० — कानपुर देहात
399–सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
400–सोमारूराम, श्री — जौनपुर
401–स्वामी नाथ यादव, श्री — देवरिया
402–हनुमन्त सिंह, श्री — गोण्डा
403–हरक सिंह रावत, श्री — पौड़ी गढ़वाल
404–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
405–हरद्वार दूबे, श्री — आगरा
406–हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
407–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
408–हरबंश कपूर, श्री — देहरादून
409–हरी चरन यादव, श्री — सुल्तानपुर
410–हरिनारायण, श्री — बलिया
411–हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया

412–हरिशंकर माहौर, श्री — अलीगढ़

413–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर

414–हरिश चन्द्र, श्री — बरेली

415–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

416–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

417–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

विधान सभा प्रदर्शा

राज्यपाल

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

मंत्रि-परिषद्

1–श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सूचना, निर्वाचन, नागरिक उड्डयन, गृह, आवास तथा उद्योग, जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा।
2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री
3–श्री लालजी टण्डन	ऊर्जा मंत्री।
4–श्री गंगा भक्त सिंह	कृषि मंत्री।
5–श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री।
6–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	राजस्व मंत्री।
7–श्री राजनाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री।
8–श्रीमती प्रेमलता कटियार	नगर विकास मंत्री।
9–श्री सत्य प्रकाश विकल	आबकारी, परिवहन, पूर्त धर्मस्व मंत्री।
10–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री।
11–डा० सरजीत सिंह डंग	लोक निर्माण मंत्री।
12–श्री हनुमन्त सिंह	गन्ना विकास विकास मंत्री।
13–श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण मंत्री।
14–श्री एजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री।
15–श्री सुधीर कुमार बलियान	सहकारिता मंत्री।
16–श्री केदार सिंह फोनिया	पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री।

राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

1–श्री उमानाथ सिंह	कारागार एवं राजनैतिक पेंशन।
2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पंचायती राज।
3–श्री चन्द्र शेखर सिंह	पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य।
4–श्री शिव प्रताप शुक्ल	बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा।
5–श्री पूरन चन्द्र शर्मा	पर्वतीय विकास।

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य मंत्री

1–श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह
2–श्री धनराज यादव	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
3–श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण
4–श्री मस्त राम	नागरिक आपूर्ति
5–श्री अमर नाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा
6–श्री मयंकर सिंह	लघु उद्योग
7–श्री रविकान्त गर्ग	ऊर्जा
8–श्री हरद्वार दुबे	संस्थागत वित्त
9–श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास
10–श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम एवं सेवायोजन
11–श्री शिव बहादुर	गन्ना विकास
12–श्री हरवंश कपूर	ग्राम्य विकास
13–श्री बाबू राम एम० काम०	खाद्य
14–श्री बृजेश कुमार शर्मा	परिवहन
15–श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता
16–श्री बालेश्वर त्यागी	राजस्व
17–श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन
18–डा० अमर सिंह	1-चिकित्सा 2-परिवार नियोजन
19–श्री अनिल कुमार तिवारी	समाज कल्याण
20–श्री महाबीर सिंह	1–कृषि शिक्षा 2–कृषि अनुसन्धान
21–श्री हरख सिंह	पर्यटन
22–श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई

उप मंत्री

1–श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध
2–श्री पतिराज	पंचायतराज
3–श्री मन्नू लाल कुरील	1–कारागार 2–होमगार्ड्स

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

कुंवर देवती रमण सिंह, जनता दल (ब)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

श्री राम आसरे वर्मा

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री राम प्यारे शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ।

2–श्री जटा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा ।

3–श्री बसन्त लाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा ।

4–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा", सदस्य, विधान सभा ।

5–श्री सोमनाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ।

6–श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ।

7–श्रीमती विमला राकेश, सदस्य, विधान सभा ।

8–कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा ।

9–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ।

10–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	नवाब सिंह, श्री	मथुरा
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	नीलम सिंह, श्रीमती	बहराइच
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	पृथ्वी सिंह, श्री,	हरिद्वार
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
कृष्ण चन्द्र, श्री	पिथौरागढ़	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण स्वरूप, श्री	बदायूं	भरत सिंह, श्री	बलिया
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई	मदन भैया, श्री	मेरठ
गिरधारी, श्री	गाजीपुर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फर नगर
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	मारकण्डेय, श्री	बलिया
छब्बू, श्री	वाराणसी	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती	मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थ नगर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर	यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र, श्री	बिजनौर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
धर्मपाल यादव उर्फ		राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
डी० पी० यादव श्री	बुलन्दशहर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
लाखन सिंह, श्री	नैनीताल
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ़
शारदा चौहान, श्रीमती	गाजीपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
समीउल्ला, श्री•	गोण्डा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुधीर कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
सुलतान रजा मिर्जा, श्री	जौनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक, 27 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष, श्री राम आसरे वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

नियम 311 की सूचनायें लिये जाने की मांग

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इटावा में माननीय मुलायम सिंह यादव के भाई की गिरफ्तारी के बारे में नियम 311 मे नोटिस दिया है । अकारण गिरफ्तार किया गया है ।

(कई सदस्य एक साथ अपनी अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया ।)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बाल अधिनियम बना है, उल्लंघन करके छात्रों को नकल अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बन्द किया जा रहा है । मैंने नियम–56 में सूचना दी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप बैठ जायं. बाद में सुन लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, 311 में मैंने भी नोटिस दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने निवेदन यह किया है कि प्रश्न हो जाने के बाद, जब सूचनायें आयेंगी, तो सुन लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के आन्दोलित कर्मचारियों की मांगों का विवरण एवं जानकारी

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी आन्दोलित हैं और उन्होंने गत दिवसों में चक्का जाम आन्दोलन का नोटिस भी दे रखा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं सरकार के समक्ष उन्हें पूरा करने में कठिनाई क्या है ?

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिनके संबंध में दिनांक 11-2-1992 को

शासन निगम प्रशासन तथा रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के उपरान्त कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 246 पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग-पत्र दिया था । उसके ज्ञापन में जो मांगें हैं, उन मांगों को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच में समझौता हुआ था, यह जवाब आया है । इसमें पहली मांग है राष्ट्रीयकृत मांगों पर निजी बसों को परमिट न दिया जाय, अवैध संचालित बसों को रोका जाय और दिये गये परमिट को निरस्त किया जाय । पहली मांग के संबंध में सरकार से जानना चाहते हैं कि जो सरकारी पार्टी के संरक्षण में अवैध बसें चल रही हैं, हजारों की तादाद में । इस समझौते के फलस्वरूप क्या सरकार ने उनको रोके जाने की कोई कार्यवाही की है ? बिन्दु–4 में परिवहन निगम के कार्य में सुधार किया जाय तो समझौते के बाद उसमें क्या सुधार किये गये ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो मांग का प्रथम बिन्दु था, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट न दिये जायं और अवैध संचालित बसों को रोका जाय, दिये गये परमिट को निरस्त किया जाय । इस संबंध में निगम के कर्मचारियों के साथ जो समझौता हुआ था उसमें यह साफ था कि परिवहन निगम का किसी भी रूप में निजीकरण किये जाने और सामान्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीय किये जाने की कोई योजना नहीं है । इसमें कार्यरत कर्मचारियों की छटनी किये जाने की कोई योजना नहीं है । दूसरा प्रश्न जो इसमें निहित है कि राष्ट्रीय मार्गों पर बिना परमिट की बसें चलती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ? यह बसें जो अवैध रूप से चलती हैं । यह कोई आज की समस्या नहीं है बहुत पुरानी समस्या है यह विगत अनेक वर्षों से चली आ रही है । इस स्थिति को रोकने के लिये शासन की ओर से भरसक प्रयास किये जा रहे हैं । उस समझौते में यह तय हुआ है कि सरकार की ओर से इसको रोकने के लिये कठोर कार्यवाही की जायेगी । अब कार्यवाही के फलस्वरूप 825 गाड़ियों को टैक्सियों को गोरखपुर में रोका गया और यात्रीकर वसूल किया गया, ताकि स्थिति में सुधार हो । अन्य जगहों पर भी अवैध रूप से संचालित बसों को रोकने के लिये कार्यवाही की गयी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पुराने नियम हैं, जिन नियमों के तहत रोकते हैं, चालान करते हैं, वह कानून बहुत कमजोर है, उससे अवैध चलने वाली बसों को रोका नहीं जा सकता है । मिसाल के तौर पर क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है, जिसके द्वारा समाज की ऐसी सही गलत चीजों को रोकने के लिये कोशिश हुई है, जैसे नकल विरोधी अध्यादेश आया है पुलिस के द्वारा ज्यादा सख्ती करने से उस काम को रोका जा सकता है, तो क्या सरकार उसी पैटर्न पर कोई ऐसा नया कानून बनाने की व्यवस्था करेगी जिसके आधार पर अवैध रूप से चलाने वालों को, उसी तरह से हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जायगा जिस तरह से छात्रों को भेजा जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के बारे में कहा शासन में जितने वर्तमान नियम हैं उन नियमों के पालन में कड़ाई न किये जाने से अवैध संचालन को रोकने में कमियां रहीं, उन नियमों का कड़ाई से पालन हो तो अवैध गाड़ियों को चलने से रोका जाए इसके लिये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगें हैं उसमें जो 11 वां बिन्दु हैं पार्टटाइम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाये तथा शेष नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते दिये जायं। समझौते में क्या तय हुआ ? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने में क्या नीति तय हुई ? शेष कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति क्या वेतन, भत्ते देना तय हुआ ?

श्री सत्य प्रकाश बिकल–

मांग पत्र के 11वें बिन्दु को नरेश अग्रवाल जी ने पूछा, पार्टटाइम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सूची बनाई जायेगी, उसमें नियमों के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जानी है इस संबंध में निगम के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से सूचियां मंगाई जा रही हैं कुछ से आ गयी हैं कुछ से आना बाकी हैं। मुख्यालय में पूरी सूची बनाई जा रही है जैसे ही सूची बनकर तैयार हो जायेंगी इसमें कार्यवाही की जायगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह कहा गया था कि दो महीने के अन्दर सूची मंगाकर नियमित कर दिया जायेगा, तो कितने दिन हो गये ? कितने दिन में इनको नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा उनको बताना चाहूंगा कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। निर्णय यह हुआ था सूची बनायी जायेगी उसमें नियमों के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, राजकीय परिवहन निगम के अन्तर्गत जो अनुबंधित बसें चलती हैं उनके अनुबंध समाप्त कर दिये गये हैं ..

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न कर्मचारियों की मांगों से संबंधित था। आप मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न कर रहे हैं।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, कर्मचारियों की मांग थी कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट न दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मेरा प्रश्न कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ही है। आप जरा सुन लें।

मान्यवर, कर्मचारियों की मांग थी कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट न दिये जायं साथ ही अवैध संचालित बसों को रोका जाय और दिये गये परमिटों को निरस्त किया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बसों के परमिट निरस्त किये गये हैं और नहीं किये गये हैं तो कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ था तो समझौते में यह बात लिखी है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने के लिये निजी बसों को परमिट नहीं दिये गये हैं। कर्मचारी संगठनों ने इसको माना है और हमने कहा है कि भविष्य में परमिट दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि अनधिकृत बसें बहुत दिनों से चल रही हैं। आपने यह भी कहा है कि हम रोकने के लिये प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अनधिकृत बसें रोकने के लिये मंत्री जी ने अब तक क्या प्रयास किये हैं। क्या जिस प्रकार से नकल रोकने के लिये अध्यादेश आया है और प्रिंसिपल तथा अन्य लोगों को उत्तरदायी माना है उसी तरह से जहां पर अनाधिकृत बसें चलती हैं वहां के एस० पी० और जिलाधिकारी को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकर जो समझौता हुआ है उसके प्रकाश में अनेक जनपदों में कार्यवाही की गई है और उसमें अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है तथा प्रशासन के अन्य अंगों का भी सहयोग मिल रहा है। इसके लिये प्रभावी ढंग से कार्यवाही हो रही है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे आधे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैंने पूछा था कि अनाधिकृत बसें जहां चलती हैं वहां के जिलाधिकारी तथा एस० पी० को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? इसका उत्तर नहीं आया है।

(उत्तर के लिये मा० मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसमें न तो जिलाधिकारी की आवश्यकता पड़ती है, न एस० एस० पी० की आवश्यकता पड़ती है। जो अनाधिकृत बसें रास्तों पर चलती हैं, इनके आर० टी० ओ०, जो उस क्षेत्र के हों, अपने आप में सक्षम हैं। कार्यवाही के लिये किसी दूसरे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब वाहन का प्राथमिक रजिस्ट्रेशन होता है, उनको नम्बर दिया जाता है, टैक्स भरा जाता है, तो जब ट्रक, बसें या अन्य वाहन सड़कों पर चलते हैं, जो वाहन अवैध चलते हैं, यदि वे एक बार-दो बार-तीन बार पकड़े जायें तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय और उनका नम्बर रोक दिया जाय, इस व्यवस्था को लागू करने में क्या कठिनाई है। इसको लागू करेंगे या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय राणाजी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो बसें इस प्रकार से चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं और बार-बार चालान होने के बाद भी नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ कोई दूसरी कार्यवाही की जाय, यह प्रश्न भी हमारे विचाराधीन है और इस प्रकार सख्ती से कदम उठाये जायं, जो बार बार चालान के बावजूद नहीं मान रहे हैं, जो सुझाव दिया है, उसके अनुसार कार्यवाही हो, इस ओर शासन विचार करेगा।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां अनधिकृत निजी बस मालिकों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है । इसका कारण है कि वहां पर निजी बस मालिकों को पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं । शासन ने आदेश भी किये हैं कि रोडवेज की बसें चलाई जायं, तो क्या निजी बस मालिकों ने जो स्टे ले लिया है, क्या उसके बारे में सरकार जल्द से जल्द.उस स्टे के निपटारे की व्यवस्था कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आपने प्रश्न स्वीकार किया है, मैं उत्तर दे रहा हूं । प्रश्न तो आन्दोलन के बारे में था, मांगों के बारे में था, फिर भी जो लोग स्थगनादेश ले लेते हैं, कोर्ट का कोई स्टे हैं, उसके आधार पर चल रही हैं तो न्यायालय के निर्णय का तो सम्मान किया जायगा । अब उसको तो चलने से रोक नहीं सकते । ऐसी स्थिति में जो बसें चल रही हैं तो जब तक निर्णय न हो, कोई अंतिम रूप न हो, तब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने जो मांग पत्र दिया, उसका पहला बिन्दु महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट न दिये जायं । मंशा यह थी कि परमिट दिये जायेंगे तो रोडवेज को घाटा होगा । साथ ही अवैध बसों को रोका जाय तो यह तो परिवहन निगम की बसों के घाटे के बारे में अच्छा सुझाव है । मैं जानना चाहता हूं कि यहां राजधानी लखनऊ में चारबाग से खुलेआम ऐसी बसें चलती हैं, हमारे उन्नाव से चलती हैं तो इधर उधर की लीपा-पोती के बजाय माननीय मंत्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि जहां भी अवैध बसें चलाई जायेंगी वहां पर उनको गिरफ्तार किया जायगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवैध बसों को रोकने के संबंध में सरकार ने क्या कोई अलग से कानून बनाने का या अभियान चलाने का कार्यक्रम चलाया है । दूसरे जिन स्टेशनों से ऐसी बसें चलती हैं, वहां के संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध या आर० टी० ओ० के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । जहां ज्यादा बसें पकड़ी जायेंगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण जी ने चारबाग की चर्चा की, उनको यह जानकारी भी होगी कि वहां के थानाध्यक्ष ने पिछले महीने बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है । वहां से अवैध ढंग से संचालित बसों को हटाया गया । हमने निगम की ओर से जिलाधिकारियों से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यह अपेक्षा की है कि वे इस ओर सहयोग करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं कह रहा था कि चारबाग में अब भी सैकड़ों की तादाद में बसें खड़ी होती है । सैकड़ों बसें भरी जाती हैं और पुलिस वाले भरवाते हैं, तो क्या छापामार कार्यवाही और जिन अधिकारियों के क्षेत्र में हो रहा है, उन पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करेंगे ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाय कि जिसके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में ये संचालन हो रहे हैं, उनके बारे में परिवहन निगम, हमारा स्थानीय पुलिस प्रशासन और उसके बाद जिला प्रशासन, इन सबका सहयोग लेकर उसको रोकने के लिये कि वे न चलें, उस पर प्रभावी कार्यवाही हो, इसके लिये हमारी ओर से पत्र भी चले गये हैं कि उस पर कठोरता से कार्यवाही हो ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब काफी अनुपूरक हो चुके हैं, अब नहीं ।

प्रदेश की अन्य सेवाओं की भांति वित्त एवं कृषि सेवाओं में प्रोन्नति अथवा अगला वेतनमान देने की मांग

**2–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–(अनुपस्थित)

क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश की इंजीनियरिंग, मेडिकल, पी० सी० एस० व पी० सी० एस० (जे०) सेवाओं में 5 वर्ष पर तथा रु० 3500 तक वेतनमानों वाली अन्य सेवाओं पर 16 वर्षों पर प्रोन्नति अथवा अगला वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है । क्या वित्त एवं कृषि सेवाओं में उक्त सुविधा बिल्कुल नहीं है ? यदि हां, तो सभी सेवाओं में 5 वर्ष पर एक समान नीति के अन्तर्गत उपरोक्त व्यवस्था न करके भेद–भाव का क्या कारण हैं और क्या सरकार का वित्त (वेतन आयोग) विभाग अब इसे दूर करने के लिये इस विषय को मुख्य सचिव समिति को संदर्भित करके समान सेवा अवधि में उक्त सुविधा लागू करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

राज्य सरकार के अधीन अभियंत्रण सेवा, चिकित्सा सेवा (एलोपैथिक), प्रान्तीय सिविल सेवा तथा न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की सेवा के आधार पर रु० 3000-4500 का समयमान वेतनमान दिया गया है तथा ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है उन्हें उसी वेतनमान में 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर एक वेतनवृद्धि का लाभ तथा नियमित पदधारकों को 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा, जिसमें 6 वर्ष की सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की संतोषजनक सेवा सम्मिलित होगी, पूर्ण हो जाने पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था है । ऐसे पद/संवर्ग जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रदेश की अन्य सेवाओं (जिसमें कृषि और वित्त एवं लेखा संवर्ग है) में समय अवधि के आधार पर उच्च वेतनमान दिये जाने का मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचाराधीन है ।

अभियंत्रण सेवा/चिकित्सा सेवा में 5 वर्ष की सेवा के आधार पर रु० 3000-4500 का समयमान वेतनमान केन्द्र सरकार के समकक्षता के आधार पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर दिया गया है । न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा में उक्त वेतनमान दिल्ली, प्रशासन से समकक्षता के आधार पर दिया गया है, प्रान्तीय सिविल सेवा में उक्त वेतनमान प्रदेश की उपरोक्त सेवाओं के ढांचे को देखते हुए इस सेवा की महत्ता, निर्धारित योग्यता एवं चयन विधि तथा प्रदेश की अन्य सेवाओं में तुलनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिया गया है । जिन पद/संवर्गों में 16 वर्ष की सेवा के उपरान्त

प्रोन्नति/अगला वेतनमान दिया गया है उनके लिये केन्द्र सरकार/दिल्ली प्रशासन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अतः राज्य में लागू व्यवस्था केन्द्र की तुलना में बेहतर है। जिन संवर्गों में केन्द्र या दिल्ली प्रशासन में 5 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर उच्च वेतनमान देने की व्यवस्था है उन्हें राज्य सरकार में भी दिया गया है। चूंकि सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्र सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के सादृश्य पर लागू की गयी है और रु० 3500 तक मूल वेतन पाने वालों के संबंध में केन्द्र से बेहतर व्यवस्था लागू की गयी है। अतः यह कहना सही नहीं है कि किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है। उपरोक्त राज्य स्तरीय सेवाओं के अतिरिक्त प्रदेश की अन्य सभी राज्य सेवाओं के बारे में समय अवधि के आधार पर वेतनमान दिये जाने का मामला मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन है। समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर शासन द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसमें रुचि है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको बाद में देखा जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वर्ष 1981 से 84 तक मोहन मीकिन्स डिस्टलरी एवं मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लखनऊ से फर्जी परमिटों पर उड़ीसा राज्य को विदेशी मदिरा व बियर की निकासी में दोषी आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्री दलवीर सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 से 1984 के मध्य मोहन मीकिन्स डिस्टलरी एवं मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लखनऊ से फर्जी परमिटों पर उड़ीसा राज्य के एक फर्जी फर्म को भारी मात्रा में विदेशी मदिरा व बियर की निकासी दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम करके किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इस काण्ड में कितना आबकारी राजस्व निहित था ? क्या इसमें लाखों रुपये की राजस्व क्षति को दोषी अधिकारियों से वसूला जायेगा ? क्या यह भी सही है कि एक दोषी पाये गये आबकारी निरीक्षक को आसवनी का अतिरिक्त कार्यभार देकर स्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर दिया गया, जबकि उसकी तैनाती लखनऊ के किसी अन्य फार्मेसी में थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां। मेसर्स मोहन मीकिन्स डिस्टलरी, लखनऊ एवं मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज, लखनऊ द्वारा वर्ष 1981 से 1984 के मध्य उड़ीसा राज्य से प्राप्त सात आयात परमिटों पर मेसर्स सुमन इण्टर प्राइजेज कटक, उड़ीसा राज्य को बन्ध-पत्र के अन्तर्गत 13277.8 एल्कोहल लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं 12480 लीटर बियर का निर्यात किया गया था।

आबकारी विभाग द्वारा मामले में कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करायी गयी, परन्तु आयात परमिटों के फर्जी होने का तथ्य महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 22/25 जुलाई, 1986 द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर मामले की जांच तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ, श्री सुरेश चन्द्र गोविल द्वारा कराई गयी । जांच के उपरान्त आबकारी निरीक्षक सर्वश्री के० पी० सिंह एवं हशमत उल्ला को आबकारी नियमों का पालन न करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा लिखित चेतावनी देकर दण्डित किया गया । इस प्रकरण से संबंधित दोषी तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त, मे० मोहन मीकिन्स आसवनी, लखनऊ, श्री वेद प्रकाश गोविल दिनांक 28-2-87 को तथा श्री एन० एस० सिसौदिया, सहायक आबकारी आयुक्त (बियर अनुभाग) दिनांक 31-7-83 को सेवा निवृत्त हो चुके थे । अतः उन्हें दण्डित करना उचित नहीं पाया गया ।

इस काण्ड में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की मद में 7,30,279 रुपये एवं बियर की मद में 19,200 रुपये का आबकारी अभिकर निहित था । यह पूर्ण धनराशि आसवकों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जा चुकी है, जिसकी वसूली सरकारी अधिकारियों से करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हशमत उल्ला को मोहन मीकिन्स आसवानी लि० में आदेश दिनांक 14-8-91 द्वारा आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है । इससे ठीक पूर्व वे 14-5-90 से यू० पी० ड्रग हाउस लखनऊ में आबकारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे । पूर्व में श्री हशमत उल्ला मोहन मीकिन्स आसवनी में कभी तैनात नहीं रहे बल्कि वे 1981 से 1984 तक मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लखनऊ में नियुक्त थे ।

श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मोहन मीकिन्स डिस्टलरी और मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज, लखनऊ द्वारा वर्ष 1981 से 1984 के मध्य उड़ीसा राज्य से प्राप्त सात आयात परमिटों पर मेसर्स सुमन इन्टरप्राइजेज, कटक को बन्ध-पत्र के अन्तर्गत 13,277.8 एल्कोहल लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं 12,480 लीटर बियर का निर्यात किया गया । तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि घपला हुआ है, तो क्या जब यह मामला माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया तो क्या कोई एफ० आई० आर० लिखाई गयी, क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जब आपके संज्ञान में प्रकरण आया तो आपने क्या एफ० आई० आर० लिखवायी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह प्रकरण वर्ष 1981 से 1984 के बीच का है और 1986 में महालेखाकार ने इस प्रकरण का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया, तो उस समय की सरकार को जो करना था वह कार्यवाही की गयी और जैसा कहा गया कि करोड़ों का घपला है, ऐसा नहीं है, 7 लाख का राजस्व इसमें अन्तर्निहित था और वह जमा हो गया है । न कोई घपला है, न राजस्व की क्षति जो कि कार्यवाही की जानी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार उस समय की हो या इस समय की हो । पिछली सरकार के समय की स्थिति इस सरकार को मालूम है, उसको तो आपने अपने संज्ञान में लिया होगा । सवाल केवल इतना है कि इस प्रकरण की एफ० आई० आर० लिखायी गयी या नहीं और यदि नहीं लिखाई गयी तो क्यों नहीं लिखायी गयी ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इस प्रश्न के माध्यम से जब यह प्रकरण सामने आया तो यह देखा गया कि जब 1986 में महालेखाकार ने इस प्रकरण को सामने रखा तो उसके संबंध में जांच की गयी । इसकी जांच उप-आयुक्त ने की और उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के फलस्वरूप आबकारी आयुक्त ने दो आबकारी निरीक्षकों को लिखित चेतावनी दी, दंडित किया । जो सहायक आबकारी आयुक्त थे, उनमें से एक वर्ष 1987 में दूसरा वर्ष 1983 में सेवामुक्त हो गये थे । उनकी सेवा मुक्ति के बाद यह मामला उठा, जबकि उनको पेंशन वगैरह दी जा चुकी थी । नियमों के अनुसार यदि सेवा निवृत्ति के 4 वर्ष के अन्दर कोई मामला सामने आता है, तब तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और अन्यथा नहीं । सेवा समाप्ति के 4 वर्ष के अन्दर यह मामला सामने नहीं आया इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पुरानी सरकार पर आरोप लगाया है और अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश की है । आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आपने हशमत उल्ला को अतिरिक्त चार्ज दे दिया है । इसके लिये दो लाख रुपये की रिश्वत दी गयी है, आज भी वह वहां पर तैनात है, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी । इसे आपने स्पष्ट नहीं किया है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि जो जांच अधिकारी थे उस जांच के आधार पर उस समय जो दण्ड निर्धारित हुआ वह श्री के० पी० सिंह एवं श्री हशमतउल्ला दोनों को लिखित चेतावनी देकर दंडित किया गया उसके बाद यहां से दोनों को स्थानान्तरित किया गया, यू० पी० ड्रग हाउस में श्री हशमतउल्ला रहे और जहां तक राजस्व का सवाल है वह मैंने बता ही दिया है कि पूरा वसूल हो चुका है ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उपायुक्त महोदय ने जांच की उसके संबंध में यह निर्णय लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट क्या थी उसको माननीया मंत्री जी बता दें ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो जांच की गयी थी श्री गोविल के द्वारा उसमें उन्होंने पूरी चीज का परीक्षण करने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि यह जो निरीक्षक थे हशमतउल्ला खां और के० पी० सिंह यह इसके लिये इस बात के दोषी थे कि जब शराब का कोई निर्यात होता है तो उसका जो पास होता है वह उनके द्वारा पार्टी को सीधे नहीं दिया जाता है वह यहां के जो कटक उड़ीसा के आबकारी आयुक्त थे उनके पास रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए था ।

श्री बाबू राम यादव––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इधर उधर न करें, सीधे रिपोर्ट पढ़ दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल––

मान्यवर, अनुमति दें तो 22 पृष्ठों की रिपोर्ट है, मैं पूरा पढ़ दूं ।

मान्यवर, चूंकि उनको वह पास सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए था रजिस्ट्री डाक से भेजना चाहिए था तो वह रजिस्ट्री डाक से न भेजकर सीधे हाथ में दे दिया गया और उसको सर्टिफाई करके भिजवा दिया, वह फर्जी लोग थे या नहीं थे, इन्हें मालूम था या नहीं मालूम था लेकिन जांच रिपोर्ट में जो दण्ड निर्धारित किया था आयुक्त ने लिखित चेतावनी देने का, वह दंडित कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, दुख इस बात का है कि माननीय मंत्री अधिकारियों के भुलावे में आ रहे हैं । बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि हशमतउल्ला निरीक्षक हों या के० पी० सिंह निरीक्षक हों, यह सही है कि विभाग के यह निर्देश हैं कि जो भी पास होगा वह हाथ में नहीं दिया जायेगा बल्कि रजिस्ट्री डाक से दिया जायेगा तो हाथ से पास दिये जाने के कारण क्या उनके खिलाफ केवल चेतावनी दिया जाना ही प्रर्याप्त थी ? दूसरा प्रश्न यह है कि श्री वेद प्रकाश गोविल, आबकारी आयुक्त 87 में रिटायर हुए और 86 में ही यह मामला प्रकाश में आया तो 81 से 84 के बीच का विषय है और 87 में रिटायर हुए हैं तो 4 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो माननीय मंत्री जी ने किस आधार पर यह उत्तर दिया कि 4 वर्ष बाद यह मामला संज्ञान में आया इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । एक बिन्दु और है कि हशमतउल्ला को पुनः मोहन मीकिन्स ब्रेवरीज में नियुक्ति कर दिया गया है और यह उत्तर में कहते हैं नहीं किया गया हैं । मोहन मीकिन्स ब्रेवरीज डिस्टलरी बियर और विदेशी मदिरा दोनों से संबंधित है और उनकों पुनः उसी की एक यूनिट में नियुक्ति कर दिया गया है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नहीं किया गया है तो ऐसा क्यो हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, 1990 में आयुक्त, आबकारी से जो रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई, उस पर अपना फैसला दिया । यह प्रकरण 1981 से 84 के बीच का है । 1987 में चार साल पूरे हो गये, 90 में फैसला हुआ । मोहन मीकिन्स में हशमतउल्ला कभी नहीं रहे, मोहन मीकिन्स ब्रेवरीज में रहे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अगर रहे नहीं तो चेतावनी किस बात की दी गयी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

यह उत्तर में कहा गया है कि श्री हशमतउल्ला को मोहन मीकिन्स आसवनी लि० में 14-8-91 द्वारा आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है । इससे पूर्व वे 14-5-90 से यू० पी० ड्रग हाउस लखनऊ में आबकारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे । पूर्व में श्री हशमतउल्ला मोहन मीकिन्स आसवनी में कभी तैनात नहीं रहे बल्कि वे 1981 से 1984 तक मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज, लखनऊ में नियुक्त थे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

जिन हशमतउल्ला की बात चल रही है, बहुत सुस्पष्ट सवाल पूछा गया था और उत्तर आया है कि जांच के उपरान्त आबकारी निरीक्षक सर्वश्री के० पी० सिंह एवं हशमतउल्ला को आबकारी नियमों का पालन न करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा लिखित चेतावनी देकर दण्डित किया गया । अन्तिम पैरा

में है कि उन्हीं को आदेश दिनांक 14-8-91 द्वारा फिर से नियुक्त कर दिया गया है । जब गम्भीर अपराध का दोषी पाया गया है तो उसके विरुद्ध ठीक से कार्यवाही न करके उसे फिर से महत्वपूर्ण पद पर भेजने का क्या औचित्य हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल––

श्री हशमतउल्ला की पत्नी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके पति हृदय रोग की बीमारी से पीड़ित हैं, उसके उनुसार उनको वहां पर किया गया ।

(कई सदस्यों के खड़े हाने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

अब इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं । अब अगला प्रश्न लेते हैं ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है और पूरे आबकारी विभाग में चर्चा है कि नियुक्ति के लिये 2 लाख रु० रिश्वत ली गयी है और इसके बाद इनकी नियुक्ति ड्रग हाउस में की गयी । जिसको हृदय रोग हो, वह एक ही चार्ज नहीं सम्भाल सकता है, इनको तो दो-दो चार्ज दे रखें हैं । एक्साइज़ विभाग में उसने ताल ठोककर कहा है कि यह नियुक्ति उसने 2 लाख रु० देकर ली है । मेरी मांग है कि इस प्रश्न को आप स्थगित करें, कार्यवाही करें और इस पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

दो वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले सकने की जानकारी

*2–श्री श्याद अली (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों ने दो वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त किया है, वे स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी नहीं ।

वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू हैं । जिन छात्रों ने द्विवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त की है उन्हें स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु एक वर्षीय ब्रिजकोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

20 वर्षों की सेवा के उपरान्त स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने वाले डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय शिक्षकों को पेंशन देने की योजना की जानकारी

*3–श्री तुलसी दास (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय के शिक्षक 20 वर्ष के उपरान्त स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते हैं, तो क्या उन्हें इन्टर कालेज के अध्यापकों की तरह पेंशन देने की योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[दिनांक 30 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न जिन्हें संबंधित मा० सदस्यों का निलम्बन तत्समय प्रभावी रहने के फलस्वरूप कार्यसूची से हटा दिया गया था]

उ० प्र० में राजकीय राज मार्गों/राष्ट्रीय राज मार्गों को निजी बस मालिकों को सौंपे जाने की योजना की जानकारी

*श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा बलराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में राजकीय राज मार्गों/राष्ट्रीय राज मार्गों पर सरकार के पास बस परिवहन का काम पूरा-पूरा या आंशिक निजी बस मालिकों को सौपने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन मार्गों पर पहले से ही उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चल रही हैं उन मार्गों पर भी प्राइवेट बसें चलाने का औचित्य क्या है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं । राष्ट्रीयकृत मार्गों को निजी बस मालिकों को सौंपने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

सामान्यतया राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की व्यवस्था नहीं है परन्तु कतिपय मार्गों की योजनाओं में ही इस आशय का प्राविधान है । कुछ मार्गों पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पूरे अथवा आंशिक राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बसें संचालित हो रही हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीयकृत मार्गों को निजी बस मालिकों को सौंपने की योजना विचाराधीन नहीं है । लेकिन, दूसरे भाग में बताया कि सामान्यतया राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की व्यवस्था नहीं है परन्तु कतिपय मार्गों की योजनाओं में ही इस आशय का प्राविधान है । तो कतिपय मार्ग जिनमें यह नियम तोड़ा गया वह मार्ग कौन-कौन से हैं उनमें कौन सी खास बात है कि उन्हें सरकार की नीति के विरुद्ध निजी बस मालिकों को सौप दिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जिस समय किसी मार्ग को राष्ट्रीयकृत किया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में सबसे पहले पी० डब्लू० डी० से एक प्रमाण-पत्र मांगा जाता है कि यह सड़क मोटर गाड़ी चलाने योग्य है वह प्रमाण-पत्र मिल जाता है । जिस समय हम उन्हें नोटिफाई करते हैं तब आपत्तियां आती हैं और जिस मार्ग को राष्ट्रीयकृत किया जाता है उस समय तक उस पर जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही होती हैं वह आपत्तियां करते हैं वे कहते हैं कि हमारी बसें पहले से चल रही हैं हमे चलने दिया जाय । यह कतिपय मार्गों की योजना में ही जिस समय राष्ट्रीयकृत मार्ग की बात हुई उस समय उस योजना में ही इसका प्राविधान किया जाता है कि यह प्राइवेट बसें उस पर चलेगी कतिपय मार्गों पर योजनाओं में ही प्राविधान हुआ उसके बाद राष्ट्रीयकृत किये जाने की घोषणा हुई, इसके अलावा निगम की बसें चलें तो वे जो बस नहीं चला पाये वे सक्षम न्यायालय में चले जाते हैं और स्टेट्स को मिल गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने इसीलिये न्यायालय वाला भाग छोड़ दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर लेकिन मान्यवर, स्पष्ट नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उन्हें पूरा उत्तर तो कह लेने दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उन्होंने प्रक्रिया बतायी, मैंने उत्तर के दूसरे भाग को यहां पर पढ़ा, जिसमें पूछा कि ऐसे कौन से मार्ग हैं जो उस संचालन में भी आ रहे हैं जिसकी वजह से सरकार की नीति के विरुद्ध निजी बस मालिकों को भी परिवहन संचालन की सुविधा दी जा रही है ? क्या वे वही मार्ग हैं जहां पर प्राइवेट बसें पहले से चल रही थी, बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया, या दबाव में छूट दे दी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैने निवेदन किया था कि यह एक प्रक्रिया है जब किसी मार्ग को राष्ट्रीयकृत करते हैं तो वहां पर जो पहले से बसें चल रही होती हैं वे आपत्तियां करते हैं, उनसे बातचीत होती है, कुछ लोग विड्रा कर लेते हैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस तरह से कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां पर हमारी भी बसें चल रही हैं और कुछ उनकी बसें चल रही हैं । मेरे पास पूरी सूची तो इस समय नहीं है लेकिन उदाहरण के तौर पर एक दो मार्गों का उल्लेख कर देता हूं । जैसे मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग, आगरा-दिल्ली मार्ग, हल्द्वानी-रानीखेत मार्ग इस तरह से कुछ मार्ग हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ मार्गों का हवाला दिया । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जनपद देवरिया में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दोनों व्यवस्था चल रही है तो क्या उसमें परमिट दिये गये हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, उन्होंने खुद कुछ मार्गों का नाम लिया है, इसलिये यह प्रश्न इसमें आता है आप कृपया इसमें संरक्षण दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर आपको जानकारी है तो कृपया बता दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जिज्ञासा प्रकट की थी उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने उत्तर देते हुए कुछ मार्गों का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया । मेरे पास इस समय पूरी सूची नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इन्होंने कुछ जिलों के नाम पढ़े । उसी के तहत मैंने अपने देवरिया जनपद की बात रखी ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो जानकारी थी, वह दे दी गयी है ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि दो राष्ट्रीयकृत मार्ग देहरादून-मेरठ-गाजियाबाद-दिल्ली और आगरा-इटावा में हजारों की संख्या में प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो क्या उनको उन मार्गों पर परिवहन व्यवस्था के संचालन हेतु परमिट दिया गया है या यह सब डग्गा मार बसों के रूप में है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक प्रश्न तो उन बसों का है जो बसें कतिपय राष्ट्रीयकृत मार्गों की योजना के अन्तर्गत परमिट लेकर चल रही हैं और दूसरा प्रश्न अवैध बसों के संचालन को लेकर है तो जो अवैध बसों का संचालन पर रोक की बात है उस पर हम लोग बराबर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। मैंने प्रश्न किया था कि देहरादून-मेरठ-गाजियाबाद-दिल्ली से प्राइवेट बसें प्रतिदिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलायी जाती हैं तो उनको किसी श्रेणी के अन्तर्गत क्या परमिट सुविधा दी गयी है। दूसरा इटावा-आगरा राजमार्ग पर सैकड़ों की संख्या में बसे प्रतिदिन चलायी जा रही है, इनका संचालन किन नियमों के अन्तर्गत हो रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, बार-बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है और हर बार मैंने इसका उत्तर दिया है कि जो अवैध बसें चल रही हैं उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। फिर भी जो बिना परमिट की बसें चल रही हैं अगर माननीय सदस्य इसकी जानकारी हमें देंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। आपको अच्छाइयों और बुराइयों का इल्म है, आपके जिले में बहुत कुछ हो रहा है। मान्यवर, शुतरमुर्ग अगर रेत में अपना मुंह घुसेड़ ले और यह कहे कि हमें सब दिख रहा है तो यह उसकी गलतफहमी है। माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि हजारों की संख्या में अवैध बसें राजमार्गों पर चल रही हैं और बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है कि कहीं न कहीं कमजोरी है या तो कानून बनाने में या उसे लागू करने में ...

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबधित नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, संरक्षण दें। आज प्रश्न मूल का प्रश्न का नहीं है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज जो चीज लागू नहीं हो पा रही है उसे कैसे लागू किया जाये तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई कानून बनायें जिससे यह अनियमिततायें रोकी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोई ऐसा कानून बनाया जाये जिससे यह अनियमितता रोकी जा सके, क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने की सोच रही है। मान्यवर, बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है, जब सरकार यह मान रही है कि हमारी जानकारी में है तो क्या वह कोई ऐसा प्रभावी कानून बनायेगी .....

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा स्थिति स्पष्ट है कुछ कतिपय मार्ग हैं जिस पर प्राइवेट बसें चलती थीं और राष्ट्रीयकृत के बाद उनको भी उसमें लिया गया तो यह जो कतिपय मार्ग हैं इनमें जो प्राइवेट बसें संचालित हो रही हैं वह कब तक संचालित होती रहेंगी और इसके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, आपको जानकारी नहीं है, बहुत से मार्ग ऐसे हैं जैसे गढ़ वाला मार्ग है इन पर बिना परमिट आदि के संचालन के लिये 40-40 लाख रुपये की रिश्वत दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न बहुत विस्तृत हो रहा है।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह जो बसें उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं क्या वे वही बसें चल रही हैं या कुछ नयी बसों को परमिट दिये गये हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय राणा जी ने एक प्रश्न किया कि कतिपय मार्गों पर योजना निर्धारित करते समय जो प्राइवेट बसें चल रही थीं, वह अब भी चल रही हैं, उनके संबंध में बताना चाहता हूं कि उनका योजना में समावेश कर लिया गया है। अब उनके पास परमिट है और वह जब तक चलाना चाहेंगे, चलायेंगे। जब बन्द करना चाहेंगे, बन्द कर देंगे।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, प्राइवेट बसों में एक छोटी बस चलती हैं, जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चलती हैं, उन्हें मिनी बसें कहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के परमिट उनके पास होते हैं और वह बसें नेशनल रूट्स पर भी चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास नेशनल रूट्स पर चलने की इजाजत है अथवा नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस संबंध में स्थिति बड़ी स्पष्ट है। परमिट की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। जो भी निजी बस वाले परमिट लेते हैं, वह उन शर्तों से बंधे होते हैं और यदि वह शर्तों को तोड़ेंगे, तो वह अवैध संचालन होगा, अतः जो बसें इस प्रकार परमिट शर्तों का उल्लंघन करके अवैध ढंग से चल रही हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह सबको पता है कि जो भी अवैधानिक तरीके से बसें चलती हैं, वह पुलिस विभाग की साजिश पर चलती हैं और उनसे पैसा उगाही किया जाता है तथा थाने से लेकर वह पैसा सरकार के संबंधित मंत्री तक आता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवहन मंत्री जी माननीय गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि उनके महकमे द्वारा यह धन उगाही की जाती है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय पाण्डे जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने एक बहुत गम्भीर आरोप लगा दिया और कहा कि पुलिस विभाग के द्वारा, वहां से लेकर मंत्री तक पैसा आता है । मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है, आपके कार्यकाल में ऐसे मंत्री हुए हों । लेकिन इस सरकार के जितने मंत्री हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो इनको इस तरह खरीद सके । मैं इस आरोप को बड़ी गम्भीरता से लेता हूं और इसका खंडन करता हूं । यह सही है कि अवैध बसों का संचालन हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, बल्कि उस समय से हो रहा है, जब पाण्डे जी के लोग सरकार में बैठते थे, अब हम इसे जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, आर० टी० ओ०, निगम सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं । स्टेट हाइ-वे नम्बर–5 पर बस्ती से लेकर बांसी के बीच में जितनी आपकी रोडवेज की बसें चलती हैं उससे दुगुनी संख्या में प्राइवेट बसें नित्य चला करती हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसकी जांच कर लें कि किस आधार पर वे बसें चल रही हैं । क्या यह सत्य है कि उस रोड पर पड़ने वाले थानों के सहयोग से वे बसें चलाई जा रही हैं । यदि हां, तो इस पर आप कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने स्पष्ट रूप से एक मार्ग का उल्लेख किया है । मैं इसको जरूर दिखाऊंगा । अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसकी जांच कराऊंगा ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों में यात्री सीजन के दौरान स्थानीय यात्रियों को होने वाली कठिनाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । परमिट के आधार पर जो प्राइवेट बसें वहां पर चलती हैं, वे यात्रियों को ढोने में लग जाती हैं । रोडवेज की बसें वहां पर बहुत कम हैं, जिससे स्थानीय यात्रियों को वहां पर बहुत परेशानी हो जाती है । क्या माननीय मंत्री जी स्थानीय यात्रियों की असुविधा को देखते हुए परमिट के आधार पर चल रही प्राइवेट बसों के अलावा कोई और व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आपका अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां कहीं अवैध बसें चल रही होंगी उनको रोकने के लिये कठोर कार्यवाही की जायेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कानपुर से कन्नौज की जो रोड है, उस पर कानपुर के ही सत्तारूढ़ दल के एक माननीय विधायक श्री सत्यदेव पचौरी की बसें काफी मात्रा में चल रही हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि अगर वे बसें अवैध रूप से चल रही हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । दूसरा, मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि कतिपय मार्गों की योजनाओं में पहले से ही प्राविधान है । माननीय श्री राणा जी ने जो सवाल किया, उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया । क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उन मार्गों पर पहले से ही बसें चल रही थीं और उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया था और उस समय जिन-जिन बसों को परमिट दिये गये थे, उसके बाद सरकार ने क्या और भी परमिट दिये हैं ?

सरकार की यह नीति है कि सभी मार्गों पर राष्ट्रीयकृत बसें ही चलाई जायं क्योंकि निजी बसों में आम जनता को बड़ी परेशानी होती है तो धीरे-धीरे क्या सरकार उन निजी बसों को जहां-जहां वह चलती हैं खतम करके सरकार सरकारी बसें चलायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण जी ने पहला प्रश्न किया उसमें एक माननीय विधायक का नाम लिया । मैं बताना चाहता हूं माननीय विधायक श्री सत्यदेव पचौरी जिनका उन्होंने नाम लिया उनकी कोई बस इन मार्गों पर नहीं चलती है । फिर भी मैं स्वागत करता हूं अगर वह बसों का नम्बर बतायेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे । दूसरा प्रश्न मैंने स्पष्ट कर दिया कि कतिपय मार्गों पर जहां योजना के अधीन प्राइवेट बसें चल रही हैं वह चलायेंगे बाकी कोई परमिट दिया जाता है तो वह उसकी सूचना दें हम उसे दिखवा लेंगे ।

लखनऊ नगर में टैम्पो/अन्य वाहनों द्वारा छोड़ी गई विषैली गैसों के प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों की जानकारी

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में टेम्पो/अन्य वाहनों द्वारा छोड़ी गयी विषैली गैसों (धुएं) का स्तर, सामान्य स्तर से काफी अधिक है ? यदि हां, तो कितना ? इस प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय/विकल्प अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

निर्धारित मानकों से अधिक वाहनों के धुएं से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के बारे में वाहन चालकों में जागरुकता लाने हेतु प्रयास एवं दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं जो उन्होंने बताया कि दण्डात्मक कार्यवाही कर रहे हैं तो कौन-कौन से गैस जैसे कारबन मोनो आक्साइड और सलफर

आक्साइड गैसें निकलती हैं तो उनको नापने के लिये कौन-कौन से यंत्र हैं जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के लिए प्रयोग करते हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी । चारबाग़ से विधान सभा मार्ग होकर निशातगंज और इंदिरानगर मार्ग पर कितना प्रतिशत निर्धारित है कितने से ज्यादा प्रतिशत पर प्रदूषण होता है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्न कर दिये फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनकी जिज्ञासा पूरी करूं । मान्यवर, उन्होने कारबन मोनो आक्साइड के संबंध में हजरतगंज और हुसैनगंज के बीच में निर्धारित मात्रा 2 हजार एम० घनमीटर है लेकिन वह 8 गुना अधिक पाई गयी । इस संदर्भ में सरकार ने प्रभावी कार्यवाही भी की है और दिसम्बर 91 में 295 गाड़ियों का चालान किया गया, जनवरी 92 में 1175 गाड़ियों का चालान किया गया फरवरी 92 में 1470 गाड़ियों का चालान किया गया । इसके लिये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली में व्यवस्था की गयी है ऐसी गाड़ियां जो पहली बार इसका उल्लंघन करती हैं उनको एक हजार रुपया फाइन किया जायेगा दुबारा उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो दो हजार रुपया जुर्माना होगा । इसके साथ ही साथ परिवहन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इन गाड़ियों के लिये जो निर्धारित मानक है वह पूरा करने पर ही फिटनेस दिया जाय । निर्धारित मानक डीजल वाहनों के लिये 65 हार्टिज स्मोक निर्धारित किया गया है पेट्रोल की गाड़ियों के लिये जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी है या 80 हजार किलोमीटर यात्रा कर चुकी है उनके लिए यह 4.5% होना चाहिए । परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर इस मानक का परीक्षण किया जाता है और उसको निर्धारित किया जाता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है यह जो विसाक्त गैस है इसके आवश्यकता से अधिक वातावरण में रहने से एक तरफ तो जानें भी जा सकती हैं और दूसरी तरफ निरन्तर प्रदूषण में रहने से शरीर के जो स्वांस संबंधी अंग हैं उन पर जहरीला प्रभाव पड़ता है, अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक आपके पास कौन-कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप टैम्पो और बसों में इनको देखते हैं कि इनमें कितनी जहरीली गैसें हैं ? और इन उपकरणों की संख्या क्या है ? और क्या इनकी संख्या लखनऊ जैसे शहर को देखते हुए आपके पास पर्याप्त है ?

दूसरी बात यह है, देखने में आया है कि दो प्रकार के वाहन सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं । एक टैम्पो और दूसरे रोडवेज की बसें । इन से आवश्यकता से अधिक प्रदूषण फैलता है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए गम्भीर प्रयास करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसके लिए धुआं मापक यन्त्र है और संख्या के संबंध में हमें सूचना की आवश्यकता भी होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसकी सूचना मंत्री जी के पास नहीं है यह एक गम्भीर बात है । इसलिए जनहित को देखते हुए आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब इनके पास संख्या की सूचना हो जाय तो इसे ले लिया जाये।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह यंत्रों की संख्या नहीं बता पा रहे हैं लेकिन मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर इनसे आप दिला दें कि क्या लखनऊ में यह इसकी रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मूल प्रश्न में संख्या नहीं पूछी गयी थी ..... (व्यवधान) अब आप यदि संख्या जानना चाहते हैं तो संख्या के संबंध में मूल प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी पूछा गया था, सप्लीमेन्टरी के समय मैंने यह सवाल किया था कि कौन-कौन उपकरण आप पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के प्रदूषण अथवा धुएं को नापने के लिए प्रयोग करते हैं उसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि सूचना की आवश्यकता है मैं यह जानना चाहता हूं कि डीजल गाड़ियों से जो कार्बन मोनोआक्साइड निकलता है उसको लखनऊ में नापने के लिए और उनकी रोक-थाम करने के लिए कितने स्टेशनों की व्यवस्था की गई है और कितने यंत्रों की व्यवस्था की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न आप अलग से पूछिये, यह इससे संबंधित नहीं है ।

[नत्थी (घ) लिये जाने पर घोर व्यवधान]

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय परिवहन मंत्री जी बतायेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उसको मैं समझ रहा हूं । उस मापक यंत्र का नाम है स्मोक-मीटर और संख्या के बारे में जो पूछा गया है, मैं माननीय सदस्यों को अलग से इसकी सूचना प्राप्त करके दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

आप सही नहीं कह रहे हैं गैस नापने के लिए इन यंत्रों का नाम अलग-अलग पेट्रोल इनलाइजर और डीजल इनलाइजर है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जैसा माननीय सदस्य ने अभियान चलाने की बात कही है तो इस पर विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री सुरेन्द्र सिंह ने सदन का त्याग किया ।)

[सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का पुनर्विनियोजन समय से किए जाने की मांग

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि जिला योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के प्रस्ताव शासन द्वारा विगत दो वर्षों से न लिये जाने के परिणामस्वरूप जनपद में एक योजना की समर्पित धनराशि को दूसरी योजना में, जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, हस्तान्तरित कर पुनर्विनियोजित न किये जाने से कार्य अपूर्ण रह गये ? क्या मंत्री जी पुनर्विनियोजन समय से किए जाने के निर्देश देंगे ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

विगत दो वर्षों से जिला योजनाओं में होने वाली बचतों के व्यावर्तन हेतु पुनर्विनियोग के प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए । लेकिन जिलों से जो अपरिहार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन पर विचार कर सहमति दी गयी । अतः अपरिहार्य कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जिला योजनाओं के अंतर्गत एक विभाग के लिए निर्धारित धनराशि का अगर वह विभाग उपयोग नहीं कर पाता है तो दिसम्बर में या उसके बाद जिला नियोजन और अनुश्रवण कमेटी द्वारा उस धनराशि को दूसरे विभाग के लिये डाइवर्ट कर दिया जाता था जिससे कि एक विभाग जिसके लिये आवश्यक धनराशि की आवश्यकता है या कार्य अधूरा रहता है तो पूरा हो जाता था । प्राविधान है कि इस धनराशि को समर्पित कर देंगे तो इस योजना के अंतर्गत दूसरे जिले में उपयोग नहीं की जा सकती है इससे वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा । मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है दो वर्ष पूर्व यह व्यवस्था थी पुनः विनियोजन की, तो इस व्यवस्था को वह उपयोगी नहीं मानते हैं और यह भी माना है कि आवश्यकता है, इसलिये इस व्यवस्था को वह क्यों बन्द कर रहे हैं ?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, 1989 से 1991 तक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शासन द्वारा इस कार्यवाही को नहीं किया गया । लेकिन जिन जिलों द्वारा डाइवर्जन की मांग की गयी उन जिलों को शासन द्वारा अनुमति दी गयी और जिन्होंने मांग नहीं किया उनकी बचत को वित्त विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सीज कर दिया गया ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, वित्तीय संसाधन जो निर्धारित परिव्यय है उसी को दे रहे हैं । परिव्यय बढ़ाने की बात नहीं है और न आबंटन बढ़ाने की बात ही कह रहे हैं बल्कि जिले में जो धन एक विभाग में बचता है उसे पुनः विनियोजित कर दिया जाता था, परन्तु अब यह व्यवस्था बन्द है जिसे वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो मैं जानना चाहता हूं पूर्व व्यवस्था को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया है । अब नया प्रश्न मा० सदस्य ने उठाया है और यदि वित्तीय संसाधन ठीक हो जायेंगे तो वही प्रक्रिया पुनः लागू कर दी जाएगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, संसाधनों का सवाल नहीं है । रि-एप्रोप्रिएट करने का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि पिछले दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण पुनर्विनियोजन नहीं किया गया । श्रीमन्, गांधी जी का मूल प्रश्न यह है कि जो यहां पर सदन से बजट पास हुआ, जिला योजना अथवा राज्य सैक्टर के लिये । तो चूंकि माननीय गांधी जी ने जिला योजना की बात कही है, इसलिये मैं अपने को वहीं तक सीमित रखता हूं । जिला योजना के लिये सदन के अन्दर जो मद स्वीकृत हुईं उतने ही के अन्दर यह पुनर्विनियोजन किया जाता है । क्या यह सही है कि जितना धन यहां से स्वीकृत किया गया उतना धन अवमुक्त नहीं किया गया ? बस इतना माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री हरद्वार दुबे–

मैंने उत्तर बड़ा स्पष्ट दिया था कि जिन जिला योजना इकाइयों के व्ययवर्तन हेतु शासन को आया है, उसको अनुमति दे दी गई है और जिन से नहीं आया उनके विषय में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

बसों के अवैध एवं बिना कर जमा किए होने वाले संचालन से राजस्व की हानि रोकने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बसों के अवैध एवं बिना कर जमा किये होने वाले संचालन से राजस्व की भारी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अवैध संचालन रोकने की दिशा में कठोर कार्यवाही की जा रही है । सामान्य चेकिंग कार्य के अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर बसों के अवैध संचालन को नियंत्रित किया जा रहा है तथा अवैध संचालित बसों के प्रति नियमानुसार कार्यवाही एवं कर वसूली की जाती है ।

नोट :- नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

*3—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[10वें गुरुवार में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की कतिपय मिलों द्वारा शोधन यंत्र न लगाये जाने से उनमें से निकलने वाले प्रदूषित जल से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग

*4—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मेसर्स दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर्स, चौरे बाजार, मेसर्स के० एम० शुगर मिल्स, मसौधा, मेसर्स यश पेपर मिल, पूरा बाजार, मेसर्स अभ्युदय पेपर मिल, इण्डस्ट्रीज एरिया में वहिस्राव शोधन यंत्र, गैस शोधन यंत्र तथा निष्प्रयोज्य पानी शोधन यंत्र लगाए गये हैं ? यदि हां, तो क्या गन्दे पानी की निकासी के लिए फैक्ट्री से निकलने वाली और नदी अथवा बड़े नाले तक पहुंचने वाली नालियों को ढकने के प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि नहीं, तो इन फैक्टरियों से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की फसल, पशुओं की क्षति सहित अनेक संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे लोगों के बारे में उच्चस्तरीय जांच कराकर फैक्टरियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हां (केवल मेसर्स यश पेपर मिल की दो इकाइयों में एक इकाई को छोड़कर जहां पर शोधक यंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है) यहां यह उल्लेखनीय है कि वहिस्राव शोधन यंत्र एवं निष्प्रयोज्य पानी शोधन यंत्र एक ही प्रकार के यंत्र हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

विधि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को स्वयं न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

पेड़, पौधे व जड़ी बूटियां जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं को उगाने एवं दवा निर्माता कम्पनियों को आपूर्ति किए जाने की मांग

*6—डा० दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे पेड़, पौधे व जड़ी-बूटियां जिनसे बहुत महत्वपूर्ण दवायें बन सकती हैं, कहीं पर लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वे दवा निर्माताओं को किस प्रकार उपलब्ध हो सकती हैं ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में उग रही अमूल्य वन सम्पदा, जो दवायें बनाने के काम आती है, उसे उगाने व दवा निर्माताओं को उपलब्ध कराने की कोई योजना शीघ्र बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

वर्तमान में वन विभाग द्वारा जड़ी-बूटियों का वृक्षारोपण नहीं करवाया जा रहा है।

वृक्षारोपण हेतु पौधालयों की स्थापना नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1988 के तहत जड़ी-बूटियों के रोपण को वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग वर्गीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसन्धान वृत्त के नियंत्रण में स्थापित 38 अनुसन्धान पौधालयों में विशेष रूप से उत्तरांचल के वन क्षेत्रों में पायी जाने वाली औषधीय पादक प्रजातियों को उगाने एवं उनके बीज उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना के वर्तमान स्वरूप एवं कार्य विधि के परिवर्तन की जानकारी

*7--श्री विजय सिंह राणा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के वर्तमान स्वरूप तथा कार्य-विधि के बारे में कुछ परिवर्तन किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका संशोधित स्वरूप क्या होगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार की योजना है । अतः इस संबंध में कोई परिवर्तन किए जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की सरदार नगर डिस्टिलरी में प्रदूषण अवरोधी यंत्र लगाए जाने की मांग

*8--श्री स्वामी नाथ यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरदार नगर डिस्टिलरी, जनपद गोरखपुर में प्रदूषण को रोकने वाले यंत्र लगाये गये हैं ? यदि हां, तो वे यंत्र कौन-कौन से हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध सरकार उक्त कारखाने के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । प्राथमिक शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु होमाजिनाइजेशन टैंक मीथेन गैस रियेक्टर, गैस होल्डर, लेम्ला सेपरेटर यंत्र लगाये गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है ।

*9--श्री राम लखन वर्मा--

[दिनांक 9-4-92 को अल्पसूचित ता० प्र० सं० 1 के अनुपूरक द्वारा उत्तरित]

उपायुक्त, बिक्रीकर, अलीगढ़ परिक्षेत्र द्वारा बिक्रीकर समरी योजना के अन्तर्गत वादों के निस्तारण में उदासीनता बरतने का आरोप

*10--श्री लल्लू सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश द्वारा बिक्रीकर समरी योजना के अंतर्गत वादों का निस्तारण करने का कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो आदेश क्या है ? समरी योजना के अन्तर्गत उपायुक्त, बिक्रीकर, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ के अधीन कितने वादों का निस्तारण किया जाना था ? इसमें से कितने वादों का निस्तारण कर दिया गया है ? शेष वादों का निस्तारण न होने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? समरी योजना के अंतर्गत वादों के निस्तारण की मासिक प्रगति क्या है ? क्या यह अलीगढ़ परिक्षेत्र के अनुरूप संतोषजनक है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी हां । आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या विधि--1 (2)--विशेष कर-निर्धारण-1991-92-327/बिक्रीकर, दिनांक 17-5-91 तथा परिपत्र संख्या-विधि-सामान्य-1 (2) विशेष कर-निर्धारण-1991-92-1022/बिक्रीकर, दिनांक 18-9-91 द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को समरी योजना के अन्तर्गत वादों का निस्तारण करने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

उक्त परिपत्रों की प्रतियां संलग्न है । †

वित्तीय वर्ष 1991-92 में समरी योजना के अन्तर्गत 14,747 वादों का निस्तारण किया जाना था ।

---

† छापी नहीं गई ।

फरवरी 1992 तक 11.162 वादों का निस्तारण कर दिया गया है । 795 वादों को उक्त योजना से हटा दिया गया है । अवशेष 2.790 वादों में से 511 वादों को योजना से हटाने के बारे में निर्णय होना है । अन्य वादों के निस्तारण न होने के प्रमुख कारणों में करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों में कमी को दूर करने तथा उक्त प्रयोजनार्थ नोटिस की तामीली में समय लगने के कारण अधिकांश वादों का निस्तारण फरवरी, 1992 में करना पड़ा है । अधिकारियों की कमी, भट्ठों के सर्वेक्षण तथा सिविल संविदा के वादों के निस्तारण के कारण फरवरी, 1992 तक भी समस्त वादों का निस्तारण नहीं हो सका है । वादों के निस्तारण में किसी अधिकारी द्वारा जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया गया है ।

समरी योजना के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की मासिक प्रगति निम्न प्रकार है :–

जुलाई, 1991	20
अगस्त, 1991	320
सितम्बर, 1991	1779
अक्टूबर, 1991	1181
नवम्बर, 1991	858
दिसम्बर, 1991	1326
जनवरी, 1992	1710
फरवरी, 1992	3960

जी हां, वर्णित परिस्थितियों में निस्तारण की स्थित कुल मिलाकर संतोषजनक है ।

उपरोक्त के प्रकाश में लागू नहीं है ।

जनपद जालौन की तहसीलों द्वारा पंजीयन फीस की कमी के कारण जब्त दस्तावेजों की संख्या की जानकारी

*11–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कालपी, जालौन, कोंच तथा उरई तहसीलों में स्थित दस्तावेजों के पंजीयन हेतु स्थापित सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से स्टाम्प की कमी या पंजीयन फीस की कमी के कारण वर्ष 1991 में माह नवम्बर तक स्टाम्प अधिनियम की धारा 49 "अ" के अन्तर्गत दस्तावेजें जब्त की गयी हैं ? यदि हां, तो प्रति कार्यालय वार कितने-कितने ? क्या यह सही है कि अधिकांश दस्तावेज जिनमें शासन द्वारा निर्धारित मालियत पर स्टाम्प व पंजीयन फीस अदा की गयी है परन्तु बाजारी मालियत अधिक होने के आधार पर जब्त की गयी हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

दस्तावेजों को स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 "अ" के अन्तर्गत बाजार मूल्य के निर्धारण एवं यथा इंगित कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु संदर्भित किया गया है, न कि उन्हें "जब्त" किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कोषागारों की कैश शाखा से दिनांक 1-9-81 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृति विषयक शासनादेश निर्गत करने की मांग

*12–श्री अभिमन्यु सिंह तथा श्री छत्रपाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कोषागारों की कैश शाखा के दिनांक 1-9-81 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्वीकृति विषयक शासनादेश कब तक निर्गत किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रदेश के कोषागारों की कैश शाखा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1-1-81 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य करायी जा चुकी है । दिनांक 1-1-81 से पूर्व सेवानिवृत्त कैश शाखा के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा देने का प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग में वाराणसी क्षेत्र में ''वन विद्'' के पद पर चयन में पूर्व प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग

*13–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सामाजिक वानिकी प्रभाग में ''वन विद्'' के पद पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 1987-88 में अवध, आगरा, बरेली तथा वाराणसी क्षेत्रों में पूर्व घोषित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थियों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो मात्र वाराणसी क्षेत्र में पूर्व घोषित प्रक्रियानुसार किये गये चयन पर आधारित मेरिट लिस्ट में फेरबदल किये जाने का क्या कारण था ? क्या इस प्रकार का फेरबदल अन्य तीन क्षेत्रों में भी किया गया है ? क्या सरकार चिभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनाये जाने सम्बन्धी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायेगी और वाराणसी क्षेत्र में पूर्व घोषित प्रक्रियानुसार किये गये चयन के आधार पर मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की ''वन विद्'' के पद पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वाराणसी क्षेत्र में भी चयन के संबंध में निर्धारित शासन के प्राविधानों के अन्तर्गत ही योग्यता सूची घोषित की गयी ।

जी नहीं । सभी क्षेत्रों में शासनादेशानुसार ही कार्यवाही की गयी ।

चयन की सभी कार्यवाही नियमानुसार की गयी है । इसलिये इस प्रकरण में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*14–श्री राम प्रसाद सिंह–

[10वें मंगल में ता० प्र० सं० 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासन के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निगमों की गाड़ियों के उपयोग पर रोक लगाये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

* 15–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निगमों की कितनी गाड़ियां शासन के अधिकारियों के प्रयोग में हैं ? क्या मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए उक्त वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पन्द्रह (15)

शासन के प्रशासकीय विभागों के सचिवों द्वारा वाहनों के प्रयोग में मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 247-248 पर)

जनपद रामपुर की शिवा पेपर मिल, धमौरा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी कदम न उठाये जाने के कारण मिल के विरुद्ध कार्यवाही

*16–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवा पेपर मिल, धमौरा, जनपद रामपुर ने अभी तक पर्यावरण प्रदूषण रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं किया है ? क्या यह सही है कि वायलर में कोयला की जगह धान की भूसी जलाई जाती है जिससे कि आस-पास की खड़ी फसल बरबाद होती है और फैक्ट्री द्वारा विषैला पानी जो कि गंगा नदी में गिरता है जिससे जानवरों में बीमारी फैल रही है ? क्या इस ओर कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदूषण रोकने के उपाय किये गये हैं।

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

चलचित्र निगम के छटनीशुदा प्रबन्धक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-II में समायोजित किये जाने की मांग

*17–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र निगम के छटनी शुदा कर्मचारियों के संबंध में संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1271/उ० प्र० च० नि०/91, दिनांक 29-10-91 द्वारा चलचित्र निगम में प्रबन्धक के पदों पर वेतनमान रु० 1400-2500 में कार्यरत कर्मचारियों को मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-II के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर वेतनमान रु० 1350-2200 में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने हेतु मनोरंजन कर

आयुक्त को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त छटनीशुदा कर्मचारियों को कब-तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग में निहित है । मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उक्त आयोग को अधियाचन पूर्व में ही भेजा जा चुका था । अब छटनीशुदा प्रबन्धकों के समायोजन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में भेजे गये अधियाचन को पुनरीक्षित करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ।

इस संबंध में शासन द्वारा सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा द्वारा सामग्री क्रय करने में बरती गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

*18–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र सं० ग नं० 309413/74, दिनांक 28-11-91 को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा को सामग्री खरीदने के संबंध में जानकारी देने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो जो जानकारी प्रश्नकर्ता ने चाही थी क्या वह आज तक दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता की शिकायत सत्य थी कि उक्त कार्यालय द्वारा जो सामग्री खरीदी जा रही है, उसमें अनियमिततायें बरती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की शासन से उच्च स्तरीय जांच करवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । सूचना प्रश्नकर्ता को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा के पत्रांक–188/दि० 1-2-92 के द्वारा प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त पत्र में कोई शिकायत नहीं की गयी है । अतः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री राम औतार शाक्य–

[10वें मंगल में ता० प्र० सं० 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित अधिकारी-3 में प्रोन्नति प्राप्त सहायक अध्यापकों को नियमित किये जाने की मांग

*20–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित अधिकारी–3 में प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय प्रोन्नति सहायक अध्यापक (एल० टी० ग्रेड) जिनको नियमित करने की विभागीय कार्यवाही एक लम्बे समय से लम्बित पड़ी है के संबंध में कोई कदम उठाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[दिनांक 30 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न जिन्हें संबंधित मा० सदस्यों का निलम्बन तत्समय प्रभावी रहने के फलस्वरूप कार्यसूची से हटा दिया गया था]

उ० प्र० परिवहन निगम में प्रति वर्ष बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए निगम को बन्द कर, निजी मालिकों को सौंपने की मांग

*2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० परिवहन निगम की औसतन बीस प्रतिशत बसें वर्ष भर खराब पड़ी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस कारण परिवहन निगम का घाटा प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम को बन्द करके उन मार्गो को निजी मालिकों को सौपने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

पिछले पांच वर्षों में लगभग 10% से 12% तक ही बसें मरम्मत के लिये आफरोड रहीं ।

जी नहीं ।

प्रहन नहीं उठता ।

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान दो की शिक्षा अनिवार्य किये जाने की मांग

*4–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान दो की शिक्षा अनिवार्य करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विज्ञान दो की मान्यता हेतु कितने विद्यालय 91-92 में मान्यता हेतु आवेदन किये हैं ? इनमें से कितने की मान्यता शासन द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा कितने के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये ? उसके क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

क्योंकि हाई स्कूल परीक्षा में विज्ञान–1 अथवा विज्ञान–2 में से एक विषय अपहृत करना अनिवार्य है ।

कुल 161 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । 3 विद्यालयों को मान्यता स्वीकृत की गयी है तथा 3 विद्यालयों के आवेदन-पत्र निर्धारित मानक की पूर्ति न करने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं । शेष प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है ।

डा० भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष में प्रत्येक जिले में चयनित 5 ग्रामों में "अम्बेदकर योजना" लागू किये जाने की मांग

*5–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार ने उ० प्र० के प्रत्येक जिले में पांच अम्बेदकर ग्रामों के चयन व समग्र विकास की योजना "अम्बेदकर विकास योजना" के नाम से प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो क्या राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे पांच-पांच

ग्राम की पहचान का काम पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या सभी चयनित ग्रामों को निकटतम उपलब्ध मुख्य मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़े जाने का "अम्बेदकर विकास योजना" का मुख्य बिन्दु पूरा करने हेतु आवश्यक धन का प्राक्कलन और व्यवस्था सरकार ने कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । कार्य पूर्ण हो चुका है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से आच्छादित ग्रामों में उक्त कार्यक्रम से शेष ग्रामों में लोक निर्माण विभाग के स्पेशल कम्पोनेन्ट अंश से कार्य कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 1990-91 की परीक्षायें शीघ्र सम्पन्न कराये जाने की मांग

*10–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध संस्कृत विद्यालयों में पूर्व मध्यमा प्रथम खण्ड तथा उत्तर मध्यमा प्रथम खण्ड सत्र, 1990-91 की परीक्षायें कब तक सम्पन्न होंगी ? इन परीक्षाओं में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्र शून्य हो जायेगा ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा में सुधार के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत परीक्षायें वर्ष 1992 में यथा समय ली जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव

तदैव

तदैव

राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न निगमों की लाभ हानि तथा अन्य विवरण की जानकारी

*19–श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार के अधीन कितने निगम संचालित हैं ? उनमें से कितने निगम लाभकारी कार्य कर रहे हैं तथा कितने निगम घाटे में चल रहे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितने निगम ऐसे हैं जो अप्रत्याशित घाटे के कारण बन्द हो गये हैं या उनके स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

राज्य सरकार के अधीन 61 निगम संचालित हैं ।

इनमें से वर्ष 1990-91 में 32 निगमों ने लाभ अर्जित किया तथा 27 निगमों में हानि हुई है । 2 निगम कार्यकलाप आरम्भ करने की प्रारम्भिक अवस्था में हैं ।

3 निगम यथा चलचित्र निगम, यू० पी० हार्टिको तथा उपाय लि० के क्रियाकलाप बन्द कर दिये गये हैं। आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को संयुक्त क्षेत्र में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में अवैध संचालित गाड़ियों को जब्त कर उनके मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग

1–श्री किशन गोपाल-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकांश प्राइवेट जीप कारों से जिनमें विधायक या प्रेस या उ० प्र० सरकार लिख कर सवारी ढोने का काम लिया जाता है जिससे परिवहन विभाग की आमदनी अत्यन्त घट रही है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार अवैध संचालित गाड़ियों को पकड़ कर जब्त किया जायेगा व उनके मालिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

विगत 6 माहों के अन्दर प्रदेश में लखनऊ में 5, फैजाबाद में 8 तथा गोरखपुर सम्भाग में 1 प्राइवेट जीप प्रश्न में उल्लिखित प्रकार के बोर्ड लगा कर यात्रियों को किराये पर ढोती हुई पकड़ी गयी। इनका चालान किया गया तथा एक गाड़ी बन्द की गयी। प्रदेश के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों को अवैध संचालन के प्रति कठोर कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० बोर्ड मेरठ में अनुसूचित जाति हेतु रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग

2–श्री किशन गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० बोर्ड, मेरठ में अनुसूचित जाति की नौकरी हेतु जो रिक्तियां हैं क्या उन्हें पूरा करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? क्या उक्त पदों हेतु अनुसूचित जाति के कार्मिकों की पदोन्नति शिक्षा के अनुसार उसी समय करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों की कुल स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर अनुसूचित जाति की रिक्तियां प्रचलित शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप भरी जाती हैं। कार्यालयवार स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर अनुसूचित जाति की रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं। पदोन्नति हेतु रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमों के अनुरूप चयन कर अनुसूचित जाति के कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जाती है।

पर्वतीय अंचल के लिये परिवहन व्यवस्था सुचारु बनाने हेतु पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा स्टाफ आदि की स्वीकृति

3–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल (पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नैनीताल) के लिये परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जनपद पिथौरागढ़ के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय स्वीकृत हैं ? क्या लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ डिपो के वर्कशापों में इस

उद्देश्य के तहत आवश्यक उपकरण व स्टाफ देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ के डिपो वर्कशापों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है एवं आवश्यक स्टाफ स्वीकृत है ।

4–श्री कृष्ण चन्द्र–

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी की ग्राम सभा खजुरी करौता में वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये घपलों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

5–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर, विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितनी धनराशि विकास कार्य हेतु दी गयी थी ? क्या उसका उपयोग संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन-किन मदों में धन खर्च किया गया है ? क्या मुख्य मंत्री उक्त ग्राम सभा के विकास कार्य की वर्षवार उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम सभा खजुरी करौता को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में मु० 46.485 रुपये तथा 1990-91 में मु० 24.461 रुपये की धनराशि विकास कार्य हेतु दी गयी है ।

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

जांच अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, देवरिया द्वारा सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, देवरिया से करायी जा रही है । और जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 249–251 पर)

सिंचाई खण्ड, जौनपुर को मिलियन कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत धन दिये जाने की मांग

6–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिलियन कूप निर्माण योजना में सन् 90-91 व दिसम्बर, 91 तक वाराणसी ग्राम्य विकास अभिकरण को कितने रु० दिये गये ? क्या सिंचाई खण्ड, जौनपुर की बाबतपुर राजबहा एवं केराकत राजबहा की सभी प्रमुख माइनरें, चौलापुर, दिनदासपुर,

गड़लड़ा, शिवपुर, वखां तथा अकौधा, अनेई, धेरसौना आदि वाराणसी जिले में पड़ती हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त माइनरों के सुधार तथा निर्माण के लिये वर्ष 90-91 व वर्ष 91-92 में एक पैसा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सिंचाई खण्ड, जौनपुर को उक्त योजना में धन देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में मु० 253.67 लाख तथा दिसम्बर, 91 तक मु० 92.90 लाख स्वीकृत किये गये ।

जी हां ।

जी हां ।

योजनायें स्वीकृत नहीं हैं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा वर्ष 1990-91 व 91-92 में सिंचाई खण्ड, जौनपुर को सिंचाई एवं जल निकासी हेतु धन आवंटन की मांग

7–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के 245 कोल असला क्षेत्र की सभी ड्रेन, मच्छाताल ड्रेन, वरहीं कलां ड्रेन महराज कोट, पिंडरा ड्रेन, अजईपुर ड्रेन तथा अनेई ड्रेन, सिंचाई खण्ड, जौनपुर के अधीन आती हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त नालों की सफाई एवं पुलिया निर्माण आदि के कार्यों के लिये ग्राम्य विकास अधिकरण, वाराणसी ने कितना रु० सिंचाई खण्ड, जौनपुर को 90-91 व 91-92 में दिया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी तहसील के चोलापुर, पिंडरा, हरहुओं, बड़ागांव ब्लाक के नाले एवं जल निकासी हेतु कार्य की जिम्मेदारी सिंचाई खण्ड, जौनपुर की है ? यदि हां, तो इस योजना में धन न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार वहां पर धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वर्ष 90-91 व 91-92 में सिंचाई खण्ड, जौनपुर को कोई धन नहीं दिया गया है ।

जी हां ।

संबंधित कार्य की स्वीकृति न होने के कारण धन अवमुक्त नहीं किया गया । जी नहीं ।

संबंधित कार्य स्वीकृत न होने के कारण धन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के निर्माण में घपले के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन लाखों रुपये की निर्माणाधीन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की छत चटक गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? क्या यह सच है कि इसमें सीमेण्ट की निर्धारित मात्रा नहीं डाली गयी और हजारों रुपये

का घपला किया गया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति, जन जाति एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा निर्माणाधीन राजकीय जिला पुस्तकालय, मैनपुरी के भवन की छत में क्रेक नहीं आया है । भवन के "पैरापिट" की चुनाई में एक स्थान पर हल्का सा क्रेक ज्वाइन्ट्स के कारण आया था जिसे ठीक कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बतौर परीक्षक आमंत्रित अध्यापकों को देय अवकाश की जानकारी

9–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री शयाद अली–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् से संबंधित अध्यापक परीक्षक बतौर आमंत्रित किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त कार्य के लिये अवकाश देय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मंगला प्रसाद उपाध्याय, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज नेवढ़िया, जिला जौनपुर के बकाया वेतन भुगतान न करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

10–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मंगला प्रसाद उपाध्याय, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज नेवढ़िया, जौनपुर का 8-12-75 से 10-5-88 तक बकाया वेतन का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बकाये वेतन का भुगतान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र०, इलाहाबाद में प्रवक्ता ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की मांग

11–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद में प्रवक्ता ग्रेड में कुल कितने अध्यापक हैं ? इनमें अनु० जाति के कुल कितने प्रवक्ता हैं ? क्या सरकार का अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अबिलम्ब इसे पूरा करायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद में कुल 14 कर्मचारी प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत हैं, जो आर्टिस्ट, साहित्यिक सहायक, शोध सहायक तथा शोध सहायक (सांख्यिकी) के पदनाम से परिषद् में शिक्षा विभाग द्वारा स्थानान्तरित कर पद स्थापित किये गये हैं।

इनमें से अनु० जाति का एक प्रवक्ता साहित्यिक सहायक के पद पर कार्यरत है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद में एल० टी० ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

12–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद में एल० टी० ग्रेड में कुल कितने अध्यापक सेवारत हैं ? इनमें अनु० जाति के कुल कितने अध्यापक हैं ? क्या नियमानुसार अनु० जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे अविलम्ब पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में एल० टी० ग्रेड अध्यापक के पद सृजित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

13–श्री शिवलाल मित्तल–

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

14–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडियेट कालेजों में रिक्त पदों पर अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्तियां होंगीं ? यदि सभी पदों पर अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, तो क्यों ? यदि नियुक्तियां की जा रही हैं, तो कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं।

अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था समाप्त हो जाने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समस्त विषयों के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

15–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में स्थित जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1990-91 तथा शिक्षा सत्र वर्ष 1991-92 में कितने विषयाध्यापकों के पद

रिक्त थे ? कितने छात्रों ने बोर्ड की हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट की परीक्षा अध्यापकों के बिना स्वयं पढ़ाई करके दी ? विषयाध्यापक के पद कब तक पूरे होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

16–श्री सन्त बख्श रावत–

[सीमित महत्व का होने के कारण निरस्त]

17–18-श्री गोपी नाथ दीक्षित–

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 13-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

19–श्री ऊदल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजकीय महिला पालीटेक्निक, अमेठी हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के बदले मो० नसीम खां को सेवा में समायोजित करने की मांग

20–श्री हरिचरन यादव–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब्दुल जब्बार खां पुत्र सफदर खां निवासी ग्राम महमूदपुर, परगना व तहसील अमेठी की भूमि गाटा संख्या 608,रकबा 19 विश्वा 4 विश्वांसी स्थित ग्राम महमूदपुर, परगना व तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर वर्ष 1986 में राजकीय महिला पालीटेक्निक, अमेठी के लिये अधिगृहीत की गयी है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या-23/25-1973-कार्मिक-2,दिनांक 5 जनवरी, 1981 एवं 15 जून, 1985 के अनुसार क्या अब्दुल जब्बार खां के पुत्र मो० नसीम खां को सेवा का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्धारित आयु सीमा से आयु अधिक होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी ।

21–श्री हरिचरन यादव–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेगे कि दिनांक 1-8-91 को उन्होंने निदेशक, प्रा० शि० को नसीम खां की नियुक्ति के संबंध में आदेश दिया था जिसका अनुपालन इस आधार पर नहीं किया गया कि स्थान रिक्त नहीं है जबकि इसके काफी दिन बाद लिपिक के पद पर मुरलीधर तिवारी निवासी जनपद इलाहाबाद की नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989 ई० में नसीम खां ने नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्र भूमि अधिग्रहण प्रमाण-पत्र के साथ प्राचार्य, रा० म० पा०, अमेठी को दिया था ? यदि हां, तो स्थान रिक्त होते हुए भी नसीम खां की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? नसीम खां को कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

श्री मुरलीधर तिवारी की नियुक्ति लिपिक पद पर नहीं की गयी । उनसे आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर कार्य लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री नसीम खां की आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22–श्री लाखी राम जोशी–

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी में परिवहन निगम द्वारा संचालित सिटी बसों और सिटी बस डिपो की हालत में सुधार की मांग

23–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम, वाराणसी में रोडवेज की कितनी सिटी बसें कार्यरत हैं ? उनमें से सन् 90 व दिसम्बर, 91 तक कितनी बसों का ब्रेकडाउन हुआ और कितनी बसें खराब होकर वर्कशाप में कितने दिनों तक पड़ी रहीं ? क्या यह सही है कि वाराणसी सिटी बस डिपो में प्रति वर्ष घाटा होता चला आ रहा है ? क्या यह सत्य है कि इंजन, टायर तथा दूसरे सामान वहां पर नहीं हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर सिटी बसों की हालत को सुधारने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वाराणसी नगर बस डिपों मे वर्तमान में 36 नगरीय बसें हैं । वर्ष 90 में 12.5 प्रतिशत तथा वर्ष 91 में औसतन् 20 प्रतिशत बसें आफ रोड रहीं । ब्रेकडाउन बसों को तत्परता से ठीक किया जाता है और लम्बे समय तक खड़ी नहीं रहती हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

सिटी बसों में सुधार हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

24–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क परिवहन निगम, वाराणसी की सिटी बसों को इलाहाबाद तक चलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त योजना को निरस्त करेगी और सिटी बस डिपो, वाराणसी की हालत को सुधारेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिटी बस वाराणसी की स्थिति में और सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

जौनपुर डिपो की बनारस तक नान स्टाप जाने वाली बसों को पिण्डरा बाजार में रोके जाने की मांग

25–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क परिवहन निगम, जौनपुर डिपो की कितनी बसें रोजाना वाराणसी को जाती हैं, जिनको नान स्टाप के नाम से चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि पिण्डरा बाजार में जौनपुर डिपो का एक रोडवेज स्टेशन 29 कि० मी० की दूरी पर बना है और वहां पर बहुत बड़ी बाजार, दो बैंक, अस्पताल, इण्टर कालेज, विद्युत स्टेशन वगैरह हैं ? यदि हां, तो वहां पर उक्त बसों को न रोकने का क्या कारण है ? क्या पिण्डरा से वाराणसी 25 कि० मी० दूरी पर है ? क्या सरकार सभी बसों को उक्त बस स्टेशन पर रोकने तथा सवारियों को ले जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जौनपुर डिपो की 3 नान स्टाप सेवायें वाराणसी के लिये उपलब्ध हैं ।

पिण्डरा बाजार में जौनपुर डिपो का एक बुकिंग आफिस जौनपुर से 34 कि० मी० की दूरी पर स्थित है ।

जी हां ।

95 बसें पिण्डरा पर रुकती हैं ।

यह दूरी 27 कि० मी० है ।

पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध होने के कारण नान स्टाप सुविधा में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ की छात्रा कुमारी शालिनी चन्द्रा को स्वीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का भुगतान

26–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने प्रधानाचार्य, नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ को अपने पत्र सं०–छात्र/11482-83/1990-91, दिनांक 24-3-91 के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षाफल के आधार पर छात्र-छात्राओं को स्वीकृत छात्रवृत्ति का नवीनीकरण तालिका के अनुसार ही नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र, अंकपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर भेजने का आदेश किया था ? यदि हां, तो क्या नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ की छात्रा, कुमारी शालिनी चन्द्रा को शिक्षा निदेशक के पत्रांक अर्ध (3) मा०/14753-14952/89-90 दिनांक 9-2-90 द्वारा 60 रुपये प्रतिमाह की दर

से जुलाई, 1989 से जून, 1990 की अवधि हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कक्षा 11 के लिये स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या उस छात्रा को अब छात्रवृत्ति मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

छात्रवृत्ति विद्यालय के खाते में जमा है किन्तु प्रधानाचार्या के विवाद के कारण उसका भुगतान लम्बित है ।

संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची में हेराफेरी की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में हेराफेरी करके नियुक्तियां किये जाने व प्रतिनियुक्ति पर आये लोगों को सेवा में बनाये रखकर राजस्व क्षति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराया गया पंजीकृत शिकायती पत्र संख्या-288 दि० 18-9-91 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही करायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जांच करा कर जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश मण्डलायुक्त, फैजाबाद को शासनादेश संख्या 542/38-1-91-2सी/90, दिनांक 3 जनवरी, 1992 द्वारा दिया गया जिसके क्रम में आंशिक आख्या संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मंडल के पत्रांक : 1082/स्था०-प्र०/ग्रा०वि०अ०-चयन 91-92, दिनांक 30 मार्च, 1992 द्वारा प्राप्त हुई है । मण्डलायुक्त,, फैजाबाद को निर्देश दे दिया गया है कि शेष बिन्दुओं पर भी आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दें । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

28–श्री बची सिंह रावत–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29–श्री बची सिंह रावत–

[7वें शुक्र में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30–श्री श्रीराम (जालौन)–

[दि० 30-3-92 को अता० प्र० सं० 25 द्वारा उत्तरित]

द० एच० इण्टर कालेज, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में "रसायन विज्ञान प्रदर्शक" पद हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

31–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद की मुसाफिरखाना तहसील के द० एच० इण्टर कालेज मुसाफिरखाना में "रसायन विज्ञान प्रदर्शक" पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर प्रबन्ध कमेटी ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर ने प्रबन्ध कमेटी

के प्रस्ताव को अवैध करार देते हुए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के नाम का अनुमोदन करते हुए प्रबन्ध कमेटी को नियुक्ति पत्र देने हेतु निर्देशित किया ? यदि हां, तो क्या उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र एवं वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रबन्ध कमेटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रबन्धक के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जी हां ।

संस्था प्रबन्धक को वेतन वितरण अधिनियम-1971 के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय के संयुक्त खाते का एकल परिचालन करने हेतु दिनांक 6-2-92 को नोटिस दी गयी, किन्तु प्रबन्धाधिकरण ने मा० उच्च नयायालय, लखनऊ में याचिका दायर (1074/62) करके एकल परिचालन न करने का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । स्थगन आदेश खारिज कराने हेतु 6-4-92 को प्रति शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है ।

राजकीय इण्टर कालेज, मुवानी, जिला पिथौरागढ़ के प्रवक्ता श्री रामबली सिंह को स्थाई किए जाने की मांग

32–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामबली सिंह प्रवक्ता, रा० इ० कालेज, मुवानी, जिला पिथौरागढ़ का सी०टी० वेतनक्रम में स्थायीकरण करने हेतु रा० इ० कालेज, पिपली, जिला पिथौरागढ़ के प्रधानाचार्य ने श्री रामबली सिंह व श्री राम लखन लाल श्रीवास्तव का नाम वर्ष 1985 में उप शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल को भेजा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री राम लखन लाल श्रीवास्तव को सी० टी० वेतनक्रम में स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो श्री रामबली सिंह को स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनका भी स्थायीकरण करने की आज्ञा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सी० टी० वेतनक्रम में स्थायीकरण हेतु श्री रामबली सिंह का कोई प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल को प्राप्त नहीं हुआ है । श्री राम लखन लाल श्रीवास्तव का सी० टी० वेतनक्रम में स्थायीकरण का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ से मई, 1985 में प्राप्त हुआ था और उन्हें उक्त वेतनक्रम में स्थायी किया जा चुका है । श्री रामबली सिह कुमायूं मण्डल में प्रवक्ता के पद पर स्थानान्तरित होकर दिनांक 28-7-81 से कार्यरत हैं । वे इस मण्डल में सी० टी० वेतनक्रम में कार्यरत नहीं रहे ।

33–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल ने अपने आदेश संख्या-211/ स्थायीकरण/85-86, दिनांक मई 1985 द्वारा तथा आज्ञा संख्या-1846/स्थायीकरण/85-86, दिनांक नवम्बर 21, 1985 तथा आज्ञा संख्या-712/पांच-6(8)86-87, दिनांक अगस्त 21, 1986 द्वारा दिनांक 1-10-82 से क्रमशः श्री चन्द्र बल्लभ पंत श्री बहादुर सिंह नेगी, श्री पूरन चन्द पाठक, श्री बहादुर सिंह माकुनी को जो इनसे जूनियर थे, को दि० 1-10-82 से स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कार्यवाही करके श्री रामबली सिंह को भी दि० 1-10-82 से स्थायी करने का आदेश सरकार देगी ? क्या यह सत्य है कि इनका चुनाव प्रवक्ता वेतनक्रम में लोक सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा किया गया है और वे ता० 3-9-79 से प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । श्री रामबली सिंह कुमाऊं मण्डल में सहायक अध्यापक, सी० टी० वेतनक्रम में नियुक्त एवं कार्यरत नहीं रहे । अतः उन्हें 1-10-82 से स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

34–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[दि० 30-3-92 को अता० प्र० सं० 110 द्वारा उत्तरित]

चार पर्वतीय जनपदों में आबकारी नियमों के विरुद्ध चल रही दूकानों हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

35–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा शराब निर्माता या उसके परिवारजन को फुटकर शराब बिक्री की अनुमति न होने का नियम लागू है ? यदि हां, तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के चार जनपदों–अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में शराब निर्माताओं की संस्था "चीनी मिल सहकारी संघ" द्वारा गत 7-8 वर्षों से फुटकर शराब की दुकानें किन परिस्थितियों में आबकारी नियमों के विपरीत चलायी जा रही हैं ? इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं तथा सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यप्रकाश विकल–

आबकारी नियमों में शराब निर्माता या उसके परिवारजन को फुटकर शराब की बिक्री की अनुमति दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । आबकारी नियमों में आबकारी आयुक्त के पास किसी निश्चित फीस या क्रमबद्ध अथवा समान मानक के अनुसार या नीलामी या बातचीत द्वारा अवधारित फीस के भुगतान पर फुटकर शराब की बिक्री के लाइसेंस को स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है । प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश विदेशी शराब के फुटकर बिक्री का लाइसेंस (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) नियमावली, 1991 के अधीन किसी शीर्ष सहकारी समिति, सरकारी उपक्रम या किसी मण्डलीय विकास निगम से भिन्न किसी भी व्यक्ति के पक्ष में न किये जाने का प्राविधान है । अतः आबकारी आयुक्त के उक्त सुरक्षित अधिकारों एवं उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिषिद्धि क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा उत्तरकाशी तथा चमोली व पिथौरागढ़ में परमिटधारियों की सुविधा हेतु स्वीकृत विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लि० के पक्ष में शासन की नीति के अनुसार ही किया जा रहा है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द कर उनकी नीलामी कराया जाना

36–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा उत्तरकाशी में विगत 7-8 वर्षों से फुटकर शराब की दुकानें चलाने हेतु नीलामी न कराकर शराब निर्माताओं की देख-रेख में और सहयोग से चलने वाले "चीनी मिल सहकारी संघ" नामक संस्था को शराब बिक्री की अनुमति दे दी जाती है जिससे अब तक करोड़ों रुपये प्रति वर्ष की आबकारी राजस्व की क्षति हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरे प्रदेश में फुटकर शराब की दुकानों की नीलामी कराये जाने हेतु कार्यवाही शासन के आबकारी विभाग से कराये जाने की प्रक्रिया वर्तमान नियम के ही अन्तर्गत लागू कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? उक्त 4 जनपदों में नीलामी न कराये जाने के क्या कारण हैं ? जानबूझ कर राजस्व क्षति होने देने के लिए कौन-कौन दोषी रहे हैं ? सरकार इस मामले में अब क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जनपद अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में फुटकर शराब की दुकानें विगत 7-8 वर्षों से नीलाम न कराकर उनके संचालन की अनुमति शराब निर्माताओं की देख-रेख और सहयोग से चलने वाले "चीनी मिल सहकारी संघ" नामक संस्था को दिये जाने सम्बन्धी बात सत्य नहीं है । "चीनी मिल सहकारी संघ" शराब निर्माताओं की देख-रेख और सहयोग से चलने वाली संस्था नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त जनपदों में केवल परमिट धारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा के साथ आंशिक मद्यनिषेध भिन्न-भिन्न तिथियों से लागू है । पर्वतीय जनपदों में शासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व अर्जित करने का नहीं, अपितु वहां के मदिरा व्यवसायियों को शुद्ध एवं मानक मदिरा उपलब्ध कराने का है । अतः जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 3-7-84 से, जनपद टिहरी गढ़वाल में 1 अप्रैल, 1989 से, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1 अप्रैल, 1992 से तथा जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 91-92 से विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० द्वारा संचालित की जा रही हैं । जनपद उत्तरकाशी में 1 अप्रैल, 1991 से पूर्व पूर्ण मद्यनिषेध था । शेष जनपदों में इंगित की गयी उपरोक्त तिथियों/समय से पूर्व आबकारी दुकानें नीलामी प्रणाली द्वारा ही व्यवस्थित की जाती थीं । प्रतिषिद्ध क्षेत्र में परमिटधारियों को शुद्ध व मानक मदिरा उपलब्ध कराये जाने एवं प्रभावी रूप से मद्यनिषेध लागू किये जाने की शासन की नीति के अधीन उत्तर प्रदेश विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का लाइसेंस (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) नियमावली, 1991 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत किसी शीर्ष सहकारी समिति अथवा किसी सरकारी उपक्रम या किसी मण्डलीय विकास निगम से भिन्न किसी भी व्यक्ति को उक्त क्षेत्रों में दुकानों के संचालन हेतु व्यवस्था न सौपे जाने का प्राविधान किया गया है । उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार एवं शासन की नीति को दृष्टिगत रखते हुए ही उपरोक्त जनपदों में सर्वोच्च संभव राजस्व वृद्धि के साथ दुकानों के संचालन का दायित्व उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० को सौंपा गया है । नियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त जनपदों में फुटकर बिक्री की विदेशी मदिरा की दुकानों को नीलामी प्रणाली द्वारा व्यवस्थित किया जाना संभव नहीं है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में जानबूझकर तथाकथित राजस्व की क्षति के लिए कोई भी दोषी नहीं है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक भरखनी में रेगुलर बी० डी० ओ० की नियुक्ति की मांग

37–श्री खालिद गौरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक भरखनी पर दिसम्बर, 1990 में कोई रेगुलर बी० डी० ओ० नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि डी०आर०डी०ए० कार्यालय, हरदोई पर दो बी०डी०ओ० सम्बद्ध किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त विसंगति कब तक दूर करके भरखनी में बी०डी०ओ० की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी पर दिसम्बर, 1990 से नियमित खण्ड विकास अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सका है क्योंकि जनपद में इस अवधि में खण्ड विकास अधिकारियों की स्वीकृत संख्या से कम संख्या चली आ रही है ।

यह सत्य है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय, हरदोई में 2 खण्ड विकास अधिकारी, अपर/सहायक परियोजना निदेशक (अनुश्रवण) के रूप में सम्बद्ध हैं । यह दोनों ही पद स्वीकृत पद हैं । अतः तैनाती में कोई विसंगति नहीं है ।

प्रश्नगत विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

श्री आर० के० सिंह, अन्वेषक (सांख्यकीय), जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दिए जाने की मांग

38–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश संख्या-1251/38-6-आई०आर०डी०-43/85, दिनांक 1-4-85 द्वारा श्री आर० के० सिंह, अन्वेषक (सांख्यकीय), जिला विकास अभिकरण, वाराणसी की वरीयता को इनकी वाराणसी मण्डल में परियोजना अर्थशास्त्री या अपर परियोजना निदेशक के पद पर प्रोन्नति में कब शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उचित माध्यम से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी ने अपने पत्रांक-सं०-4417/स्था-15/वय०प०/90-91, दि० 9 नवम्बर, 90 द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त प्रकरण भेजा था ? क्या शासन ने अपने शासनादेश सं०-7534/51/38-6-90, आई०आर०डी०/43/85 2-1-91 के द्वारा आयुक्त, वाराणसी मंडल वाराणसी से आख्या मांगी गयी थी और आयुक्त ने अपने पत्र संख्या-1124/33-310/88-91, दि० मार्च 20, 1991 के द्वारा आख्या भेज दी थी ? यदि हां, तो इनकी वरीयता को देखते हुए इन्हें अब तक परियोजना अर्थशास्त्री अथवा अपर परियोजना निदेशक के पद पर प्रोन्नत क्यों नहीं दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनकी वरीयता के हिसाब से उन्हें पद देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन के उल्लिखित आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1985 द्वारा श्री आर० के० सिंह, अन्वेषक (सांख्यकीय) की वरीयता संबंधी कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं । प्रश्न में उल्लिखित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी का पत्र प्राप्त हुआ जिस पर शासन ने पत्र दिनांक 2-1-91 द्वारा आख्या मांगी थी जो आयुक्त, वाराणसी के पत्र दिनांक 20-3-91 द्वारा प्राप्त हो गई है तथा शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी के ग्राम बरही नेवादा में वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की अवैध कटान रोकने तथा शेष बचे पेड़ों की सुरक्षा की मांग

39–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरही नेवादा, प० पन्द्रह, त० व जिला वाराणसी की भूमि प्रबन्धक समिति ने आ०नं०-1013, 1030, 1036-क, व 1023, व 1022, पांच गाटा रकबा 15 एकड़ भूमि को वन विभाग वानिकी को दि० 6-10-85 को प्रस्ताव पास करके दे दिया था ? क्या वन विभाग ने वृक्षारोपण भूमि पर कर दिया था ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने वृक्षों को वहां पर लगाया गया एवं उस पर कितना रुपया खर्चा किया गया ? क्या सरकार वृक्षारोपण किये गये पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की जांच करायेगी ? क्या सरकार बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा हेतु वन विभाग, वाराणसी को आदेश देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त क्षेत्र में 16,000 पौध लगाई गई थीं तथा इस पर मु० रुपया 44835.18 व्यय हुआ ।

जांच करायी गयी । जांच में पाया गया कि अवैध कटान नहीं हुआ है ।

उक्त क्षेत्र को 1991 में बरही नेवादा, ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दिया है । अतः इसकी देख-रेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी उपर्युक्त ग्राम सभा की हो गई है ।

सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, जनपद इलाहाबाद के सहायक अध्यापक श्री सुरेन्द्र नाथ गुप्त को शासनादेश के अनुसार एल० टी० ग्रेड दिये जाने की मांग

40–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या–बे०अ०/2/1239/10/8/बी० 89 वी०-बे० अनुभाग-2, दिनांक जून, 89, के बिन्दु–9 के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों के सी० टी० ग्रेड के अध्यापकों, जो कि स्नातक उपाधि के साथ एल० टी० अथवा बी० एड० हों अथवा उनके द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी की जा चुकी हैं, उन्हें एल० टी० ग्रेड देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापक, श्री सुरेन्द्र नाथ गुप्त की सेवायें 10 वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें एल० टी० वेतनमान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश के तहत श्री गुप्त को एल० टी० वेतनमान न देने हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रबन्धतंत्र से प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ ।

प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

कार्यवाही पूर्ण होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन विभाग एटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सरदार तोता सिंह को सेवा मुक्त किये जाने में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

41–श्री अवध पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग ने जनपद एटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सरदार तोता सिंह को सहायक रीजनल मैनेजर, एटा के आदेश संख्या–आर० ए० पी० 111/21-ई० एल० टी० (2) कारपोरेशन/770/1770, दिनांक 26-4-73 द्वारा स्थायी किया गया था ? यदि हां, तो फिर उसे आदेश संख्या–ई० एस० टी० पी० ए० 18/5023, दिनांक 24-10-73 द्वारा सेवा से अलग क्यों कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी को फिर से सेवा में लेने जा रही है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उन्हें आदेश संख्या-ए०आर०एम०-एटा-ईस्ट-2 कंफर्मेशन/73-1770, दिनांक 26-4-73 द्वारा स्थायी किया गया था ।

श्री तोता सिंह का स्थायीकरण सक्षम अधिकारी ने आदेश सं०-ए०आर०एम०–एटा–ईस्ट-2 कंफ०/73-1880, दिनांक 1-5-73 द्वारा रद्द कर दिया था । श्री सिंह की सेवायें 24-10-73 को अस्थायी थीं तथा उनकी सेवायें सेवा शर्तों के अनुसार समाप्त की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में महाकवि निराला की मूर्ति स्थापना में हुए व्यय की धनराशि का भुगतान कराये जाने की मांग

42–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के किसी विधायक द्वारा महाकवि निराला जी की प्रतिमा की स्थापना के समय व्यय हुए रु० 49,887 का भुगतान किये जाने के संबंध में निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ को दिनांक 1-1-92 को कोई पत्र भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि उनको भी भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रश्नगत धनराशि के भुगतान का कोई औचित्य नहीं है ।

उक्त धनराशि जिला परिषद्, उन्नाव द्वारा व्यय की गयी थी । इसके लिये शासन की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी थी । अतः प्रतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री अवध पाल सिंह–

[6 वें मंगल में अता० प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली में चार्ज प्राप्त आबकारी आयुक्त की सम्पत्ति का ब्योरा दिये जाने की मांग

44–श्रीमती ज्ञानवती सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा श्री श्याम नरायण–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कार्यरत बरेली में चार्ज प्राप्त उप आबकारी आयुक्त ने लखनऊ में अंसल कालोनाइजर द्वारा बनाई गयी आशियाना कालोनी स्वयं तथा अपने तीन बेटों के नाम प्लाट नं०-655, 656, 659 और 658 शासन की अनुमति लिये बिना ही 8 लाख 80 हजार रु० में खरीदे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये नियमों एवं आचार संहिता के अनुरूप उनसे सम्पत्ति का ब्योरा प्राप्त करने के लिए आदेशित करेगी ? क्या पूर्व में उक्त आबकारी उप आयुक्त ने शासन को उक्त ब्योरा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या उक्त उप आबकारी आयुक्त को दण्डित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, दो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार, बरेली के पद पर सम्प्रति कार्यरत श्री लालजी राय द्वारा मेसर्स अंसल हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड लिजिंग कम्पनी द्वारा लखनऊ में विकसित की जा रही आशियाना कालोनी में 180 वर्ग मीटर का एक प्लाट संख्या 655 आवासीय भवन निर्माण हेतु अपने नाम वर्ष 1986-87 में आरक्षित कराया गया था, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु० 50,000 (रु० पचास हजार मात्र) थी। श्री राय के पुत्रों के नाम भी उक्त कालोनी में प्लाट आरक्षित कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । प्लाट संख्या 655 के आरक्षित कराये जाने की सूचना श्री राय द्वारा आबकारी आयुक्त, उ० प्र० को प्रेषित किये जाने हेतु उप आबकारी आयुक्त मेरठ, प्रभार मेरठ को वर्ष 1986 में ही दे दी गयी थी ? तत्समय श्री राय आबकारी अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे । अतः उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उक्त प्लाट के आरक्षित कराये जाने के पूर्व शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ? श्री राय के तीन पुत्रों के नाम आशियाना कालोनी, लखनऊ में आरक्षित अथवा क्रय किये गये प्लाटों में श्री राय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली–1956 (यथा संशोधित) का उल्लंघन किये जाने के संबंध में छानबीन की जा रही है । श्री राय से उनकी सम्पत्ति का विवरण भी प्राप्त किया जा रहा है । पूर्व में संबंधित उप आबकारी आयुक्त ने अपनी सम्पत्ति का कोई विवरण शासन को प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकरण में छान-बीन के उपरान्त यदि संबंधित उप आबकारी आयुक्त दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग से संबंधित जिला योजना का बजट जिलाधिकारी को प्रदान करने की मांग

45–श्री विश्वनाथ–

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग से संबंधित जिला योजना का बजट विगत दो वर्षों से जिलाधिकारी को प्रदान न करके, उसका व्यय सीधे विभागाध्यक्ष अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निदेशक द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जनपदों को सामान पूर्णरूप से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कमार गुप्त–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 89-90 तथा 90-91 में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों के कार्यालय के लिये जिला योजना के अन्तर्गत फोटो कापियर मशीन, अमोनिया प्रिन्ट मशीन, पेन्टग्राफ मशीन, ट्रेसिंग मशीन, कूलर, लोहे की रैक, आलमारी आदि के क्रय की स्वीकृति की गयी थी । चूंकि मितव्ययता की दृष्टि से इन वस्तुओं का क्रय मात्रा अनुबन्ध के आधार पर किया जाना उचित पाया गया था । अतः प्रश्नगत धनराशि को शासन द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निस्तारण पर रखने के आदेश दिये गये । 89-90 में स्वीकृति फोटो कापियर मशीन, अमोनिया प्रिन्ट मशीन, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, पेन्टाग्राफ मशीन, ट्रेसिंग टेबिल की आपूर्ति समस्त जनपदों में निर्धारित अवधि में पूर्ण कर ली गयी है । वर्ष 1990-91 में स्वीकृत लोहे की आलमारी, कूलर तथा स्टील रैक की आपूर्ति 50 प्रतिशत जनपदों को की जा चुकी है । अवशेष आपूर्ति के लिये उद्योग निदेशक के माध्यम से संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जिला योजनाओं में प्राविधानित बजट की स्वीकृति जिला स्तरीय अधिकारी को प्रदान करने की व्यवस्था की जानकारी

46–श्री विश्वनाथ–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनाओं में प्राविधानित बजट की स्वीकृति शासन स्तर से सीधे संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जिला सेक्टर योजनाओं हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के स्तर से सीधे विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी करने की व्यवस्था है ।

पंडित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुआवारी, जनपद देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी एवं छात्रों और अध्यापकों की संख्या का विवरण

47–श्री हरिवंश सहाय, श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंडित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुआवारी, लार रोड, जिला-देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पत्र मार्च 90, अप्रैल 90, जुलाई, 90, सितम्बर 90 में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया तथा उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर को अध्यापकों तथा ग्रामवासियों ने दिया है ? क्या प्रश्नकर्ता का भी शिकायती पत्र संलग्नकों सहित दि० 1-2-92 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं तथा उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

48–श्री हरिवंश सहाय, श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पं० जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुआबारी, लार रोड, जिला देवरिया से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला में वर्ष 1989, 1990, 1991 में छात्रों की कुल संख्या कक्षा एक से पांच तक तथा कक्षा 6 से 12 तक कितनी-कितनी रही ? वहां पर अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ? क्या अध्यापकों की संख्या छात्रों के मानक के अनुसार है ? यदि कम या अधिक है, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उस प्राइमरी पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या–जुलाई/अगस्त, 1991 में मात्र 90 के करीब थी तथा अध्यापकों की संख्या 34 है ? यदि हां, तो क्या यह नियुक्ति मानक के आधार पर हुई है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्ष 1989, 90 व 91 में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या क्रमशः 722, 724 व 833 तथा कक्षा 6 से 12 तक 1362, 2122 व 2258 तथा इन्हीं वर्षों में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापकों की संख्या 24 तथा कक्षा 6 से 12 तक 51 रही है ।

मान्य अध्यापकों की संख्या मानक के अनुसार है । 9 अध्यापकों को मा० उच्च न्यायालय के अनुसार वेतन दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ग्राम दीन नगर पौधशाला में गड्ढों की खुदाई में कथित वित्तीय अनियमितता में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

49–श्री राम पाल वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में जनपद हरदोई के वि० ख० कछौना अन्तर्गत ग्राम दीननगर में जमरानी ककरी कोल योजना पौधशाला, दीननगर की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो यह योजना कितने क्षेत्रफल में स्थित है ? क्या यह भी सही है कि उक्त पौधशाला के लिये 1,85,000 गड्ढे खुदाये गये हैं जिनका खुदाई रेट 1.40 पैसा प्रति गड्ढा था ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को मात्र 70 पैसे प्रति गड्ढे का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जमरानी बांध व ककरी कोल दो अलग-अलग परियोजनायें हैं । ककरी कोयला परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना के ग्राम दीननगर में पौधशाला स्थापित की गयी है । जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम में कोई पौधशाला स्थापित नहीं की गयी है ।

ककरी कोयला परियोजना 190 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है । उक्त योजना के अन्तर्गत 2 (दो) पौधशालायें स्थापित हैं, जिनका क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50–श्री राम पाल वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जमरानी ककरी कोल योजना पौधशाला, दीननगर, हरदोई में वर्ष 1990-91 में 8 कि० मी० खाई का निर्माण 5.35 पैसा प्रति वर्ग मी० के हिसाब से कराना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त खाई की खुदाई में 2.50 पैसा प्रति वर्ग मी० की दर से मजदूरों को भुगतान किया गया है ? क्या 2500 माउंड का निर्धारित रेट 2.50 पैसा था ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को 1.25 पैसा प्रति माउंड दिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त पौधशाला में कराये गये समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जमरानी बांध व ककरी कोल दो अलग-अलग परियोजनायें हैं । जनपद हरदोई के ग्राम दीननगर में ककरी कोयला परियोजना के अन्तर्गत स्थापित पौधशाला की सुरक्षा हेतु खाई खुदान कार्य प्रस्तावित नहीं था । जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम में कोई पौधशाला ही स्थापित नहीं हुई । अतः अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा बरबर में राजकीय हाई स्कूल खोलने की मांग

51–श्री इजहार आलम खां–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा बरबर, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के कई किलोमीटर इर्द-गिर्द के क्षेत्र में कोई हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज नहीं है, दिनांक 25-2-85 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्रांक संख्या-15232/32. द्वारा उप शिक्षा निदेशक, षष्टम् मण्डल, लखनऊ तथा सहायक शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को कस्बा बरबर में राजकीय हाई स्कूल खोलने की सिफारिश भेजी थी ? क्या यह सही है कि बरबर में 30 एकड़ भूमि उपलब्ध है, फिर भी आगे कोई प्रगति नहीं हो पायी ? क्या सरकार कस्बा बरबर में राजकीय हाई स्कूल खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना न होने के कारण ।

फर्रुखाबाद अलीगंज रूट पर और अधिक बस परमिट जारी करने की मांग

52–श्री अवध पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज फर्रुखाबाद रूट पर जनता के पास सिर्फ 10 परमिट जारी हैं, जिनमें से मात्र 3 या 4 परमिट धारक ही अपनी बसें चलाते हैं ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मार्ग की लम्बाई 40 कि० मी० है तथा आसानी से 20 परमिट धारी उस मार्ग पर अपनी बसें

चला सकते हैं ? क्या मंत्री जी और परमिट उस रूट पर जारी कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अलीगंज से फर्रुखाबाद वाया अचरा-नवाबगंज-हाजियापुर-हथियापुर मार्ग पर केवल 2 परमिट जारी एवं 2 बसें ही संचालित हैं । दूसरा मार्ग जो अलीगंज से नवाबगंज-हथियापुर होते हुए फर्रुखाबाद को जाता है, पर हथियापुर से अलीगंज तक 12 परमिट जारी हैं जिनमें 10 प्राइवेट बसें ही संचालित हैं ।

अलीगंज से फर्रुखाबाद के प्रथम मार्ग की लम्बाई 46 कि० मी० है जिसमें फर्रुखाबाद से हजियापुर 14 किमी० का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा दूसरे मार्ग की लम्बाई 43 कि०मी० है जिसमें फर्रुखाबाद से हथियापुर का 5 कि० मी० भाग राष्ट्रीयकृत होने के कारण निजी बसों को परमिट नहीं दिये जा सकते । शेष भाग के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 के प्राविधान के अनुसार परमिट दिये जा रहे हैं ।

अलीगंज से सराय अगहत तथा अगौनापुर से धनऊघाट तक पुनः परमिट जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

53–श्री अवध पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज से सराय अगहत मार्ग पर जनपद एटा में 8 बसों के परमिट जनता के पास जारी किये थे ? यदि हां, तो क्या वहां बसें चल रही हैं ? क्या उपरोक्त परमिटधारियों के पास अगौनापुर से धनऊघाट का परमिट भी था ? क्या उपरोक्त दोनों मार्गों की लम्बाई क्रमशः 19 कि० मी० एवं 13 कि० मी० है ? क्या आगरा मण्डल के मण्डलायुक्त एवं आर० टी० ओ० ने 22 परमिट अलीगंज से सराय अगहत एवं अगौनापुर धनऊघाट तक पुनः जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो इतने छोटे रूट पर किस नियम के अन्तर्गत उक्त परमिट जारी किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त परमिट जारी करने के संबंध में जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । 6 बसें वर्तमान में संचालित हो रही है ।

जी हां । इन दोनों मार्गों की लम्बाई क्रमशः 21 व 13 कि० मी० है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगंज से लखनऊ तक बन्द पड़ी बस सेवा को पुनः चालू कराये जाने की मांग

54–श्री अवध पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज से लखनऊ तक एक बस 1980 से चल रही थी ? यदि हां, तो क्या इसे अब सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बस को पुनः चलवाने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० आर० डी० ए० में नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमावली तैयार किये जाने की मांग

55– डा० जी० एस० विनोद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डी० आर० डी० ए० में नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमावली स्टेट कैडर सहित तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सेवा नियमावली तैयार करके प्रकाशित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

डी० आर० डी० ए० में नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमावली शासन के विचाराधीन है ।

डी० आर० डी० ए० विभाग में नियुक्त तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य विभागों की भांति समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

56–डा० जी० एस० विनोद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० आर० डी० ए० में नियुक्त तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को पी० डब्लू० डी०, सिंचाई, आर० इ० एस० तथा लघु सिंचाई जैसे विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है ।

पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में जनपद देवरिया की आवंटित धनराशि की जानकारी

57–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कितना धन देवरिया जनपद को स्वीकृत हुआ ? क्या इस धन से विधान सभा क्षेत्र भाटपाररानी तथा सलेमपुर के मध्य बनने वाला चुनकी घाट के पुल को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल किन कारणों से निरस्त कर दिया गया ? निरस्त होने के बाद इस धन से भाटपाररानी तथा सलेमपुर क्षेत्र में कार्य न कराने का क्या कारण हैं ? क्या अब इस धन से दोनों क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्य को कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में जनपद देवरिया को कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ था । "निधि" का सृजन 1990-91 में हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में देवरिया जनपद में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन एवं कराये गये कार्य की जानकारी

58–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 90-91 तथा 91-92 में कितना धन स्वीकृत हुआ ? उक्त स्वीकृत धन से कहां-कहां पर कार्य कराये जा रहे हैं ? उन कार्यों की प्रगति क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

देवरिया जनपद में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में रु० 256.32 लाख तथा वर्ष 1991-92 में रु० 295.00 लाख स्वीकृत हुआ है ।

सूचना अत्यन्त विस्तीर्ण है । मा० सदस्य यदि चाहें तो मेरे कक्ष में देख सकते हैं ।

उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र को उनके मूल विभाग में वापस करने की मांग

59–श्री शिव बालक पासी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र०मत्स्य विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र को मूल विभाग में वापस भेजने हेतु निदेशक समाज कल्याण विभाग का पत्रांक-530-35/स्था०/स्पे० कैम्प/91-92 दिनांक 25-1-92 प्रबन्ध निदेशक मत्स्य विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या है तथा प्रबन्ध निदेशक मत्स्य विकास निगम लिमिटेड ने प्रश्नगत अधिशासी अधिकारी को मूल विभाग में वापस करने हेतु नियमानुसार क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि प्रश्नगत अधिशासी अधिकारी को मूल विभाग में वापस भेजने हेतु उप सचिव, मत्स्य उत्पादन, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 15-1-91 भी प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र में वर्णित तथ्य निम्नलिखित हैं :–

"श्री हरिश्चन्द्र, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) जो वर्तमान समय में अधिशासी के पद पर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को तात्कालिक प्रभाव से वापस लिया जाता है और इन्हें सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के पद पर जनपद हरदोई में तैनात किया जाता है । श्री हरिश्चन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने योगदान की आख्या अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को प्रस्तुत करें । निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री हरिश्चन्द्र चौधरी को प्रतिनियुक्ति से वापस लिये जाने के ऊपर पूर्व प्रसारित निर्देश स्थगित कर दिये गये हैं । इस कारण श्री हरिश्चन्द्र चौधरी को मत्स्य विकास निगम से अवमुक्त नहीं किया गया ।"

जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र चौधरी अधिशासी अधिकारी को उनके मूल विभाग हेतु अवमुक्त करने से पूर्व पत्रावली निगम के अध्यक्ष को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी । इसी बीच शासन के आदेश संख्या–सी० एम०-26/57-मत्स्य-91-7-10(6)/88 दिनांक 23-3-1991 द्वारा श्री हरिश्चन्द्र चौधरी को मूल विभाग भेजने संबंधी आदेश जो पत्रांक-सी०एम०-250/57-म-1991 दिनांक 15-1-1991 द्वारा जारी हुए थे को निरस्त करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 20-1-1994 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई,

जिसके कारण श्री चौधरी को उनके मूल विभाग हेतु प्रतिनियुक्ति से वापस करने की आगे कार्यवाही का प्रश्न नहीं रह गया ।

श्री के० एस० सागर संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को उनके द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

60–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद श्री के० एस० सागर द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच संयुक्त सचिव, वित्त विभाग श्री पी० पी० वैरिया कर रहे हैं ? यदि हां, तो श्री के० एस० सागर, संयुक्त निदेशक को जांच के दौरान वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

61–श्री ज्ञानेन्द्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा नियुक्तियां करने एवं उन्हें निरस्त करने के आरोप में संबंधित को दण्डित करने की मांग

62–श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 10 मई, 91 से दिनांक 31 अगस्त, 91 तक इलाहाबाद में कार्यरत मुख्य विकास अधिकारी ने कितनी नियुक्तियां की और कब कीं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त नियुक्तियां एक माह बाद की तारीख में निरस्त की गयी ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति निरस्तीकरण के आदेश संबंधित कर्मचारियों को किस तिथि को प्राप्त हुआ ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के वेतनमान बढ़ाये जाने की मांग

63–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत प्र० उ० विद्यालय निरीक्षकों का वेतन उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से भी कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा विभाग उनके वेतनमानों को ठीक करने के संबंध में कोई कार्यवाही कर रहा है ? क्या सरकार इस प्रकरण पर विचार करके तुरन्त इसका निस्तारण कर देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को साधारण वेतनमान 1400-2300 स्वीकृत है जबकि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को साधारण वेतनमान 1450-2300 और चयन वेतनमान 1550-2500 स्वीकृत किया गया है । वेतन विसंगति समिति ने विचारोपरान्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को चयन वेतनमान 1640-2765 अनुमन्य किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद द्वारा हैदरगंज-करौंदी मार्ग को पूर्ण न कराये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित करने की मांग

65–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें फैजाबाद की देखरेख में जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र में हैदरगंज-करौंदी मार्ग के निर्माण कार्य हेतु माह फरवरी, 1991 से मार्च, 1991 के बीच लगभग रु० 80,000 (अस्सी हजार रु०), मस्टर रोल संख्या 3060 से 3066 तक तथा माप-पुस्तिका के पेज 42 से 44 के अंकन के अनुसार निकाल कर व्यय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि भुगतान के बाद भी मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित तथा उनसे रुपये की वसूली करने की कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र में हैदरगंज-करौंदी मार्ग के निर्माण कार्य हेतु माह दिसम्बर 90, में मस्टर रोल संख्या–3060 से 3066 तक माप पुस्तिका संख्या 11(एस) के पृष्ठांक–42 से 45 के अंकन के अनुसार 76,986 रुपये व्यय किये गये ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य हुआ है । इस विषय में प्राप्त शिकायतों पर जांच करायी गयी । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसकी परीक्षण किया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति जुलाई/अगस्त, 1991 में तथा वर्ष 92 में की गयी है ? यदि हां, तो इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी ? यदि किसी भी अनुसूचित जाति की पदोन्नति नहीं की गयी, तो इसका कारण क्या है ? क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा अधिक हो चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जुलाई/अगस्त/नवम्बर, 1991 में पदोन्नति की गयी है । वर्ष 1992 में कोई पदोन्नति नहीं की गयी है ।

आरक्षण कोटे की पूर्ति हेतु अपेक्षित 4 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति दी गयी है । अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति सन् 1985 से 91 के बीच कितनी की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस पदोन्नति में सामान्य तथा अनुसूचित जाति की संख्या कितनी रही ? आरक्षण कोटा पूरा न करने का कारण क्या है ? क्या शासन द्वारा अब आगे से आरक्षण कोटा पूरा करने के बाद ही सामान्य लोगों की पदोन्नति की जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

संवर्ग के कुल 126 पदों के प्रति समय-समय पर सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति आदि से होने वाली रिक्तियों के प्रति जनवरी 85 से नवम्बर, 91 के मध्य 336 प्रोन्नतियां की गयी ।

सामान्य–305
अनु० जाति–30

संवर्ग में आरक्षण के कोटे की स्थिति को स्थिर रखते हुए जिस कोटे की रिक्ति हुई उस कोटे के अभ्यर्थी को प्रोन्नति दी गयी ।

संवर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को शार्टफाल कोटे में पदोन्नति किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है । अनुसूचित जनजाति का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 9-3-92 को अता० प्र० सं० 102 द्वारा उत्तरित]

श्री छविनाथ यादव को सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में जनरल क्लर्क के पद पर नियुक्त करने की मांग

70–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में श्री छविनाथ यादव द्वारा सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर जनपद कानपुर में एक वर्ष तक जनरल क्लर्क के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन नं०-4834-1981 दिनांक 3-5-1991 के निर्णय के आधार पर उक्त कर्मचारी को जनरल क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित निर्णय जिस मूल निर्णय पर आधारित है वह अंतिम नहीं है । उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश जारी हो चुका है ।

शिक्षा विभाग उ० प्र० में अधीनस्थ शिक्षा सेवा क्लास I व II के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग

71–श्री मारकण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) क्लास I व क्लास II के कितने पद कब से रिक्त हैं ? यदि पद रिक्त हैं तो क्या मंत्री जी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । कुल 456 पद निम्नवत् रिक्त हैं :–

वर्ष	श्रेणी I	श्रेणी II	अधीनस्थ शि० से० (राज०)
1982	–	2	–
1985	–	1	–
1986	–	1	–
1987	–	1	1
1988	1	20	4
1989	2	70	21
1990	7	58	25
1991	25	121	50
1992	12	28	6
योग	47	302	107

जी हां ।

संबंधित सम्वर्ग की प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवश्यक व्यवस्था हो जायेगी ।

72–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा मंगारी में जवाहर रोजगार योजना एवं विकास योजनाओं में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

73–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के विकास खण्ड सादात के ग्राम सभा मंगारी में जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य विकास योजनाओं में की गयी अनियमितताओं एवं गबन की शिकायतों की जांच 31 अक्टूबर, सन् 1991 को श्री किशन सिंह अटोरिया अपर आयुक्त/विशेष कार्यक्रम ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा करायी गयी थी ? क्या इसकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के छितौनी इण्टर कालेज छितौनी में पौधशाला व्यवसाय हेतु आवंटित धनराशि में किये गये घपले की जांच

74–श्री दीपलाल भारती–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी इण्टर कालेज छितौनी (देवरिया) को पौधशाला व्यवसाय के लिये कुल कितनी धनराशि का अनुदान व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत दिया गया ? क्या पौधशाला निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आहरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्राप्त अनुदान का अपहरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या प्रधानाचार्य द्वारा धन अपहृत कर लिया गया ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्ष 88-89 में रु० 10,000.00 तथा 89-90 में रु० 10,000.00 कुल रु० 20,000.00 का अनुदान दिया गया ।

जी नहीं ।

इसकी जांच की जा रही है ।

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

75-76–श्री विश्वनाथ–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाली अवैध मिनी बसों एवं टैक्सियों के रोकथाम की मांग

77–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि देवरिया, गोरखपुर बस्ती जनपदों में राष्ट्रीय मार्गों पर अनाधिकृत मिनी बसें एवं टैक्सियां चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग की आर्थिक क्षति इनसे हो रही है ? यदि हां, तो इसके रोकथाम हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अनाधिकृत संचालन को रोकने हेतु जनपद देवरिया, गोरखपुर व बस्ती के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर विगत छमाही में विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्य किया गया जिसमें 1253 जीपों को परमिट लेने के लिये बाध्य किया गया और इसके फलस्वरूप रु० 22,46,250 परमिट फीस प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त 93 मिनी बसों तथा 460 जीपों का चालान किया गया जिससे रुपये 1,01,129 करों के रूप में वसूल हुआ । इस अभियान के दौरान 316 मिनी बसों/जीपों एवं 29 चालकों को विभिन्न थानों में बन्द किया गया तथा 244 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलम्बित करने की कार्यवाही भी की गयी ।

78–श्री नरेश अग्रवाल–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पण्डित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज प्राइमरी पाठशाला एवं बालिका हाई स्कूल में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कमरों की संख्या की जानकारी

79–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महुआबारी, पोस्ट लार रोड देवरिया में पंडित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, प्राइमरी पाठशाला तथा बालिका हाई स्कूल मान्यता प्राप्त संस्था है ? यदि हां, तो तीनों विद्यालयों के पास अलग-अलग कितने कमरे हैं ? तीनों विद्यालयों में कुल कितने लड़कों के सेक्शन हैं ? क्या सेक्शन के अनुसार ही कमरों की संख्या है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के सीनियर आडीटर श्री राम लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर आख्या भेजने से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री खालिद गौरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में सीनियर आडीटर श्री राम लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच करके आख्या भेजने हेतु श्री महेश प्रसाद मिश्र विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा (8) अनुभाग, उ० प्र० शासन ने दिनांक 13-2-1989 को उच्च शिक्षा निदेशालय को लिखा था ? यदि हां, तो अब तक पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में दस लाख कुआं योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद को आवंटित धनराशि एवं उसके व्यय की जानकारी

81–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दस लाख कुआं योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा वित्तीय वर्ष 1991-92 हेतु जनपद फैजाबाद को कितना-कितना रुपया जनपद में व्यय के लिये किन-किन दिशा निर्देशों के साथ दिया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन रुपयों में से जिला स्तर पर कितना-कितना रुपया किन-किन कार्यों पर और किस-किस क्षेत्र में व्यय किया गया है ? अब कितना रुपया शेष बचा है ? यदि शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत रुपये का व्यय हुआ है, तो किन-किन कार्यों पर और कितना-कितना ? शासन के पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों में परिवर्तन करने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद को "दस लाख कुआं योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91 में मु० 240.49 लाख रुपया तथा वर्ष 1991-92 में मु० 88.11 लाख रुपये कुल 328.60 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है । कार्य मार्ग निर्देशिका में निर्धारित है, जिसकी सूची निम्न प्रकार है :–

(1) सिंचाई कूप/एकीकृत सिंचाई तथा पेयजल कूप

(2) सिंचाई डिग्गी/एकीकृत सिंचाई तथा पेयजल डिग्गी

(3) अवरोध बांध

(4) समोच्च रेखीय बांध

(5) जल भराव बांध

(6) जल संचय बंधी

(7) मार्जिनल/पेरिफेरल बांध

(8) जलाशय

(9) ड्रेन

(10) भूमि समतलीकरण

(11) सिंचाई तालाब

(12) मेड़बंदी

(13) ऊसर सुधार

(14) पोलीथीन लाइन्ड बैंक (पर्वतीय क्षेत्रों में)

(15) सिंचाई गूल निर्माण

जिला स्तर पर उक्त रुपया 108 नालों पर 203.921 लाख, 10 गूलों पर 1.898 लाख, 30 तालाबों के निर्माण पर 24.024 लाख, 108 कूपों पर 35.2995 लाख तथा 1 बांध पर 1.00 लाख इस प्रकार कुल

266.1425 लाख रुपया अभिकरण द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यय किया गया है और अब 62.4575 लाख रुपया शेष बचा है :–

विधान सभा क्षेत्र–

(1) सोहावल (2) मिल्कीपुर (3) बीकापुर (4) अयोध्या (5) कटेहरी (6)अकबरपुर (7) टाण्डा (8) जलालपुर (9) जहांगीरगंज

लोक सभा क्षेत्र–

(10) फैजाबाद (11) अकबरपुर (12) जिलाधिकारी/अध्यक्ष के विवेकाधीन आरक्षित ।

शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी है ?

दिशा निर्देशन के परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर की स्पेशल आडिट की रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

82–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर की कितनी स्पेशल आडिट कब-कब करवायी गयी ? क्या उसमें अनियमिततायें पायी गयीं हैं ? अनियमितताओं के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त आडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

दो बार ।

आदेश दिनांक 16-6-78 के तहत दिनांक 13-10-78 से 27-10-78 तक आदेश दिनांक 22-4-88 के तहत दिनांक 20-6-88 से 10-7-88 तक स्पेशल आडिट करवाया गया ।

जी हां ।

वर्ष 1982 में कालेज के प्रबन्धतंत्र को उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी तथा पुनः वर्ष 1990 में उक्त अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत नोटिस देते हुए धारा–58(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी जिसके विरुद्ध प्रबन्धतंत्र ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । मा० उच्च न्यायालय के उक्त स्थागनादेश के प्रभावी रहते हुए प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के डिप्टी लाइब्रेरियन की प्रवक्ता हिन्दी पद पर की गयी नियुक्ति की वैधता की जानकारी

83–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रद्युम्न पति त्रिपाठी ने रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत रहते हुए अक्टूबर 1991 तक वेतन प्राप्त किया है ? क्या नवम्बर, 1991 से उन्हें हिन्दी प्रवक्ता पद पर नियुक्त दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या हिन्दी

प्रवक्ता पद हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया ? यदि हां, तो किस तिथि के किस समाचार पत्र में ? क्या प्रबन्ध समिति द्वारा इस पद पर नियमानुसार चयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त बैठक किस तिथि को किसकी अध्यक्षता में हुई है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां, 2 नवम्बर, 1991 से विज्ञापन नहीं कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन बिन्दु पर जांच कराई जा रही है ।

बैठक दिनांक 24-7-91 को श्री रुद्र प्रताप सिंह, प्रबन्धक, रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी की अध्यक्षता में हुई ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, सिद्धार्थनगर में वर्ष 1988-89 की बी० एड० परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिकायें बदले जाने के दोषी प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

84–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 की बी० एड० परीक्षा में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर परीक्षा केन्द्र में प्रविष्ट 6 बी० एड० परीक्षार्थियों ने केन्द्राध्यक्ष द्वारा जानबूझकर उत्तर पुस्तिकायें बदले जाने की शिकायत कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय से की थी, जिसकी जांच कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के 3 सदस्यीय जांच समिति द्वारा करायी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि शिकायत सत्य पाये जाने की समिति के रिपोर्ट के आधार पर उक्त छात्रों की पुनः परीक्षायें विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र से करवायी गयी जिसमें वे छात्र उत्तीर्ण रहे ? यदि हां, तो इस गम्भीर कृत्य के लिये दोषी केन्द्राध्यक्ष, कालेज के प्राचार्य के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी दोषी प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के प्राचार्य की पुत्र वधू की बी० एड० प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति की वैधता की जानकारी

85–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि क्या रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के प्राचार्य की पुत्रवधू श्रीमती अर्चना मिश्र की प्रशासनिक नियुक्ति बी० एड० प्रवक्ता पद पर की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पद हेतु विज्ञापन किस तिथि के, किस समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया ? उक्त पद हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? प्रबन्ध समिति द्वारा किस तिथि को बैठक उक्त नियुक्ति हेतु की गयी और उक्त बैठक में कौन-कौन से पदाधिकारी उपस्थित रहे ? क्या उक्त नियुक्ति की वैधता संदिग्ध है ? यदि हां, तो उस पर उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

दिनांक 12-9-90 के नवजीवन तथा नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित हुआ ।

प्राचार्य की सूचनानुसार 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

चयन समिति की बैठक दिनांक 26-7-91 को हुई । उक्त बैठक में जिलाधिकारी, बस्ती, डा० वी० बी० पाण्डेय, रीडर, शिक्षा संकाय गोरखपुर विश्वविद्यालय, श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रवक्ता (प्राचार्य के स्थान पर) तथा श्री माधव प्रसाद धर द्विवेदी (प्राचार्य के नामिती) थे ।

इस बिन्दु पर जांच कराई जा रही है ।

86–श्री बंशीधर राज–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

87–श्री बंशीधर राज–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 8 द्वारा उत्तरित]

बिक्रीकर कार्यालय मिर्जापुर के अधिकारियों को दौरे हेतु वाहन की व्यवस्था की मांग

88–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)–

क्या राजस्व वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के बिक्रीकर कार्यालय जो कि प्रदेश को लगभग प्रतिवर्ष 4 (चार) करोड़ रुपये राजस्व देता है, वहां पर कार्यरत असेसमेन्ट कमिश्नर एवं बिक्रीकर कमिश्नरों के पास भ्रमण हेतु संसाधनों का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकारियों के दौरे के लिये वाहन की व्यवस्था वहां पर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जनपद मिर्जापुर में वित्तीय वर्ष 89-90 में 282.5 करोड़, वर्ष 90-91 में 357.63 करोड़ तथा वर्ष 91-92 में दिसम्बर, 91 के अन्त तक 297.82 करोड़ की बिक्रीकर मद में राजस्व की प्राप्ति हुई । कर निर्धारण कार्य के लिये सहायक आयुक्त, मिर्जापुर को एक वाहन का आवंटन अगस्त, 89 में किया गया था । बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) के पास उपलब्ध पुरानी जीप निष्प्रयोज्य हो गयी थी अतः कर निर्धारण कार्य हेतु आवंटित जीप कार्य के महत्व को देखते हुए बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) को उपलब्ध करा दी गयी । फलतः, वर्तमान में कर निर्धारण कार्य हेतु कोई वाहन उपलब्ध नहीं है ।

बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) की जीप बिक्रीकर अधिकारी (ए) द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् औपचारिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर सहायक आयुक्त एसेसमेन्ट को वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा श्री इन्द्रदेव सिंह को सहायक परियोजनाधिकारी अनुश्रवण के पद पर नियुक्त न करने की शिकायत

89–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि उप विकास आयुक्त, वाराणसी ने पत्रांक 3052/92,4-2-92 से जिलाधिकारी, मिर्जापुर को श्री इन्द्रदेव सिंह को सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश की

अवहेलना करके जिलाधिकारी ने श्री इन्द्रदेव सिंह को खण्ड विकास अधिकारी, मझवा, जि० मिर्जापुर बना दिया है ? क्या यह तैनाती औचित्य पूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी, मिर्जापुर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री इस प्रकरण में कार्यवाही का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उप विकास आयुक्त, वाराणसी के पत्र संख्या : 3052/92, दिनांक 4-2-92 द्वारा श्री इन्द्रदेव सिंह को सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पद पर नियुक्त करने का कोई आदेश जिलाधिकारी को नहीं दिया गया, बल्कि उक्त पत्र द्वारा अपर जिलाधिकारी (विकास) मिर्जापुर को कतिपय वांछित शासनादेशों की प्रतिलिपि भेजते हुए श्री इन्द्रदेव सिंह की तैनाती सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पद पर जिलाधिकारी से कराने का उल्लेख किया गया था । उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या : 2350/38-6-आई० आर० डी० 92/83, दिनांक 7-10-85 के अनुसार सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पद पूर्ति का अधिकार मण्डलायुक्त में निहित है न कि उप विकास आयुक्त में । इसी प्रकार शासनादेश संख्या : 4917/38-1-4 एम/91 टी० सी०, दिनांक 22-7-91 के अनुसार जनपद में खण्ड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार जिलाधिकारी को है । अतएव जनपदीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अध्यक्ष होने के नाते कार्यहित में खण्ड विकास अधिकारी, मझवां की तैनाती सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) एवं श्री इन्द्रदेव सिंह की खण्ड विकास अधिकारी, मझवा पद पर आदेश सं०-586/स्था०-1, दिनांक 11-2-92 द्वारा करके प्रतिलिपि मण्डलायुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी परन्तु आदेश निर्गत होते ही खण्ड विकास अधिकारी, मझवां के द्वारा अपनी कठिनाई व्यक्त करने पर उक्त आदेश को आदेश संख्या : 2481/स्था०--1/खं०वि० अ०, दिनांक 14-2-92 द्वारा निरस्त कर श्री सिंह को सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पद पर तैनात कर दिया गया जहां वे कार्यरत हैं । अतएवं की गयी कार्यवाही शासनादेश के अनुरूप है ।

प्रत्येक पशु चिकित्सालय में पशु प्रसार अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

90–श्री छोटे लाल यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में पशु चिकित्सालयों पर पशु प्रसार अधिकारी का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो कब से स्वीकृत हुए पशु चिकित्सालयों पर उक्त पद नहीं है और क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)–

जी नहीं ।

पशु चिकित्सालयों का सृजन पशु चिकित्साधिकारी के प्रभार में पशु चिकित्सा के कार्य के लिये किया जाता है । इस कार्य हेतु पशु प्रसार अधिकारी का पद प्रदेश के किसी पशु चिकित्सालय पर सृजित नहीं है ।

91–श्री छोटे लाल यादव–

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर० बी० एस० माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

92–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-2-92 का पत्र जिसमें आर० बी० एस० माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध श्री महेश सिंह यादव, सह अध्यापक को गलत ढंग से निकालने तथा अन्य अनियमितताओं के आरोप हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त पत्र पर मंत्री जी ने डिप्टी डायरेक्टर, कानपुर को जांच व प्रभावी कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 14-2-92 को दिया है ? क्या आदेशों के संबंध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या जिसके विरुद्ध शिकायत है, उसके प्रति जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम सिंह उ० मा० विद्यालय, सोनवानी, बलिया के प्रबन्धक द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

93–श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित श्री राम सिंह उ० मा० विद्यालय, सोनवानी, बलिया के प्रबन्धक का दिनांक 12-2-92 का प्रर्थना-पत्र जिसमें उक्त विद्यालय के लिपिक व जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के गम्भीर आरोप लगाये हैं, उन्हें मिला है ? क्या यह सत्य है कि मंत्री जी ने दिनांक 14-2-92 को डी० डी० वाराणसी को उक्त पत्र पर प्रभावी जांच व कार्यवाही करने का आदेश दिया है ? क्या उक्त आदेशों के तहत कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच की जा रही है ।

94–श्री श्रीराम (जालौन)–

[दिनांक 30-3-92 को अता० प्र० सं० 25 द्वारा उत्तरित]

जनपद इटावा के परगना औरैय्या में दोनों बाईपास के समीप बिकने वाले प्लाटों पर स्टैम्प पंजीयन की दरों की जानकारी

95–श्री किशन लाल–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजा ज्ञानपुर, इमामअली, परगना औरैया, जनपद इटावा में दोनों बाईपास के समीप भूमि नम्बरों में बिकने वाले प्लाटों पर वर्ष 1990-91 में स्टैम्प पंजीयन की क्या दरें ली गयी हैं तथा वर्ष 1990-91 में जिलाधिकारी, इटावा द्वारा बाईपास के दोनों ओर प्लाटों की क्या दरें निर्धारित थीं ? क्या बाईपास के मध्य क्षेत्र की भूमि की बिक्री प्लाटों के रूप में की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

28 रुपये प्रति वर्ग फुट ।

25 से 30 रुपये प्रति वर्गफुट ।

जी हां, आलोच्य क्षेत्र के भूखण्ड सामान्यतः प्लाटों के रूप में बेचे जा रहे हैं ।

संस्कृत विश्वविद्यालयों से संबंधित विद्यालयों एवं उनके अध्यापकों के वेतन निर्धारण के आधार की जानकारी

96–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालयों से संबंधित संस्कृत विद्यालयों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ? क्या संस्कृत विद्यालयों में प्राइमरी की कक्षायें भी चलती हैं ? संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

श्री राजनाथ सिंह–

नियमित छात्र संख्या, परीक्षार्थी संख्या तथा परीक्षाफल के आधार पर ।

जी नहीं ।

वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर ।

संस्कृत विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुदान एवं शिक्षकों को ग्रामीण आवास भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने की मांग

97–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1987 के पूर्व संस्कृत विद्यालयों में 43 रु० मासिक की दर से अनुदान के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शासन द्वारा वेतन दिया जाता था ? क्या वह बन्द कर दिया गया है ? यदि बन्द कर दिया गया तो कब से पुनः दिया जायेगा ? क्या संस्कृत शिक्षकों को ग्रामीण आवास भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

वेतन न देकर केवल तदर्थ आधार पर अनुदान दिया जाता था ।

नई व्यवस्था लागू होने पर बन्द हुआ ।

मामला विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण पूर्व के आधार पर किये जाने की मांग

98–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों के वेतन पुनरीक्षण समिति उत्तर प्रदेश 1989 द्वारा संस्तुति वेतनमान रु० 1225-1670 को घटाकर 1100-1710 कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री राजनाथ सिंह–

विचारोपरान्त संबंधित शासनादेश संख्या–151/15-8-92/3072/स/91, दि० 5-3-92 को स्थगित रखने का आदेश राजाज्ञा दिनांक 31-3-92 द्वारा कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मी कुंवर इण्टर कालेज टारा जिला फैजाबाद के पूर्व सहायक अध्यापक श्री करुणाकन्द के विषय में विधि विभाग द्वारा दी गयी राय की जानकारी

99–श्री बंशीधर राज–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-3-91 को सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश को, पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र श्री करुणा कन्द, पूर्व सहायक अध्यापक, लक्ष्मी कुंवर इण्टर कालेज, टारा, अकबरपुर, फैजाबाद के संबंध में प्राप्त हुआ था, जिसमें कि विधि विभाग से राय लेने के लिये निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर किये गये आदेश को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि विधि विभाग की क्या राय आई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में डी० आर० डी० ए० द्वारा चांदा विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत किये गये धन की जानकारी

100–श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत माह जून, 1991 से 3 दिसम्बर, 1991 तक डी० आर० डी० ए० की कितनी बैठकें हुयी हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन बैठकों में विधान सभा क्षेत्र चांदा के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ ? यह धन किन-किन कार्यों में व्यय हुआ ? किस विभाग के माध्यम से कितना कार्य विकास खण्ड वाइज कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के परतावल बाजार में आई० टी० आई० स्कूल के खोले जाने की मांग

101–श्री ज्ञानेन्द्र–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परतावल बाजार, जनपद महराजगंज में पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा आई० टी० आई० स्कूल का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा उस

बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त आई० टी० आई० स्कूल सरकार वहां खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं; तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संबंधित स्थान पर भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा आई० टी० आई० का शिलान्यास करने की सूचना शासन को नहीं है और न ही इस स्थान पर अभी तक आई० टी० आई० खोलने का निर्णय लिया गया है ।

कतिपय बस सेवाओं को दोहथा ऊंचाडीह तक बढ़ाये जाने की मांग

102–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या परिवहन मंत्री इलाहाबाद दोहथा एवं बनारस मांडाखास, मिर्जापुर सोनौली (साढ़े दस बजे) की बस सेवा को विभागीय जनहित में ऊंचाडीह (उपरौंध) तक बढ़ाये जाने का आदेश देंगे ? क्या यह सच है कि ऊंचाडीह (दोहथा) गांव में बस सेवा संचालन बावत सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर दी गयी है ? यदि हां, तो जनहित में इलाहाबाद दोहथा (जीरो रोड डिपो) कैन्ट डिपो की वाराणसी माण्डा खास तथा मिर्जापुर डिपो की मिर्जापुर सोनौली (10.30 बजे) सेवा दोहथा ऊंचाडीह तक बढ़ाये जाने का आदेश कब तक जारी होगा ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत स्थल से उक्त बसों को संचालित किये जाने बावत शीघ्र निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम के सीमित संसाधनों और बस बेड़े को देखते हुए प्रस्तावित सेवा विस्तार अभी संभव नहीं है ।

जनपद बिजनौर के धामपुर के रेन्जर श्री आर० सी० सचान के उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट प्रेषित न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा दिनांक 24-1-92 को वन संरक्षक, मुरादाबाद को धामपुर, बिजनौर के रेन्जर श्री आर० सी० सचान के पिछले 6 माह के अवशेष वेतन के भुगतान के आदेश दिये गये थे तथा श्री सचान के उत्पीड़न के बारे में वन संरक्षक, मुरादाबाद से सभी बिन्दुओं पर सात दिन के अन्दर रिपोर्ट मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वन संरक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र०, लखनऊ के आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो वन संरक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया के ग्राम दोथ के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1990-91 व 91-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग करने के कारण दण्डित करने की मांग

104–श्री अवध पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना से जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम दोथ के प्रधान ने कितना धन वर्ष 1990-91 व 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना हेतु शासन से पाया है ? कहां-कहां पर उक्त धन का उपयोग किया है ? क्या शासन द्वारा विवरणवार जांच कराई जायेगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम प्रधान ने जवाहर रोजगार योजना से मिले धन से अपना मकान तथा थोड़ा सा रास्ता अपने दरवाजे तक बनवाया है ? यदि हां, तो क्या दोषी ग्राम प्रधान को दण्डित किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में मु० 29.130 रुपये तथा वर्ष 1991-92 में मु० 22.953 रुपये ग्राम सभा दोथ के प्रधान को प्राप्त हुए हैं ।

उक्त धनराशि का उपयोग 4 खड़ंजा, 9 सम्पर्क मार्ग, 2 हैण्ड पम्प तथा निर्बल वर्ग के आवास के मदों में किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया जाना नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमानों के शीघ्र निस्तारण की मांग

105–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के 13 (तेरह) विभिन्न पदों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने हेतु निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों की स्वीकृति की संस्तुति हेतु कोई प्रस्ताव अपने पत्रांक संख्या–306 एओ (पी/कैम्प/विसंगति/रा० नि० मि०/90, दिनांक 16-8-90 के द्वारा अध्यक्ष, वेतन विसंगति समिति, उ० प्र० शासन को प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो उनमें से किस-किस पद हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तावित वेतनमान को शासन द्वारा संशोधित कर दिया गया है ? शेष वेतनमानों को अनुमोदित करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब का मूल कारण क्या है ? क्या सरकार इसका शीघ्र निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

निगमों के ऐसे पदों जिनका वेतनमान समता समिति द्वारा रु० 1230-2080 संस्तुत किया गया था और कोई सेलेक्शन ग्रेड देय नहीं था, उनको वेतनमान शासन द्वारा रुपया 1350-2200 में संशोधित किया जा चुका है ।

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों में तथाकथित विसंगतियों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति यथाशीघ्र विसंगतियों के अवशेष मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा विस्तारण की अवधि के फलस्वरूप दिये जाने वाले लोगों को राजकीय विद्यालय के शिक्षकों पर लागू करने की मांग

106–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा विस्तारण की अवधि के फलस्वरूप प्रदत्त समस्त लाभों की अनुमन्यता तथा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के प्रकरण देय हैं ? यदि हां, तो राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी उपरोक्त सुविधा अनुमन्य न किये जाने का मूल कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त सुविधायें अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भांति ही राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी दिये जाने के आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

शासनादेश संख्या-5324/15-8-90/3026/90 दिनांक 13-2-91 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा विस्तारण की अवधि को पेंशन ग्रेच्युटी आदि की गणना राजकीय कर्मचारियों की भांति अनुमन्य है । शासनादेश संख्या–1127-15-1-22(2)/92 दिनांक 9-4-92 के अन्तर्गत दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर के एल० टी० ग्रेड अध्यापक स्व० ब्रज किशोर शर्मा के आश्रित को सेवा में समायोजित करने की मांग

107–श्री नेत राम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगी कि बृज किशोर शर्मा, एल० टी० ग्रेड व्यायाम शिक्षक, काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर की सेवा में रहते हुए दिनांक 31-12-89 को आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को सेवा में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जगह रिक्त थी और बाद में भरी गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में स्पष्ट शासनादेश के होते हुए भी किन कारणों से अब तक मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं की गयी ? कब तक उनके आश्रित को सेवा करने का अवसर मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में वन विभाग तथा वन श्रमिकों के बीच हुए समझौते को लागू किये जाने की मांग

108–श्री बची सिंह रावत–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-11-91 को जनपद अल्मोड़ा में जिला वन कार्यालय में वन विभाग व वन श्रमिकों के मध्य कोई लिखित समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या समझौते का

परिपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त समझौते का परिपालन कराया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

समझैते का मुख्य बिन्दु श्रमिकों को 750 रु० प्रतिमाह पारिश्रमिक देने का है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

सनातन धर्म संस्कृत कालेज, आजमगढ़ में साहित्य शिक्षक पद पर की गयी नियुक्ति को रद्द करने तथा कार्यरत अध्यापकों एवं रिक्त पदों की जानकारी

109–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म संस्कृत कालेज, आजमगढ़ में साहित्य शिक्षक का पद न रहते हुए भी उक्त पद पर नियुक्ति की गयी है और वेतन भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ? इस पद पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने कैसे अनुमोदन दे दिया ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, नियुक्ति की गयी है किन्तु वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

मामले में जांच कराई जा रही है ।

तदैव ।

110–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सनातन धर्म संस्कृत कालेज, आजमगढ़ किस वर्ष प्रथम श्रेणी में आया और किन-किन विषयों में कुल कितने पद सृजित थे ? किन-किन विषयों में कुल कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्ष 1964 में 6 पद सृजित हैं :–

प्रधानाचार्य	1
प्राध्यापक (व्याकरण)	1
शिक्षक (व्याकरण)	2
सहायक प्राध्यापक (साहित्य)	1
शिक्षक (आधुनिक)	1

साहित्य विषय में 2, व्याकरण विषय में 1 तथा आधुनिक विषय में 1 अध्यापक कार्यरत है ।

प्रधानाचार्य व व्याकरण अध्यापक के एक-एक पद ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, समेदा में ब्लैक स्मिथ के पद पर कार्यरत श्री शिवबदन की जन्म-तिथि की जांच की मांग

111–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, समेदा (चन्डेश्वर), आजमगढ़ में ब्लैक स्मिथ के पद पर दिनांक 24-2-79 को श्री शिवबदन पुत्र झूरी निवासी कटघरा, पोस्ट जमालपुर, थाना सिघारी, जिला आजमगढ़ की नियुक्ति की गयी है ? क्या श्री गंगा राय जूनियर हाई स्कूल नगर क्षेत्र, आजमगढ़ के अभिलेखों के अनुसार 1 जुलाई, सन् 1939 की जन्म तिथि श्री शिवबदन की अंकित है ? क्या यह सत्य है कि इनकी नियुक्ति में जूनियर बेसिक विद्यालय सिधारी, आजमगढ़ का सर्टीफिकेट लगाया गया है ? क्या शासन इस पर जांच करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

दिनांक 24-2-79 को इस नाम के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति ब्लैक स्मिथ के पद पर नहीं की गयी वरन् इस तिथि को शिवबदन शर्मा की नियुक्ति कारपेन्टर के पद पर की गयी है ।

इनकी जन्म-तिथि के संबंध में जांच कार्यवाही गतिशील है ।

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं से संबंधित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3. इन्दिरा नगर, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं आदि के संबंध में निदेशक, वित्त लेखा प्रशिक्षण संस्थान को सम्बोधित और मुख्य मंत्री, लोक शिकायत अनुभाग–1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित श्री विश्वनाथ प्रसाद शुक्ल का पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1991 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–श्री रामदेव आचार्य–

[7वें शुक्र में अता० प्र० सं० 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा० इन्द्रदेव सिंह, विधायक, अफजलगढ़ द्वारा वन संरक्षक, मुरादाबाद द्वारा किये गये दुर्व्यवहार संबंधी दिये गये पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

114–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध डा० इन्द्र देव सिंह, विधायक, अफजलगढ, क्षेत्र बिजनौर द्वारा श्री एस० एच० ए० रिजवी, वन संरक्षक, मुरादाबाद द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत दिनांक 13-9-91 मुख्य मंत्री को प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो वन संरक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री एस० एच० ए० रिज़वी, वन संरक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध मा० श्री इन्द्र देव सिंह के प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 12-9-91 पर जांच कराई जा रही है ।

लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग डिपो में तैनात यातायात अधीक्षक श्री ए० आर० सिद्दीकी की नीति के अनुसार क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण की मांग

115–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० प० नि० में सुपरवाइजर पद में पदोन्नति पर दूसरे क्षेत्र में तैनाती किये जाने के समय स्थानान्तरण नीति में कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग डिपो में तैनात यातायात अधीक्षक, श्री ए० आर० सिद्दीकी, जो इस पद पर प्रोन्नति से पूर्व वरिष्ठ स्टेशन इन्चार्ज व उससे पूर्व यातायात निरीक्षक के पद पर, इसी डिपो में तैनात थे, का स्थानान्तरण क्षेत्र से बाहर न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

श्री ए० आर० सिद्दीकी, यातायात अधीक्षक की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम की ही अवधि रह जाने के आधार पर इन्हें लखनऊ क्षेत्र में तैनात किया गया है, यद्यपि इनका गृह जनपद लखनऊ है जो कि परिवहन निगम की स्थानान्तरण नीति के अनुसार है ।

मो० मसूद खां, स्टेशन अधीक्षक, कानपुर का लखनऊ स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

116–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मो० मसूद खां, स्टेशन अधीक्षक का कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरण इसी नीति का उल्लंघन करके किया गया है ? यदि हां, तो इन मामलों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गढ़वाल में आदमखोर बाघ द्वारा हताहत व्यक्तियों के परिवारजनों को मुआवजा दिये जाने की मांग एवं ऐसे बाघों को मारने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी

117–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गढ़वाल में आदमखोर बाघ द्वारा अनेक लोगों को हताहत किया गया है ? ऐसे कितने लोग हैं, जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि बाघ द्वारा मारे गये मृतक परिवार को मुआवजे के रूप में मात्र 5000/- ही मिलता है, जबकि आदमखोर बाघ को मारने पर इससे कई गुना अधिक जुर्माना अथवा कैद या दोनों सजायें दी जाती हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनवरी, 1990 से मार्च, 1992 की अवधि में मारे गये 21 व्यक्तियों में से केवल सात के परिवारजनों को अनुग्रह आर्थिक सहायता का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने के कारण नहीं हुआ है ।

किसी हिंसक वन्य पशु द्वारा किसी वयस्क व्यक्ति को मारे जाने पर रु० 10,000 तथा अवयस्क व्यक्ति के मारे जाने पर रु० 5000 की अनुग्रह आर्थिक सहायता मृतक के परिवारजनों को दी जाती है । मानव के लिये घातक सिद्ध गुलदार जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11(ए) के प्राविधान के अन्तर्गत मानव भक्षी घोषित है, को अधिकृत व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा आत्म रक्षा एवं दूसरे की रक्षा में मार दिया जाना दण्डनीय नहीं है ।

118–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में विगत वर्षों में कितने लोगों को आदमघोर बाघ ने अपना शिकार बनाया ? आदमखोर बाघों को मारने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनवरी, 1990 से मार्च, 1992 तक गढ़वाल जनपद में आदमखोर गुलदार द्वारा 21 मनुष्यों को मारा गया है ।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(ए) के अन्तर्गत मनुष्य के लिये घातक गुलदार को मानवभक्षी घोषित करके इसे मारने/पकड़ने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाता है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त अवधि में गढ़वाल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 8 मानवभक्षी गुलदारों को अधिकृत शिकारियों द्वारा मारा गया ।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से वाह्य सेवा में भेजे गये कर्मचारियों के अवकाश वेतन व पेंशनरी कान्ट्रीब्यूशन को जमा कराने की जिम्मेदारी की जानकारी

119–श्री श्याम लाल रावत–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से वाह्य सेवा में भेजे गये कर्मचारियों के अवकाश वेतन व पेंशनरी कन्ट्रीब्यूशन जमा कराने की जिम्मेदारी, सक्षम अधिकारी की हैं अथवा कर्मचारी की ? यदि अंशदान सेवायोजक द्वारा जमा नहीं कराया जाता है, तो क्या इससे कर्मचारी की पेन्शन में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वाह्य सेवा में भेजे गये कर्मचारियों के अवकाश वेतन व पेंशनरी अंशदान जमा कराने की जिम्मेदारी, यथास्थिति, वाह्य सेवायोजक अथवा सरकारी कर्मचारी की है । अवकाश वेतन व पेंशनरी अंशदान की वसूली व लेखे के रखरखाव के लिये नाम-निर्दिष्ट विभागीय अधिकारी उत्तरदायी है ।

यदि सेवायोजक द्वारा अंशदान जमा नहीं कराया गया हो तो सरकारी कर्मचारी के पेंशन प्रपत्र तैयार करने और निर्धारित समय सीमा के अनुसार स्वीकर्ता अधिकारी को भेजने तथा निस्तारण में व्यवधान नहीं पड़ेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल लालकुआं, जिला नैनीताल के कर्मचारियों के स्थाई आदेशों के प्रमाणीकरण हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

120–श्री बंशीधर भगत–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुआं, जिला नैनीताल के कर्मचारियों के स्थाई आदेशों (सेवा शर्तों) के प्रमाणीकरण के पूर्व कर्मचारी प्रतिनिधियों का चुनाव नियमानुसार हुआ ? यदि नहीं हुआ तो गलत प्रमाणीकरण के लिये स्थाई आदेश प्रमाणीकरण अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुआं, जिला नैनीताल में स्थाई आदेश (सेवा शर्तों) के प्रमाणीकरण के समय इस कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं थी । इसलिये उप श्रमायुक्त, बरेली जो इस मिल के उक्त मामले में कार्यवाही के लिये अधिकृत थे, ने उक्त कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव कराकर, उन्हें कथित स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण से पूर्व सुन कर अपने आदेश दिनांक 6-2-85 द्वारा इन्हें प्रमाणित किया । इस प्रतिष्ठान में श्रमिकों के संघ जिसका नाम सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर वर्क्स यूनियन, लालकुआं, नैनीताल है, का गठन बाद में हुआ तथा इस संघ ने उपरोक्त प्रमाणीकरण के मामले को मा० उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है ।

गोरखपुर के सेक्टर नं०–2 में कार्यरत आबकारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार राय की शारीरिक ऊंचाई की जांच की मांग

121–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री अकबर हुसैन–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि आबकारी निरीक्षक की निर्धारित ऊंचाई 5 फिट 6 इंच है ? यदि हां, तो 5 फिट 6 इंच की ऊंचाई न होते हुए भी आबकारी निरीक्षक विभाग में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या यह सत्य है कि गोरखपुर के सेक्टर नं० 2 में कार्यरत आबकारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार राय की ऊंचाई मात्र 5 फिट 4 इंच है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके नियुक्त प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

नियमानुसार सीधी भर्ती द्वारा आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 167 सेंटीमीटर और पदोन्नति द्वारा भर्ती या कुमायूं मण्डल, देहरादून, चमोली, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिये । महिला अभ्यर्थियों की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पर्वतीय क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों के लिये 147 सेंटीमीटर तथा अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिये 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई निर्धारित है । नियमानुसार अपेक्षित ऊंचाई से कम ऊंचाई के किसी आबकारी निरीक्षक के विभाग में कार्यरत होने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी श्री अवधेश कुमार राय की ऊंचाई

का पुनः सत्यापन किया जा रहा है । यदि सत्यापनोपरान्त उनकी ऊंचाई कम पाई जाती है तो इस संबंध में यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० निर्माण निगम लिमिटेड में उप अभियन्ताओं के वेतनमान से संबंधित लम्बित प्रकरण को शीघ्र निस्तारण कराने की मांग

122–श्री छोटे लाल मिश्र–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें माह सितम्बर, अक्टूबर, 1991 में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत उप अभियन्ताओं को वेतनमान रुपया 2000-3200 प्रदान किये जाने के संबंध में वर्तमान सरकार के कई कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों के पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो यह पत्र किस-किस तिथि को प्राप्त हुए थे ? उन पर अब तक क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी लम्बे समय से लम्बित उपरोक्त प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

निम्नलिखित कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों के पत्र उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को माननीय वित्त मंत्री जी को प्राप्त हुये थे–

1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, मंत्री, राजस्व विभाग ।	19-9-91
2–श्री रमापति शास्त्री, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा महिला कल्याण ।	30-9-91
3–श्री हनुमन्त सिंह, मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ० प्र० ।	30-9-91
4–श्री सत्य प्रकाश विकल, मंत्री, परिवहन, आबकारी एवं राष्ट्रीय एकीकरण ।	8-10-91
5–श्रीमती प्रेमलता कटियार, मंत्री, नगर विकास ।	8-10-91
6–श्री बालेश्वर त्यागी, राज्य मंत्री, राजस्व विभाग ।	30-9-91
7–श्री धनराज यादव, राज्य मंत्री, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण ।	3-10-91

8–श्री शिव प्रसाद शुक्ला, 6-10-91
राज्य मंत्री, शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
9–श्रीमती शारदा चौहान, 6-10-91
राज्य मंत्री, नियोजन विभाग ।
10–श्री एजाज रिजवी, 14-10-91
मंत्री, खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ ।

सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों में हुई विसंगतियों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । प्रश्नगत प्रकरण पर भी उक्त समिति यथा शीघ्र विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

वर्ष 1991 से अब तक जनपद मैनपुरी के सब रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्रियों की संख्या की जानकारी

123–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के सब रजिस्ट्री कार्यालयों में वर्ष 1991 से अब तक कितने दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई और कितने दस्तावेज रजिस्ट्रेशन शुल्क की कमी के कारण जिला निबन्धक कार्यालय, मैनपुरी में भेजे गये ? क्या यह सच है कि उप निबन्धक कार्यालयों में वर्ष 91 सें अब तक हजारों दस्तावेजों की न तो रजिस्ट्री ही की गयी और न ही जिला निबन्धक के यहां भेजे गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि पक्षकारों को परेशान करने के उद्देश्य से जानबूझकर दस्तावेजों को वापिस नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जनवरी, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक 18,216 दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई और 225 दस्तावेज रजिस्ट्रेशन स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण जिला निबन्धक कार्यालय, मैनपुरी को भेजे गये ।

जी नहीं । केवल दो दस्तावेज जांच के कारण लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश में उप निबन्धक कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की मांग

124–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में उप निबंधक कार्यालयों (रजिस्ट्रेशन) में चतुर्थ श्रेणी के कितने स्थान रिक्त हैं और वर्ष 92 में कितने नये पद सृजित किये गये हैं ? क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति तृतीय श्रेणी के लिये कर दी गयी है ? क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अब भरती करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नगत वर्ष में चतुर्थ श्रेणी के कोई पद सृजित नहीं किये गये ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति अभी तृतीय श्रेणी में नहीं की गयी है ।

रिक्त पाये जाने वाले पदों पर मितव्ययिता के आधार पर 5 प्रतिशत पदों को छोड़कर शेष पदों पर यथा समय भर्ती विधिवत् की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के अधीन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत मानचित्रकारों को संशोधित वेतनमान दिये जाने की मांग

125–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० अर्ध० शा० प० सं० वे० आ० 1-208(1)/दस-10/एम/89-टी० सी०-1, दिनांक 24-1-91 द्वारा वेतनमान 470-735 जिसे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर 1200-2040 पुनरीक्षित किया गया था जिसे अब समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1350-2200 अनुमन्य किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम्य विकास विभाग के अधीन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मानचित्रकारों को भी यह वेतनमान अनुमन्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें कब तक संशोधित वेतनमान अनुमन्य कर दिया जायगा ? जबकि उक्त वेतनमान (1350-2200) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राजस्व परिषद् एवं उत्तरांचल विकास विभाग के कर्मचारियों को दिया जा चुका है ? क्या मंत्री जी उक्त से संबंधित पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ऐसे पद जिन्हें दिनांक 1-1-86 के पूर्व रु० 470-735 का वेतनमान दिया गया था और जिन्हें समता समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार रु० 1200-2040 का वेतनमान अनुमन्य किया गया, के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 1-1-86 से जो पूर्व पद रु० 470-735 के वेतनमान में विद्यमान थे और जिन्हें केवल रु० 1200-2040 का ही वेतनमान स्वीकृत किया गया है, को रु० 1350-2200 का वेतनमान दिया जाय ।

चूंकि मानचित्रकारों के बारे में मुख्य सचिव समिति की विशिष्ट संस्तुतियां हैं, अतः उक्त निर्णय मानचित्रकार संवर्ग पर लागू नहीं है ।

मानचित्रकार संवर्ग में यह वेतनमान लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है । परन्तु मुख्य सचिव समिति की विशिष्ट संस्तुतियों से आच्छादित संवर्गों को छोड़कर शेष सभी संवर्गों पर उक्त निर्णय लागू है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के मानचित्रकारों को रु० 1200-2040 का साधारण वेतनमान तथा 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पर रु० 1400-2300 का वेतनमान देय है ।

सामाजिक वानिकी जौनपुर-सुल्तानपुर द्वारा खंतियों व खाइयों के निर्माण में अनियमितता बरतने की जांच की मांग

126–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी, जौनपुर-सुल्तानपुर ने पुरानी खंतियों की मिट्टी डालकर, वाराणसी-फैजाबाद रेलवे लाइन व जौनपुर-सुल्तानपुर रेलवे लाइन पर उन्हें बना रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य की जांच सन् 85 से लेकर अब तक की करायेगी ? कितनी बार उक्त खंतियों व खाइयों को बना कर पैसा भुगतानार्थ लिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुहम्मद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीमाबाद इन्दारा, जनपद मऊ को निःशुल्क शिक्षण से उत्पन्न अप्रैल, 85 से मार्च 91 तक की क्षतिपूर्ति की मांग

127–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्मद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करीमाबाद इन्दारा, जनपद मऊ को निःशुल्क शिक्षण से उत्पन्न अप्रैल वर्ष 1985 से मार्च, 1991 तक की क्षतिपूर्ति दिये जाने से संबंधित कागजात संबंधित विभाग में जमा कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या क्षतिपूर्ति की धनराशि उक्त विद्यालय को अब तक दे दी गयी है ? यदि दे दी गयी है, तो कब ? यदि नहीं दी गयी है, तो कब तक दे दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० वन विभाग में नान कैडर अधिकारियों को हटा कर कैडर पदों पर कैडर अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग

128–श्री नवाब सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन विभाग में भारतीय वन सेवा के कितने कैडर हैं ? कितने कैडर पदों पर कैडर अफसरों के उपलब्ध होते हुए भी नान कैडर अफसर वहां पर कार्यरत हैं ? यदि नान कैडर अधिकारी, कैडर पदों पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार ने नियमानुसार इसकी केन्द्र सरकार से तथा संघ लोक सेवा आयोग से उनकी अनुमति ली है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नान कैडर अधिकारियों को, कैडर पदों से हटा कर वर्तमान में उपलब्ध कैडर अधिकारियों को, कैडर पदों पर तैनात करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

भारतीय वन सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) में 289 संवर्गीय पद हैं । वर्तमान में 28 संवर्गीय पदों पर असंवर्गीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं ।

जी नहीं । भारतीय वन सेवा के संवर्गीय अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण शासकीय हित में असंवर्गीय अधिकारियों को वर्ष 1978 से ही कैडर पदों पर तैनात किया जाता रहा है जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

वर्तमान में भारतीय वन सेवा संवर्ग में प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत 31 पद रिक्त चल रहे हैं जिन पर वर्ष 1984 से प्रोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है । उक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु राज्य वन सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची निर्गत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही नियमित चयन की कार्यवाही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायेगी । जहां तक भारतीय वन सेवा संवर्ग के समस्त कैडर पदों पर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तैनाती का प्रश्न है आगामी स्थानान्तरण सत्र में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर के प्रधानाचार्य को बार-बार निलम्बित करने के दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

129–श्री सुखदेव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर के शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा चयनित प्रधानाचार्य को गत माह मई, सन् 1991 में बार-बार प्रबन्धक द्वारा निलम्बित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन/विभाग के निर्देश पर उक्त कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा बार-बार की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130–श्री किशन गोपाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

131–श्री प्यारे लाल शंखवार, श्री नरेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद) तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बांदा-बबेरू मार्ग का राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग

132–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले के बांदा-बबेरू मार्ग तथा उससे सम्बद्ध मार्गों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ? जब तक बांदा बबेरू मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पा रहा है, तब तक क्या परिवहन निगम की बसों को चलाने के लिए परमिट जारी किये जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम की सीमित संसाधनों एवं बस बेड़े की स्थिति को देखते हुये प्रश्नगत बस सेवा चलाना सम्भव नहीं है ।

स्व० बाबू गुलाब राय की स्मृति को जिन्दा रखने के लिए उनकी जन्म-स्थली पर सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना की जानकारी

133–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हिन्दी के विख्यात विद्वान स्व० बाबू गुलाब राय की जन्म-स्थली जलेसर (एटा) में है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनकी स्मृति को जिन्दा रखने के लिए जन्म-स्थली पर कोई योजना अभी तक नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या स्व० बाबू जी की स्मृति में

जन्म-स्थली पर कोई सरकारी योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक न बनाये जाने का कारण क्या है ? कब तक यह बनायी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी में पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित विकास खण्डों के सम्बन्ध में जानकारी

134–श्री लाखी राम जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी जनपद में कुल कितने विकास खण्डों का पुनर्गठन का प्रस्ताव है ? उनमें से कितने विकास खंड वहां कब तक खुलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान 10 विकास खण्डों का पुनर्गठन कर 12 विकास खण्ड करने का प्रस्ताव है ।

2 नये विकास खण्ड सृजन करने का प्रस्ताव है, परन्तु प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नये विकास खण्डों का सृजन फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० राम अवध मिश्रा, पूर्व सुपरवाइजर, आनन्द शुगर मिल, खलीलाबाद, जनपद बस्ती के आश्रित को सेवा में लिया जाना

135–श्री दलवीर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम अवध मिश्रा, सुपरवाइजर, मीठा विभाग, आनन्द शुगर मिल, खलीलाबाद, जिला बस्ती की मृत्यु दिनांक 5 नवम्बर, 1987 को हुई ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा, ग्राम उमरी (डिहुलिया), पोस्ट उमरी, जिला बस्ती को अभी तक सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं ।

नियुक्ति से संबंधित विवाद श्रम न्यायालय, गोरखपुर में लम्बित है ।

136–श्री प्रमोद तिवारी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर नई प्राइवेट बसों को परमिट न दिए जाने के कारणों की जानकारी

137–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग को लखनऊ से टिकैतगंज तक राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है ? क्या उस पर प्राइवेट नयी बसों को परमिट नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी हां । राष्ट्रीयकरण की योजना में प्राविधान न होने के कारण निजी नई बसों को परमिट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जन व विभाग विरोधी गतिविधियों के सम्बन्ध में सहायक वन संरक्षक, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, डा० बृजभान यादव तथा श्री दुलारे लाल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक वन संरक्षक, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक–स०द०स०/10 मेस दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 द्वारा प्रेषित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जन व विभाग विरोधी गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सहायक वन संरक्षक, पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग के प्रश्नगत पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 पर मुख्य वन संरक्षक (पूर्वी), इलाहाबाद से जांच कराई जा रही है ।

श्री हनुमत रामेश्वर दयाल इण्टर कालेज, बिसवां, सीतापुर के छात्र श्री मदन कुमार सिंह का परीक्षाफल रोके जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

139–श्री अनिल कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मदन कुमार सिंह, छात्र, श्री हनुमत रामेश्वर दयाल इण्टर कालेज, बिसवां, सीतापुर अनुक्रमांक 219614 वर्ष 1991 का इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-92 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि परीक्षार्थी उत्तीर्ण था तो क्या परीक्षाफल रोकने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० विधायक जी का पत्र दिनांक 4-2-92 प्राप्त नहीं हुआ है । प्रत्युत प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-91 परिषद् कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

मा० विधायक जी का पत्र दिनांक 27-11-91 प्राप्त होने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी श्री मदन कुमार सिंह की इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1991 अनुक्रमांक 219614 का परीक्षाफल दिनांक 22-4-92 को घोषित कर सम्बन्धित प्रधानाचार्य को अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

परीक्षार्थी का वर्ष 1990 का परीक्षाफल जिसमें वह अनुत्तीर्ण था, त्रुटिपूर्ण ढंग से डब्लू "ए" में रुक जाने के कारण परीक्षार्थी का 1991 का परीक्षाफल भी स्वतः डब्लू "एल" में रुका, जो 22-4-92 को घोषित कर दिया गया है तथा प्रकरण में इस विलम्ब के लिये सम्बन्धित सहायक को चेतावनी दी गयी है ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी में एकीकृत ग्राम विकास योजना में वर्ष 1989-90 में तुलसी ग्रामीण बैंक शाखा भारतपुर द्वारा वितरित अनुदान राशि का समायोजन

140–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम विकास योजना में वर्ष 1989-90 में तुलसी ग्रामीण बैंक शाखा भारतपुर द्वारा ऋण वितरण किया गया है ? क्या यह सत्य है कि लाभार्थियों को दी गयी अनुदान राशि का समायोजन नहीं किया गया है ? यदि

हां, तो कितने लाभार्थियों का और क्यों ? क्या ऋण वितरण का भौतिक सत्यापन ए० पी० डी०, बांदा द्वारा किया जा चुका है ? यदि हां, तो अनुदान के समायोजन में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या उक्त लाभार्थियों के अनुदान राशि का समायोजन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जनपद बांदा में तुलसी ग्रामीण बैंक की भारतपुर नाम की कोई शाखा नहीं हैं ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा में कर्मचारियों के रहने हेतु बने आवासों के जीर्ण -शीर्ण होने की सूचना

141–श्री घुरहू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा में कर्मचारियों के रहने हेतु जो आवास बने थे वह जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं ? क्या सरकार उन आवासों को पुनः बनवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की ग्राम सभा पुरावली के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ होने से अब तक आवंटित धन एवं कराए गए कार्यों के विवरण की जानकारी

142–श्री योगेश चन्द्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पुरावली, तह० बीकापुर, जिला फैजाबाद को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ होने से अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है और उक्त धनराशि से ग्राम प्रधान द्वारा अब तक क्या-क्या विकास कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

143–श्री चन्द्रभान मौर्य–

[विस्तीर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति

144–श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधिशासी अभियन्ता का पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने दिनों से रिक्त है और क्यों ? इस रिक्त पद पर कब नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता का पद 1-8-91 से रिक्त है । विभाग में अधिशासी अभिन्यता के 5 पद रिक्त हैं जिसके कारण बांदा जनपद में अधिशासी अभियन्ता की तैनाती नहीं की जा सकी है ।

अधिकारियों की प्रोन्नति होने पर पद भरा जा सकेगा ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार 23 सहायक वन संरक्षकों की निरन्तरता बनाये रखने से संबंधित नामों की सूची को सदन के पटल पर रखने की मांग

145–श्री सुखबीर सिंह गहलौत तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुलाब लाल श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार, सिविल रिट याचिका संख्या-762/85 के संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये आदेश के संबंध में वन अनुभाग-1 द्वारा जारी पत्र संख्या–4972/14-1-85-61(12)/85, दिनांक 24 जुलाई, 1985 का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि हां, तो सहायक वन संरक्षक के 23 पदों पर जिनकी सेवा की निरन्तरता बनायी रखी गयी है, के नामों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में वर्ष 1990-91 में दस लाख कूप सिंचाई योजना हेतु आवंटित धन का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दुरुपयोग

146–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में वर्ष 1990-1991 में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पुराने तालाब एवं नाले की नई खुदाई दिखा कर सम्पूर्ण धन निकाल लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियाव में वर्ष 1990-91 में दस लाख कूप योजना हेतु आवंटित धन का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कथित दुरुपयोग

147–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड खुनियाव, जिला सिद्धार्थनगर के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 1990-91 में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत पुराने तालाब को नया तालाब की खुदाई दिखा कर सम्पूर्ण धन निकाल लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता, श्री बी० बी० सिंह को जांच आख्या के आधार पर उनके विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की जानकारी

148–श्री पवन कुमार पांडेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता, श्री बी० बी० सिंह जो कार्यवाहक अधीक्षण अभियन्ता भी हैं, के द्वारा फर्जी निर्माण व आपूर्ति कार्यों के नाम से पचासों लाख रुपया हड़पने जैसे गम्भीर राजस्व क्षति विषयक-शिकायतों की जांच, प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा माह जनवरी, 1992 में फैजाबाद जाकर की गयी है ? क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के साक्ष्य लेने व भौतिक सत्यापन करके अभिलेखीय निरीक्षण आदि कर लेने के उपरान्त अपनी आख्या उनके द्वारा शासन को दे दी गयी है ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच आख्या शासन को कब दी गयी ? इस आख्या का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? शासन द्वारा आख्या के बिन्दुवार दोषी लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जांच मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा की गयी है ।

शिकायतकर्ताओं के बयान नहीं लिये गये, स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गयी ।

जांच आख्या 30 जनवरी, 1992 को प्रेषित की गयी ।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है अतः उसके तथ्यों का विवरण देना समीचीन नहीं है ।

जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा पतेउरा के ग्राम प्रधान की जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार की जांच को लम्बित न कर उचित कार्यवाही की मांग

149–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के विकास खण्ड भरखानी की ग्राम सभा पतेउरा के प्रधान द्वारा जरोयो में भ्रष्टाचार की जांच, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी व पंचायत राज अधिकारी द्वारा मौके पर किये जाने पर उसमें अनियमितता पाये जाने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ? यह जांच किन परिस्थितियों में लम्बित है ? क्या जांच में फर्जी बाउचर भी पाये गये थे ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बावन के खण्ड विकास अधिकारी, श्री केशवराम वर्मा के विरुद्ध जांच कराये जाने की मांग

150–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० मिनि० फेडरेशन कर्मचारी एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा विकास खण्ड बावन, हरदोई के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री केशवराम वर्मा द्वारा कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में जिला प्रशासन व शासन को भेजे गये पत्रों की जांच अब तक क्यों लम्बित है ? क्या शिकायत अगस्त, 89 में की गयी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखानी में रेगुलर खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति की मांग

151–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के सबसे दूरस्थ विकास खण्ड भरखानी में दिसम्बर, 90 से कोई रेगुलर खण्ड विकास अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया गया है ? क्या वहीं के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में दो खण्ड विकास अधिकारियों को प्रशासन द्वारा सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखानी पर दिसम्बर, 1990 से नियमित खण्ड विकास अधिकारी इसलिये नियुक्त नहीं किया जा सका है क्योंकि विभाग में नियमित अधिकारियों का पर्याप्त अभाव है और हरदोई जनपद में इस अवधि में खण्ड विकास अधिकारियों की स्वीकृत संख्या से कम अधिकारी तैनात रहे हैं ।

जी हां ।

ये दोनों अधिकारी अभिकरण में अपर/सहायक परियोजना निदेशक (अनुश्रवण) के दो स्वीकृत पदों के विपरीत सम्बद्ध किये गये हैं ।

सहायक आबकारी आयुक्त, अलीगढ़, श्री रघुबीर सिंह के विरुद्ध संगीन आरोपों से संबंधित शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

152–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई से प्रकाशित ब्लिट्ज साप्ताहिक के अलीगढ़ स्थित संवाददाता श्री शैलेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने सहायक आबकारी आयुक्त, अलीगढ़, श्री रघुबीर सिंह के विरुद्ध संगीन आरोप लगाते हुए एक पत्र दि० 18 सितम्बर, 91 को आबकारी आयुक्त उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । श्री शैलेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ के शिकायती पत्र दिनांक 18-9-91 में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई जिसमें शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचौर के खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त अन्य दोषी व्यक्तियों को भी दण्डित किया जाना

153–श्री सुरेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामलों में केवल जनपद गाजीपुर विकास खण्ड बाराचौर के विकास खण्ड अधिकारी को ही निलम्बित किये जाने का औचित्य है ? क्या कटरिया ग्राम के ग्राम पंचायत अधिकारी तथा बांकी खुर्द (असावर) ग्राम के ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य दोषी कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जा रही है ? प्रश्नगत मामले

में कितने धन की गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, इसके वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मामले की प्रारम्भिक जांच आख्या और जिलाधिकारी, गाजीपुर की आख्या पर भलीभांति विचारोपरान्त बाराचौर विकास खण्ड के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी को ही इस विभाग द्वारा निलम्बित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया ।

ग्राम सभा कटरिया के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध निलम्बन सहित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी-जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर को जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 6-3-92 को ही प्रस्ताव भेज दिया गया । ग्राम सभा असावर के बारे में कार्यवाही करने व जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी को दे दिये गये हैं ?

प्रश्नगत मामले में लगभग रुपये 72,924.00 की वित्तीय क्षति शासन को पहुंचाये जाने का मामला प्रथम दृष्ट्या प्रकाश में आया है जिसके बारे में विधिवत् अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कर दी गयी है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर प्रोन्नति देने की मांग

154–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कार्यरत अवर अभियंता (सिविल), जो कि विभाग में सेवा करते हुए डिग्री कोर्स उत्तीर्ण कर चुके हैं और प्रोन्नति हेतु अन्य अर्हतायें भी पूर्ण करते हैं, उनकी प्रोन्नति न किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या ग्राम्य विकास अनु०-4 के कार्यालय ज्ञाप सं०-8128/38-4-904(322)/82, लखनऊ दि० 1 दिसम्बर,1983 तथा शासनादेश सं०-817/(1)/38-9-904 (125)/78 ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ दि० 7 नवम्बर, 1987 द्वारा प्रोन्नति की प्रणाली व कोटा निर्धारित है ? इस प्रक्रिया के अनुरूप उक्त श्रेणी के अर्हता प्राप्त अवर अभियंताओं की सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति कब तक कर दी जावेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

कार्मिक विभाग के आदेश संख्या-13/9/90-का०-1/1990 दिनांक–18-7-90 एवं सं० 13/27/90–का०–1990, दिनांक–26-9-90 द्वारा कार्यकारी आदेशों के तहत चयन पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए सेवा नियमावली बनाया जाना अपरिहार्य कर दिया गया है ।

जी हां ।

सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के पश्चात् पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद के चायल विकास खण्ड के किसी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने की जानकारी

155–श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि 10 मई, 1990 से 31 अगस्त, 91 की अवधि के मध्य जनपद इलाहाबाद के चायल विकास खण्ड के किसी ग्राम विकास अधिकारी ने उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना से दुखी होकर अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो किस ग्राम विकास अधिकरी ने त्याग-पत्र दिया और प्रताड़ना का रूप क्या था ? यदि प्रताड़ना के कारण त्याग-पत्र नहीं दिया है, तो त्याग-पत्र का कारण क्या है ? यदि प्रताड़ना के आधार पर त्याग-पत्र दिया गया है तो दोषी अधिकारी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जनपद इलाहाबाद के चायल विकास खण्ड के किसी भी ग्राम विकास अधिकारी ने त्याग-पत्र नहीं दिया है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रेहरा व वभनजोत में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग

156–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 3-4-91 विकास खण्ड रेहरा व विकास खण्ड वभनजोत, गोण्डा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक 3-4-91 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

157–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

[दि० 20-4-92 को अता० प्र० सं० 163 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ एवं मऊ में माली एवं वाचर पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को नियमित किये जाने की मांग

158–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़/जनपद मऊ में दैनिक वेतन भत्ते पर माली के पद एवं वाचर के पद पर 1980 से सन् 1991 तक जिनकी सेवायें लगातार हैं उनकी संख्या कितनी है ? उन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० वन निगम द्वारा कृषि यन्त्र उद्योगों के कच्चे माल में हुई मूल्य वृद्धि से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

159–श्री अखिलेश–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन निगम द्वारा कृषि यंत्र उद्योगों के कच्चा माल (वाकली प्रकोष्ठ) के मूल्यों में वर्ष 87-88 की तुलना में लगभग तीन गुना वृद्धि करने के संबंध में श्री दिवातन कुमार के 9 जनवरी, 1991 के प्रार्थना पत्र के साथ भूतपूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का तत्कालीन वन मंत्री को सम्बोधित पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

समुचित विचारोपरान्त उ० प्रं० वन निगम द्वारा बाकली प्रकोष्ठ के निर्धारित मूल्यों में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में आर० ई० एस० विभाग द्वारा तेजगढ़ एवं सोनारी ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण में अनियमितता बरतने से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

160–श्री श्याम नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, तेजगढ़ एवं सोनारी, विकास खण्ड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में आर० ई० एस० विभाग द्वारा भवन निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गयी हैं ? क्या अधूरा रहने के बावजूद कार्यपूर्ति विभाग द्वारा भेजी गयी है ? इस संबंध में जनपद के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, श्री द्वारिका प्रसाद यादव ने दिनांक 8-11-91 को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही उस रिपोर्ट पर हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय प्रतिष्ठान (गण्डक समादेश) के प्रतिनियुक्ति पर आये कतिपय कर्मचारियों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज में समायोजित किये जाने की जानकारी

161–श्री श्याम नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रतिष्ठान (गण्डक समादेश) के कतिपय कर्मचारियों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज में समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किया गया है, तो इनके धारणाधिकार/सेवा शर्तों/पदोन्नति आदि के विषय में क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

समायोजन संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 26 अप्रैल, 91 में इनकी सेवा शर्तों इत्यादि के विषय में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । (शासनादेश की प्रति संलग्न है)

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 252–254 पर)

162–श्री श्याम नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम्य विकास अभिकरण में राजकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं ? यदि हां, तो क्या कार्मिक 5 वर्ष के उपरान्त मूल विभाग में वापस होते हैं ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारियों के धारणाधिकार प्राप्त कर लेने को किस विभाग में प्रत्यावर्तित किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि इनका मूल विभाग गण्डक समादेश अब समाप्त हो गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी सामान्यतः पांच वर्ष बाद मूल विभाग में वापस होते हैं तथा उनका धारणाधिकार भी मूल विभाग में रहता है, परन्तु गण्डक समादेश के समाप्त होने के बाद इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर न लेकर अंतिम रूप से समायोजित किया गया है अतः प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा शासन को एतद् विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री श्याम नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संबंध में जिलाधिकारी, महराजगंज ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक-1766 दिनांक 20-12-91 को विशेष सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उक्त के क्रय में क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद मिर्जापुर में दस लाख कूप निर्माण योजना में कूपों का निर्माण अनुसूचित जाति के खेतों में कराया जाना

164–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम पड़रिया खुर्द, वि० का० मडिहान, जनपद मिर्जापुर में दस लाख कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत बना कूप अ० जा० के खेत में न होकर एक सवर्ण के खेत में बना है ? यदि हां, तो शासन ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

कूप श्री महानन्द पुत्र शंकर निवासी पड़रिया खुर्द, जो अनुसूचित जाति के हैं, की जमीन में अभी निर्मित नहीं बल्कि निर्माणाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम फ्वोखरा कलां में वर्ष 80-81 में शासन द्वारा बनवाये गये कूप की जानकारी

165–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम फ्वोखरा कलां (सागर सेमर), वि० खं० पहाड़ी, जनपद मिर्जापुर में सन् 80-81 में शासन द्वारा कोई कूप निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त स्थल पर कूप के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है एवं कूप आज तक नहीं बना ? यदि हां, तो शासन ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा विश्वविद्यालय, आगरा तथा शिक्षा विभाग आगरा में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

166–श्री किशन गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक 31 मार्च, 92 से पूर्व शिक्षा विभाग आगरा में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कराने व निकाले गये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? क्या आगरा विश्वविद्यालय से निकाले गये अनुसूचित जाति के लोगों को पुनः सेवा में लेकर अनुसूचित जाति का कोटा वहां पूरा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय उच्च न्यायालय ने इन 46 कर्मचारियों में से कुछ अन्य लोगों के मुकदमों में आदेश दिये हैं कि कोई भी नयी नियुक्ति न की जाय जब तक इन मुकदमों का निर्णय न हो जाय ।

विश्वविद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों में जिनका कार्यकाल केवल निर्धारित समय 30 सितम्बर, 1991 तक था, की उक्त अवधि के पश्चात् सेवायें स्वतः समाप्त हो गयी थी । इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पद उपलब्ध होने पर पुनः सेवा में लिया जायेगा तथा कोटा पूरा करने का प्रयास होगा ।

राजकीय इण्टर कालेज बलिया वर्ष 1990 में अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक श्री दिनेश्वर सिंह के समस्त बकाया का भुगतान

167–श्री मारकण्डेय –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश्वर सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, बलिया द्वारा दिनांक 30 जून, 1990 को ही अवकाश प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन्हें आज तक न पेंशन मिली और न भविष्य निधि का पैसा ही मिला ? यदि हां, तो क्यों तथा पेंशन व भविष्य निधि का पैसा उन्हें कब तक मिलेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

भविष्य निधि निर्वाह निधि आवेदन पत्र प्राप्त न होने तथा वेतन निर्धारण गलत होने के कारण लम्बित है । उपरोक्त कमियों की पूर्ति होने के उपरान्त ।

बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ के खण्ड-10 में स्थित फर्म नारायण भण्डार में पंजीयन प्रार्थना पत्र में हेरा फेरी के दोषी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

168–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-10 में स्थित फर्म नारायण भण्डार के पंजीयन प्रार्थना पत्र में हेराफेरी व कटिंग व 58598.00 रुपया राजस्व की हानि के लिए एक कनिष्ठ लिपिक को ता० 1-9-86 को सेवा से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि नोटिस संख्या 617 व 868 को तैयार करने वाले कर्मचारी व इन नोटिसों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी है ? उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जाएगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी एवं जांचोपरान्त श्री राम शरण जैसवाल, व्यापारी तथा श्री प्रमोद कुमार वर्मा, तत्कालीन लिपिक खण्ड-10 बिक्रीकर कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

जांच में किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी को दोषी न पाये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक आबकारी आयुक्त श्री रघुवीर सिंह द्वारा किए गए राजस्व घपले की जांच कराए जाने की मांग

169—श्रीमती ज्ञानवती सिंह—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक ब्लिट्ज के अलीगढ़ संवाददाता श्री शैलेन्द्र कुलश्रेष्ठ ने प्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त, श्री रघुवीर सिंह के विरुद्ध 1 करोड़ रु० का राजस्व के घपले का प्रकाशन किया था तथा 30 अगस्त, 13 दिसम्बर, 1991 1 जनवरी, 92 को पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया था कि उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच करायें ? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या जांच कराई ? क्या जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही के विरुद्ध निर्देश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

जी हां ! श्री शैलेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, संवाददाता, साप्ताहिक ब्लिट्ज द्वारा उक्त साप्ताहिक में प्रकाशित कराये गये समाचार एवं उनके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 30-8-91, 13-12-91 तथा 1-1-92 प्राप्त हुए थे, जिसमें की गयी शिकायतों की जांच कराई गई । उक्त जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई । अतः श्री रघुवीर सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ द्वारा वर्ष 89 में चयनित परिचालकों की नियुक्ति की मांग

170—श्रीमती ज्ञानवती सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र द्वारा 12 मार्च, 89 को परिचालकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा ली गयी थी, जिसमें कुल 538 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद चयन हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनमें से 295 की नियुक्ति कर दी गई है ? क्या मई, 89 में शेष 243 में से 100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या शेष 143 अभ्यर्थियों की सूची अभी तक नियुक्ति के रूप में जारी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इनकी नियुक्ति के आदेश कर दिये जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र द्वारा दिनांक 12 मार्च, 89 को परिचालकों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु 1054 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गयी । जिसमें कुल 572 अभ्यर्थी सफल हुये तथा साक्षात्कार में कुल 537 अभ्यर्थी उपस्थित हुये जिसमें कुल 295 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया ।

जी हां, उक्त सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

शेष 242 अभ्यर्थियों में से, जिनका साक्षात्कार के फलस्वरूप मूल्यांकन किया जा चुका था, पारस्परिक मेरिट के आधार पर 100 नाम बरेली क्षेत्र में मई 1989 में नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये थे ।

जी हां,

इनकी नियुक्ति विचाराधीन नहीं है ।

श्री जगमोहन कुमार पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य को शासन की स्वीकृति के विपरीत उच्च स्तर वेतनमान में संविलीन करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

171—श्री हरिवंश सहाय—

क्या पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगमोहन कुमार पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य को उ० प्र० मत्स्य विकास निगम में जिस पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया व जिस पद पर

संविलीन किया गया था उसका वेतनमान क्या था ? संविलियन किस तिथि से किया गया था ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा जिस पद पर संविलियन की स्वीकृति दी गयी उससे उच्चतर वेतनमान दिया गया तथा यह वेतनमान का पद उनके संविलियन की तिथि के बाद सृजित हुआ ? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन दोषी है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

श्री जगमोहन कुमार, सहायक निदेशक, मत्स्य को अधिशासी प्रबन्धक (बीज उत्पादन) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था और उसी पद पर दिनांक 16-5-83 से उनका संविलियन किया गया। उस पद का वेतनमान रु० 900-1770 था।

जी हां। तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा श्री कुमार को संविलियन के उपरान्त रु० 1350–2100 का उच्चतर वेतनमान दिया गया।

जी हां।

इसकी जांच कराकर यथावश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद हरदोई में 1-1-87 से 31-12-91 तक रजिस्टर्ड बैनामों की संख्या की जानकारी एवं कम स्टाम्प लगाकर रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

172–श्री खालिद गौरी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में 1-1-87 से 31-12-91 तक कुल कितने बैनामें रजिस्टर कराये गये ? उपरोक्त अवधि में हरदोई में स्टाम्प कमी के कुल कितने नोटिस दिये गये तथा कितना धन जुर्माने में वसूला गया ? स्टाम्प कम लगाकर रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला) सुल्तानपुर के अकारण वेतन रोके जाने से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

173–श्री विश्वनाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को सम्बोधित माननीय खाद्य राज्य मंत्री द्वारा भेजा गया पत्र संख्या-185 बी० आई० पी०/एस० एम० एफ० 91, दिनांक 23-10-91 जो ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला) सुल्तानपुर के अगस्त 1990 से अप्रैल, 1991 के वेतन को अकारण रोके जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? बकाये वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या उचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) सुल्तानपुर द्वारा की गयी और यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत अवधि के अवकाश के लिये संबंधित कर्मचारी द्वारा नियमानुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं देने तथा उपस्थिति सत्यापित नहीं होने के कारण नियमानुसार वेतन का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अतः अकारण वेतन रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत अवधि का वेतन नियमानुसार चूंकि अस्वीकृत कर दिया गया है, अतः उसके भुगतान व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमरनाथ व सतीश कुमार, निबन्धन लिपिक, उप निबंधन कार्यालय, मांट, जनपद मथुरा के माह नवम्बर,91 से अब तक के वेतन के भुगतान की जानकारी

174–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ व सतीश कुमार निबन्धन लिपिक, उप निबंधन कार्यालय मांट, मथुरा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-10-91 तथा संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त उ० प्र० शासन के आदेश सं०-5454/11-91 दि० 31 अक्टूबर, 1991 व महानिरीक्षक, निबन्धन, उ० प्र०, इलाहाबाद के आदेश सं-13998/चार-401 ए दि० 1 नवम्बर, 1991 व जिला निबन्धक के आदेश पत्र सं-100/मु० नि० लि० दि० 2-11-91 के अनुक्रम में निरन्तर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या माह नवम्बर से अब तक इनको वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ, मथुरा द्वारा श्री कफील अहमद के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र के आधार पर जांच की मांग

175–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जनपद मथुरा का पत्र दिनांक 4-10-91 जो कि संस्थागत वित्त राज्य मंत्री को सम्बोधित है, शासन को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो पत्र के क्रम में संस्थागत वित्त राज्य मंत्री ने अपने पत्र सं०-1066/वी० आई० पी०/एम० आई० एफ०/91 दिनांक 20-11-91 पर पारित स्थानान्तरण आदेश का पालन और जांच का क्रियान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री कफील अहमद के विरुद्ध अन्य शिकायतों की जांच जो सचिव तथा महानिरीक्षक निबन्धन के स्तर पर लम्बित है उन पर कार्यवाही कब तक पूरी होगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद मथुरा में उप निबन्धक कार्यालयों में मुख्य निबन्धन लिपिक द्वारा कथित तौर पर किये गये अनधिकृत निरीक्षण को रद्द करने की मांग

176–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निबन्धक कार्यालयों में आकस्मिक तथा विस्तृत निरीक्षण करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारियों को है ? क्या दिनांक 5 व 6-1-92 कार्यालय

उप निबन्धक, मांट व 7-1-92 को कार्यालय उप निबन्धक, छाता में आकस्मिक निरीक्षण मुख्य निबन्धक लिपिक श्री कफील अहमद के द्वारा किया गया ? क्या आकस्मिक तथा विस्तृत निरीक्षण करने का अधिकार उप निबन्धक कार्यालयों में मुख्य निबन्धक लिपिक को है ? कार्यालय उप निबन्धक, छाता के निरीक्षण दि० 7-1-92, जो कि मुख्य निबन्धन लिपिक द्वारा किया गया है तथा जिसकी प्रतिलिपि महानिरीक्षक, निबन्धन को भी भेजी गयी है, के क्रम मे क्या जिन लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है वह वैधानिक है, तो उस कार्यवाही के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ? यदि अवैधानिक हैं, तो उस कार्यवाही के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध की गई अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उप निबन्धक से उच्च स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण करने का अधिकार है ।

जी हां । जिला निबन्धक के आदेशानुसार ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रभारी उप निबन्धक, छाता द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितता और कदाचरण सम्बन्धी तथ्य जिला निबन्धक के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा महानिदेशक, निबंधन उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाये जाने के कारण उनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी, उप निबन्धक, छाता को निलम्बित किया गया है । निलम्बन के आदेश वैधानिक और नियमानुकूल है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के ग्राम खैरा नासिर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों की जांच की मांग

177–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्रीमती सावित्री देवी ग्राम खैरा नासिर जनपद मऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-11-91 उन्हें प्राप्त हुआ ? क्या सावित्री देवी ने अपने ग्राम के जवाहर रोजगार योजना की जांच करने की मांग की थी ? क्या इसकी जांच का आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम भवनपुर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग एवं गबन के आरोप में दण्डित करने की मांग

178–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम भवनपुर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन के दुरुपयोग और गबन की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को अगस्त/सितम्बर, 1991में दी गयी है? यदि हां, तो शिकायत किन बिन्दुओं पर है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हो जाने के बाद भी परगनाधीश सगड़ी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा योजना के अन्तर्गत पुनः द्वितीय किस्त का भुगतान उक्त प्रधान को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

179–श्री शिवलाल मित्तल–

[विस्तीर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण हटाया गया]

जनपद सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा अन्य ग्रामवासी ग्राम मऊ पूरे बाबूजी के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराए जाने की मांग

180–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा अन्य ग्रामवासी ग्राम मऊ पूरे बाबूजी, तह० गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 28-12-91 का रजि० प्रार्थना पत्र जिसमें जवाहर रोजगार योजना व निर्बल बस्तियों तथा अन्य ग्राम सभा के कार्यों में अनियमितता, सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर कार्यवाही करने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज से कराई गयी । जी नहीं । शिकायत के आरोप निराधार पाये जाने के कारण जांच के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के विकास खण्ड अछल्दा की ग्राम सभा सलेमपुर में जवाहर रोजगार योजना में घोटाले की जांच

181–श्री धनीराम वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के अछल्दा विकास खण्ड की ग्राम सभा सलेमपुर के ग्रामीणों का रजिस्टर्ड पत्र संख्या–2665, दिनांक 18-5-90 उनके कार्यालय में तथा

रजिस्टर्ड पत्र संख्या–2643, दिनांक 8-5-90 जिलाधिकारी, इटावा को प्राप्त हुआ है ? क्या ग्रामीणों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से 8-9-91 को भी शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्रों में वर्णित जवाहर रोजगार योजना में घोटाले की जांच 30 नवम्बर, 1991 तक कराई गयी है ? यदि हां, तो शिकायत की जांच किस तिथि को तथा किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है और जांच आख्या क्या है ? यदि जांच नहीं कराई गयी है, तो क्यों ? कब तक जांच कराई जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

182–श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में ग्राम माथा से पड़ोहरा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग को पक्का कर डामरीकृत करने की मांग

183–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम माथा से ग्राम पड़ोहरा तक सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वर्ष 1992-1993 में पूरा करके डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम माथा से ग्राम पड़ोहरा तक सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत न होने के कारण डामरीकरण कराना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम झंझरी पुरवा से गलौली तक के सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कर डामरीकृत करने की मांग

184–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम झंझरी पुरवा ग्राम गलौली तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 तक पूरा कराकर डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त सम्पर्क मार्ग जनपद की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

विधान सभा

जनपद बांदा के ग्राम गलौली से खप्टिहा खुर्द तक के अधूरे सम्पर्क मार्ग को पूरा कराकर डामरीकरण की मांग

185–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-बांदा में ग्राम गलौली से ग्राम खप्टिहा खुर्द तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 में पूरा कराकर डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त सम्पर्क मार्ग जनपद की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

जनपद बांदा में चौडगरा रामपुर से मनईघाट तक अधूरे सम्पर्क मार्ग को पूरा कराकर डामरीकरण की मांग

186–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में चौडगरा रामपुर से मवईघाट तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वर्ष 1992-1993 में पूरा कराया जायेगा तथा डामरीकरण भी कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त सम्पर्क मार्ग जनपद की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेज, कोटद्वार, गढ़वाल से परिचारक पद से सेवा निवृत श्री शंकरानन्द खन्तवाल की अशासकीय सेवा को जोड़कर पेंशन भुगतान कराने की मांग

187–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, कोटद्वार, गढ़वाल से दिनांक 31-12-89 को परिचारक के पद से सेवा निवृत्त श्री शंकरानन्द खन्तवाल को प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों/अध्यापकों के अनुरूप पेंशन स्वीकृत हेतु उनकी अशासकीय सेवा को जोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि अध्यापकों तथा श्रेणी तीन के कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति हेतु उनकी अशासकीय सेवा का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार श्रेणी चार के कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप अध्यापकों और कर्मचारियों के अशासकीय संस्था के अधीन जिस अवधि का अंशदायी भविष्य निधि खाते में सेवायोजक के अभिदान तथा उस पर व्याज की समस्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कर दी है, उस अवधि को पेंशन आगणन हेतु अर्ह सेवा मान ली

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

188–श्री विजयपाल सिंह–

[7वें शुक्र में अता०प्र०सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में कानाखेड़ा से इछावर तक के अधूरे सम्पर्क मार्ग को पूरा कर डामरीकरण की मांग

189–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में कानाखेड़ा से इछावर तक सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वर्ष 1992-93 में पूरा करके इसका डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त सम्पर्क मार्ग जनपद की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

190–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[8वें सोम के लिए स्थगित]

वर्ष 89-90 व 90-91 में डी० आर० डी० ए०वाराणसी द्वारा सिंचाई खण्ड जौनपुर को आवंटित धन की जानकारी एवं कतिपय कार्यों को कराए जाने की मांग

191–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में डी०आर०डी०ए० से कितना धन सिंचाई खण्ड जौनपुर के नालों की खुदाई तथा पुलियों एवं नयी ड्रेनों के निर्माण हेतु वर्ष 89-90 व 90-91 में मच्छाताल, वाही नेवादा ताल, कठिरांव ताल व पिंडराड्रेन महाराज कोट पिंडरा ड्रेन, मच्छाताल ड्रेन तथा मच्छाताल के बीचोबीच नई ड्रेन बाढ़ योजना में बनाने हेतु दिया गया ? क्या यह सही है कि महाराज कोट पिंडरा ड्रेन में मानापुर पिंडरा ब्लाक में एक पुल तथा दवेचुआ नहर में दवेचुआ गांव बीक बड़ागांव वाराणसी में एक पुल व गांव हमीरापुर ब्लाक बड़ागांव वाराणसी में एक साइफन, बाबतपुर राजबहा के नीचे बनाने की आवश्यकता है ? क्या सरकार उपरोक्त कार्यों हेतु धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 89-90 व 90-91 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी द्वारा सिंचाई खण्ड जौनपुर को नालों की खुदाई एवं पुलियों के निर्माण के लिये कोई धन नहीं दिया गया है ।

जी हां ।

उपरोक्त कार्यों में से केवल ग्राम दबेथुआ में एक वी०आर०बी० (ग्रामीण सड़क पुल) शारदा सहायक परियोजना में स्वीकृत है जिसके लिये आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराया जायेगा शेष कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं । अतः धन उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हैं ।

उ०प्र० के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण कराए जाने की मांग

192–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है, वहां जब तक आवश्यक कोटा पूरा न कर दिया जावे तब तक दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति न किए जाने का शासन से आदेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के किन विद्यालयों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है ? मोती लाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, तहसील जलालपुर फैजाबाद में हिन्दी के प्रवक्ता पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को न रखने का क्या कारण है जबकि उक्त विद्यालय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? क्या शासन सम्बन्धित नियुक्ति को निरस्त कर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज बाराबंकी में वर्ष 1974 से 80 तक शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के रोके गए वेतन के भुगतान की मांग

193–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी की किन-किन शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्ष 1974 से 1980 तक का प्रत्येक वर्ष का कितना-कितना वेतन बकाया है ? इनके लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से वर्ष 1984 में प्राप्त धन को भुगतान करने हेतु, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने दिनांक 1-1-84 से दिनांक 30-9-91 तक कितनी बार और कब अधिकारियों को आदेश दिए हैं ? क्या इन आदेशों तथा पत्र सं० शि०सं०/8568/72/90-91, दिनांक 2-1-91 द्वारा दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में प्राइमरी अनुभागों से निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को वेतन दिए जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

194–श्री ऊदल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रबन्ध समिति के निश्चयानुसार प्राइमरी अनुभागों की कितनी निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को विभाग बगैर किसी न्यायालयीय आदेशों के अन्तर्गत, वेतन दे रहा है ? यदि हां, तो क्या अध्यापक/अध्यापिकाओं के विवरण सरकार देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इण्टरमीडिएट एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों से निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को यदि विभाग वेतन दे रहा है, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों से वेतन वसल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं कराए गए कार्यों के पूर्ण विवरण की जानकारी

195–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बांदा को वित्तीय वर्ष 1990-91 व 91-92 में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित की गयी है ? आवंटित धनराशि में से निर्मित कार्यों का विवरण क्या है ? क्या अलग-अलग निर्मित कार्यों में व्यय धनराशि का उपभोग ठेकेदारों के माध्यम से किया गया ? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम, बाण्ड, वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर सहित व्यय विवरण क्या है ? क्या टी० आई० द्वारा धनराशि का उपभोग किया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग कार्य के विवरण सहित भुगतान वाउचर नम्बर व धनराशि क्या हैं ? क्या ब्लाक, जिला परिषद या ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों पर ही प्रान्तीय खण्ड-बांदा द्वारा जवाहर रोजगार योजना से आवंटित धनराशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अनुमान पत्रों में पूराने कार्य का लेखा जोखा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कुल आवंटित धनराशि 21.86 लाख है ।

आवंटित धनराशि से निम्नलिखित कार्य निर्मित किये गये हैं :–

(1) करछा सम्पर्क मार्ग

(2) बेंदा से जलालपुर सम्पर्क मार्ग

(3) मणिपुर ग्राम में पुलिया का निर्माण

(4) बुढौली सम्पर्क मार्ग

(5) बरेंहडा सम्पर्क मार्ग

(6) कहला सम्पर्क मार्ग

(7) वरई भानपुर के देवी जी के मन्दिर से राजकीय पौधशाला

(8) रौली कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग

(9) मुरवल से पारा बिहारी सम्पर्क मार्ग

(10) करिंगा सम्पर्क मार्ग

(11) हरदौली ग्राम से बांदा बबेरू मार्ग से वंशी का पुरवा सम्पर्क मार्ग

(12) बेंदागाट से पदारथपुर सम्पर्क मार्ग

(13) गंगापुरवा से गढा सम्पर्क मार्ग ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

अभिलेखों की छानबीन कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

दूसरे विभागों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों पर इस योजना की आवंटित धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

जिस किसी मार्ग पर जो भी मौजूदा पुराना कार्य था उसका समावेश आगे का नया कार्य कराते समय कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुदानित होने की शर्तें पूर्ण कर लेने वाले विद्यालयों की संख्या एवं बैंक पेमेन्ट में लेने की जानकारी

196–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय अनुदानित होने की शर्तें पूरी कर चुके हैं ? क्या इनमें से कुछ विद्यालयों को सरकार इस सत्र में बैंक पेमेन्ट में लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक एवं उसका आधार क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया जाता है ।

जी हां ।

यथा समय निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० प्रान्तीय वन सेवा नियमावली, 1992 के नियम-4 में उल्लिखित विलीनीकरण से सम्बन्धित उप नियम को वरिष्ठता सूची में उल्लेख करने के औचित्य की जानकारी

197–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीय वन सेवा नियमावली, 1992 के नियम-4 में कथित भारतीय वन सेवा को विलीनीकरण से सम्बन्धित सन्दर्भ में बनाये उप नियम का क्या उद्देश्य था ? क्या यह नियम तत्कालीन भारतीय वन सेवा के अन्तिम सदस्य के अवकाश ग्रहण के साथ ही प्रभावहीन नहीं हो जाता ? यदि हां, तो माह फरवरी, 1992 में जारी प्रान्तीय वन सेवा की वरिष्ठता सूची में इसका उल्लेख करने का क्या तात्पर्य है ? इस सम्बन्ध में विधि तथा कार्मिक विभाग की राय भी बताने की कृपा करें ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश प्रान्तीय वन सेवा नियमावली, 1992 नाम की कोई सेवा नियमावली वन विभाग में नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर में चुनार कस्बे के पास स्थित सिद्धनाथ की दरी व गुफा को सुरक्षित स्थान घोषित किया जाना

198–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद में चुनार कस्बा के पास स्थित सिद्धनाथ की दरी व गुफा को सुरक्षित स्थान घोषित करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2953 उनके कार्यालय में दिनांक 24-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक इसको सुरक्षित स्थान घोषित करेंगे ? क्या वहां पर अवैध कटान को रोकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में वहां कोई अवैध कटान नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के गांव बलारपुर में अवशेष ईंटों की सोलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाना

199–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बलारपुर ब्लाक सुल्तानगंज विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ईटों की सोलिंग आधे ग्राम में की गयी है ? यदि हां, तो कीचड़ व संक्रामक रोग को फैलने से बचाने के लिये अवशेष गांवों की सोलिंग का कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अवशेष सोलिंग का कार्य ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार ही किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में शराब गोदाम में पकड़ी गई चोरी के दोषी श्री समरनाथ सिंह आबकारी निरीक्षक एवं श्री जय प्रकाश गोदाम एजेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही

200–श्री श्रीराम (मऊ)–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि 2 जुलाई, 1991 को शराब गोदाम आजमगढ़ से हुई 40 हजार रुपये मूल्य के शराब की चोरी को पकड़ने वाले आबकारी निरीक्षक को पहाड़ पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस चोरी के मुख्य अभियुक्त एक आबकारी निरीक्षक, श्री समरनाथ सिंह व गोदाम एजेण्ट, श्री जय प्रकाश को क्रमशः महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रथम बस्ती व पुनः शराब गोदाम आजमगढ़ में नियुक्ति देकर वहां तैनात रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आबकारी राजस्व चोरी करने वाले को दण्डित करने तथा चोरी पकड़ने वाले को पुरस्कृत करने का मापदण्ड बना लिया है ? यदि नहीं, तो सरकार आबकारी राजस्व की चोरी की जांच करके दोषी श्री समरनाथ सिंह व श्री जयप्रकाश जायसवाल के विरुद्ध कब तक तथा क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह तथ्य संगत नहीं है । श्री राणा प्रताप सिंह, तत्कालीन आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4, आजमगढ़ द्वारा शराब गोदाम, आजमगढ़ से तथाकथित 40,000/- रु० मूल्य की शराब की चोरी की शिकायत

उनके पत्र दि० 3-7-91 द्वारा प्राप्त हुई थी, जो जांचोपरान्त सही नहीं पाई गई । प्रशासनिक कारणों से जनहित में उक्त श्री सिंह का स्थानान्तरण क्षेत्र–4 आजमगढ़ से क्षेत्र–1 टिहरी गढ़वाल किया गया । चूंकि उक्त जांचोपरान्त कथित चोरी की शिकायत सही नहीं पाई गयी, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० शान्ता भटनागर पूर्व ग्राम सेविका ब्लाक मिश्रिख जनपद सीतापुर के अवशेष देयों का शीघ्र भुगतान कराये जाने की मांग

201–श्री इस्लाम साबिर तथा श्री मो० रिजवानुल हक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सेविका श्रीमती शान्ता भटनागर, जो जनपद सीतापुर के ब्लाक मिश्रिख में सेवारत थी, का स्वर्गवास 1979 में हो गया था ? यदि हां, तो मृतका के आश्रित/उत्तराधिकारी को 13 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बीमा धनराशि को छोड़कर उनके अन्य देयकों यथा फण्ड, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी तत्काल भुगतान कराये जाने के आदेश संबंधित अधिकारी को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास खण्ड-मिश्रिख, जनपद सीतापुर में सेवारत श्रीमती शान्ता भटनागर का स्वर्गवास दिनांक 4-4-1979 को हो गया था । कर्मचारी की मृत्यु चिकित्सीय अवकाश की अवधि में हो गयी थी, उनके बीमा धनराशि को छोड़कर फण्ड, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान उनके अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका था जो कि दूसरे जनपद में भेजे गये थे ।

मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर को शासनादेश संख्या 3084/38-1-41 ए० क्यू०/92, दिनांक 23 अप्रैल, 92 द्वारा निर्देश दे दिया गया है इनके समस्त देयकों का भुगतान तुरन्त कराकर शासन को अवगत कराया जाय । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

गिरधारी सिंह इन्दर कुंवर इण्टर कालेज लखनऊ के वर्ष 1976 के संस्थागत छात्र अनुक्रमांक 275447 को संशोधित जन्मतिथि प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की मांग

202–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरधारी सिंह इन्दर कुंवर इण्टर कालेज, लखनऊ के वर्ष 1976 के संस्थागत छात्र के अनुक्रमांक 275447 की जन्म-तिथि संशोधित करने हेतु दो बार दिनांक 2-4-87 व दिनांक 22-7-91 को सिविल न्यायालय का निर्णय हुआ था जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद को क्रमशः 1 जून, 1987 तथा दूसरी सितम्बर, 1991 को प्रस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो संशोधित जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र अब तक उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ? शासन विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके प्रश्नगत संशोधित प्रमाण-पत्र कब तक उपलब्ध करा देगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

न्यायालय के निर्णय की अनुपालन में परिषदीय अभिलेखों में छात्र की जन्म तिथि में वांछित संशोधन दिनांक 24-4-92 को कर दिया गया है, जिसकी सूचना छात्र को भेज दी गयी है । प्रकरण में विलम्ब हेतु संबंधित सहायक की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्ट अंकित कर दी गयी है । मूल

प्रमाण-पत्र छात्र से वापस प्राप्त होने पर संशोधित प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा"। छात्र को मूल प्रमाण-पत्र परिषद् को लौटाने हेतु भी सूचना दी गयी है ।

[दिनांक 30 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न जिन्हें संबंधित मा० सदस्यों का निलम्बन तत्समय प्रभावी रहने के फलस्वरूप कार्यसूची से हटा दिया गया था]

उ० प्र० के विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया की जानकारी

2–श्री खालिद गौरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है तथा किन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश परीक्षा का नियम लागू किया गया है ? मेरिट के स्थान पर प्रवेश परीक्षा के नियम का क्या औचित्य है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश के आगरा, बुन्देलखण्ड, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल, काशी विद्यापीठ, गोरखपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों में मेरिट तथा प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, अवध, पूर्वांचल तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयों में केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

स्थान की उपलब्धता के सापेक्ष प्रवेशार्थियों की भारी भीड़ में से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन ।

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा आगरा कालेज की बी० एस० सी० पार्ट द्वितीय की छात्रा कु० कमलेश कुमारी का परीक्षाफल घोषित किया जाना

14–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि आगरा विश्वविद्यालय में वर्ष 1990 में आगरा कालेज से बी० एस० सी० पार्ट द्वितीय, बायलोजी ग्रुप में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा पुस्तिकायें गायब हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या कु० कमलेश कुमारी बी० एस० सी० पार्ट द्वितीय अनुक्रमांक–4406 (जी) का परीक्षाफल वर्ष 1990 की परीक्षा में रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होने के बावजूद घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण में हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य को बचाने के लिये कोई नीति अपना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

कु० कमलेश कुमारी, बी० एस० सी० पार्ट द्वितीय, जिनका अनुक्रमांक 4406 (सी) है, का परीक्षाफल दिनांक 23 सितम्बर, 1991 को घोषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रजा टेक्सटाइल मिल रामपुर के बन्द होने से उत्पन्न बेरोजगारी को दूर करने से संबंधित सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों की जानकारी

29–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल, रामपुर बन्द होने के कगार पर है तथा पिछले दो महीनों में 50 प्रतिशत से भी अधिक श्रमिकों की छटनी वहां कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस बेरोजगारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

रामपुर स्थित रजा टेक्सटाइल मिल, रामपुर में दिनांक 23-9-91 से सेवायोजकों द्वारा बंदी कर दी गयी है ।

सेवायोजकों द्वारा बन्दी की सूचना शासन को दी गयी । शासन द्वारा सेवायोजकों को उत्तर दिया गया कि उनका बंदी नोटिस विधि संगत नहीं है क्योंकि सेवायोजकों को प्रतिष्ठान की बंदी करने से पूर्व शासन की अनुमति लेना आवश्यक है । शासन के उक्त उत्तर के विरुद्ध सेवायोजक मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके दिनांक 24-9-91 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । फलस्वरूप सेवायोजकों के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी है और न ही वार्ताओं के बावजूद मिल को खुलवाया जा सका है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव द्वारा अनियमितता बरतने से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनेक अनियमिततायें बरतने संबंधी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी का शिकायती पत्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री को माह सितम्बर/अक्टूबर, 91 में दिया गया था ? यदि हां, तो पत्र में शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या है ? उस पत्र पर जांच किसने की एवं दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त जांच के निष्कर्ष क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । दिनांक रहित शिकायती पत्र दिनांक 19-11-91 को प्राप्त हुआ था ।

शिकायत के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर कालेजों में अनियमित नियुक्तियों की वित्तीय सहमति दिया जाना तथा आरक्षण कोटा का पूर्ण न किया जाना ।

2–अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित पद का सृजन ।

3–जनपद उन्नाव से जनपद कानपुर को एक अध्यापक का स्थानान्तरण ।

4–मृतक आश्रित की नियुक्ति न किया जाना ।

5–मा० उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी एक शिक्षक को वेतन भुगतान न करना ।

6–सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का गोलमाल ।

7–वित्तीय वर्ष 90-91 में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण न किया जाना ।

8–क्षतिपूर्ति अनुदान का दुरुपयोग ।

9–जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में फर्जी डिस्पैच रजिस्टर का प्रयोग किया जाना ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा प्रारम्भिक जांच करा ली गयी है । शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से जांच आख्या प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जनपद देवरिया की ग्राम सभा साखोपार के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन हड़पने एवं अवैध पट्टे देने से संबंधित शिकायतों की जांच की मांग

34–श्री दल सिंगार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया अन्तर्गत विकास खण्ड कप्तानगंज, ग्राम सभा साखोपार के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना की धनराशि हड़प लेने तथा ग्राम समाज की जमीन रुपया लेकर अवैध रूप से पट्टे पर देने की शिकायतें उन्हें (जुलाई, अगस्त, 1991 में) मिली है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायती बिन्दु क्या हैं ? क्या इन शिकायतों की जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेंगे तथा शिकायतें सही पाई जाने पर संबंधित ग्राम प्रधान अन्य जिम्मेदार लोगों से उक्त योजना के अन्तर्गत हड़प ली गयी धनराशि की वसूली व अन्य अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायत के मुख्य दो बिन्दु हैं :–

प्रथम जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन का दुरुपयोग, द्वितीय खलिहान, खाद रखने गोहरा पाथने, पोखरे की जमीन बांस पेड़, बन्जर व नई परती जमीन को पट्टे पर देकर अवैध धन की वसूली से संबंधित है । शिकायत की जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड कप्तानगंज से करायी गयी । शिकायतें निराधार पायी गयी । अस्तु, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की ग्राम सभा साखोपार को वर्ष 1989-90, 90-91 एवं 91-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि एवं कराये गये कार्य का विवरण

35–श्री दल सिंगार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कप्तानगंज, जिला देवरिया के ग्राम सभा साखोपार को 1989-90, 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? उक्त स्वीकृत धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास खण्ड कप्तानगंज जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा साखोपार को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार निम्नवत् धनराशि आवंटित की गयी है :–

वर्ष	आवंटित धनराशि
1989-90	40,367.00
1990-91	49,379.00
1991-92	17,390.00

उक्त स्वीकृत धनराशि से कच्ची सड़क निर्माण, सामाजिक वानिकी, कूप मरम्मत, खड़न्जा व नाली निर्माण निर्बल वर्ग आवास, प्रशासनिक व्यय, हरिजन के यहां हाथनल, पंचायत भवन मरम्मत, चाहारदीवारी निर्माण आदि कार्य कराये गये हैं ।

जनपद देवरिया की ग्राम सभा साखोपार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित किये गये परिवारों की संख्या की जानकारी

36–श्री दल सिंगार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा साखोपार में (विकास खंड कप्तानगंज जिला देवरिया) ग्राम्य विकास विभाग की चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के लिये किस-किस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को योजनावार वर्ष 89-90, 90-91 तथा 91-92 में लाभान्वित किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लिये कितनी धनराशि मात्राकृत की गयी तथा इससे क्या-क्या कार्य वर्ष 89-90 से आज तक वर्षवार किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास खण्ड कप्तानगंज जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा साखोपार में ग्राम्य विकास विभाग की चल रही विभिन्न विकास योजनाओं में लाभान्वित परिवारों का वर्षवार विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित परिवार की सं०	अनुसूचित जाति के परिवारों की सं०
1989-90	एकीकृत ग्राम विकास योजना,	17	9
	जवाहर रोजगार योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना	2	2
1990-91	एकी० ग्रा० वि० योजना,	34	32
	जवाहर रोजगार योजना, हाथनल	9	9
1991-92	एकी० ग्रा० वि० योजना	13	13

अनुसूचित जाति के लिये वर्ष 89-90 में रु० 5177.00 तथा वर्ष 1990-91में रु० 8156.00 अर्थात् मु० 13333.00 रुपये की धनराशि मात्राकृत की गयी थी । इस धनराशि से वर्ष 1989-90 में दो निर्बल वर्ग आवास तथा 1990-91 में 9 हाथ नल लगवाये गये ।

महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर के कनिष्ठ प्रवक्ता के पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर को भुगतान कराये जाने के संबंध में

37– श्री दल सिंगार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर में तैनात तत्कालीन कनिष्ठ प्रवक्ता, भाषा के पद पर कार्यरत कार्मिक हेतु मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उक्त पद का वेतन आहरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 3-12-82 से 9-4-84 तक का उक्त पद का वेतनमान तत्कालीन रु० 400-750 का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 850-1720 का अन्तर का भुगतान भी किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेतनमान के निर्धारण का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

हरदोई से हरपालपुर, मोहम्मदी, जंगबहादुरगंज आदि छोटे-छोटे मार्गों पर अस्थाई परमिट दिये जाने की मांग

44–श्री खालिद गौरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई-हरपालपुर, हरदोई–मोहम्मदी तथा जंगबहादुरगंज-हरदोई जैसे छोटे मार्गों पर आर० टी० ए० द्वारा अस्थायी परमिट चार-चार माह हेतु जारी करने के नियम के स्थान पर अब क्या व्यवस्था लागू की गयी है ? अगस्त, 1991 से उपरान्त मार्गों पर बसें चलाने हेतु अस्थायी परमिट क्यों नहीं जारी हुए ? उपरोक्त परमिट जारी न होने के फलस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अस्थायी परमिट जारी करने के नियम परिवर्तन नहीं हुआ है तथा ऐसे परमिट चार-चार माह हेतु ही जारी किये जा रहे हैं ।

अगस्त, 1991 के बाद भी अस्थायी परमिट जारी हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के कस्बा बिलसी में स्थापित साधू पन्ना लाल महाविद्यालय की मान्यता के संबंध में जानकारी

45–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलसी जनपद बदायूं में स्थापित साधू पन्ना लाल महाविद्यालय (डिग्री कालेज), किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है अथवा नहीं ? उसकी मान्यता कब और

किस तिथि एवं पत्र संख्या से प्रदान की गयी है ? यदि मान्यता प्रदान की नहीं की गयी है तो सरकार प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गैर मान्यता प्राप्त संस्था के तथाकथित ''प्रबन्धक'' के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्राविधान विश्वविद्यालय अधिनियम में नहीं है । इस संबंध में जिलाधिकारी को आवश्यक जांच व कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

जनपद उन्नाव में वर्ष 1989-90 व 90-91 में कतिपय ग्राम सभाओं में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण

47–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के ग्राम सभा–लड़वासिंहन खेड़ा, देवमई व जेरा में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास कार्य में कितना धनराशि दी गयी थी ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम्य विकास के लिये दी गयी धनराशि किन-किन मदों में व्यय की गयी ? क्या यह सच है कि उक्त ग्राम सभाओं में विकास के नाम पर हुए कार्य में मानक से कम कार्य हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार गहन जांच करवायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रश्नगत ग्राम सभाओं को निलम्बन धनराशि आवंटित की गयी थी :–

ग्राम सभा का नाम	वर्ष, 89-90	वर्ष 90-91
लड़वासिंहन खेड़ा	2,52,536.00	1,73,319.00
देवमई	97,957.00	59,435.00
जेरा	73,667.00	36,254.00

उक्त ग्राम्य सभाओं द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में प्राप्त धनराशि मुख्य रूप से सम्पर्क मार्ग खड़न्जा निर्बल वर्ग आवास, स्कूल एवं कूप निर्माण/मरम्मत आदि पर व्यय की गयी है ।

जी नहीं ।

मानक के अनुरूप कार्य कराये गये हैं ।

जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्राम पंचायत देवमई में हुए कार्यों की जांच करायी गयी जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध कुछ अनियमिततायें पायी गयी हैं, भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु ग्राम प्रधान को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

लखनऊ से असोहा तक चलने वाली बस सेवा को पुनः चालू किये जाने की मांग

53–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ से प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र असोहा केन्द्र तक चलने वाली बस सेवा बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बस सेवा किस वर्ष शुरू हुई ? परिवहन निगम को प्रति किमी० कितना राजस्व उक्त बस सेवा से प्राप्त हुआ ? उक्त बस सेवा के बन्द कर दिये जाने, अनियमित बस संचालन रहने के कारण क्या हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं । यह सेवा संचालित है ।

उक्त बस सेवा दि० 20-9-84 से प्रारम्भ हुयी थी ।

गत तीन माहों में इस सेवा से निगम को औसत रु० 3.30 प्रति कि० मी० राजस्व प्राप्त हुआ ।

सेवा बन्द नहीं की गयी थी । कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बस सेवा के कुछ ट्रिप्स का स्थगन हुआ है इस मार्ग पर गत 6 माहों में औसतन 88 प्रतिशत ट्रिपों का संचालन किया गया ।

लखनऊ से पुरवा तक संचालित बस सेवा का विवरण तथा प्रतिमाह संचालित ट्रिपों के औसत की जानकारी

54–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कैसरबाग डिपो से पुरवा (जिला-उन्नाव) के लिये व पुरवा से लखनऊ कैसरबाग डिपो के बीच मई, 91 तक कितनी बस सेवायें अप-डाउन संचालित थीं ? क्या उक्त बस सेवायें जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 91 की छमाही में निरन्तर अनियमित रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त 6 माहों में अनियमितता से बस सेवा संचालित होने के दिनों का प्रति माह औसत बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

लखनऊ-कैसरबाग डिपो से मई 91 तक पुरवा-लखनऊ मार्ग पर 3 अप 3 डाउन बस सेवायें संचालित थीं ।

माह जुलाई तथा अगस्त 91 में कुछ दिन सेवायें अनियमित अवश्य रहीं किन्तु सितम्बर अक्टूबर तथा नवम्बर माह में निर्धारित ट्रिप्स पूरे किये गये । माह दिसम्बर 91 में सेवा के 92 प्रतिशत ट्रिप संचालित हुए ।

यह औसत 8 दिन प्रतिमाह है ।

लखनऊ से मिर्रीकलां एवं कानपुर से मिर्रीकलां तक बन्द पड़ी बस सेवा को पुनः चालू किये जाने की मांग

56–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव डिपो उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम की कोई बस सेवा उन्नाव से पुरवा होकर ग्राम मिर्रीकलां तक कब प्रारम्भ हुई थी और कब बन्द हुई ? बस सेवा कितने वर्ष चली ? क्या कानपुर से पुरवा होकर मिर्रीकलां के लिये भी कोई बस चली ? यदि हां, तो कितने समय तक चली ? क्या सरकार बतायेगी कि इतने लम्बे समय तक बस सेवा के सफल संचालन के बावजूद बस सेवा बन्द क्यों है ? बस सेवा फिर से कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उन्नाव डिपो द्वारा मिर्रीकलां सेवा 1982-83 में प्रारम्भ की थी । यह सेवा कई बार बन्द व प्रारम्भ हुई तथा अन्त में दिनांक 25-7-89 से बन्द कर दी गयी ।

जी हां, कानपुर से पुरवा होकर मिर्रीकलां के लिये दो अनुबंधित बसों द्वारा दिनांक 26-7-89 से 20-8-89 तक संचालन किया गया था ।

उक्त मार्ग का पुरवा से मिर्रीकलां तक का 9 कि० मी० का भाग वर्षा अधिक होने के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया था अतः संचालन बन्द करना पड़ा ।

संसाधन एवं बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग पर संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

कोषागार अलीगढ़ में कार्यरत मृत महिला कर्मचारी स्व० श्रीमती कस्तूरी देवी की पेंशन अवैध रूप से लेने से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

57–श्री दलबीर सिंह–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोषागार अलीगढ़ में कार्यरत तथा मृत महिला कर्मचारी श्रीमती कस्तूरी देवी की पेंशन को कर्मचारी, श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा अवैध रूप से लेने एवं इस प्रकरण को दबाने हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी स्तर से कराई गयी जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार को निलम्बित कर दिया गया है, तथा अन्य कर्मचारियों को उनकी सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । वरिष्ठ कोषाधिकारी को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिये भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है ।

मोतीराम बाबूराम डिग्री कालेज के गणित के विभागाध्यक्ष श्री राम सिंह को उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्तुत वेतनमान दिये जाने की मांग

58–श्री दलबीर सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी कस्बा के मोतीराम बाबूराम डिग्री कालेज में सेवारत प्रो० राम सिंह, गणित के विभागाध्यक्ष को उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्तुत वेतनमान रु० 700-1600 में रु० 1100 प्रतिमाह के स्तर पर दिनांक 1 जनवरी, 1973 से मूल वेतन देने का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें भुगतान कब होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जनपद जालौन के प्रधानाचार्य की अवैधानिक नियुक्ति समाप्त किये जाने की मांग

59–श्री महराज सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी विद्यालय में प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के सगे संबंधी वेतनभोगी कर्मचारी हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जालौन में संस्था के प्रबन्धक श्री राम स्वरूप शुक्ला के संबंधी श्री विष्णु दत्त तिवारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं ? यदि हां, तो क्या श्री विष्णु दत्त तिवारी, प्रधानाचार्य की नियुक्ति अवैधानिक रूप से की गयी है ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति गैर कानूनी होने के कारण रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अपने प्रबन्धकीय काल में सगे-संबंधियों को विद्यालय में उपलब्ध पदों के विरुद्ध नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबन्धक के संबंधी नहीं है । अतः प्रश्न के शेष भाग के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जनपद जालौन की कृषि योग्य भूमि के आधार पर विद्यालय में प्रसार अध्यापक की नियुक्ति

60–श्री महराज सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जालौन के पास कितनी कृषि भूमि है ? क्या उक्त भूमि के आधार पर विद्यालय में प्रसार अध्यापक की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

विद्यालय के पास कुल कृषि योग्य भूमि 11.52 एकड़ है । विद्यालय में जूनियर हाईस्कूल तक कृषि विषय पढ़ाया जाता है जिसके लिये संस्था में कृषि अध्यापक उपलब्ध है । अतः प्रसार अध्यापक की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जिला जालौन में प्रधानाचार्य के बाहर जाने पर विद्यालय का कार्यभार वरिष्ठतम शिक्षक को सौंपने की मांग

61–श्री महराज सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त अशासकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य का विद्यालय कार्य से बाहर भेजने की दशा में विद्यालय की व्यवस्था देखने का कार्यभार किसको सौंपा जाना चाहिये ? क्या यह सत्य है कि श्री जवाहर इण्टर कालेज, गोहन, जिला जालौन के प्रधानाचार्य के बाहर जाने पर विद्यालय का कार्यभार किसी वरिष्ठ शिक्षक को न देकर कनिष्ठ शिक्षकों को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यभार सौंपने हेतु उक्त प्रधानाचार्य को आदेशित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानानुसार 30 दिन से अनधिक अवधि की अस्थायी रिक्ति के प्रति संस्था के उच्चतम श्रेणी के ज्येष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक बनाये जाने की व्यवस्था है, परन्तु इसमें प्रधानाचार्य के विद्यालय कार्य से बाहर जाने की स्थिति का उल्लेख नहीं है।

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। अतः आदेशित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में तमकुही राजचेक पोस्ट पर बिक्रीकर के स्वयं के भवन में कार्यालय स्थानान्तरण की जानकारी

66–श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री हरिवंश सहाय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में तमकुही राज चेक पोस्ट पर बिक्रीकर विभाग द्वारा भवन का निर्माण कब कराया गया ? क्या उक्त भवन में कार्यालय स्थानान्तरित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

भवन का निर्माण वर्ष 1990 में किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के बिक्रीकर चेक पोस्ट तमकुहीराज में स्वयं का भवन होने के उपरान्त भी किराया भुगतान करने से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

67–श्री स्वामीनाथ यादव तथा श्री हरिवंश सहाय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 90 में बिक्रीकर चेकपोस्ट तमकुहीराज (देवरिया) में विभागीय भवन का उद्घाटन किया गया है ? यदि हां, तो मई, 90 से अब तक किराये के भवन का कितना रुपया किराया दिया गया ? क्या सरकार इसके संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां।

भवन का कोई किराया नहीं दिया गया। भवन से सम्बद्ध भूखण्ड जिस पर ग्रीन हाट बनवाई गयी, के भूखण्ड का किराया 40 रुपये प्रति मास है। उक्त भूमि के स्वामित्व के दो दावेदार होने के कारण उसका भुगतान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक संरक्षक रेणुकूट पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग में वन रक्षक की नियुक्ति एवं धार मरल में एपरियल सीटिंग कार्यक्रम में हुए भ्रष्टाचार की जांच में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

71–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सहायक वन संरक्षक रेणुकूट पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग श्री राम आसरे ने सन् 1985-86 में टिहरी वन प्रभाग में वन रक्षक की नियुक्ति एवं धार मरल में

एपरियल सीटिंग कार्यक्रम में हुए भ्रष्टाचार की जांच की थी ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट क्या थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो क्या एवं क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में वर्ष 91-92 में एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लक्ष्य की जानकारी

81–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले का वर्ष 91-92 का एकीकृत ग्राम विकास योजना का कितने लोगों का लक्ष्य था ? वित्तीय वर्ष के 9 माह की समाप्ति दिसम्बर, 91 तक लक्ष्य का कितना प्रतिशत पूरा हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि 9 माह की कार्य अवधि में इतना कम लक्ष्य पूरा होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि विकास कार्यालयों के समय के भीतर पत्रावलियां तैयार करके संबंधित बैंकों में जमा होने के बावजूद बैंक स्तर से पत्रावलियां निस्तारित नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो बैंकों से सहकार (कोआर्डिनेशन) के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 91-92 में जिला उन्नाव का एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 8555 लोगों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य था ।

दिसम्बर, 1991 तक 66.09 प्रतिशत की पूर्ति हुई है ।

लाभार्थियों को लाभान्वित कराने में चयन से लेकर वितरण तक विभिन्न चरणों में कार्य सम्पादित होता है जैसे प्रार्थना पत्र तैयार करना, बैंकों को प्रेक्षण, बैंकों द्वारा सर्वेक्षण, डाकूमेंटेशन इत्यादि इन समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में कुछ विलम्ब हुआ ।

जी हां ।

बैंक के अधिकारियों के साथ समन्वय करके बैंक शाखा स्तर पर त्वरित निस्तारण कराया गया ।

जनपद गोरखपुर की ग्राम सभा कटघर को वर्ष 1990-91 व 91-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के दुरुपयोग के दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

82–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा कटघर तहसील खजनी जनपद गोरखपुर को वर्ष 1990-91 व वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या आवंटित धनराशि का सदुपयोग न किये जाने पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम सभा कटघर विकास खण्ड खजनी तहसील खजनी जनपद गोरखपुर को वर्ष 1990-91 में 34,390.00 रुपये एवं वर्ष 1991-92 में 8826.00 रु० की धनराशि आवंटित की गयी ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के जनसेवा इण्टर कालेज कर्वी की प्रबन्ध समिति द्वारा श्री राजाराम पाण्डेय, सहायक अध्यापक के विरुद्ध अनियमितता एवं अनुशासनहीनता की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के जनसेवा इण्टर कालेज कर्वी की प्रबन्ध समिति ने श्री राजाराम पाण्डेय, स० अ० के वर्ष 78 से 80 के मध्य विशिष्ट प्रकरणों में अनियमितता, अनुशासनहीनता आदि का उल्लेख करते हुये कार्यवाही के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को दिया था और उन्होंने दिनांक 17-3-82 को अस्वीकार कर दिया है जिसके विरुद्ध प्रबन्धक जनसेवा इण्टर कालेज द्वारा पत्रांक- 6776/82-83 दिनांक 17-4-82 के जरिए रजिस्टर्ड पत्र शिक्षा उप निदेशक झांसी मण्डल झांसी को धारा- 86 उ०प्र० ई० शि० अधिनियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप कर अनुमोदन के लिए भेजा है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक जनसेवा इण्टर कालेज पत्रांक- 6912/82-83 दिनांक 17-2-83 को इस सम्बन्ध में स्मरण पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में आज तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या इस प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक को प्रश्नगत अपील पर अपना निर्णय शीघ्र दिये जाने हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा अनुरोध किया गया है ।

श्री इसरार इलाही कुरेशी, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्नीक, बिजनौर को पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने के औचित्य की जानकारी

96–श्री सोमांश प्रकाश–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत सभी प्रधानाचार्यों अथवा अन्य अधिकारियों के लिए सेवाकाल में एक बार पर्वतीय क्षेत्र में भी रहने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अब तक पर्वतीय क्षेत्र में नहीं भेजा गया है ? क्या यह सही है कि श्री इसरार इलाही कुरेशी, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर को दूसरी बार पर्वतीय क्षेत्र के तांकुला (अल्मोड़ा) के लिए स्थानान्तरित किया गया है जबकि अगस्त, 1971 से जनवरी, 1978 तक लगभग 6 वर्ष 6 माह तक श्रीनगर (गढ़वाल) में नियुक्त रह चुके हैं ? यदि हां, तो इन्हें बार-बार पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का औचित्य क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इसरार इलाही कुरेशी, व्याख्याता एवं अध्यक्ष के पदों पर पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः 8-8-71 से 31-3-73 तथा 1-4-73 से 20-1-78 तक कार्यरत रहे । प्रधानाचार्य के रूप में इन्हें पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है ।

विभागीय आवश्यकता के अनुरूप जनहित में स्थानान्तरित किया गया है ।

जनपद मिर्जापुर के शिवमूर्ति नगर कस्बे में नगर बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय बनवाए जाने की मांग

97–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री जनहित में मिर्जापुर जिले में विकास खण्ड लालगंज के शिवमूर्ति नगर बस स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय जिला योजना के तहत बनाये जाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रतीक्षालय वित्तीय वर्ष 91-92 में बनवाया जायेगा ? क्या इस बाबत एक पत्रांक उ० प्र० कांग्रेस (इ) श्रम प्रकोष्ठ के महासचिव, शशिभूषण दुबे का दि० 4-1-92 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही होगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

शिवमूर्ति नगर प्रार्थना बस स्टाप मात्र है वहां प्रतीक्षालय बनाने का प्रश्न नहीं उठता । श्री दुबे का पत्र दिनांक 4-1-92 प्राप्त नहीं पाया गया ।

मिर्जापुर-बरौधा माण्डा की बन्द पड़ी बस सेवा को पुनः चालू कराये जाने की मांग

99–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० परिवहन, मिर्जापुर डिपो की पूर्व से संचालित मिर्जापुर-बरौधा-माण्डा रोड पर बस सेवा जो 14.30 बजे चलती थी को बन्द किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मार्ग पर मिर्जापुर से कौन सी बस सेवा कब संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में प्रश्नगत मार्ग पर बरोधा माण्डा (17.30 बजे) समय सारिणी में परिवर्तन करके बस सेवा संचालित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

वर्णित मार्ग पर वर्तमान में सीधी बस सेवा संचालित नहीं है, परन्तु मार्ग पर पर्याप्त लिंक सेवायें उपलब्ध हैं । मिर्जापुर से इस मार्ग के स्थानों के लिये निम्न प्रकार की सेवायें संचालित हैं :–

बरौधा के लिये 14.00 बजे

(मनिगढ़ा सेवा)

बरौधा के लिये 16.00 बजे

(हनुमान सेवा)

उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश परिवहन निगम की भी इस मार्ग पर निम्न सेवायें मिर्जापुर से उपलब्ध हैं:–

मिर्जापुर से बरौधा के लिये	8.00 बजे
.. ..	8.55 बजे
.. ..	13.00 बजे
.. ..	15.00 बजे
.. ..	16.30 बजे
.. ..	17.55 बजे

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद बांदा में रिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की मांग

109–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो क्या रिक्त पद की पूर्ति शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने की मांग

113–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मी कार्यरत हैं तथा कितने-कितने वर्षों से ? उन्हें नियमित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में बिना कण्डक्टर के संचालित बस सेवा की जानकारी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

114–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में किन-किन क्षेत्रों में बिना कण्डक्टर बसें चलाई जा रही हैं ? जहां पर उक्त बसें चलाई गई हैं क्या वहां, मोटर गाड़ी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सामान्यतः बिना कण्डक्टर के बसें नहीं चलाई जाती हैं । यदा-कदा टनकपुर क्षेत्र में कण्डक्टर के अभाव में बिना कण्डक्टर के बसें चलानी पड़ी हैं । अधिनियम के प्राविधान का उल्लंघन नहीं हुआ ।

उ० प्र० परिवहन निगम के घाटे के कारणों की जानकारी तथा उन्हें रोकने की मांग

115–श्री स्वामीनाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम के घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ? क्या उन कारणों में मुख्य रूप से अनुत्पादक बसों पर खर्चा होता रहा है ? यदि हां, तो उसे रोकने के क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

1–कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि ।

2–पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रीकेन्ट्स के मूल्यों में समय-समय पर हुई वृद्धि ।

3–परिवहन निगम में प्रयुक्त कलपुर्जों, टायर, ट्यूब्स, फ्लैप्स एवं एल्यूमीनियम आदि सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि ।

4–संचालन लागत में निरन्तर हो रही वृद्धि के अनुरूप किराये में वृद्धि न होना ।

5–निगम द्वारा कुछ ऐसे सेक्टरों/मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है जहां निगम को निरन्तर हानि होती है परन्तु जनोपयोगी सेवा होने के कारण ऐसे सेक्टरों/मार्गों पर संचालन को बन्द नहीं किया गया, नगरीय बस सेवा के मार्ग एवं पर्वतीय मार्ग इनमें मुख्य हैं ।

अनुत्पादक बसों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की जाती है । उन पर व्यय नहीं किया जाता है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत कर निजी बस मालिकों को बसें चलाने की छूट से परिवहन कर्मियों द्वारा हड़ताल करने से उत्पन्न परिस्थितियों से बचने के उपाय की जानकारी

116–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करके निजी बस मालिकों को बसें चलाने की छूट देने की कोई योजना विचाराधीन चल रही है ? क्या इस संबंध में परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा गठित रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा द्वारा उक्त योजना के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर, 11 सूत्रीय मांग पत्र देकर आन्दोलन चलाने की चेतावनी दी गयी है ? यदि हां, तो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से मना करने तथा प्रदेश की जनता को विषम परिस्थितियों से बचाने हेतु शासन तथा प्रशासन स्तर से क्या पहल की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सामान्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करके निजी बस मालिकों को बसें चलाने की छूट देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 6 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों ने रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का गठन करके अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र के विषय में दिनांक 11-2-92 से आन्दोलन चलाने का नोटिस दिया था ।

दिनांक 11-2-92 को परिवहन मंत्री के समक्ष प्रमुख सचिव, परिवहन, प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम एवं रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के उपरान्त कर्मचारियों ने आन्दोलन न करने का निर्णय लिया ।

उ० प्र० परिवहन निगम में निर्धारित वर्क नार्म्स के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की मांग

117–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम में निर्धारित वर्क नार्म्स के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में पूरी है ? किन-किन क्षेत्रों में कम कार्मिक हैं तथा वहां पर उनकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है ? क्या इसके पूरा करके उत्पादन में आ रही कमी को दूर किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उ० प्र० परिवहन निगम के किसी भी क्षेत्र में निर्धारित मानक प्रति संचालित बस 8.50 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं है । शासन द्वारा सामान्य वर्ग की सीधी भर्ती जनवरी 1990 से प्रतिबन्धित है परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति की नियुक्तियों हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

दस लाख कुआं योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद में अधिकारियों द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच

123–श्री अकबर हुसैन–

क्या शासन को जानकारी है कि गत वर्ष जनपद मुरादाबाद में 10 लाख कुओं की योजना हेतु शासन ने धन स्वीकृत किया था ? क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत योजना का धन किसी अन्य मद में फर्जी खर्च दिखाकर लाखें रुपयों का गोलमाल संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त योजना से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सेवायोजन कार्यालय उन्नाव द्वारा वर्ष 89-90-91 में सेवायोजित किये गये अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी

124–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेन्डर वर्ष 89, 90 व 91 के माह दिसम्बर तक उन्नाव, जिला-सेवायोजन कार्यालय में कितने ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगार, कितने-कितने इण्टर व हाई स्कूल के शिक्षित बेरोजगार अलग-अलग प्रश्नगत वर्षों में कितने बेरोजगार सेवायोजित हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जिला सेवायोजन कार्यालय, उन्नाव में कलेन्डर वर्ष 89 90 व 91 के माह दिसम्बर तक पंजीकृत एवं सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों की सूचना निम्नवत् है :–

कलेन्डर वर्षों में पंजीकृत अभ्यर्थी :–

	1989	1990	1991
हाईस्कूल	3125	2546	1809
इन्टर	2388	2559	2375
स्नातक	990	1421	423
स्नातकोत्तर	398	108	227

कलेन्डर वर्षों में सेवायोजित अभ्यर्थी :–

	1989	1990	1991
हाईस्कूल	49	03	22
इन्टर	37	20	33
स्नातक	16	12	18
स्नातकोत्तर	01	02	08

जनसेवा इण्टर कालेज, कर्वी, जि०बांदा में इण्टर विज्ञान के सभी विषयों के प्रवक्ता पदों के सृजन की मांग

129–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत जनसेवा इण्टर कालेज, कर्वी में इण्टर तक विज्ञान की मान्यता वर्ष 1984 में दी गई है तथा विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ने मान्यता प्राप्त विषयों में अध्यापक प्रवक्ताओं के साथ भौतिक विज्ञान, व रसायन विज्ञान में लैब असिस्टेंटों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में दिनांक 29-8-84 को प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा, उप शिक्षा निदेशक, झांसी, शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को भेजा है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में स्मरण पत्र/पुनः मांग पत्र दिनांक 3-2-89 व 23-7-90 व 9-10-91 को दिया गया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त पदों का सृजन कर दिया जाएगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना अनुसार प्रस्ताव निदेशालय में अनुपलब्ध है ।

जी हां,

दिनांक 23-7-90 का मांग पत्र प्राप्त हुआ है ।

एक भौतिक विज्ञान तथा एक रसायन विज्ञान प्रवक्ता का पद सृजित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की ग्राम सभा देहुसद्दमाफी में पशु अस्पताल/स्टाकमैन सेन्टर की स्थापना

130–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अंतर्गत अठगवां क्षेत्र के सभा देहुसदमाफी के प्रधान ने दिनांक 18-9-90 को जिला अधिकारी बांदा को सम्बन्धित एवं मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन को पृष्ठांकित करके गांव सभा देहुसद्दमाफी में पशु अस्पताल/स्टाक मैन सेन्टर की स्थापना हेतु पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या विकास खण्ड पहाड़ी के इस दूर दराज क्षेत्र के लिए पशु अस्पताल/स्टाक मैन केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां । पशु चिकित्सालय की स्थापना करने सम्बन्धी कार्य जिला स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाता है, यह समिति स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित करके परिव्यय उपलब्ध कराती है । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के प्रस्तावानुसार शासन को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाती है । शासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाती है । यदि विकास खण्ड पहाड़ी में पशु चिकित्सालय/स्टाक मैन सेन्टर की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होगा तभी उसकी स्थापना हेतु विचार किया जाना सम्भव होगा ।

मिर्जापुर डिपो की बरकछ वाराणसी बस सेवा का रात्रि हाल्ट मनिगढ़ा किये जाने की मांग

143–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर डिपो की बरकछ वाराणसी सेवा एवं मनिगढ़ा वाराणसी सेवा को एक साथ सम्बद्ध करके उसे एक रात्रि बरकछ एवं एक रात्रि मनिगढ़ा में हाल्ट कराने का प्रबन्ध किया जाना सम्भव है ? क्या यह सच है कि मिर्जापुर मनिगढ़ा (14.00 बजे) रहेगी और मनिगढ़ा/बरकछ से बनारस बसों का कि० मी० सेवा को पूर्ववत् चलाने में उसकी आई०सी०के० संतोषप्रद बढ़ जायेगा ? क्या मंत्री जी बरकछ बनारस सेवा को बरकछ बनारस से मनिगढ़ा एवं मनिगढ़ा बनारस को बनारस से बरकछ उसी समय सारिणी पर संचालित किए जाने का आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो प्रश्नगत सेवाओं का संचालन क्या बरकछ बनारस से मनिगढ़ा एवं मनिगढ़ा बनारस से बरकछ रात्रि हाल्ट कराने का प्रभावी आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

सम्भव है, किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

सेवा पूर्ववत् 14.00 बजे ही चल रही है, परन्तु इसकी आय संतोषप्रद नहीं है । मनिगढ़ा व बरकछ सेवाओं के वाराणसी से जोड़ने पर कि०मी० बढ़ा है, लेकिन इन सेवाओं से भी प्राप्त आय संतोषजनक नहीं है ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मिर्जापुर डिपो की ओबरा लखनऊ बस सेवा को मिर्जापुर से लालगंज होकर मांडा रोड तक चलाए जाने की मांग

144—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० परिवहन निगम मिर्जापुर डिपो की ओबरा लखनऊ सेवा (प्रातःकालीन) को वाया लालगंज भरारी माण्डा रोड मार्ग होकर चलाए जाने का निर्देश देंगे ? यह सच है कि ओबरा लखनऊ सेवा को लालगंज होकर चलाए जाने से एक ही बस सेवा से उक्त तहसील का इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ तथा सोनभद्र जिले का सीधा सम्पर्क जुड़ जायेगा और वाया विन्ध्याचल जिगना होकर लखनऊ के लिए 4 अन्य बसें हैं जबकि लालगंज से इलाहाबाद का भी सीधा सम्पर्क नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ओबरा-लखनऊ सेवा को मिर्जापुर से लालगंज होकर मांडा रोड चलाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नगत सेवा चलाने से लालगंज तहसील प्रश्न में उल्लिखित स्थानों से अवश्य जुड़ जायेगा ।

लालगंज तहसील जनपद मिर्जापुर में है । लालगंज से मिर्जापुर तथा मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

लालगंज होकर मार्ग की दूरी बढ़ जायेगी तथा लम्बी यात्रा के यात्रियों के लिये किराया बढ़ेगा एवं समय अधिक लगेगा ।

परिवहन विभाग लखनऊ में भूतपूर्व/वर्तमान/दूसरे विभाग के अधिकारियों के घर पर तैनात कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

148—श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्षेत्र में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे रिटायर्ड अधिकारियों, मौजूदा अधिकारियों व दूसरे विभाग के अधिकारियों के घरों में काम लिया जा रहा है व वेतन का खर्चा लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय को वहन करना पड़ रहा है ? ऐसा क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल

ऐसे कर्मचारियों, जो रिटायर्ड अधिकारियों, मौजूदा अधिकारियों व दूसरे विभाग के अधिकारियों के घरों पर कार्य करते हैं, की संख्या शून्य है ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में परिवहन निगम द्वारा अर्जित आय की जानकारी

149—श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उ० प्र० परिवहन निगम ने कितनी आय अर्जित की तथा क्या यह पूर्व के वर्षों की अपेक्षा अधिक है ? यदि अधिक नहीं है, तो घाटे का कारण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उ० प्र० परिवहन निगम में चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम दस माह की अवधि (अप्रैल 91 से जनवरी 92) में कुल रु० 287.13 करोड़ की आय प्राप्त हुई जो पूर्व के वर्षों की अपेक्षा अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत परिवहन निगम के कर्मचारियों की शीतकाल में देय लकड़ी के कोयले की खरीद में घपले की जांच

150–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के कर्मचारयों को शीतकाल में ठण्ड से बचने हेतु लकड़ी का कोयला देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो टनकपुर क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में गत वर्ष कितना कोयला खरीदा गया ? यह कोयला किस फर्म से खरीदा गया तथा क्या वह फर्में मौजूदा समय में भी हैं ? क्या इस संबंध में भी रोडवेज मजदूर सभा द्वारा वर्ष 1991 में कोई परिवाद किया गया ? यदि हां, तो उसमें क्या जांच हुई ? क्या जांच में विभाग द्वारा फर्जी कोटेशन पर खरीद पायी गयी ? यदि हां, तो इस क्रय में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां।

252 कुन्तल 35.700 किलो ग्राम।

मेसर्स दीवान ट्रेडर्स, लोहाघाट, ब्रांच पिथौरागढ़ से खरीदा गया। अब यह फर्म अस्तित्व में नहीं है।

जी हां।

जांच की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उ० प्र० परिवहन निगम की वार्षिक आय तथा पूरे प्रान्त में कर्मचारियों व मुख्यालय के कर्मचारियों के वेतन के अनुपात की जानकारी

151–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम मुख्यालय को पूरे प्रदेश से क्षेत्रों द्वारा प्रति वर्ष कितना धन प्राप्त होता है ? मुख्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन पर अलग-अलग प्रतिवर्ष कितना खर्चा है ? उ० प्र० राजकीय रोडवेज में पूरे प्रान्त के कर्मचारियों व मुख्यालय कर्मचारियों के वेतन के खर्चे में क्या अनुपात था ? परिवहन निगम में यह अनुपात क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में यह धनराशि क्रमशः 2,135.52 लाख तथा रु० 2,173.64 लाख थी।

परिवहन निगम में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन पर अलग-अलग खर्च का विवरण निम्नवत् हैं :–

मुख्यालय में व्यय	1988-89	1989-90	1990-91
क–कर्मचारियों पर	107.81	108.83	139.08
ख–अधिकारियों पर	36.79	52.18	63.81

उ० प्र० राजकीय रोडवेज में पूरे प्रान्त में कर्मचारियों व मुख्यालय के कर्मचारियों के वेतन खर्चे रु० 226:1 का अनुपात था । परिवहन निगम में यह अनुपात 88:1 है ।

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ के राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता डा० अशोक कुमार को स्थाई किया जाना

155–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० अशोक कुमार, प्रवक्ता, राज० शा० विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ को 13 वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर कार्य करते रहने पर एवं प्रबन्ध समिति के स्थायीकरण प्रस्ताव दिनांक 29 जून, 1989 कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के अनुमोदनार्थ एवं शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 11-1-91 के बावजूद स्थायी नहीं माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें भविष्य निधि का लाभ और अवशेष वेतन का भुगतान कब से किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर से विभिन्न मार्गों पर संचालित अवैध बसों/मिनी बसों/टैक्सियों का संचालन रोकने की मांग

158–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर लालगंज मार्ग, मिर्जापुर शक्तिनगर मार्ग, मिर्जापुर-जिगना मार्ग, मिर्जापुर औराई-कछवां मार्ग, मिर्जापुर-चुनार मार्ग पर संचालित बसों, मिनी बसों को रोड परमिट दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन बसों, मिनी बसों का संचालन कराने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? उक्त बसों के अवैध संचालन से उ० प्र० रा० स० प० नि० मिर्जापुर डिपो को गत वर्षों की तुलना में कितने रुपयों की क्षति वर्ष 1991 में हुई है ? क्या सरकार उक्त अवैध संचालित बसों को रोकने का कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध संचालन को रोकने हेतु मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में चेकिंग की विशेष व्यवस्था की गई हैं ।

जनपद मिर्जापुर में आय न होने के कारण बन्द पड़ी माण्डा बरौधा, मिर्जापुर मनिगढ़ा बस सेवा को जनहित में चालू किये जाने की मांग

159–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि० मिर्जापुर डिपो की मिर्जापुर हुलिया (8.00 बजे) मिर्जापुर मनिगढ़ा (7.30 बजे) मनिगढ़ा (17.00 बजे) माण्डा बरौधा (14.30 बजे) हलिया (16.30 बजे) (गढ़बढ़ा 16.00 बजे) की बस सेवा को आई पी० के० क्रम के चलते बन्द किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि माण्डा बरौधा (14.30 बजे) हलिया (8.00 बजे) मनिगढ़ा (17.00 बजे) की सेवा का आई पी० के० संतोषप्रद होते हुए बन्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या माण्डा बरौधा (12.30 बजे) मनिगढ़ा (16.00 बजे)मनिगढ़ा (17.00 बजे) की सेवा नियमित चलाकर आई० पी० के० को बढ़ाया जा सकता है ? क्या सरकार जनहित में माण्डा बरौधा, मिर्जापुर मनिगढ़ा (17.00 बजे) सेवा को संचालित कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं । इन सेवाओं से आय कम प्राप्त हो रही थी ।

जी नहीं । इस मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता कम है ।

उक्त मार्गों पर राष्ट्रीयकृत भाग पर परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हैं । अराष्ट्रीयकृत भाग पर भी मनिगढ़ा तक एक सेवा संचालित है । अधिक सेवायें परिवहन निगम के सीमित संसाधन एवं बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल चलाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा के ब्लाक मानिकपुर एवं मऊ में वर्ष 1983 से 91 तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनवाये गए प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूल के भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी

160–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत ब्लाक मानिकपुर एवं मऊ में वर्ष 1983 से वर्ष 1991 के मध्य प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण की धनराशि स्वीकृत हुई है एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा कार्यदायी संस्था को निर्माण हेतु धन स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो किन पाठशालाओं की कितनी धनराशि एवं किस वर्ष में ? क्या उक्त पाठशाला भवनों का निर्माण पूरा किया गया ? यदि हां, तो कितनों का ? कितने पाठशाला भवन अपूर्ण हैं ? कितनों का काम अभी तक चालू नहीं किया गया ? क्या पाठशाला भवनों की स्थानान्तरित स्वीकृत धनराशि में भवनों का निर्माण होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड मऊ तथा मानिकपुर के अन्तर्गत 30 स्वीकृत पाठशाला भवनों में से 17 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है ?

2 पाठशाला भवन अपूर्ण हैं ।

11 पाठशाला भवनों का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसमें से एक पाठशाला भवन का स्थल जनवरी. 92 में प्राप्त हुआ है । एक भवन की धनराशि शिक्षा विभाग को वापस कर दी गयी है, शेष 9 पाठशाला भवनों का निर्माण धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

20 पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकता है । शेष 9 भवनों का निर्माण कार्य अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने पर सम्भव हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 255–256 पर)

जनपद बांदा के चित्रकूट धाम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं व्यवसाय तथा प्रशिक्षणार्थियों के बारे में जानकारी

164–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत चित्रकूट धाम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1992-93 से स्वीकृत है ? यदि हां, तो शुरुआत के वर्ष में किस व्यवसाय में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ? क्या यह भी बतावेंगे कि क्या इस संबंध में जिला योजना में धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना और किस उद्देश्य के लिये ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

जनपद बांदा की जिला योजना 1992-93 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चित्रकूट धाम की स्थापना प्रस्तावित है जिसके लिये रुपये 1066 हजार की जिला योजना में व्यवस्था की गयी है । इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण कराया जा रहा है । उपयुक्त पाये जाने एवं परिव्यय के अनुसार ही वर्ष 92-93 में इस संस्थान के स्थापना की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

जनपद उन्नाव के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के स्थानीय आवास की सूची की जानकारी एवं निरीक्षण कार्य ठप्प होने की शिकायत

169–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में नहीं रहते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के स्थानीय आवासों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रति उपविद्यालय निरीक्षक ने मौरावां कस्बे के 8 कि० मी० के आसपास कितने प्राइमरी/जूनियर स्कूलों के निरीक्षण जुलाई, 91 से 15 जनवरी, 92 तक किन-किन विद्यालयों के लिये हैं ? क्या सच है कि निरीक्षण का कार्य ठप्प है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद उन्नाव में कार्यरत 14 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों में से सात प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कतिपय कारणवश अपने क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं ।

क्षेत्र में निवास कर रहे प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की सूची संलग्न है । (संलग्नक–क)

मौरावां कस्बे के 8 कि० मी० के आस पास स्थित निरीक्षित विद्यालयों की सं० 42 है जिसकी सूची संलग्न है । (संलग्नक–ख)

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 257–259 पर)

जनपद उन्नाव के पुरवा ब्लाक की मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० कोड़रा के नाम हुए पट्टे से संबंधित तालाब की सफाई किये जाने की मांग

170–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा ब्लाक की मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० कोड़रा के नाम मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पट्टा कब हुआ था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पट्टे के शर्तनामा के धारा–8 में यह उल्लेख है कि मछली पालन हेतु आवश्यक तालाब की सफाई सेवार व अन्य उत्पाद समिति स्वयं साफ करवायेगी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि समिति द्वारा मछली पालन को सुनिश्चित कराने हेतु कमल गट्टे की सफाई को माह जून, जुलाई, 1991 में तत्कालीन तहसीलदार/एस० डी० एम० ने रोक दिया था ? क्या सरकार बतायेगी कि समिति के पट्टे के अनुबन्ध की धारा–8 के अनुरूप सफाई करने देने/कमल गट्टे की कोई कीमत तय करके समिति को मछली पालन का अवसर देने आदि का समिति के सभापति राम बिलास लोधी के जिलाधिकारी उन्नाव को प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 27-7-91 पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

जी हां ।

पट्टा दिनांक 19-9-90 को हुआ था ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि विवादित तालाब में अन्य काश्तकारों के नम्बर भी शामिल हैं । पट्टे वाली भूमि व काश्तकारों की भूमि एक ही में सम्मिलित है, जिसके कारण इस समय सीमांकन करना सम्भव नहीं है । पानी कम होने पर सीमांकन करके ही इस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण सम्भव होगा ।

जनपद आगरा के ग्राम बभरौली कटारा में सामुदायिक विकास केन्द्र के भवन निर्माण में हुए घपले से संबंधित दिये गये पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

171–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम बभरौली कटारा (गढ़ी गया प्रसाद) में सामुदायिक विकास केन्द्र के भवन निर्माण में अनियमितता बरतने संबंधी प्रश्नकर्ता की शिकायतों पर कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों (कर्मचारियों) के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में मृतक अध्यापकों के आश्रितों को शासनादेशानुसार सेवायोजित किया जाना

183–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में मृतक अध्यापकों के आश्रितों के कितने मामले बिना सेवायोजन के लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि सभी मृतक आश्रितों को शासनादेश के अनुसार कब तक सेवायोजित कर लिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी रिठिया से चकरघट्टा मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर निर्माण कराये जाने की मांग

183(अ)–श्री दीनानाथ सिंह यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी में रिठिया से चकरघट्टा मार्ग पर रोडवेज बस चलने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग को, पक्की सड़क निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा मार्ग की भूमि क्यों नहीं हस्तांतरित की गयी है ? क्या इसी क्षेत्र नौगढ़, जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर में पक्की सड़कों के निर्माण हेतु वन विभाग ने भूमि हस्तांतरित की है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क निर्माण हेतु कब तक उक्त बाधायें दूर करवायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद वाराणसी में रिठिया से चकरघट्टा मार्ग पर पक्की सड़क के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । क्षेत्र नौगढ़, जनपद वाराणसी में वन विभाग द्वारा पक्की सड़क निर्माण हेतु कोई वन भूमि हस्तान्तरित नहीं की गयी है । उक्त सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन विभाग को भेजने पर ही अग्रेतर कार्यवाही संभव हो पायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में सरकार द्वारा वित्त पोषित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा किए जाने की मांग

201–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सरकार द्वारा वित्त पोषित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसके लिए क्या किया जायेगा ? यह आरक्षण कोटा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के मौजा अजरोली के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिली धनराशि के दुरुपयोग किए जाने की जांच

204–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर अन्तर्गत मौजा अजरोली के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिली राशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में सरकार किसी उच्च अधिकारी का दल भेज कर जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कराये गये कार्यों का मापीकरण कराया गया, कोई त्रुटि प्रकाश में नहीं आयी है ।

जनपद मऊ में हलधरपुर से गहना तक जोड़ने वाली जीर्ण शीर्ण सड़क को ठीक कराए जाने की मांग

206–श्री घुरहू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ अन्तर्गत बलिया राज्य मार्ग के हलधरपुर से साहूपुर विद्यालय होते गहना तक जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी जीर्ण शीर्ण है ? यदि हां, तो सरकार राज्य सेक्टर से धन देकर उसे जनहित में कब तक बनवा देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम चकफाजलपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

207–श्री अकबर हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 24-11-91 जो ग्राम्य प्रधान चकफाजलपुर ब्लाक-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ाण सिंह–

जी हां ।

उस पर खण्ड विकास अधिकारी, कुन्दरकी द्वारा जांच करायी गई । आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 में ...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 311 की सूचना प्रश्नों के बाद लेने के लिये कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा था । अभी 301 के बाद जब 311 और 56 लेंगे, उस समय मैं आपको सुनूंगा ।

सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 में कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनाएं स्वीकृत की गईं । इनमें से पहली सूचना श्री विजेन्द्र कुमार की है (अनुपस्थित) । दूसरी सूचना श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बांदा लघु डाल नहर खण्ड बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री चरन सिंह को स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के औचित्यहीन व अनियमित कैडरों में विसंगतियों के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री मातवार सिंह कन्डारी की टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में भूस्खलन रोकने हेतु जलागम एवं भूमि संरक्षण की इकाई खोलने के सम्बन्ध में । पांचवीं सूचना श्री शिवचरन प्रजापति की बांदा में बांदा बिसंडा मार्ग पर गहरा नाले के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है । छठीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव को आजमगढ़ के जिला अस्पताल की खराब पड़ी एक्स रे मशीन को ठीक कराने एवं मरीजों को प्रदत्त सुविधाएं दिलाने के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री दीना नाथ सिंह यादव की उ० प्र० जल निगम द्वारा दिनांक 19-2-77 को सृजित स्टोर कीपर के 81 पदों पर नियुक्ति करने तथा उन्हें चार्ज दिये जाने के सम्बन्ध में है । चूंकि श्री विजेन्द्र कुमार अनुपस्थित हैं इसलिये उनके स्थान पर श्री पूरन प्रकाश की सूचना ले लेता हूं । श्री पूरन प्रकाश भी अनुपस्थित हैं इसलिये श्री राम प्रसाद सिंह की सूचना जो बांदा के ग्राम सकरौली, परसींजा एवं अरवारा के अग्नि पीड़ितों को सहायता देने के सम्बन्ध में है ली जाती है । (सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

(व्यवधान)

बांदा में लघु डाल नहर खण्ड बांदा के अधिशासी अभियन्ता के कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, उपरोक्त विषय में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि श्री के० के० कालरा लघु डाल नहर खण्ड बांदा के अधिशाषी अभियन्ता ने भारी भ्रष्टाचार कर रखा है इनकी भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी बांदा ने उच्चाधिकारियों को भेजी थी ! इसके बाद इनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से संबंधित बिन्दुवार मैंने एक पत्र पत्र संख्या 253835/52 दिनांक 18-4-92 को उपरोक्त श्री के० के० कालरा जी को ही जानकारी लेने हेतु लिखा था, जिसमें इनके द्वारा करवाये गये कार्य चिल्लीमल पम्प कैनाल अलोना, पम्प कैनाल, दौलतपुर पम्प कैनाल, टेलीफोन के सीमा से अधिक बिल भुगतान जिलाधिकारी बांदा द्वारा वायरलेस द्वारा उच्चधिकारियों को जो शिकायतें भेजी गयी हैं, उनका उल्लेख व अन्य उल्लेख किया गया था ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैंने जो पत्र संख्या 253835/52 दिनांक 18-4-92 को श्री के०के० कालरा उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता महोदय को लिखा है उसमें उल्लेखित सभी बिन्दुओं की जांच उच्च स्तरीय करवाने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के अनियमित कैडरों की विसंगतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चरन सिंह–

[मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के औचित्यहीन व अनियमित कथित कैडरों में विसंगतियों एवं अनियमितताओं से विभाग में उत्पन्न अव्यवस्थाओं एवं रोष के निवारण हेतु लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

विद्युत यांत्रिक अभियन्ताओं के संवर्ग विषय में विद्युत सेल के वरिष्ठ अभियन्ताओं के हित साधना में विभाग शासन संवेदनहीन बन गया है पूरे सेवाकाल में बिना साक्षात्कार के सेवारत एवं शुरू में लीव वैकेन्सी में नियुक्ति प्राप्त तथा बाद में दो प्रोन्नति पाये मात्र सेल के प्रभारी की स्वार्थ पूर्ति हेतु विद्युत सेल योजना को सेल में कार्यरत चालकों, लिपिकों, चपरासी आदि को छोड़कर केवल अभियन्ताओं के मामले में इस योजना को नियम व औचित्य के विपरीत अलग सेवायें-सेवा नियमों तथा संवर्ग के समान प्रदत्त दर्जे पर विधायकों की मांग पर भी कार्मिक व न्याय विभाग तथा अभियन्ताओं के नोडल लोक निर्माण से परीक्षण-परामर्श प्राप्ति से शासन कतरा रहा है । जिसे सुनिश्चित करके सभी अभियन्ताओं का एक संवर्ग बनाया जाय ।

सेल में टेक्नोलोजिस्टों एवं सहायक अभियन्ताओं के 15 वर्षों से रिक्त पदों पर पटवाडांगर के विभागीय अभियन्ताओं की शासनादेश के बावजूद कथित कैडर थ्योरी की आड़ में सेल के प्रभारी उन्हें पूरे सेवाकाल में पटवाडांगर रूपी अंडमान निकोबार में रखकर उत्पीड़न कराते हैं और स्वयं को परिवहन सेल में उपनिदेशक के समस्तर पर स्थानान्तरण में कोई विधिक बाधा व निषेधाज्ञा न होने एवं अभियन्ताओं हेतु निदेशालय के 4-8-75, 3-2-83, 18-7-86, 29-6-88, 18-8-89 और शासन के 16-8-89 व 11-6-90 के अनुसार अंतरकैडरों में हुए स्थानान्तरणों की वास्तविकताओं व परिपेक्ष्य के बावजूद तथा स्वस्थ कार्मिक प्रबन्ध प्रशासन स्वच्छता को नजरन्दाज कर सेल के अनियमित कैडर को औचित्यहीन बाधा बना रखा है । परन्तु अज्ञात तालमेल के कारण आयोग से चयनित व्यक्ति न मिलने के नाम पर आठ वर्षों से टेक्नोलोजिस्ट के मात्र एक पद पर अन्य कैडर के व्यक्ति विशेष को सेल में रोकने पर शासन को आपत्ति क्यों नहीं ? के० जी० एम० सी० में 6 वर्षों से हाइडिल के अभियन्ता को रोकने का अपवाद समाप्त करके नियमानुसार अधिकतम 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय तथा विभाग में अभियन्ता की एक पद-स्थान पर 10 वर्ष की अधिकतम अवधि सुनिश्चित की जाय ।]

टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में भूस्खलन रोकने हेतु भूमि संरक्षण इकाई खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कंडारी–

[मान्यवर विकास खण्ड जखोली टिहरी गढ़वाल में प्रति वर्ष अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है फलतः कृषि योग्य भूमि बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो जाती है । यह सबसे बड़ा ब्लाक है इसकी आबादी 95,000 है तथा 107 ग्राम सभायें हैं इतने बड़े विशाल ब्लाक में प्रति वर्ष भूमि का कटाव हो रहा है ।

मेरा उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध है कि भूमि के कटाव को रोकथाम करने हेतु विकास खण्ड जखोली में जलागम एवं भूमि संरक्षण की इकाई खोली जाय ।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बांदा में बांदा-विसण्डा मार्ग पर गडरा नाले के पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव चरण प्रजापति–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा से विसन्डा जो बांदा जनपद के प्रमुख मार्गों में से एक है । गडरा नाला पड़ता है । जिसके पुल के निर्माण न होने से सैकड़ों ग्रामों के ग्रामवासियों को भारी असुविधा होती है । बरसात के समय लगभग 5 माह किसी भी बस व वाहन का पुल के अभाव में आना जाना बन्द हो जाता है । लोगों को भारी असुविधा होती है ।

अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उक्त पुल के निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें ।]

आजमगढ़ के जिला अस्पताल की एक्सरे मशीनों को ठीक कराने एवं गरीबों को प्रदत्त सुविधायें दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

जिला अस्पताल आजमगढ़ की एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों के रोग की जांच नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों को दवायें न उपलब्ध कराकर बाजार से खरिदवायी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर नियुक्त डाक्टर अपने-अपने घरों में प्राइवेट तौर पर फीस लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं । जिससे वहां के रोगियों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि अस्पताल की अविलम्ब एक्सरे मशीन ठीक कराने, मरीजों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा दवा आदि अस्पताल से ही दिलवाने तथा डाक्टरों को अस्पताल में बैठकर मरीजों को देखने की हिदायत की जाय ।]

उ० प्र० जल निगम द्वारा सृजित स्टोर कीपर के 81 पदों पर नियुक्ति करने तथा चार्ज दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 448/प्र0-1-2/जूज० श० (सृजन) 19.09 दिनांक 19-2-77 स्टोर कीपर के 73 पद सृजित किये गये थे जो बाद में बढ़कर 81 हो गये । इनमें अभी तक कुल 58 पदों पर नियुक्ति की गयी है शेष 23 रिक्त हैं । चार्ज मात्र 10 को ही दिया गया है जबकि स्टोर कीपरों के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 14-7-86 को ही किया जा चुका है सारी जिम्मेदारी स्टोर कीपर की निर्धारित है । मात्र सामग्री का माप व भुगतान हेतु अवर अभियन्ता को लगाया गया है । जबकि गुणवत्ता नियंत्रण सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है ।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2,200 प्रतिमाह वेतन पाने वाले स्टोर कीपरों को चार्ज न देकर 4,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाले अवर अभियन्ताओं से कार्य कराया जा रहा है जिससे विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा स्टोर कीपरों को बैठाकर वेतन दिया जा रहा है दूसरे स्टोर कीपरों के पास सामग्री उपयोग करने का अधिकार नहीं है जबकि अभियन्ता के पास में अधिकार व स्टोर दोनों रहने से घोटाला करने में वेहद सुविधा मिल जाती है। तीसरे स्टोर कीपर की जमानत धनराशि 5,000 रुपया तथा अवर अभियन्ता की मात्र 2,500 रुपया है।

मान्यवर, उपरोक्त सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व की है इस पर चर्चा कराकर शासन द्वारा तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इससे स्टोर कीपरों के साथ न्याय तथा विभाग व जनहित सुनिश्चित हो सके।]

जनपद बांदा के ग्राम सकरौली, परसौंजा एवं अखारा के अग्नि पीड़ितों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद सिंह–

[मान्यवर, जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत ग्राम सकरौली, परसौजा एवं अखारा में अलग-अलग अग्निकाण्डों की घटनाओं में अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के सैकड़ों लोगों के मकान जलकर राख हो गये हैं घर गृहस्थी एवं जानवर जल गये हैं वह लोग बेघरवार खुले आसमान में दिन गुजार रहे हैं पीड़ित परिवारों की हालत दयनीय है अभी तक कोई सहायता नहीं दी गयी है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि दैवी आपदा अग्नि से पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र सहायता की व्यवस्था की जाय।]

(व्यवधान)

टैम्पो स्ट्राइक के कारण मा० सदस्यों की असुविधा को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप नियम-301 की सूचना ले रहे थे, तो कई माननीय सदस्य सदन में नहीं आ पाये हैं इसका कारण है बहुत से माननीय सदस्य टैम्पो और थ्री व्हीलर से आते हैं जिसकी वजह से सदन में नहीं पहुंच पाये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात पूरी तो होने दें उसके बाद चाहे आप इसको अस्वीकार कर दें। मान्यवर, टैम्पो की स्ट्राइक की वजह से सदन में बहुत से माननीय सदस्य नहीं आ पाये हैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करके मुख्य मार्गों पर चलाई जाएं। माननीय परिवहन मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त बसों को चलवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसको सुन लिया है इसको व्यवस्था के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है। जो कि दिनांक 23-4-92 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा में दिया गया वक्तव्य संविधान की मूल प्रस्तावना के विपरीत होने के संबंध में है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान––

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें जो और सूचनायें ली हैं वह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना भी स्वामीनाथ जी के साथ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरी एक और सूचना भी है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम-300 में एक सूचना है यह इन्हीं से मिलती जुलती है मैं इनके बाद आपको सुन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियम–300 में किन-किन माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं उनको पहले बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–300 में पहली सूचना माननीय स्वामी नाथ यादव और माननीय आजम खां की है। इन्होंने दिनांक 23-4-92 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिया गया वक्तव्य संविधान की मूल प्रस्तावना के विपरीत होने के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल तथा सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की है इन्होंने दिनांक 26-4-92 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अयोध्या में की गयी घोषणा के संबंध में सूचना दी है। तीसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की है इन्होंने विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 5वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा हृदय नारायण दीक्षित जी की है इन्होंने प्रदेश में ग्राम प्रधानों का व्यापक स्तर पर निलम्बन किये जाने के संबंध में सूचना दी है। पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है इन्होंने संविधान के मौलिक सिद्धान्त धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर जनपद फर्रुखाबाद में बौद्ध धर्मावलम्बियों एवं अन्य धर्मावलम्बियों में टकराव होने के संबंध में सूचना दी है। छठी सूचना श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की है। इन्होंने राम गंगा नदी का बहाव गागेन नदी में हो जाने के फलस्वरूप जनपद मुरादाबाद के लगभग 50 गांवों को बचाने हेतु दिनांक 24 फरवरी, 1988 को दिये गये आश्वासनों के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ला की है इन्होंने हाल में अयोध्या में जांच हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी समिति द्वारा प्रदेश सरकार के कार्य में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना किसी माननीय सदस्य की है जिनके हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा० मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिया गया वक्तव्य संविधान की मूल भावना के विपरीत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 तारीख को जो वक्तव्य दिया था, भारत के संविधान के जो रचयिता थे, उसके अनुसार इस देश को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने विचार रखा था। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि संविधान की मान्यताओं के विपरीत, न्याय और समता के सिद्धान्तों के विपरीत कार्यों द्वारा संविधान की भावना को समाप्त किया जा रहा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के विपरीत यदि कोई भी व्यक्ति वक्तव्य देता है तो वह इस भारत देश को तोड़ता है और संविधान की अवहेलना करता है, उसको देशद्रोही कहा गया है, देशद्रोही की संज्ञा दी गयी है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा देश और प्रदेश को, हिन्दू राष्ट्र की घोषणा की गयी है। भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मान्यवर, इस संविधान द्वारा एकता और अखंडता की बात कही गयी है। आज कहा जा रहा है कि हमारे देश को दूसरे देश तोड़ रहे हैं लेकिन अपने ही देश में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा जो बातें कहीं गयीं हैं वह संविधान की भावना के विपरीत हैं। इस सरकार ने संविधान के नियमों के अनुसार शपथ लिया है या नहीं। अगर शपथ लिया है तो संविधान की मूल प्रस्तावना को तोड़ने का साहस कैसे किया गया है। इसलिये ऐसी सरकार जो संविधान को समाप्त करना चाहती है उसको एक क्षण भी यहां रहने का हक नहीं है। ऐसी सरकार को मैं बर्खास्त करने की मांग करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त भारत के गौरव से संबंधित प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को निश्चित रूप से स्वीकार करें क्योंकि भारत के संविधान की अवहेलना की गयी है। यह नियम 301 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आज एक बहुत गम्भीर प्रश्न सदन के सामने है। यह प्रश्न केवल दो सदन के सामने ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश और देश के सामने है। क्यों, इसलिये कि हमारा संविधान जिसे हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़कर एक लम्बी कुर्बानी के बाद तैयार किया था और यह माना था कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का बराबर आदर होना चाहिये और उन्हें यहां हर तरह से रहने की आजादी, चलने फिरने की आजादी, धर्म और विचार की आजादी मिलना चाहिये। जब संविधान लिखा गया तो हमने पूरी दुनिया के संविधानों को देखा और उनसे सारी अच्छी बातों को लेकर, अपने पूर्वजों की रिवायतों को लेकर संविधान बनाया जिसमें न काले का फर्क था, न गोरे का, न इलाके का फर्क था, न कोई छोटे और बड़े का फर्क या न प्रान्तों का फर्क था और न धर्म के नाम पर इंसानों के बंटवारे का सवाल था। सारे धर्मों के मानने वालों को बराबर आजादी होगी। इसीलिये इसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पैटर्न की स्टेट माना गया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का देश, जिसके कानून में धर्म के लिये कोई

जगह नहीं होगी । लोग अपने अपने धर्म पर कायम रहेंगे और अपने अपने धर्मों को मानेंगे लेकिन कानून में धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, देश में धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा ।

हमारे संविधान के पहले पेज में यह साफ लिखा है कि एक हिन्दुस्तानी शहरी के नाते हम धर्मनिरपेक्ष, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी देश के रहने वाले हैं । टिप्पणी में आगे लिखा है कि यह एक पन्थ निरपेक्ष देश होगा जिसमें सभी पंथों का, धर्मों का समान रूप से आदर किया जायेगा । तो सभी धर्मो में समान व्यवहार के संबंध में कहना चाहूंगा कि इस देश में एक बहुत बड़ी तादाद अल्पसंख्यकों की रहती है । यह तादाद इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है । उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी आबादी हिन्दुस्तान के रहने वाले अल्पसंख्यकों की तादाद से चौथाई से भी कम है । मेरा ऐतराज है कि इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को इस सदन के मुखिया ने अपमानित किया है । आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें, उस दिन मुख्य मंत्री जी ने साफ कहा है जब मैंने कहा कि आप मजबूती से कहिये कि आप हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह तो आपकी गलती हैं जो आपको दिखायी नहीं देता इसमें हमारी कोई गलती नहीं है यह हिन्दू राष्ट्र तो हैं ही यह कौन सी बात है जो बताने की है । इसीलिये हमारा कहना है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले करोड़ों अल्पसंख्यकों और उन तमाम दूसरे लोगों को जो इस बात में यकीन रखते हैं कि यह देश संविधान और कानून का देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, का शदीद सदमा पहुंचा है । हमें खुशी है यह कहते हुए कि असली मुद्दा जो बाबरी मस्जिद को गिराने का है, इसमें मुसलमान ही पक्ष नहीं है, तमाम हिन्दू भी ईमानदारी से कहते और महसूस करते हैं कि इस सरकार की मंशा धर्म के नाम पर बंटवारा कराने की है जो गलत है । आज विपक्ष में वह सारे लोग इसीलिये बैठे हैं, मुलायम सिंह जी हैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, उनकी सत्ता सिर्फ इसीलिये चली गयी कि उनकी सरकार ने माना कि यह देश कानून का रहेगा । यहां पर अराजकता का कानून नहीं चलेगा ।

इसीलिये मैं बार-बार कहता रहा हूं कि जहां देश में कानून का राज नहीं होगा, "रूल आफ जंगल" होगा जंगल का राज होगा, मैंने मिसाल दी है कि रूस जैसा देश; रात को जिस तरह से लोग सोये, सुबह उठे तो रूस अपनी हैसियत में नहीं था । आज अफगानिस्तान की जो हालत है, वह हमारे सामने है, जो सरकार कानून को माने जाने के लिये, न्यायालय के फैसले को लागू कराने के लिये सत्ता से चली गयी हो, वह देश की आजादी को सर्वोपरि मानते थे, धर्मनिरपेरक्षता को सर्वोपरि मानते थे । इसलिये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एक तरफ इस देश को संविधान के अनुसार चलाया जायगा और दूसरी तरफ इस देश में रहने वाले करोड़ों अल्पसंख्यक जो आज यह मानकर चल रहे हैं कि यह प्रदेश संविधान का देश नहीं रह गया है, इसलिये हमें यह सोचना है कि हम जिस देश के निवासी हैं और जहां हम रहते हैं, इस देश में हमारी हैसियत क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा मूल जो मुद्दा है, यह एक बहुत ही गम्भीर सवाल है । मान्यवर, मैं एक अल्पसंख्यक होने के नाते इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि प्रदेश के सारे अल्पसंख्यकों की ओर से एहसास कराऊं । इस विधान सभा में अल्पसंख्यक अपने को अपमानित, असुरक्षित और जिल्लत भरा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि इस प्रदेश का मुखिया ही जब ऐसा कह रहा है तो हमारी स्थिति क्या होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[x x x]

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, स्वामी नाथ जी ने प्रियम्बुल पढ़ दिया । कदाचित शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रखने से एक भ्रांति पैदा हो गयी है । माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने भाषण में हिन्दू राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया । राज्य और राष्ट्र में फर्क है । जिस समय हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ, उस पृष्ठभूमि में मैं जाना नहीं जाता हूं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हिन्दू और मुसलमान के नाम पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ । उस समय हालात यह हो गये थे, राज्य के कर्मचारी बदल गये और यहां तक कि जेल में जो लोग थे, उनके सामने भी यह विकल्प था कि यदि वह चाहें तो हिन्दुस्तान में रहें या पाकिस्तान चले जायं । हमारे यहां कभी भी यह धर्म राज्य नहीं रहा । हिन्दुस्तान को हमने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया । हिन्दुस्तान के अन्दर कोई मजहब हमने स्वीकार नहीं किया । इस बात को आप देखें कि यह जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, इसको माननीय सदस्य ने अभी पढ़कर सुनाया । "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये । " जहां तक हिन्दू शब्द का ताल्लुक है, यह पंथ का प्रतीक नहीं है । यह राष्ट्र का प्रतीक है, इसलिये माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि यह हिन्दू राष्ट्र है, इसे राज्य से मिलाइये नहीं ।

यह हमारा देश एक है, इसकी अखण्डता है, इसकी सार्वभौमिकता है, लेकिन कदाचित हिन्दू शब्द को पंथ के साथ जोड़ कर, इसको विकृत न करें । राज्य और राष्ट्र में फर्क है । हिन्दू राज्य को स्थापित करने का हमने कभी वचन नहीं दिया है । यह हिन्दू राष्ट्र तो है, हिन्दू राष्ट्र था और हिन्दू राष्ट्र रहेगा । इसको मजहब से मत जोड़िये । इसमें सबको रहने की आजादी है, अल्पसंख्यकों का भाषाई हो या मजहबी पूरा सम्मान है, उनके सम्मान की पूरी रक्षा है । अभी एक दैनिक समाचार पत्र ने मत संग्रह किया है, वह भारतीय जनता पार्टी का अपना भाषण नहीं है, वह एक सम्मानित समाचार पत्र का सर्वे है, मैं नाम नहीं लेता हूं, जिसमें अल्पसंख्यक भाइयों ने अपने यह विचार व्यक्त किये हैं कि वह श्री कल्याण सिंह जी के मुख्य मंत्रित्व में जितना सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, उतना और किसी के मुख्य मंत्रित्व काल में नहीं महसूस किया है । इसलिये आप शब्दों को तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश न करें, विकृत करने की कोशिश न करें । मैंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया है, यह नियम 300 में नहीं आता है । आप इस पर अपना निर्णय दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां

मान्यवर, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह हिन्दू राज्य है .....

नोटः-[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप अपना दृष्टिकोण रख चुके हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह मंत्री जी ने माना है कि मुख्य मंत्री जी ने इसे हिन्दू राज्य कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं, यह नहीं कहा है। राज्य नहीं कहा है, फिर शब्दों को तोड़-मरोड़ कर कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इनसे यही कहलवाना चाहता था कि इन्होंने हिन्दू राष्ट्र कहा है। मान्यवर, अगर यह हिन्दू राष्ट्र है, तो फिर यहां पर अल्प संख्यकों को रहने का कानून में क्या अधिकार है। हमारा संविधान हिन्दू राष्ट्र का संविधान नहीं है, हमारा संविधान धर्मनिर्पेक्षता का है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने सारे तर्क रख दिये हैं और उनका उत्तर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है, अब आप कृपया बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यकों का अपमान हो रहा है और जरूरत से ज्यादा हो रहा है मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री मोहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मैंने अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मान्यवर, आज पहली बार मुझे इस बात का आभास हुआ कि भारत जो राष्ट्र है वह धर्मनिर्पेक्ष नहीं है। आपने क्या कहा आप सुन तो लें। भारत राष्ट्र जो है, इसमें मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान वर्धन चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दोनों में फर्क किया है। आज तक तो जो भारत के राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने इस संविधान की संरचना की, उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर इस बात का फैसला किया था और तय किया था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो धर्म निरपेक्ष होगा और अब इन्होंने नया शब्द ईजाद कर लिया है पक्ष निर्पेक्ष। जो आपकी पार्टी और आपकी सरकार की भावना है, उसमें केवल एक बहुमत का ही राष्ट्र नहीं है, यह राष्ट्र सभी वर्गों का है और सभी अल्प संख्यक चाहे वह मुसलमान हों, चाहे सिख हों और चाहे इसाई हों, सभी को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन जिस तरह की व्याख्या आप कर रहे हैं और जिस प्रकार की दहशत आप फैलाये हैं और यह कहना कि वह लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, वास्तव में जितना वह असुरक्षित महसूस करते हैं, वह 45 साल में कभी नहीं महसूस किया। मान्यवर, आज उनके मन में दहशत है। जब आप सरकार के बाहर थे, तो दंगे आप ही करवाते थे और अब आप सरकार में आ गये हैं। मैं सबूत दे सकता हूं। कि कितनी दरगाहों पर और कितनी मस्जिदों पर आपने कब्जा किया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है। यह जो कह रहे हैं, एक ढकोसला है। आप इस तरह की नयी परम्परा न

डालें । आप केन्द्र सरकार की बातें मानेंगे नहीं, संविधान की बात मानेंगे नहीं । आप कम से कम न्यायालय की तो अवहेलना न करें, लेकिन आप कहते हैं कि न्यायालय की अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन जो आचरण है, उससे स्पष्ट होता है कि आप न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं । इसलिये यह इतना अहम सवाल है, जिसे मोहम्मद आजम खां ने और स्वामी नाथ ने उठाया है, इसलिये आप इसे निरस्त न करें, यह एक संवैधानिक सवाल है । आप इस पर गंभीरता से विचार करें और चर्चा करा दें तो यह सब साफ हो जायेगा कि यह हिन्दू राष्ट्र है या राज्य है, या पंथ निर्पेक्ष है, क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने ग्राह्यता पर अनुमति दे दी थी । लेकिन उस समय नेता विरोधी दल खड़े हो गये थे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिये कोई रोक नहीं है लेकिन और पर तो आप कहते हैं कि जिनके हस्ताक्षर हों उन्हीं को बोलने देंगे ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नरेश जी, क्या बोलने पर आप को कोई एतराज है । मान्यवर, जिस मामले को उठाया गया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिसका उत्तर दिया है, श्रीमन् हम कहना नहीं चाहते हैं, गलत बात होगी लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि यह जाल बट्टे वालों की सरकार है , किसी बात को तोड़मरोड़कर कहने वालों की सरकार है । श्रीमन् धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अन्तर है हमारा लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष है और उसका मतलब धर्म निरपेक्ष है ही । हमारे देश में तमाम धर्मों के पंथ के लोग हैं इन सबको एक सूत्र में बांधा जा सके, राष्ट्र की एकता बनी रहे इसलिए संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्ष रखी गयी थी । आज संसदीय कार्य मंत्री ने संविधान को यहां पर तोड़मरोड़ कर पेश किया है, संविधान की यहां पर धज्जियां उड़ा दी हैं, इससे ज्यादा विधान सभा का अपमान और कोई नहीं हो सकता है जिस विधान सभा में संसदीय कार्य मंत्री इस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ा दें ऐसे मंत्री को हटाने का निर्देश दें और इसके जो भी परिणाम होंगे उसमें पूरा विपक्ष आपका साथ देगा । श्रीमन् जो संविधान की और राष्ट्र की मर्यादा को समाप्त कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है ऐसे संसदीय कार्यमंत्री को इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि फौरन बरखास्त करने का निर्देश दें, जो इसके परिणाम होंगे उसमें पूरा विपक्ष आपका साथ देकर इससे निपटेगा । आज हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राज्य में इतना बड़ा मसला पैदा हो गया है और सरकार की तरफ से इतना गैर जिम्मेदाराना उत्तर आ रहा है कि हिन्दू राष्ट्र है यह राष्ट्र और राज्य में अन्तर समझते हैं बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था दें । आप संसदीय कार्य मंत्री और सरकार को इस गैरजिम्मेदाराना, टालमटोल और जालबट्टे वाले बयान के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

(श्री विजय सिंह राणा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री प्रमोद तिवारी और श्री विजय सिंह राणा के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

अग्राह्य औचित्य के प्रश्न को पुनः सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आपने एक औचित्य के प्रश्न पर जिस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर थे उसको सुनने के बाद अग्राह्य कर दिया उसके बाद किस नियम के अन्दर माननीय वर्मा जी को सुना, यह मेरी समझ में नहीं आता इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था का प्रश्न आया, अभी मैंने उसे अग्राह्य नहीं किया है, आप मुझसे ज्यादा नहीं जान रहे हैं, मैंने अग्राह्य नहीं किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त संवेदनशील विषय है और मैं चाहता हूं कि गंभीरता के साथ सबके विचार जान लें । किसी भी सरकार को निरंकुश सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

तथ्य तो सब आ गये हैं, आप केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे इस सम्मानित सदन में चौथी बार आने का अवसर मिला है । मुझे मालूम हैं कि मुझे ग्राह्यता पर ही बोलना है । कृपया मुझे बोलने का अवसर दें ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, संविधान के ढांचे के अनुसार ही कार्य करती है । उसके विपरीत नहीं जा सकती । अभी माननीय नेता, विरोधी दल ने स्वामी नाथ यादव जी ने संविधान

के उसी प्रारूप को पढ़कर सुनाया जिसके अनुसार पंथ निरपेक्ष सरकार है, यह कहा गया । संविधान के अनुच्छेद 14 में व्याख्या की गयी है कि सब धर्मों को स्वतंत्रता का अधिकार है । कोई भी सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती है । और उस स्वरूप को परिवर्तित करने का अधिकार किसी को नहीं है । इसमें किसी धर्म का नाम जोड़ना संविधान के प्रतिकूल है । कोई नागरिक या कोई सरकार अगर संविधान के विपरीत कार्य करती है, तो वह राष्ट्रद्रोही है । आज संसदीय कार्य मंत्री जी संविधान के विरुद्ध बोले हैं, अतः वह राष्ट्रद्रोही हैं । राष्ट्रद्रोहियों की सजा एक है, जिस संसदीय कार्य मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । इनको जेल के सींखचों के पीछे होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

(डा० महेन्द्र नाथ पांडेय के खड़े होने से व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री ने गंभीर समस्या पैदा कर दी है । उन्होंने कहा है कि यह भारत राष्ट्र है, राज्य नहीं है ।

उनका संभवतः कहना यह है कि राष्ट्र तो भारत है और राज्य हिन्दू है राज्य में अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हो सकते हैं । इन्होंने जो कहा है, हिन्दू राज्य और राष्ट्र में अन्तर करके कहना चाहता हूं कि शासन में सभी धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन राज्य हिन्दू है । यह संविधान की मंशा के विपरीत कार्य हो रहा है । यह बात कहकर देश के अन्दर निश्चित रूप से विघटन कारी प्रक्रिया शुरू हो गयी और इस देश के सामने जो विभिन्न सम्प्रदायों के लोग हैं, उनके मन में चिन्ता आनी स्वाभाविक है । मैं इस कथन पर अंसतोष व्यक्त करते हुए अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा द्वारा अपने दल सहित सदन का त्याग किया गया)

श्री ऊदल–

मान्यवर, मुझे मा० संसदीय कार्य मंत्री की बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने पंथ निरपेक्ष की जो व्याख्या की है, वह संविधान के विपरीत है ।

हमारे देश में बहुत से पंथ हैं, पंथ का मतलब इनके धर्मों से है । इसलिये पंथ का मतलब होता है धर्म, मान्यवर, धर्मनिरपेक्षता की बात हमारे संविधान के अन्तर्गत है । ऐसे संवेदनशील मसले पर जो इन्होने व्याख्या की है, अपने मुख्य मंत्री जी के बयान को जो इन्होंने दोहराया है, मैं समझता हूं कि यह देश को तोड़ने की प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि यह संविधान का उल्लंघन है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री के गलत उत्तर, इनकी गलत संविधान विरोधी व्याख्या के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री ऊदल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन परित्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–)

मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि पिछले चालीस सालों में शब्दों का राजनीतिक कारणों से गलत अर्थ लगाया गया...

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, संविधान में लिखा है "दि पीपुल आफ इंडिया", हैविंग सांलमली रिजाल्व्ड टु कांस्टीट्यूट इंडिया इंटु ए सावरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक–इसकी भी व्याख्या है, सेक्युलर शब्द के ऊपर जो नीचे लिखा है, राष्ट्र है या राज्य है, राष्ट्र–राज्य और इंडिया यह तीन व्याख्या कर दी, अब यह सदन में स्पष्ट हो जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

हिन्दू धर्म है या नहीं, यह भी स्पष्ट कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पिछले 40 वर्षों में राजनीतिक कारणों से शब्दों की गलत व्याख्या की जाती रही, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हिन्दुस्तान को पंथ राज्य बनाना होता तो जब हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ था, धर्म निरपेक्ष नहीं माना जाता, हम इसे धर्म निरपेक्ष मानते हैं, पंथ निरपेक्ष मानते हैं, जो भी यहां अल्पसंख्यक हैं उनको रहने का और हर काम करने का समान अवसर है, दो स्तर की नागरिकता नहीं है, राज्य शब्द ले लिया गया .....

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो बयान की बात हुई, उस संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा दी गयी, राज्य अलग है, यहां भी अल्पसंख्यक भाइयों को बराबरी का दर्जा है, सबको समान अवसर है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा और उधर से कुछ बाते कही गयी कि मुझे हटा देना चाहिये, मान्यवर, अब जनता ने हमारी पार्टी को चुनकर भेजा है, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को हटाने का (व्यवधान) मान्यवर, अपनी हताशा को मिटाने के लिये यह आरोप लगाने शुरू कर दिये गये हैं, बात को सही मायने में समझने की चेष्टा करें, उस हताशा के अनुरूप यह बात कही गयी । मान्यवर, इसमें ग्राह्यता जैसी कोई बात ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

औचित्य का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठाया जा सकता है जो प्रक्रिया नियमावली के नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिससे सदन का.....

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, निर्णय सुरक्षित कर दें

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध मे हो । प्रश्न मामले में प्रक्रिया नियमावली का कोई नियम या संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद अंतर्ग्रस्त नहीं है अतः यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह अस्वीकार किया जाता है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, संविधान की मूल भावना के विपरीत बात हो रही है, देश के संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष–

श्री स्वामी नाथ यादव, जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मैं इन सब बातों के विरोधस्वरूप सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री स्वामी नाथ यादव सदन का त्याग कर चले गये)

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कब से व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था की बात तो अब खत्म ही हो गयी ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, पीठ के लिये अपमानजनक टिप्पणी की गयी थी, उसी के लिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

दूसरे देश के इशारे पर इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ।

मा० मुख्य मंत्री द्वारा अयोध्या में की गयी घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अयोध्या में कल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इकट्ठे होकर यह घोषणा की कि हम लोग अपने-अपने राज्य की सम्प्रभुता नहीं खोने देंगे । मान्यवर, जब-जब राज्य के अधिकारों पर केन्द्र के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, जब-जब स्वायत्ता की बात उठती है और पंजाब, असम समस्या इसी का परिणाम है । मान्यवर, आज सम्पूर्ण देश और प्रदेश में इस बात का प्रश्न पैदा हो गया है कि क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संविधान से या इस देश से विश्वास उठ गया है, क्या यह लोग अपने-अपने राज्यों को अलग राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं । मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद–1 की ओर ले जाना चाहता हूं । इस अनुच्छेद में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा और संविधान की व्याख्या में सम्प्रभुता यानि सावरेनटी का अर्थ राष्ट्र की सम्प्रभुता से है, राज्यों की सम्प्रभुता से नहीं । कल अयोध्या में राज्यों की सम्प्रभुता की बात कही गयी यानि राज्य अलग-अलग राष्ट्र हो गये और उनकी सम्प्रभुता को खतरा पैदा हो गया । इस प्रकार स्वायत्ता "आटोनामी" हर राज्य की अलग-अलग मानकर इन राज्यों ने अपनी अलग स्वायत्ता घोषित कर दी है और आज देश टुकड़ों में बटने की स्थिति में आ गया है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 3 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन का अधिकार केन्द्र सरकार को है। इसी अनुच्छेद के ङ में देखें, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यह भी अधिकार केन्द्र सरकार को है। इसी तरह अनुच्छेद–53 को देखें, इसमें लिखा है "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी श्रीमन् अनुच्छेद–256 को देखें राज्यों और संघ की बाध्यता, इसमें दिया हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा जिससे संसद द्वारा बनाई गयी विधियों का और ऐसी विद्मान विधियों का जो उसे राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो। मान्यवर, अनुच्छेद-257 में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, इसमें स्पष्ट दिया है कि यदि 256 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने अधिकारों का सही प्रयोग नहीं करती, तो केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह उसको सही रूप से पालन कराये।

मान्यवर, हम इस भारत के नागरिक होने के साथ-साथ इस विधान सभा के सदस्य हैं और हमको संविधान के अनुच्छेद–19 के अन्तर्गत वाक् स्वातन्त्र्य और अधिकारों का संरक्षण दिया है और इसी के घ में दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का यानि हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं। श्रीमन् जनता दल (ब) के सदस्य, जनता दल (अ) के सदस्य और समाजवादी जनता दल के सदस्य वहां गये, हम लोग भी वहां गये, लेकिन हम लोगों को रामसनेही घाट पर रोक लिया गया और इस प्रकार अनुच्छेद–19 में जो हमको अधिकार है, उसका साफ उल्लंघन किया गया। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एम० पीज, विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता और स्वयं इस प्रदेश के बाहर के तीन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को वहां पर जाने की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार अनुच्छेद–19 में जो अधिकार दिये हैं, उनका खुला उल्लंघन हुआ है अब मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 368 की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर ये संविधान के अन्तर्गत स्वतंत्र राज्य की मांग भी कर रहे हैं तो भी उसमें संशोधन करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है न कि इनको। चुनाव के दौरान इन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तरांचल को पृथक राज्य बनायें। इसका भी इनको अधिकार नहीं है। इनकी मानसिकता से ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान को, बाहर के राज्य व देश, जो छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं जिन्होंने सोवियत संघ को छिन्न-भिन्न कर दिया, उनसे मिलकर ये हिन्दुस्तान को अलग-अलग राज्यों व राष्ट्रों में घोषित करके उसकी एकता, अखण्डता व स्वायत्ता को खण्डित करना चाहते हैं। इनको [x x x] कहना, अतिश्यकोक्ति नहीं होगा। अगर संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार कोई कार्य करती है तो वह इनके लिये कम होगा। ऐसी [xxx] को बरखास्त करने के लिये अगर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय तो वह भी कम है। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके, संविधान विरोधी इस सरकार को तुरन्त भंग करके इनसे जवाब दिलवाने की कृपा करें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय संचालन में पीठ का सब लोग सम्मान करते हैं। जब माननीय नेता कांग्रेस विधान मण्डल श्री प्रमोद तिवारी जी अपनी बात ग्राह्यता पर कह रहे थे, आपने भी उनकी ग्राह्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाया था, तो उन्होंने आपकी पीठ को संबोधित करते हुऐ कहा कि आप चुप-चाप शान्ति से बैठे रहें। यह पीठ का सरासर अपमान है। आप इस पर व्यवस्था दें।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

बेहतर यही होगा कि श्री तिवारी जी स्वयं समझ लें कि उन्होंने क्या कहा है । इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, निरन्तर एक ही बिन्दु बहुत ही विचारणीय होता जा रहा है । संविधान की विभिन्न धाराओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को यह वर्तमान सरकार संरक्षण नहीं दे पा रही है । संविधान की धाराओं को संवाद के सूत्रों व माध्यमों द्वारा निरन्तर इस तरह से बदलती जा रही है, जिससे भारत का संविधान का स्वरूप उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विखण्डित हो चुका है । कल चार प्रान्तों के मुख्य मंत्री, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी शामिल हैं, अयोध्या गये । अयोध्या जाने में हमें कोई कष्ट नहीं है । भारत की धरती सब लोगों के लिये खुली है, इसके लिये किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है लेकिन संयुक्त समिति ने समवेत स्वर में एक प्रेस कान्फ्रेंस में जो कहा, उन शब्दों से कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है । मुख्य मंत्रियों का यह कहना कि हमारे राज्यों की अलग सम्प्रभुता है ।

श्रीमन्, भारत का एक संघीय ढांचा है । विभिन्न प्रान्तों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं लेकिन राष्ट्र की एकता, अखण्डता व सम्प्रभुता व राष्ट्र के स्वरूप का कार्य केन्द्र सरकार के ऊपर रखा गया है । श्री अग्रवाल जी ने सभी धाराओं का हवाला दे दिया है । मैं मात्र औचित्य के प्रश्न पर इतनी व्यवस्था चाहता हूं कि संविधान के वास्तविक अधिकारों का स्वरूप क्या बार-बार प्रान्तीय सरकारें इस प्रकार तोड़मरोड़ कर जनमानस के सम्मुख रखती रहें । क्या जनमानस के सम्मुख प्रदेश संघीय स्वरूप से अलग होने लगा है । भारतीय जनता पार्टी भारत के संघीय स्वरूप को विखण्डित करना चाहती है । मान्यवर, यह स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की बात भारत की एकता को विखण्डित करने की बात है । यह उन शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । अगर सही माने में देखा जाय तो राष्ट्र को विखंडित करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता है । मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस मुद्दे को अभी माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय सुरेन्द्र नाथ जी ने उठाया उस पर काफी विस्तार के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में अपना मत व्यक्त कर दिया है । हमारा संघीय स्वभाव हमारे संविधान में दिया हुआ है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी शिशु मंदिर में पढ़े हैं इनको संविधान के अनुच्छेद की जानकारी नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नरेश जी को नया नया जोश आया है जरा शांति से सुन लें । केन्द्र और राज्यों के अलग-अलग काम विभाजित हैं. इस अर्थ में राज्य के कार्यों में केन्द्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और सरकारिया कमीशन भी इसी मुद्दे पर विचार करने के लिये बनाया गया ।

जो घटनायें सदन के बाहर घटित हो उसको भी आदरणीय सदन में चर्चा का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है और समाचार पत्र को आधार मानकर चर्चा का आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

(व्यवधान) माननीय नरेश जी किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे । मैं अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन की ओर दिलाना चाहता हूं (1979 से 84) के पृष्ठ 181 में दिया हुआ है "सदन के बाहर किसी घटना अथवा समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार को लेकर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता" जिस घटना का यहां जिक्र किया गया है वह बाहर घटित है यहां से संबंधित नहीं है इसलिये औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

इसी के पृष्ठ 183 में देखने की कृपा करें श्री राधेश्याम पटेल ने दिनांक 15 फरवरी 1983 को एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है "सदन के बाहर घटित और सदन के कार्य से असम्बद्ध घटना को लेकर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।" "इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया है जिसका संबंध सदन के कार्य से हो अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता"

मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हमें वाक स्वतंत्रता है, शब्दों के अर्थ में विवाद हो सकता है लेकिन इस आदरणीय सदन में राष्ट्र द्रोही शब्द का प्रयोग कहां तक उचित है मैं इस बारे में कोई तर्क नहीं देना चाहता हूं केवल पूर्व दृष्टान्त जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण संकलनों 1979-84 की ओर दिलाना चाहता हूं इसके पृष्ठ 361 को देखने की कृपा करें मद संख्या 710 में दिया हुआ है–किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाना उचित नहीं और राष्ट्रद्रोही शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है । श्री अध्यक्ष ने कहा "माननीय सदन में उन्मुक्त अभिव्यक्ति की टूट दी गयी है । यहां जितने दल हैं सभी देश और प्रदेश के मान्य दल हैं । सबकी अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा हैं" तो फिर राष्ट्रद्रोही शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है । तो जहां जहां कार्यवाही में राष्ट्रद्रोही शब्द आया है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दें । हमें नियमों के अनुसार जिम्मेदारी से कोई बात कहनी चाहिये ....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने असंसदीय शब्द की बात कहीं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो असंसदीय शब्द कहा जायेगा वह निकाल दिया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जो उन्होंने कहा बाहर किसी अभिव्यक्ति को औचित्य के रूप में नहीं लाया जा सकता है तो संविधान के अनुच्छेद 153 को देंखे उसमें दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नरेश जी मैंने सुन लिया आप बैठें (व्यवधान) मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री नरेश अग्रवाल–

चूंकि संविधान के तहत मंत्रिमण्डल का गठन किया गया है और संविधान के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के कोई कार्य करने पर रोक है तो इसलिये इस सूचना को हमें यहां उठाने का अधिकार है और मान्यवर, आपका भी यह कर्तव्य है कि संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाली सरकार को आप स्वयं

बरखास्त कर दें । या एक प्रस्ताव द्वारा, इसके लिये एक प्रस्ताव सदन में ले आयें और उसे पास कराकर महामहिम राज्यपाल को भेज दें कि इस सरकार को बरखास्त किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं ।

प्रथम सत्र 1992 के 5वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार इस प्रश्न को उठाया गया है कि माननीय मंत्री जी द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर यहां दिया जाता है वह सही नहीं होता है । प्रश्न के जो उत्तर जिले के अधिकारियों द्वारा बनाकर भेज दिये जाते हैं उसी को इस सदन में दे दिया जाता है । इसी की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रथम सत्र 1992 के पांचवें शुक्रवार के लिये मेरा एक प्रश्न निर्धारित था । प्रश्न संख्या 159, उसके बारे में आप देख लें, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या बेसिक शिक्षा बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के श्री उदय भान सिंह, ग्राम तिघरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, उत्तर था "जी हां" फिर मैंने पूछा था यदि हां, तो क्या उनकी मृत्यु हो गयी है ? उत्तर था "जी हां ।" चार वर्ष हो गये हैं उनको रिटायर हुए और दो वर्ष हो गये हैं उनको मरे हुए, लेकिन अभी तक औपचारिकतायें पूरी करके पेंशन और ग्रेच्युटी की कोई कार्यवाही पूरी नहीं की गयी ।

इसलिये मैंने पूछा था कि क्या इन प्रकरण में की गयी उदासीनता से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? तो मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता नहीं दिखायी गयी है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । चार वर्ष उसको रिटायर और दो वर्ष मरे हुए हो गये हैं लेकिन आज तक उसको पेंशन देने की कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुयी है व्यवधान ... इसमें सदन के समक्ष गलत उत्तर दिया गया इसलिये मैंने इसे 300 में उठाया है और अनुरोध करता हूं कि इसका पूर्ण औचित्य बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । प्रश्न का उत्तर गलत होने पर निर्देश संख्या 166 के अन्तर्गत सूचना दी जा सकती है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं इस पर बोलने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध [x x x] होने का प्रश्न उठाया गया था । यों तो यह माननीय सदस्य कांग्रेस की ओर से उठाया गया है लेकिन एक तरह से पूरे विपक्ष ने इसे उठाया है .....

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी सूचना पर ही बोलें । इसकी ग्राह्यता पर आप बोलें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

"राष्ट्रद्रोही" शब्द कार्यवाही से निकालने का आपसे अनुरोध किया गया था, तो क्या आपने राष्ट्रद्रोही मान लिया इसलिये कार्यवाही से नहीं निकाला ?

नोट :-[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो असंसदीय कहे जायेंगे उनको निकाल दिया जायेगा चाहे जिस पक्ष से कहे जायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरा अनुरोध है कि इसको आप न निकालें ...

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

जो संविधान के विरुद्ध आचरण करे, वह राष्ट्रद्रोही है । इस पर मैं बोलना चाहता हूं, इसको आप कतई न निकालें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इस पर चर्चा करा लें, सिद्ध हो जायेगा कि यह राष्ट्रद्रोही है । शिशु मन्दिर के पढ़े यह लोग राष्ट्रद्रोही शब्द को समझ ही नहीं रहे हैं । इनका राष्ट्र का स्वरूप अलग है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया सूचना की ग्राह्यता पर ही बोलें ।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों का व्यापक स्तर पर निलम्बन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मुझे विश्वास है आप सहमत होंगे और संसदीय कार्य मंत्री भी कदाचित सहमत होंगे । मेरा प्रश्न है कि इस समय पूरे प्रदेश में थोड़े ग्राम प्रधानों को आर्थिक अधिकार दिये गये हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी परगना अधिकारियों को दी गयी है और पंचायत राज अधिकारी एवं लेखपाल उसकी देखरेख करेगा । मान्यवर, पंचायत राज ऐक्ट पुराना है जिसमें प्रधानों को निलम्बित करने का अधिकार परगना अधिकारी को है । कदाचित जब ऐक्ट बना होगा तो संभावना रही होगी कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा है–''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों ।''

लेकिन आज कोई प्रधान निर्भीक रूप से काम नहीं कर सकता है चूंकि लेखपाल कभी भी उसको निलम्बित करवा सकता है और इसीलिये एक हजार से अधिक ग्राम प्रधान आज निलम्बित हैं और 2500 प्रधान ऐसे हैं जिनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही पेंडिंग चल रही है । इसलिये कैसे माना जा सकता है कि पंचायत राज व्यवस्था मजबूत चल रही है । इसलिये आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार आश्वासन दें कि किसी परगना अधिकारी को प्रधानों को निलम्बित करने का अधिकार नहीं है । एक चुने हुए व्यक्ति प्रधान को नौकरशाह, परगना अधिकारी निलम्बित करे, यह लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है, इसलिये मान्यवर, इस प्रश्न पर आप व्यवस्था दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होनी चाहिये । संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का और ग्राम पंचायतें ठीक से काम कर सकें ऐसी सुविधायें देने का प्राविधान है । संविधान के अनुच्छेद 40 को मैं पढ़ रहा हूं ।

द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू आर्गनाइज विलेज पंचायट्स एण्ड इन्डोव देम विद सच पावर्स एण्ड एथारिटी एज मे बी नेससरी टू इनेविल देम टू फंक्सन एज यूनिट्स आफ सेल्फ गवर्नमेंट .

इस प्रकार संविधान के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करना है जिससे गांवों का विकास हो सके लेकिन जब से भाजपा सरकार आयी है तबसे इसके एम० पी० और नेतागण परगना अधिकारी को प्रभावित करके ग्राम प्रधानों को निलम्बित करवा रहे हैं और इससे उनका उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना में 18 रु० प्रतिदिन ग्राम्य प्रधान ने ऐसी व्यवस्था है । लेकिन इसके बाद ग्राम्य प्रधानों की शिकायत की जाती है । शिकायत की जांच करने वाले अधिकारी मिट्टी भी जो डाली गई उसको नापते हैं कि कितनी मिट्टी डाली गयी है । वह यह भी देखते हैं कि अट्ठारह रु० के हिसाब से मजदूरी दी गयी है कि नहीं । इन दोनों बातों की जांच एक साथ होती है जो सम्भव नहीं है और इसी का आधार बनाकर ग्राम्य प्रधान को परेशान किया जाता है ।

मान्यवर, ज्यादातर ग्राम्य प्रधान विपक्षी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं । कस्बों और शहरों में भले ही चयरमैन हों । इसलिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे प्रधानों की सूची बनवा रही है जो हम लोगों की पार्टियों से जुड़े हैं । करीब ढ़ाई-तीन हजार से ज्यादा प्रधान निलम्बित हैं और इससे भी ज्यादा निलम्बित किये जाने की कार्यवाही हो रही है । परगनाधिकारी की शिकायत पर ग्राम प्रधान का निलम्बन होता है । जैसा कि मैने अनुच्छेद-40 आपकी अनुमति से पढ़कर बताया है । मान्यवर, ग्राम प्रधान तो ग्राम सभा और ग्राम विकास के कार्यों के लिये प्रतिबद्ध है । इसलिये मान्यवर, इस सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ग्राम प्रधानों को अपने गांवों के विकास के लिये मुक्त रूप से कार्य करने का मौका दें । राजनैतिक आधार पर उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें । इसकी व्यवस्था मान्यवर, मैं चाहता हूं ।

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)––

धारा- 95 (जी) के अन्तर्गत परगनाधिकारी को प्रधान सरपंच, मुखिया, सदस्य को निलम्बित करने का अधिक होता है । यह अधिकार ऐपीलेबिल है । अपील कमिश्नर के यहां हो । इस समय 73.914 ग्राम प्रधान हैं । न तो हजारों प्रधान निलम्बित हैं, न राजनैतिक कारणों से, बदले की भावना से निलम्बन किया जा रहा है, अगर किसी प्रधान ने नियमो का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ गम्भीर आरोप है, तो कार्यवाही की गई है । पिछली सरकार के समय में 849 प्रधान निलम्बित किये गये थे । इस समय न प्रधान निलम्बित हैं, न उन्हें हटाया जा रहा है । परगनाधिकारी की अपील हो सकती है । शासन ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है कि दूसरे दलों के प्रधानों की संख्या व नाम लिखे जायं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)––

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह निलम्बन एस० डी० एम० महोदय कर देते हैं, कहीं से भी शिकायत आये । लेकिन एक बात आप देखें । कितनी विसंगति है कि प्रधान बेचारा तो जनता से चुनकर आता है । एक मिनट में एक कलम से निलम्बित कर दिया जाता है लेकिन जो सरकारी कर्मचारी, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हों या सचिव हों जिनके दस्तखत के बिना न पैसा निकलता है,

न खर्च होता है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । क्या इस विसंगति को ठीक करेंगे ? जहां भी ग्राम प्रधान को इस तरह के आरोप में निलम्बित करें वहीं उन पंचायत के, ग्राम सभाओं के जो अधिकारी हैं, उनको भी साथ-साथ निलम्बित करें । इनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही करायें । जब माननीय मंत्री जी जबाव दें तो इसे भी स्पष्ट कर दें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

यह जो प्रधान निलम्बित है, जवाहर योजना के अन्तर्गत निलम्बित हैं । भूमि आवंटन के संबंध में, गलत पट्टे दिये जाने के संबंध में निलम्बित हैं । जो जवाहर योजना के अन्तर्गत निलम्बित होंगे उसमें ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिये सरकार विचार करेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर श्री जागेश्वर द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।)

श्री उपाध्यक्ष--

शाक्य जी, जागेश्वर जी का व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री जागेश्वर प्रसाद---

मान्यवर, परगनाधिकारी, प्रधान सब मिलकर काम करते हैं तो सरकार से हमारा निवेद्रन है कि यह प्रधान के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको भी सजा देने की कृपा करेंगें ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री जागेश्वर जी, आप बैठ जायं । आप का व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

जनपद फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों द्वारा बुद्ध की मूर्ति स्थापित न करने देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का ध्यान बौद्ध स्थल संगक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर. संगक्षा बहुत ऐतिहासिक तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल है । पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रफल में फैंसिंग की गई है । यहां अशोक की लाट है ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप है । मान्यवर, वहां बहुत दिन से बौद्धिक धर्मावलम्बियों द्वारा पूजा-अर्चना की जाती है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इण्डोनेशिया, जापान, चीन और लंका आदि जगहों से तमाम बौद्ध देशों के तीर्थ-यात्री यहां आते हैं । उससे लाखों रुपये की आय देश और प्रदेश को होती है उस दिन इस देश के धर्मावलम्बी वहां जाते हैं और पूजा-अर्चना करते है । इस अवसर पर वहां मेला भी लगता है । मान्यवर, जो नियंत्रित क्षेत्र है उस क्षेत्रफल के अन्तर्गत बौद्ध स्तूप से पक्की ईटें निकालकर उसके सामने अनाधिकृत रूप से एक कमरा बना लिया गया है वहां पर कुछ अराजक तत्व शराब गांजा अफीम आदि पीते हैं यही नहीं उसके सामने फाटक लगा दिया है और बौद्ध धर्मावलम्बियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है । 15 लाख रुपये की मूर्ति को विदेशों द्वारा दान में दिया गया है वह उस क्षेत्र में नहीं लगायी गयी है और वह सीखचों के पीछे बन्द कर दी गयी है ।

विगत कई दिनों में एक प्रतिमा जो कई लाख की है, आई है । नियंत्रित क्षेत्रफल में वह प्रतिमा लगनी थी वह भी अराजक तत्वों द्वारा नहीं लगाने दी गई । वहां अराजक तत्वों का साम्राज्य हो गया है आज स्थिति यह है कि जैसे अयोध्या का प्रकरण है, और वहां संवेदनशील स्थिति है वैसी ही स्थिति यहां भी हो सकती है, तो यह दूसरी अयोध्या न बन जाये इसलिये इस आदरणीय सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं । यह देश संविधान के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, यहां जंगल राज्य नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की मान्यता है कोई दूसरा धर्मावलम्बी के ऊपर जबर्दस्ती कब्जा नहीं करेगा । एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म वालों को ठेस नहीं पहुंचाई जायेगी । आर० एस० एस० और बजरंग दल के लोगों ने वहां पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, यह सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है । मैंने एक सवाल भी किया था इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अनाधिकृत कब्जा नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य--

बौद्ध धर्मावलम्बियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि समय रहते इसमें कार्यवाही की जाये, जिससे यह दूसरी अयोध्या न बनने पाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें आप सरकार को निर्देश दें ताकि यह दूसरी अयोध्या न बनने पाये और जिन्होंने बलात कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (राजेन्द्र कुमार गुप्त)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गम्भीर बात सदन में कही है । मैंने जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की । उसमें आरोपों की पुष्टि नहीं होती है । सभी धर्मावलम्बियों का समान आदर होना चाहिए । इसको हम फिर से दिखवा लेंगे और कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नगत मामला नियम 300 के आधार पर नहीं बनता है इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

राम गंगा नदी का बहान गांगन नदी में होने के फलस्वरूप जनपद मुरादाबाद के 50गांवों को बचाने हेतु 24 फरवरी, 1988 के लिए गये आश्वासन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

मान्यवर, मुरादाबाद नगर के उत्तर में रामगंगा नदी बहती है और दक्षिण में गांगन नदी बहती है। यह दोनों नदियां समानांतर बह रही हैं और रामपुर के निकट इनका संगम हो जाता है। वर्ष 1981 में रामगंगा नदी ने कटाव करते करते सैधपुर पल्ली सिकंदरपुर पट्टी के पास आकर गैप बनाया। वर्ष 1981-82 में 3 हजार रुपये से यह गैप भर दिया गया तथा वर्ष 82-83 में 4 लाख 59 हजार रुपये की लागत फिर यही गैप भरा गया। विभाग द्वारा यह कहा गया था कि ओवरफिलिंग होने के कारण तथा कालागढ़ टैम से अप्रत्याशित पानी छोड़े जाने से कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। 1983-84 में 84 हजार रुपये और 1984-85 में 5 लाख 10 हजार रुपया खर्च हुआ। इसी प्रकार कुल मिलाकर 10 लाख 56 हजार रुपया व्यय हो गया है और वहां कोई कार्य आज उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने स्वयं सूचना में लिखा है कि यह आश्वासन समिति में है। यह 1988 का आश्वासन है, आश्वासन समिति इसका निस्तारण करेगी। यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

मान्यवर, मैंने 301 मे भी दिया है मुझे बोलने का मौका दें। मान्यवर, रामगंगा नदी कटाव करते करते गांगन नदी से होकर बहने लगी है और एक अंडाकार क्षेत्र में लगभग 50 गांव फंस गये जिनको बचाने की कोई योजना सरकार ने तैयार नहीं की। मैंने विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले बुधवार को प्रश्न संख्या-6 के माध्यम से सवाल पूछा था तो उस पर नियम 49 के अंतर्गत 26 फरवरी, 88 को चर्चा हुई उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 43 लाख 97 हजार रुपये की योजना बनायी गयी है जिसको टी० ए० सी० से पास कराने के बाद लागू किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुन ली, आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

मान्यवर, लगभग 50 गांव बीच में फंस गये है। गांगन नदी बहती है और रामगंगा ऊंचे बहती है। एक समानांतर गैप जैसा हो गया है और 20 कि० मी० के अंदर लोग पूरे नरक की जिंदगी जी रहे हैं।...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब अनुमति नहीं देता हूं। मैं इस पर निर्णय दे रहा हूं। प्रश्नगत सूचना नियम 300 की परिधि में नहीं आती है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

मैं कल इसको फिर उठाऊंगा।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल--

मान्यवर, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला--

मान्यवर, नरेश जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का बीड़ा उठा रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें कौन से संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है या नियमावली का उल्लंघन हुआ है, बता दें ।

केन्द्र सरकार द्वारा अयोध्या में जांच हेतु भेजी गई समिति द्वारा प्रदेश सरकार के कार्य में हस्तक्षेप किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने अयोध्या में जांच करने के लिये एक दल भेजा था । मैं बता रहा हूं कि उससे इस विधान सभा को क्या कहां परेशानी हो गयी है । मान्यवर, ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, जो ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं, लेकिन ढकोसला करते हैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये । मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि किसी नियम के अन्तर्गत न तो संसद में कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही किसी संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से वह समिति यहां पर आयी थी, न ही संविधान के किसी अनुच्छेद में यह अधिकार प्राप्त था कि इस सरकार पर टीका टिप्पणी की जाती लेकिन यह 300 में औचित्य का प्रश्न इसलिये बनता है कि इससे इस पूरे सदन के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है । अगर धारा 356 का उपयोग उनके कहने से होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, यह पूरे सदन के लिये औचित्य का प्रश्न बनता है और उन लोगों के ऊपर, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का संदेह होता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियमों में, संविधान के अनुच्छेद 143 में यह व्यवस्था है कि कहीं भी इस तरह के राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया जाता है या संविधान के अनुच्छेद के विपरीत कोई व्यवस्था दी जाती है तो उस पर महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 143 में मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंप सकते हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह निर्वचन का मामला नियम 300 में आता है और यह किसी तरह से संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है । इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने तथ्य रख दिये । रिजवानुल हक जी बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । शुक्ल जी आपका प्रश्नगत मामला नियम 300 में नहीं आता, इसलिये अग्राह्य करता हूं ।

---

* [illegible] नहीं किया ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री को नहीं सुना । उन्होंने 130 का हवाला दिया, उसके बारे में तो बता दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 27-5-1992 को नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया हैं । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने कहा था कि 301 और 300 के बाद सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सूचनायें पढ़े देता हूं । मैंने कहा था कि आपको सुनूंगा । पहली सूचना माननीय प्रमोद तिवारी की प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था तथा जनपद नैनीताल के रुद्रपुर थाना अन्तर्गत आतंकवादियों द्वारा 6 व्यक्तियों की हत्या कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री बलराम यादव तथा श्री अवध पाल सिंह की जनपद एटा के सिड़पुरा कस्बे में कथित रूप से व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री सुरेन्द्र अवस्थी की प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 1992 के क्रियान्वयन का प्रारूप बिना तय किये अधिनियम को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादबाद के अन्तर्गत मुरादाबाद क्लब में कथित रूप से कु० मीना के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री दीनानाथ सिंह यादव और श्री ऊदल की, जनपद सोनभद्र के सी० आई० टी०यू० जिला अध्यक्ष श्री आर० एन्टोनी एवं सीटू नेता आर० बी० सिंह पर गैंगेस्टर एक्ट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । छठी सूचना श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री नवाब सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री दलबीर सिंह की आगरा मण्डल में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की, जनपद देवरिया के थाना भटनी के ग्राम बनकटा निवासी श्री रमेश यादव को थल सेना की नौकरी में जाने से रोकने के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के समर्थकों एवं पारिवारिकजनों को कथित रूप से पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । नवीं सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री फागू चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में श्री राजेन्द्र मौर्य, पत्रकार पर हुए कातिलाना हमले एवं उन्हें जान से मारने की धमकियां दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की, प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों एवं कारीगरों की मजदूरी की दर कम निर्धारित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम लोग जब से इस विधान सभा में अब की बार चुन कर आये हैं, श्रीमन् बराबर हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि सौहार्द का वातावरण यहां पर रहे, सरकार का उत्तर समुचित और समय से आवे । लेकिन मान्यवर, इस सरकार के पास न कोई सिद्धान्त है और न ही कोई नीति है, सरकार टकराव की स्थिति पैदा करती है और बदले की भावना से समाजवादी जनता पार्टी के लोगों को उत्पीड़ित करने की कोशिश करती है । मान्यवर, कल जो इटावा में हुआ है, शायद कोई स्तर होता है राजनैतिक लोगों का, भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह जी और आज भी प्रदेश महान नेताओं में से हैं । उनके छोटे भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं । 15 जून, 1991 का चालान है, उसके बारे में उनके पास कोई न कोई नोटिस आया है, न सम्मन आया है, लेकिन उनको बल पूर्वक गिरफ्तार किया गया और अपमानित भी किया । पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है, इन लोगों की इतनी नियम खराब है, अगर इटावा के हजार, दो हजार लोग थाने को घेर न लेते, तो शायद दूसरी कोई दुर्भाग्य पूर्ण दुर्घटना भी पुलिस कर सकती थी । लेकिन वह तो नहीं हुई, लेकिन अपमानित करके पुलिस थाने में उनको ले गयी और परसनल बांड भरा कर उनको छोड़ दिया, जब थाने का घेराव हुआ ।

चुनाव के समय श्री शिव पाल सिंह ने अदालत में दरख्वास्त दिया था कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा अदालत में हो, तो बताया जाय, लेकिन कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं था, यह कार्यवाही सिर्फ उनको अपमानित करने की नियत से की गयी । श्री शिव पाल सिंह माननीय मुलायम सिंह के भाई हैं । उनके घर में जाकर उनको गिरफ्तार किया गया । हमें कल साढ़े 10 बजे इसकी इत्तिला मिली । श्री रमा शंकर कौशिक जी ने हमको बताया, तब हम लोग राज्यपाल जी से मिले । बराबर हम लोग सदन के बाहर, सदन के अन्दर और राज्यपाल महोदय के माध्यम से सरकार को यह बताते रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार को बदले की भावना से जानबूझ कर उनकी जान को जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं । अनेकों बार इसके बारे में हम लोग सूचना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वह इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इटावा में हुई और जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जो विशिष्ट लोग हैं, उनके परिवार को जब खतरा होता है, उनको खतरा होता है, तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब आप नहीं रहेंगे, तो यही आप को भी महसूस होगा । भूतपूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी और बीर बहादुर सिंह को आर्म्ड गार्ड दिये गये थे, तो फिर माननीय मुलायम सिंह जी को क्यों नहीं दिया । पहले से जो चल रहे थे, वही चलते रहे । मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है, उनको हटा लिया गया है और आज वह असुरक्षित है । सरकार बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है, मैं चाहता हूं कि सरकार बदले की भावना से कोई कार्यवाही न करे । सरकार स्पष्ट आश्वासन दे कि जो उनकी सुरक्षा हटा ली गयी है, वह दी जायेगी और जिस पुलिस अधिकारी ने एस० एस० पी० ने ऐसी दुस्साहसपूर्ण कार्यवाही की है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, और जो सुरक्षा छीन ली गयी है, उसको पुनः देंगे । शिवपाल सिंह जी को गिरफ्तार किया गया और थाने पर लाया गया, लेकिन हमारे बहादुर साथियों ने थाने को घेर लिया और अगर उन्होंने थाने को न घेरा होता तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ सकती थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती थी । इसी थानेदार ने अनीस अंसारी को मारा था और महेश यादव की हत्या की थी और उसमें यह गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था और सस्पेंड हुआ था, लेकिन ऐसे थानेदार को इन्चार्ज बना दिया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । मान्यवर, जो थानेदार 302 का मुलजिम रहा हो और उसी जिले में थाने का इन्चार्ज हो, तो यह कैसी बात है । यह सारी कार्यवाही उसने सरकार के इशारे पर की है । मान्यवर, इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है । आप घमंड में मत आइये, घमंड एक न एक दिन चूर हो जाता है और एक दिन जब हम लोग सरकार में आयेंगे, हमको सरकार में तो आना ही है, तो आप की भी यही स्थिति होगी और आप आकर गिड़गिड़ायेंगे । मान्यवर, लोकतंत्र में जो मान्यतायें हैं, उनके अनुकूल आप कार्य करें, बदले की भावना से कोई कार्यवाही न करें, जो विशिष्ट लोग हैं, सम्मानित लोग हैं और राजनैतिक लोग हैं, जिनका सम्मान है, उनका और उनके परिवार वालों को अपमानित न करें, इससे जनता आन्दोलित हो रही है । जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप का सड़कों पर चलना दूभर हो जायेगा । आप राजनैतिक बदले की भावना से कोई कार्य न करें; दुर्भाग्यपूर्ण कोई कार्यवाही न करें । अगर आपके मन में बदले की भावना नहीं है, तो यही सदन में घोषणा करें कि जो सुरक्षा वापस ली गयी है, उसे वापस दिया जायेगा और एस० पी० के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और उस थानेदार को निलम्बित करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

चमचागीरी मत करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

आप तो बराबर चमचागीरी करते हैं । दूसरे को क्या कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिये । आपस में इस तरह से नहीं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे आशा थी कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायक इसको गंभीरता से लेंगे, लेकिन उनके आचरण से ऐसा मालूम होता है कि उन्होने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है । मान्यवर, यह प्रकरण भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भाई से संबंधित है और वह इस समय भी एक राजनैतिक सख्शियत हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक में उनकी पहचान है । इस सिलसिले में 3 बड़े आश्चर्यजनक तथ्य हैं ।

मान्यवर, जिस प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वह लगभग एक वर्ष पुराना है दूसरी बात बड़ी आश्चर्यजनक यह है जिससे सरकार की बदनीयती साफ-साफ झलकती है और वह यह कि मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट में जो जमानती प्रकरण है उसमें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया और तीसरा जिससे सरकार की बदनीयती स्पष्ट होती है कि जिस थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री मुलायम सिंह यादव ने कार्यवाही की थी उसी थाना अध्यक्ष को दुबारा वहां पर नियुक्त किया जाना अपने आप में सरकार की बदनीयती का सबूत है ।

मान्यवर, इस सरकार ने भी उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की थी उस थानाध्यक्ष को पुनः नियुक्त किया जाना इस सरकार की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत है, चौथा सरकार की बदनीयती का सबूत यह है कि जिस वैहिकिल से, जिस गाड़ी से दुर्घटना कही जाती है वह श्री शिव पाल सिंह यादव के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, पांचवा सरकार की बदनीयती का सबूत यह है कि जिस तारीख को यह दुर्घटना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कही जाती है उस तारीख को सम्मानित शिव पाल सिंह जी बाबू राम यादव जी के निर्वाचन क्षेत्र में थे और छठा इस सरकार की बदनीयती का सबूत यह है कि उस एफ० आई० आर० में शिव पाल सिंह यादव का जिक्र नहीं है । यह मैंने इस सरकार की बदनीयती के 6 स्पष्ट उदाहरण दिये हैं । मैं आरोप लगाता हूं और चाहता हूं कि इसको गंभीरता से लें ।

मान्यवर, कोशिश यह थी कि किसी तरह से श्री शिव पाल सिंह यादव को ले जाया जाय तो निश्चित रूप से उन पर कोई आरोप नहीं है वह विरोध करेंगे और विरोध करने पर सरकार की स्पष्ट मंशा यह थी कि उनका इन्काउन्टर करके हत्या कर दी जाय जिससे मुलायम सिंह यादव जी से बदला लिया जा सके लेकिन मैं इटावा की बहादुर जनता की प्रशंसा करता हूं कि उसने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ऐसे मंसूबे को नेस्तनाबूत कर दिया और सुरक्षित शिव पाल सिंह को लेकर आई थी लेकिन इससे पता लगता है कि जो मैंने 6 बिन्दु उठाये थे एक तो एक वर्ष पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी दूसरी मोटर व्हेकिल ऐक्ट जमानती प्रकरण हैं उसमें गिरफ्तारी का क्या औचित्य है तीसरा जिस थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस सरकार ने कार्यवाही की उसको वहीं पर नियुक्त किया जाना और चौथा घटना के समय बाबू राम यादव के निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहे, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई वह शिवपाल सिंह के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है और छठा सबूत है कि एफ० आई० आर० में श्री शिवपाल सिंह का नाम दर्ज नहीं है तो यह सबूत हैं । सबसे गंभीर बात तो यह है कि जिस थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस सरकार ने कार्यवाही की है उसे वहां नियुक्ति करने का क्या औचित्य है । (व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार पूरे प्रदेश में फासिस्टवादी रवैया अपनाये है । मैं चाहता हूं कि इस सरकार से आश्वासन दिलायें कि एक तो सरकार श्री मुलायम सिंह यादव के परिवार की भरपूर सुरक्षा करने का विश्वास दिलाये और उन्हें रक्षक दिये जाने की घोषणा करे ।

मान्यवर, जिस थानाध्यक्ष ने 20 सिपाहियों के साथ श्री मुलायम सिंह यादव के मकान पर धावा बोला है उसको गिरफ्तार करके कार्यवाही की जाय अन्यथा यह राजनैतिक बदले की भावना से जो आग लगायी जा रही है इस आग में अगर पहले कोई जलेगा तो भाजपा की मौजूदा सरकार इस पर जलकर राख हो जायेगी ।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह बदले की भावना से कार्यवाही करने की जो प्रवृति दिन रात बनती जा रही है इससे एक बड़ी भारी बेचैनी पैदा हो रही है । मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोग उनके परिवार के लोग, चाहे किसी पार्टी का शासन हों, उनकी सुरक्षा कैसे हो इस पर आपको हमको सबको सोचना चाहिए । एक इतना पुराना मुकदमा जैसा माननीय तिवारी जी ने बताया उससे स्पष्ट होता है कि केवल बदले की भावना से एक सुनियोजित ढंग से यह सब किया गया, यह नहीं कि पुलिस कर रही है इसमें निश्चित रूप से सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है । यह कभी नहीं हो सकता , मैं नहीं मान सकता कि मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एक केस में, पुराने केस में पुलिस कुछ करे उनकी हत्या का प्रयास किया जाय इसमें निश्चित रूप से सरकार के जो नुमाइन्दे हैं उनकी साजिश है और साजिश के तहत ही यह हुआ है इसलिये ऐसे कृत्यों को रोकना चाहिये और बदले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की भावना से जो कार्यवाही हो रही है उसको रोका जाना चाहिये नहीं तो प्रदेश के अन्दर एक बगावत पैदा हो जायेगी ।

इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो लाइसेंस अनधिकृत रूप से जमा करा लिया गया है, उसे उन्हें वापस दिलाया जाय, दोषी दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाय और श्री शिवपाल सिंह के परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

नेता विरोधी दल (श्री रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आज सदन में जिस प्रकार माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, मा० प्रमोद तिवारी जी तथा माननीय राणा साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह एक गंभीर विषय इसलिये है कि इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार, जब से सरकार बनी है, कहीं हत्या के मामले, कहीं लोगों की फर्जी मुकदमों में फंसाने को मामले, कहीं लोगों को जेल में अलग-अलग दिनों में बन्द करने के मामले और कहीं राजनीतिक विरोधी लोगों को प्रताड़ित और अपमानित करने के मामले विद्वेष की भावना से, इस सदन में प्रायः रोज ही आते हैं । श्री शिवपाल सिंह, माननीय मुलायम सिंह जी के भाई हैं और जिस प्रकरण में उनको बन्द किया गया है, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक साल पहले मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट में कोई मुकदमा उनके खिलाफ लम्बित था, एक साल के बाद सरकार को स्वप्न हुआ कि उनको गिरफ्तार करना चाहिये । गिरफ्तार करके उनको अपमानित किया गया मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट के मामले में, मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करके अपमानित करके ही किसी को दण्डित करने की प्रक्रिया की जाय, यह तो "बेलेबिल" आफेन्स है ।

श्री शिवपाल सिंह यादव श्री मुलायम सिंह के भाई ही नहीं है बल्कि कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं । उनके अध्यक्ष होने के नाते कुछ शिष्टाचार वहां के प्रशासन को और सरकार को बरतना चाहिये था लेकिन जिस तरह से ऐसी घटनायें प्रदेश में हो रही हैं, इससे प्रश्नचिन्ह पैदा हो गया है कि क्या यह सरकार बदले की भावना से जो राजनीति में है सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कराके अपमानित कराके झूठे मुकदमों में फसायेंगी । लोगों पर गैंगेस्टर लगायेगी और उन्हें झूंठे मुकदमों में जेल भेजेगी । इससे निन्दनीय दूसरा विषय नहीं हो सकता है । कोई भी सरकार हमेशा के लिये स्थायी तौर पर नहीं बनती । सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं । इस तरह की परम्परा नहीं बननी चाहिये कि राजनीति में विद्वेष की भावना से कोई भी विरोधी हो उसको अपमानित करके ऐसा काम किया जाये । इससे ज्यादा शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती । मैं इसकी तीव्रतम शब्दों में निंदा करता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि जिस किसी भी अधिकारी ने ऐसी हरकत की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये । श्री शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, उनके जो हथियार रखवाये गये हैं तत्काल वापस किये जायें, इसकी घोषणा मा० संसदीय कार्यमंत्री जी को आज ही सदन में करनी चाहिये । यह मैं उनसे अपेक्षा करूंगा ।

(अनेक मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नेताओं को सुन लिया है और जिस मा० सदस्य के हस्ताक्षर थे, उनको भी सुन लिया है । अब किसी को नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

(बाबू राम यादव जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूं, माननीय बाबू राम यादव जी कृपया करके बैठ जायं, माननीय नेताओं को सुन लिया गया ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह मामला हम से संबंधित है, कुछ जानकारी देना चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस घटना की अभी चर्चा की गयी, माननीय मुलायम सिंह जी हम सबके सम्मानित हैं, उनके भाई को पकड़ा गया, थाने ले जाया गया, उनको दुख होना स्वाभाविक है, हम भी दुखी हैं । लेकिन भावना और कर्तव्य का कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है । मान्यवर, जैसा कि अभी स्वयं कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया कि घटना काफी दिन पहले की है । मान्यवर, इस घटना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि एक मारूति गाड़ी आ रही थी उसके धक्के से एक घटना घटी । महेश बाबू शास्त्री हैं इन्होंने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सिविल लाइंस थाने में दर्ज करायी ? मान्यवर, जो घटना घटी उसके आधार पर 132/91 धारा 279/337/427 में मुकदमा पंजीकृत किया गया । उसमें कोई नामजद नहीं हुआ । लेकिन जैसा कि सब जानते हैं विधि के अन्तर्गत शासन है, उसकी तफशीश हुई, तफशीश होते-होते, अब पूरी बात सुन लें, अंत में जिन्होंने एफ० आई० आर० लिखायी थी महेश बाबू शास्त्री ने, उनका बयान लिया गया, बयान में उन्होंने स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया, मैं उसकी कुछ पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं यह पर्चा नंबर चार है, विवेचक श्री दलमोहर सिंह थे–श्री महेश बाबू शास्त्री का बयान लिया गया उसमें उन्होंने कहा कि–मारूति गाड़ी नम्बर डी० एल०-3/ सी० बी०-1869 को शिव पाल सिंह पुत्र सुघर सिंह निवासी सेफई थाना बैदपुरा चला रहे थे..

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप देखे जब एफ० आई० आर० लिखाते हैं तो नाम नही देते हैं 8 महीने के बाद बयान में बात आयी, 161 के बयान में कहीं हस्ताक्षर नहीं होते हैं, बयान दिया गया कि वे चला रहे थे, रिपोर्ट में आया नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी कृपया बैठ जायं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी पूरी बात कह लेने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय तिवारी जी उत्तेजित हो गये, वे स्वयं वकील है ऐसे मामले कितनी बार कोर्ट में ले गये, उस समय मौके के गवाह ने स्वयं स्वीकार किया कि श्री शिवपाल सिंह जी थे । इस मामले को लेकर, जो दरोगा थे उनको भेजा गया, पूरी बात तो आप लोग सुन लें, उनकी जमानत हो गयी, भीड़-भाड़ इकट्ठी हो गयी थाने में, जमानत हो गयी कोई खास बात नहीं थी, मान्यवर विधि के सामने सब बराबर हैं, बेलेबिल अफेंस है, उनकी जमानत हो गयी । मान्यवर, यह जो कहा जा रहा है, राजनैतिक कारणों से किसी के संकेत पर यह कराया जा रहा है, यह सही नहीं है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोगों के लाइसेंस निलम्बित किये जा रहे हैं, मैंने इसको गंभीरता से देखने की चेष्टा की ।

यह बात बिल्कुल सही है कि इटावा में पिछले दिनों में भारी संख्या में असलहा के लाइसेंस दिये गये थे । उनका परीक्षण कराया गया कि जिनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये था उनको कैसे दिया गया । एक मान्यवर श्री राजपाल सिंह परिवार के साथ रिश्ता बताया गया ।

मान्यवर, सब जानते हैं कि जब चुनाव हुए तो सबके असलहे थाने में जमा करा लिये गये थे जो असलहे जमा किए गए थे वह चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उन्हें मिल गये थे । जो वहां हताहित परिवार के लोगों के लाइसेंस थे वह निलम्बित कर दिये गये हैं और जिनका अपराधिक इतिहास रहा है उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं और परिवार के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है । एक बात और उठायी गयी, श्री शिवपाल सिंह जी के बारे में, उसके संबंध में यह कहा गया कि तत्काल जवाब दें तो उसे हम दिखवा लेगे कि वह कौन सी परिस्थिति थी कि उनको जो अंगरक्षक मिला वह वापस कर लिया गया । अगर उसका कोई युक्तिसंगत समाधान शासन की तरफ से आ जाता है तो वापस नहीं दिया जायेगा और अगर उसमें स्थिति सही आंकलन नहीं होगा तो उन्हें वापस कर दिया जायेगा । लेकिन यह कहना कि जानबूझकर, बदले की भावना से प्रेरित होकर या राजनीति की भावना से प्रेरित होकर या मुलायम सिंह जी को अपमानित करने के इरादे से हम कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो यह गलत बात है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक बात और कही गयी कि वहां के किसी थाना प्रभारी के बारे में उसका सस्पेंशन हुआ और उसके बाद उसे पुनः तैनात कर दिया गया है, तो उसे हम दिखवा लेंगे और यह भी दिखवा लेंगे कि थाना प्रभारी बनने लायक उसकी चरित्र पंजिका है या नहीं । लेकिन यह कहना कि बदले की भावना से किया गया, राजनीति द्वेष के कारण किया गया या माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित करने के इरादे से यह कार्यवाही की गयी है तो यह उचित नहीं है । हमारी इस तरह की कोई मंशा नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूंगा । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस मामले को हम दिखवा लेंगे । तो कृपया यह सुनिश्चित कर दें कि सदन को या उपाध्यक्ष महोदय को कल तक यह स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों अंगरक्षक वापस ले लिया गया और क्या उस दरोगा के खिलाफ हत्या का कोई आरोप था या वह जेल गया था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेताओं का हम सम्मान करते हैं, खास तौर से अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए माननीय नेताओं का । जब दरोगा के बारे में बात कही गयी तो उसे हमने गंभीरता से लिया है । अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा 302 का चल रहा है तो उसे हम दिखवा लेंगे ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा, जो इन्होंने बात कही कल उसको बयान के साथ इस सदन में उसका उत्तर दिलवा दें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले कहा है कि हम इसको दिखवा लेंगे । अगर उस दरोगा के खिलाफ कोई 302 का मुकदमा चल रहा है तो हम उसे दिखवा लेंगे । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर पूर्व दृष्टान्तों को भी आप देखने की कृपा करें जो हमारे प्रक्रिया संबंधी प्रशासनिक या आपराधिक मामले हैं क्या उनको लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव आ सकता है । मान्यवर, यह एक प्रशासनिक मामला है । प्रशासन के साथ एक घटना हुई अगर उसके ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव आ जायेगा तो मैं समझता हूं कि फिर किसी विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव रोका नहीं जा सकता है । तो इस तरह की बातों पर विचार करे ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल और माननीय प्रमोद तिवारी ने जो बात कही है, उसी पर बल देते हुए कहना चाहता हूं, कदाचित आप भी कानून के जानकार हैं । 5 वीं पर्ची में उनका नाम है, एफ० आई० आर० में नाम नहीं है । शिवपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं और इटावा में रहते हैं और इटावा का ही आदमी उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है । माननीय नेता विरोधी दल और प्रमोद तिवारी की बात से हमारे दल के लोग भी सहमत होंगे । दरोगा ने दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की है या नहीं और दरोगा 302 का मुल्जिम है, इन सब बातों का कल ब्योरेवार उत्तर दे दीजियेगा, इसके अलावा माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार को जो सुरक्षा प्रदान की गयी थी, उसको वापस ले लिया गया है, हथियार जमा करवा लिये गये हैं, इस सबका कल उत्तर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने केवल दरोगा के बारे में कहा है, बाकी सब चीजें प्रशासनिक प्रक्रिया की हैं, वह अपनी जगह चलेगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, 15 तारीख की घटना है और 15 तारीख को मेरा चुनाव था । शिवपाल और रामगोपाल दोनों लोग अपनी-अपनी गाड़ियों से मेरे चुनाव क्षेत्र में थे । दोनों लोग रात तक वहीं रुके, खाना वहीं खाया तो क्या पुलिस ने करहल क्षेत्र में जाकर इस मामले की तफ्तीश की । दूसरा बिन्दु यह है कि जिस दरोगा ने यह छापा मारा, वह एक साल बाद मारा, जबकि वह दरोगा अनीस अंसारी की हत्या का मुल्जिम है, महेश यादव की हत्या का मुल्जिम है और जब थाने को लोगों ने पूरी तरह घेर लिया, तब हथकड़ी डालकर उसे जेल भेजा गया ।

मान्यवर, पूरी कहानी मनगढ़ंत है । मैं कहता हूं कि यह कल जायें और पूरी जानकारी कर लें कि वह लोग वहां गये थे या नहीं, वह वहां रुके खाना खाया आदि । यदि यह सही है तो उस दरोगा को निर्देश देने वाले के खिलाफ कार्यवाही करें और सदन में अफसोस जाहिर करें तथा जो कार्यवाही हो रही है, उसे बन्द करें । मान्यवर, हमारे पड़ोस में इटावा है और वहां पर लोगों पर बुरी तरह अत्याचार हो रहा है, ऐसा कभी सुना नहीं गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल गुप्ता जी वहां जायें और सारी बातों

की असलियत मालूम कर लें । दूसरे एक बात और बताना चाहता हूं कि उन लोगों के पास मारुति कार नहीं है । दोनों ही लोगों के पास अपनी-अपनी जीप है और वह जीप लेकर ही वहां आये थे ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गाड़ी किसकी थी, किसकी नहीं थी और भी बहुत सी बातें मैं जानबूझ कर सदन में बताना नहीं चाहता । जो बात बाबूराम जी ने कही कि पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, उसके ऊपर दोनों गवाहियों की समीक्षा कर निर्णय होगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे कार्यस्थगन की सूचना के रूप में अग्राह्य करता हूं किन्तु शासन से अपेक्षा करता हूं कि जो जानकारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हासिल करने के लिये कहा है, उसे हासिल करके सदन को अवगत करायें । अगली सूचना माननीय प्रमोद तिवारी की है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सरकार ने नारा दिया था, भय मुक्त समाज का । परन्तु जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई है तब से समाज तो भय-मुक्त नहीं रहा अपितु अपराधी भय मुक्त अवश्य हो गये हैं । इस प्रदेश ने पहले कभी आतंकवाद नहीं देखा था परन्तु इस सरकार के आते ही इस प्रदेश को आतंकवाद के रूप में पहला तोहफा मिला । तराई के लगभग 20 जिले इस समय आतंकवाद की चपेट में आ गये हैं, वहां का सारा जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों का जीना दूभर हो गया है । 23 तारीख की रात्रि को नैनीताल जनपद के रुद्रपुर में छत्तरपुर के अन्तर्गत लगभग साढ़े आठ बजे रात्रि में 6 लोगों को बाहर निकालकर और उन्हें एक लाइन में खड़ा करके, खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए, गोली से भून दिया । इसी प्रकार से उसी के एक दिन पहले बोर्डर सेक्योरिटी फोर्स के जवान को बिजनौर में मार दिया गया । यह कोई अकेली एक घटना नहीं है । मैं अप्रैल के महीने के बारे में बताना चाहता हूं । 6 अप्रैल को बिजनौर में तीन नागरिकों को मारा गया, 7 अप्रैल को नैनीताल में एक व्यक्ति को मारा गया, 11 अप्रैल को पीलीभीत में 2 लोगों की हत्या की गयी, शाहजहांपुर में 3 नागरिकों की हत्या की गयी, 21 अप्रैल को नैनीताल में दो रेलवे कर्मियों की हत्या हुई, बिजनौर में बोर्डर सेक्योरिटी का जवान मारा गया । इस प्रकार कुल मिलाकर 20 लोगों की हत्या की गयी । आतंकवादी स्वचालित हथियारों से लैस हैं । उनके पास आधुनिकतम हथियार हैं ।

श्रीमन्, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भय मुक्त समाज का जो नारा देकर यह सरकार आई थी, आज उस वायदे पर यह सरकार (इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हृदय नारायण दीक्षित पीठासीन हुए) पूरे तरह से असफल रही है । आज पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ है । कोई भी भय मुक्त नहीं है । हां, यदि कोई भय मुक्त है तो जो अपराधी हैं वे इस सरकार के कार्यकाल में भय मुक्त हो गये हैं, बी० जे० पी० के कार्यकर्ता भय मुक्त हो गये हैं, बी० जे० पी० के मंत्री व विधायक अपराध करने के लिये भय मुक्त हो गये हैं । मंत्रियों की स्थिति तो यह है कि जिसका घर चाहें ताला तुड़वाकर प्रवेश कर लें, विधायक जिसका घर चाहें, उसके घर का ताला तोड़कर प्रवेश कर लें । आज अपराधियों को खुलेआम इस सरकार में राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है । जिन लोगों ने हत्यायें कीं, वे खालिस्तान के नारे लगा रहे थे । आठ बजे यह घटना घटी और पुलिस वालों को वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई । यह सब क्यों हो रहा है । यह इसलिये हो रहा है कि इटावा में मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि नानकमत्ता अपराधियों का गढ़ है । जब वह आये तो उन्हें डर लगा

और डी० जी० पी० को वहां भेजते हैं। डी० जी० पी० एलान करते हैं कि वहां पर किसी भी अपराधी को शरण नहीं दी गयी है। दूसरी तरफ यह सरकार स्वयं उग्रवादी कार्यवाही कर रही है और संविधान की हत्या कर उग्रवाद को प्रोत्साहन दे रही है। एक उग्रवाद तो खालिस्तान से आया और दूसरा उग्रवाद यह सरकार खुद है जो कानून की हत्या कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में उग्रवाद जो बढ़ा है, वह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के उग्रवाद बढ़ाने की रणनीति के तहत हुआ है। जनता का ध्यान अपनी असफलता से हटाने का है। सोचे-समझे ढंग से हत्यायें करायी जा रही हैं।

आज केन्द्र सरकार ने इनको जो सुरक्षा बल दिये थे और उन्हें जो हथियार दिये थे, उनका उपयोग ये आतंकवादी क्षेत्रों में नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग ये अपने मंत्रियों की साज-सज्जा व सुरक्षा के लिये कर रहे हैं। (इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) अभी आप विधान सभा के नीचे चलें इनके मंत्री इतने डरपोक हैं कि जो बिना जिप्सी में 4 सिपाही बैठाले नहीं चलते हैं, 8-8 गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी उनके साथ निकलते हैं, जो हथियार, सुरक्षाकर्मी और जिप्सी गाड़ियां आतंकवाद से मुकबला करने के लिये उनको दिये गये उनका प्रयोग यह अपने और अपने परिवार के लिये कर रहे हैं। इसलिये आतंकवादी उन्मुक्त रूप से घूम रहे हैं। यह अत्यंत अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है क्योंकि पूरी तराई आतंकवाद से ग्रस्त है। अविलम्बनीय इसलिये है कि यह 24 ता० की घटना है उसके बाद आज ही सदन बैठ रहा है। इसलिये सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ताकि कड़ाई के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके हस्ताक्षर हैं उनको ही बोलने की इजाजत दूंगा। कृपया शांत रहें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार आतंकवाद की समस्या को समझते हुए उससे निपटने पर विचार किया गया और उसमें सफलता प्राप्त की गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें, विषय की गम्भीरता को समझें। आपस में टीका टिप्पणी न करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जनवरी, 92 से इस समय चल रही आतंकवादी घटनाओं मे कमी आई है उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसी अवधि के भीतर स्वयंभू लेफ्टीनेंट जनरल कहलाने वाला बलबिन्दर सिंह "विंदा" खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का सतनाम सिंह सत्ता सहित 8 आतंकवादी मारे गये, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहे। गम्भीरता का परिचय दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आतंकवादी घटनायें सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरयाणा में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिये पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। जैसा माननीय प्रमोद तिवारी जी ने आरोप लगाया कि यहां इस संबंध में कोई काम नहीं हो रहा है वहां के लिये जो पुलिस कर्मी हैं उनका उपयोग यहां पर हो रहा है असत्य है। लगभग 26 कम्पनी पी० ए० सी० की तराई में लगा रखी है इसके अलावा 30 क० सी० आर० पी० एफ० बी० एस० एफ० और आई० टी० बी० पी० की लगी हुई हैं। यह घटनायें पहले के मुकाबले कम हैं। तीन महीनों में आठ प्रमुख आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गये हैं। इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं।

यह बात सही है कि आतंकवादी आतंक पैदा करने के लिये निर्दोष लोगों को मारते हैं। पुलिस का काम आतंकवाद या भय पैदा करना नहीं है, लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाना है। हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिये हमने दो बटालियन टास्क फोर्स का गठन किया है, थानों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की है ताकि वहां चौकसी वर्ती जाय। जनवरी, 92 से आतंकवाद में सुधार हुआ है। यह जरूर दुख की बात है कि नैनीताल और बिजनौर में जो घटनायें हुईं इसकी हम निन्दा करते हैं। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद का सफाया करने के लिये हमारी सरकार सजग है और इन घटनाओं के रोकथाम के लिये तत्परता से कार्य करेंगे और उस दिशा में कार्यरत हैं, इसलिये यह कोई कार्य स्थगन का विषय नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सूचना को न स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को नियम 300 में अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

आप इसमें एक स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप बैठें।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जबसे यह सरकार सत्ता में आई है अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों का यह उत्पीड़न कर रही है। यह कहती है कि दंगा रहित प्रदेश होगा किन्तु हो कुछ दूसरा ही रहा है। अभी 20 तारीख को एटा जिले के सिड़पुरा टाउन एरिया में जिस तरह के, जिस ढंग का दंगा हुआ है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। वहां के अल्पसंख्यक लोगों की दुकानों पर निशान लगा-लगा कर उनको लूटा ही नहीं गया है बल्कि उनमें आग भी लगा दी गयी है। यहां के रहने वाले श्री फारुख के साथ, यहां की टाउन एरिया के चेयरमैन और उनके साथियों ने 8 दिन पहले झगड़ा किया था और उन पर हमला किया था तो यह लोग थाने पर रिपोर्ट लिखाने इकट्ठा हो गये थे लेकिन थाने के लोगों ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि अपोजिट पार्टी के लोग सत्तारूढ़ दल से संबंधित थे। 20 तारीख को भी टाउन एरिया चेयरमैन, शंकरलाल गुप्ता और उनके गुण्डा साथियों ने भयंकर रूप से हमला किया था। फलस्वरूप वहां गोली चली और उसके बाद पूरे दिन अराजकता का नंगा नाच हुआ और उस टाउन एरिया में एक-एक अल्पसंख्यकों की दुकान लूटी गयी। एक तरफ से लूट कर और फिर उनमें आग लगा दी। इस तरह की

मिशाल कहीं सुनने को नहीं मिलती है । यह सरकार आज यह कहती है कि यह दंगा रहित प्रदेश है, बिल्कुल गलत बात है ।

मान्यवर, यह जो घटना है लोक महत्व की है और अविलम्बनीय है इसलिये इस विषय पर कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा कराने की मैं आपसे मांग करता हूं ।

श्री अवध पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद एटा के कस्बा सिड़पुरा में दिनांक 20-4-92 को कम से कम 40-50 अल्पसंख्यकों की सभी दुकानें लूट ली गयीं और उन्हें जला दिया गया । इस काण्ड के 8 दिन पहले एक मुकेश उर्फ सी० आई० डी० नामक व्यक्ति ने अपने गुण्डों को ले जाकर फारुख की पिटाई हाकी एवं लोहे की सरिया से कर दी थी । इस घटना की जब संबंधित लोग रिपोर्ट लिखाने थाने पर गये तो उनकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी उसके बाद वह लोग वापस जिला प्रशासन के पास गये, किन्तु वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुयी । उसके बाद उसी मुकेश उर्फ सी० आई० डी० ने अपने आदमियों के साथ जाकर फारुख और तीन लड़कों की दुबारा बुरी तरह से पिटाई की । इसके फलस्वरूप उन्होंने कोई एक वारदात कर दी जिसमें वहां के चेयरमैन के चोटें आयीं । चूंकि यह भाजपाई लोग थे, सत्तारूढ़ दल के लोग थे, इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी । सत्तारूढ़ दल के लोगों ने इकट्ठा होकर साम्प्रदायिक दंगा के नाम पर अल्पसंख्यकों और उनके साथ रहने वाले कमजोर लोगों की दुकानें लूटीं और उनमें आग लगा दी ...

(व्यवधान)

यह उपाध्यक्ष नहीं है आप हैं । यह मुझे टोकने या रोकने वाले कौन होते हैं । जब यह जबरदस्ती और गुण्डा गर्दी यहां कर रहे हैं तो बाहर क्या करते होंगे यह आप देख लें । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, दिन भर पूरे दिन यह गुण्डागर्दी चलती रही, लूट होती रही, आगजनी होती रही और पुलिस के लोगों को भाजपाई लोगों ने धक्के मारे और उन्हें गिरा तक दिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, व्यवस्था दें इन्होंने गुण्डागर्दी शब्द भाजपाई लोगों के लिये प्रयोग किया है (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया श्री अवधपाल जी आप समाप्त करें (व्यवधान) आप समाप्त नहीं कर रहे हैं और व्यवधान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । आपको हमने समाप्त करने के लिये कहा लेकिन आप बैठ नहीं रहे हैं इसलिये अब आपका नहीं लिखा जायेगा । (घोर व्यवधान)

श्री अवध पाल सिंह–

[x x x]

श्री सूर्य प्रताप शाही–

चेयरमैन शंकर लाल गुप्ता, टाऊन एरिया, पर 6 लोगों ने बंदूक और कट्टे के साथ हमला किया जिससे वह घायल हुए और उनके लड़के को भी चोट आयी तथा तीसरा व्यक्ति श्री विद्याशरण गुप्ता को

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गोलियों से चोटें आईं । हमलावरों ने कस्बे के भीतर हमला किया और कुछ लोग पेट्रोल के डिब्बे लाये थे और पेट्रोल छिड़ककर दुकानों मे आग लगा दी ।

मान्यवर, यह घटना किसी भी तरह साम्प्रदायिक नहीं है । जो हमलावर रहे हैं टाउन एरिया चेयरमैन से उनकी पहले से दुश्मनी रही है जिसके कारण उन के ऊपर यह हमला हुआ है । हमलावरों ने किसी विशेष सम्प्रदाय के लोगों की दुकानें जलायी हैं, यह आरोप जो माननीय सदस्य ने लगाया है वह ठीक नहीं है । मान्यवर, बहुसंख्यकों की 30 और अल्पसंख्यकों की 10 दुकानें इस घटना में जली हैं । यह सिर्फ हमलावरों की दुर्भावना के कारण आग लगाई गयी । इस घटना की जैसे ही सूचना मिली प्रशासन के सारे अधिकारी, जिलाधीश तक मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया । कस्बे में सामान्य काम काज चल रहा है । श्री सूरज सिंह शाक्य भी वहां गये और सारी स्थिति का अवलोकन किया एवं मुख्यमंत्री जी ने विवेकाधीन कोष से 1.58 लाख रुपये पीड़ित दुकानदारों के लिये सहायता के लिये भेजा । मान्यवर, इस संबंध में 20 लोगों को एन० आर० वाई० से ऋण दिलाने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को कार्य स्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं अपने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से इस सदन का ध्यान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम–1992 जो अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस अधिनियम को लागू करते हुए 84 दिन इस प्रदेश में हो गये हैं लेकिन इसका कार्यान्वयन बिना प्रारूप दिये कर दिया गया । आज इसके कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश के सामने एक समस्या पैदा हो गयी है । एक अपराध में दो-दो सजा दी जा रही है, जो कि संविधान में भी नहीं दी गयी हैं । संविधान में एक अपराध में एक ही सजा मिलेगी । दो-दो सजा मान्यवर, इस अधिनियम के अन्तर्गत मिल रही हैं । एक तरफ उनको परीक्षाओं से रेस्टीकेट किया जा रहा है । न्यायालय के माध्यम से सजा का भी प्राविधान किया गया है ।

भारत सरकार ने बाल अपराधियों को संरक्षण और उन पर अत्याचार को रोकने के लिये बाल अपराध अधिनियम–1986 लागू किया गया था इसके अन्तर्गत एक एक्ट 1986 लागू किया गया है जिसकी धारा–9 में लिखा है कि यदि बालिका बाल अपराधी है तो उसको ले जाने का कार्य महिला पुलिस करेगी । उसको थाने में रखा नहीं जायेगा । उसको पूर्ण कपड़े पहनाकर ले जाया जायेगा । दिन में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है । सरकार ने इस अधिनियम को भी नहीं माना । लखनऊ में संध्या नाम की शिक्षिका को बन्द किया गया । रात भर वह हवालात में बन्द रही । इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है । सीतापुर में सुमन वर्मा और मंजू नाम की दो बालिकाओं को थाने में रखा गया । वहां महिला पुलिस मौजूद नहीं थी । माननीय शिक्षा मंत्री जी आप इस सदन में घोषणा करते हैं कि अगर बालिका पकड़ी जायेगी तो तुरन्त जमानत कर दी जायगी । नहीं, तो मान्यवर, इस समाज में अभिभावक व अपराधियों के बीच में इन्हें भेजना चाहते हैं न पुलिस वालों के साथ । आप यहां यह घोषणा करें । इसके अतिरिक्त अधिनियम 18 की उपधारा–2 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इसमें लिखा है कि "सच परसन्स हैविंग बीन अरेस्टेड एण्ड इफ नाट रिलीज्ड आन बेल बाई दि आफिसियल्स आफ दि पुलिस स्टेट सच आफीसियल्स शैल हैव टू कीप एण्ड आवजर्व देम इन ए सेफ प्लेस फार दि प्रेस्क्राइब्ड मैनर ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें लिखा है कि इनको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर अपराधी बन्द न हों। श्रीमन्, इस सरकार ने उस नियम का भी पालन नहीं किया है। धारा–48 को देखें। इसमें लिखा है कि बाल अपराधी को हथकड़ी नहीं लगेगी। मान्यवर, यह देखिये अखबार में, माननीय मंत्री जी आप भी देखें। हथकड़ी लगाकर बन्द किया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है हाथों में हथकड़ी पड़ी हैं। मैं नाम बता दूं हरिराम और वीरेन्द्र को खुले आम हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। किंग जार्ज मेडिकल कालेज के मानसिक विभाग के श्री एस० सी० तिवारी ने रिपोर्ट भेजी है। उनका कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करने से उनके दिमागों पर असर पड़ता है। वह हिस्टीरिया, डिप्रेशन आदि बीमारियों का खतरा हो जाता है और बच्चों के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तीन वर्ष पूर्व मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोल रहा हूं तीन वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट में बाल अपराधी को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है मान्यवर, 20 हजार रुपये उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना किया गया और एक हजार रुपया उस सिपाही पर किया गया तो हथकड़ी लगाकर ले गया था और यह प्रदेश के बालक बालिकाओं पर इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। मान्यवर, राज्य गन्ना मंत्री के लड़के को पीलीभीत में छोड़ दिया गया। अमरनाथ सिंह जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं इनका नवयुग स्कूल है वहां नकल हो रही है कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से बिहानी मलीहा में एक इण्टर कालेज में, रामकुमार वर्मा मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्कूल है, प्राइवेट परीक्षा विद्यार्थी दे रहे हैं वहां राज्यमंत्री स्वयं मौके पर गये तो एक तरफ तो सरकार नकल विरोधी अधिनियम चल रही है और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री संरक्षण दे रहे हैं। जिन बच्चियों को पकड़ा गया है, बहुत सी बच्चियां घर से नहीं निकल रही हैं हो सकता है कि वह आत्महत्या कर लें। सम्पूर्ण प्रदेश में आक्रोश का वातावरण व्याप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाये।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण समाज में परम्पराओं के समाज में रहने वाले लोग हैं। सरकार नकल बन्द करा रही है यह बहुत अच्छा प्रयास कर रही है इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन नकल निवारण अधिनियम, 1992 जो बनाया गया है क्या उसकी कोई प्रक्रिय नेयमावली आज तक तैयार हो पाई है। उसका क्या कोई प्रारूप आज तक तैयार हो पाया है। मान्यवर, इस परम्पराओं के समाज में सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हमारे परिवार या माननीय मुख्य मंत्री जी के परिवार की लड़की पकड़ ली जाय, उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत थाने ऐसे हैं जहां महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं है, लड़की पकड़ी जाती है और उसके बाद पुलिस के दरोगा, कांस्टेबिल उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं उसके बाद उसकी समाज में क्या स्थिति होगी इस पर विचार करें।

मान्यवर, परसों राष्ट्रीय विद्यालय हैदरगढ़ में शिक्षावती नाम की लड़की, जिसकी शादी पांच मई को है, वह नकल में पकड़ी गयी । मैं मौके पर गया और तहसीलदार से बात की कि नकल में लड़की पकड़ी गयी है जमानत हो सकती है, तो आप इसकी जमानत करवा दें । मुझसे पहले यही प्रश्न महात्मा गांधी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री इदरीश ने जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक को लिखा था कि नकल निवारण अधिनियम, 1992 का पालन करने में एक कठिनाई सामने आ रही है । अगर कोई लड़की पकड़ी जाती है उसकी जमानत के बारे में क्या किया जाय, तो उसका जबाव आज तक नहीं दिया । मान्यवर, इस सदन में शिक्षा मंत्री ने, नकल निवारण अधिनियम पर वक्तव्य देते हुए कहा कि कोई परीक्षार्थी नकल निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जायेगा तो जेल में परीक्षा जारी रखने की व्यवस्था सुचारु रूप से की जायेगी । क्या ऐसी व्यवस्था किसी जनपदीय कारागार में हो रही है ? सम्पूर्ण बाल समाज सी० आर० पी० सी० पी० सी० में देख लें । 14 साल के बच्चों के हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी । इन बच्चों की कोमल कलाईयां हथकड़ी का भार नहीं सह सकती हैं और उनको हथकड़ियां पहनाकर चिलचिलाती धूप में ले जाते हैं इसका उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, उसके बाल मन को यह अपराधी बनाने का कार्य कर रहे हैं ।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि नकल रोकने की आवश्यकता है लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के पहले नियमावली तैयार कराने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया । अभी सीतापुर में एक वाकया हुआ जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । सीतापुर में एक अध्यापिका को इस आरोप में पकड़ा गया कि वह नकल करा रही थी । पर्ची बरामद हुयी अध्यापिका से 25 गज दूरी पर । पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और हवालात में रखती है । अब आप बतायें कि रात भर जब वह हवालात में रहेगी तो कैसे सम्मान के साथ दूसरे दिन सड़क पर निकल सकती है । मैंने पहले भी कहा था कि परम्पराओं से हमारा समाज चलता है । हो सकता है कि माननीय हरिद्वार जी हिन्दुस्तानी परिवेश मे पैदा न होकर विलायत में पैदा हुए हों, लेकिन हम सब हिन्दुस्तानी परिवेश में पैदा हुए हैं जहां जेल जाने को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है । इसलिये मैं अपने इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने और माननीय अवस्थी जी ने दुबारा जो कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको मैंने पढ़ा और जिस शब्दावली का उसमें प्रयोग किया गया है, उसे पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जो भी व्यक्ति तथ्यों से अवगत न हो निश्चित रूप से इस शब्दावली को पढ़ने के बाद उसके मर्म पर चोट पहुंचेगी इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जानबूझकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गयी है । बहुत सारे बिन्दुओं पर माननीय अवस्थी जी ने और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है । उन्होंने कहा है कि जब छात्रायें पकड़ी जाती हैं तो उनका हाथ पकड़कर पुलिस जेल को ले जाती है । मान्यवर, यह दोनों माननीय सदस्य सदन के सम्मानित सदस्य हैं और दोनों मेरे मित्र हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों पूर्व सदन में यह सूचना दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में 3 छात्रायें नकल करते हुए पकड़ी गयीं और उन्होंने आत्महत्या कर ली । मान्यवर, ऐसी सूचना देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हरदोई में डा० सुरेन्द्र सिंह की लड़की ने आत्महत्या की है आप जांच करा लें ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, इस सदन में मैं विश्वास के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि नकल करते हुए पकड़े जाने पर यदि उत्तर प्रदेश की किसी छात्रा ने आत्महत्या की होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार इस अध्यादेश को निश्चित रूप से वापस ले लेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने नाम बता दिया है, जांच करा लीजिये ।

श्री राजनाथ सिंह–

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी भी छात्रा को किसी पुलिस कर्मी ने हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की होगी और यदि उसको माननीय सदस्य संज्ञान में लायेंगे तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उस पुलिस कर्मी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं लिखित सूचना दे दूंगा ।

श्री राजनाथ सिंह–

लिखित सूचना दे दीजिये, उसकी हम जांच करा लेंगे । मान्यवर, यह कहा जा रहा है 12, 13, 14 साल के बच्चों को हथकड़ियां लगायी जा रही हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह अखबार है इसमें हथकड़ियां लड़कों के लगी हुयी हैं । इसे देख लीजिये मैं आपके पास भिजवा रहा हूं ।

(मा० नरेश अग्रवाल ने एक अखबार सदन में दिखाया ।)

मान्यवर, यह सरकार झूठ बोल रही है । बच्चों को हथकड़ियां लगाकर जेल भेजा जा रहा है ।

श्री राजनाथ सिंह–

किसी ने अपने विचार व्यक्त किये कि (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इससे बड़ा अत्याचार इस प्रदेश में और कोई नहीं हो सकता । जो अन्याय हो रहा है उससे सरकार बच्चों को अपराधी बना रही है । ऐसी सरकार को एक भी मिनट रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को कार्य–स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी बैठ जायं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार का पक्ष तो आ जाय ।

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सुरेश प्रताप गांधी, श्री नवाब सिंह, श्री विजय सिंह राणा तथा श्री दलवीर सिंह की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । श्री हरिवंश सहाय की सूचना की तथा श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री फागू चौहान तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव की सूचना की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि शासन का पक्ष आने के पहले आपने निर्णय दे दिया, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन से उठ कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना पर पहले से ही शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयी हैं, अतः अस्वीकार की गयीं । श्री ऊदल, श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री राम औतार शाक्य, श्री दीनानाथ सिंह यादव, श्री कुंवर अखिलेश सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री श्याम लाल रावत, श्री लालजी वर्मा, श्री खालिद गौरी, श्री हरिवंश सहाय, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री स्वामी नाथ यादव । एक सूचना श्री दीनानाथ सिंह यादव जी की है जिसको सुनना बाकी है । यह पांचवीं सूचना शलाका में आ गयी थी । माननीय दीना नाथ सिंह यादव जी बोलें । शलाका के आधार पर जो सूचनायें चयनित की गयी थीं, उनके अलावा मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर ध्यान आकृष्ट किया है । स्वामी नाथ जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप सब कृपया बैठ जायं । स्वामी नाथ जी जो बोल रहे हैं कुछ भी लिखा नहीं जायगा । श्री दीनानाथ सिंह जी बोलें ।

(श्री स्वामी नाथ यादव बिना अनुमति के बोल रहे थे जो कि घोर व्यवधान के कारण सुना नहीं जा सका ।)

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जबसे यह सरकार आयी है, तबसे बराबर मजदूर विरोधी कार्य कर रही है । सोनभद्र की जिस घटना का मैंने जिक्र किया है, बहुत ही गम्भीर घटना है । पिछली 26 तारीख को हमारे सी० आई० टी० यू० की तरफ से आवाह्न किया गया था कि सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध सभी जिला केन्द्रों पर प्रदर्शन करें । सोनभद्र जिला इकाई के हजारों मजदूर भी इकट्ठे होकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे । 25 तारीख को हमारे सीटू के दोनों नेताओं जिला

अध्यक्ष श्री आर० एन्टोनी और नेता श्री आर० पी० सिंह उस रैली में प्रमुख वक्ता थे मगर उस दिन प्रशासन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और न कोई कार्यवाही की गयी ।

ये दोनों नेता 25 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय पर मजदूरों के प्रदर्शन में प्रमुख वक्ता थे, मगर उस दिन पुलिस ने, जिलाधिकारी ने कुछ नहीं कहा और प्रदर्शन के बाद जब वे लोग अपने घर चले गये, तो उसी रात को अनपरा की पुलिस श्री आर० एनटोनी और श्री आर० बी० सिंह सहित कुल 7 लोगों को पकड़ कर थाने ले आई, सुबह थाने पर हजारों मजदूर और उनके बच्चे इकट्ठा हो गये, यह जानने के लिये कि क्यों बुला कर लाये हैं, कुछ बताने के बजाय पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 54 लोगों को मिर्जापुर जेल में बंद कर दिया । उस दिन उन लोगों पर 107/16 और 151 की धारा लगी थी और जब फिर मार्च में पेशी हुई, तो उसमें 147/149/323/336/353/109/504 धारा लगा दी और फिर 7 मार्च को पेशी हुई, तो गैंगेस्टर ऐक्ट भी एनटोनी और आर० बी० सिंह पर लगा दिया । तीन बार में तीन धारायें पुलिस ने लगाई । इसके माने यह कि इनसे कोई खतरा नहीं था । दूसरा हमारा यह कहना है कि इनके ऊपर कभी भी कोई हत्या का, डकैती का, किसी तरह का कोई संगीन मुकदमा नहीं चलाया गया था, जिससे कि इनके ऊपर गैंगेस्टर एक्ट लगाने की जरूरत पड़ती । तीसरा मेरा यह कहना है कि अनपरा में सिम्पलेक्स कम्पनी है, इनके मजदूर आंदोलन में थे । उस आंदोलन में यह आर० एनटोनी आदि हमारे सीटू के नेता इनकी मदद कर रहे थे । दूसरे रेनू सागर में बिड़ला का जो कारखाना है, उनकी लड़ाई में भी ये बहुत मदद करते हैं । ये उनके बहुत ही प्रिय नेता हैं । यह सिम्पलेक्स कम्पनी वही कम्पनी है, जिसने छतीसगढ़ के मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या से जुड़ी हुई है । इसी कम्पनी ने जान- बूझ करके जिला प्रशासन को अपने पैसे के बल पर खरीद रखा है और मजदूर नेता आर० एनटोनी और आर० बी० सिंह को गैंगैस्टर एक्ट में डालने का काम किया है ।

मान्यवर, मजदूरों में वहां पर बड़ा असंतोष है । मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है । इस गैंगेस्टर एक्ट का दुरुपयोग करके मजदूर नेताओं को परेशान किया जा रहा है । हमारी यह मांग है कि उन पर लगाये गये मुकदमें वापस किये जायं और इस पर सदन में चर्चा कराई जाय ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । मान्यवर, यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव इसलिये बनता है कि 25-26 फरवरी, को तो श्रीमन् जब इनको थाने पर ले आया गया और 5 अन्य लोगों के सहित 107/16 और 151 की धारा के तहत इनको बन्द कर दिया गया । मैं समझता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी इसको सुनेंगे । पहले जब इनको थाने पर बुलाया गया, तो 107/16 और 151 की रिपोर्ट लिखी गयी, फिर दो दिन बाद बुलाया, तो जेल भेज दिया और जब 4-3-1992 को पेशी हुई तो इन लोगों पर लगा दिया धारा 147. 145. 323 326. 353 और 7-3-1992 को जब एस० डी० एम० के यहां पेशी हुई तो इन पर गैंगेस्टर एक्ट लगा दिया । तो मैं पूंछना चाहता हूं कि अगर इनसे खतरा था, तो पहले ही दिन जब बुलाया था, तो इन पर इतनी धारायें क्यों नहीं लगा दी गयीं, उस दिन तो दफा 107/16 और 151 लगायी गयी और फिर बाद में इतनी दफायें क्यों लगा दी गयीं और 7-3-1992 को गैंगेस्टर एक्ट लगाया गया और फिर उनमें से एक की जमानत हुई । इसलिये मान्यवर, यह काम रोको प्रस्ताव बनता है क्योंकि यह सरकार 4 दिन में 4 किस्म की कार्यवाही करती है, 4 तरह की रिपोर्ट आ रही है, पुलिस ने

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बार बार अपने बयान बदले हैं। इसलिये इस पर चर्चा करा दें, क्योंकि सरकार निरंकुश होती जा रही है और मजदूर विरोधी होती जा रही है। यह सरकार सभाओं और प्रदर्शन पर रोक लगा रही है और लोक तंत्र की हत्या की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, श्री दीनानाथ जी और श्री ऊदल द्वारा जो सूचना दी गयी है, जैसा उनकी सूचना से ही लगता है कि वह 25 फरवरी की है। मान्यवर, उसके पहले से सदन चल रहा है और इस सूचना को उन्होंने इसके पहले नहीं दिया। जो आपकी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है उसमें कि घटना अविलम्बनीय महत्व की हो और हाल की ही घटना हो। मान्यवर, इस घटना को हुये दो महीने हो गये हैं और तब से विधान सभा चल रही है और आज इसको लाया जा रहा है, इसलिये यह नियम 56 की परिधि में नहीं आता है। जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, यह 25 फरवरी की घटना है। उन पर दफा 147, 149, 352, 323 और 504 लगाई गयी। अनपरा थाने में मुकदमा नं० 63/92 दर्ज किया गया। यह कहना सही नहीं है कि बाद में एफ० आई० आर० में दफायें अंकित की गयी हैं। अनपरा पावर हाउस बन रहा है, वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें यह लोग बाधा पहुंचा रहे थे, श्री आर० बी० सिंह और श्री एन्थोनी वहां के काम में बाधा पहुंचा रहे थे, मजदूरों को भड़का रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में इनको पकड़ा गया और यह मामला न्यायालय में विचारधीन है, इसलिये इस पर कोई अन्य कार्यवाही कर सकना संभव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अन्य सूचनाओं के बारे में पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।

माननीय राणा जी आपकी सूचना शलाका से छठे नम्बर पर आई थी जिसकी तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है और 5 सूचनाओं पर सुन लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए आय व्ययक की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,38,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,67,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,20,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति की लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,25,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, आज हम सदन का बाहुल्य समय ऐसे दुर्बल, पीड़ित, असहाय और जो समाज से हमेशा उपेक्षित रहे हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिये, उनके लाभ के लिये, उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये, जो समाज में हमेशा उपेक्षित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, उनकी व्यवस्था को सुचारु-रूप से चलाने के लिये हम आज आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, अनुदान मांग करते हैं । मान्यवर, हमारा दल सरकार के अन्दर और सरकार के बाहर रहते हुए इन असहाय और पीड़ितों के लिए.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप सरकार हैं दल नहीं हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह डन्डीमारों की सरकार है इनको असहायों से क्या लेना देना ।

(श्री बाबू राम यादव द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने से व्यवधान)

श्री रमापति शास्त्री–

इन असहाय, पीड़ित, दलित जिनकी उपेक्षा आप कर रहे हैं, के बारे में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि हमारी भावना और हमारा सिद्धान्त है कि वह मैले कुचैले, अनपढ़ सीधे सादे लोग हमारे नारायण है । वह हमारे आराध्य हैं, हमें इनकी पूजा करनी है । यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है । जिस दिन हम इन निरक्षर निरुत्साही एवं किंकर्तव्यविमूढ़ मानव को एक स्वस्थ एवं साम्य समाज का दर्शन करा सकेंगे जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवनदर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पावों की बिवाइयों को भरेंगे, जिस दिन हम इन्हें रोग होने पर औषधि उपलब्ध कार सकेंगे, जिस दिन हम इनके रहने का घर तथा इनके पहनने के लिये वस्त्रों की व्यवस्था करा सकेंगे और जिस दिन इनको उद्योगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे उसी दिन तो हमारा भ्रातृभाव व्यक्त होगा ।

मान्यवर, एक बात कहने में जरा भी संकोच नहीं होता । पंचवर्षीय योजनाओं के 48 साल गुजर गये, दो पीढ़ियां निकल गयीं, अरबों रुपया खर्च हो गया परन्तु अनुसूचित जाति के लोगों में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ । अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास को सरकार सर्वाधिक महत्व दे रही है जो सबसे पीछे हैं जो सबसे नीचे हैं उन्हें सबसे पहले अवसर मिलेगा । उनमें स्वावलम्बन की भावना को जा[illegible] करना और अपने पैरों पर खड़ा करना यह हमारी सरकार की वास्तविक नीति है । उसी व्यवस्था

के तहत सदन से इस अनुदान की राशि की मांग करता हूं सबसे पहले डा० अम्बेडकर जी का जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है इस अवसर पर सबसे पहले हमारी सरकार ने उनकी भावना के अनुरूप काम करने का जो संकल्प लिया था पूरा किया है ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

आजादी के बाद 40-45 सालों तक जो सरकारें रहीं । बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर के द्वारा जो अनु० जाति और जनजाति के नामों के साथ "हरिजन" शब्द जुड़ा हुआ था, बाबा साहेब की आत्मा पुकार-पुकार कर कह रही थी कि यह अपमानजनक है अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है । इस शब्द को हटना चाहिये । 40-45 साल तक सरकारें विचार करती रहीं लेकिन हटाने की हिम्मत नहीं हुई । उत्तर प्रदेश की सरकारें ने बाबा साहेब की भावना के अनुसार हरिजन शब्द न कहा जाय इस बात को करके एक ऐतिहासिक काम किया है । सबसे बड़ा काम अनु० जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के साथ-साथ उनको समाज में जीने के लिये अच्छी व्यवस्था दे सके, यह काम भी किया है । आजादी के बाद अनु० जाति और जनजाति और पिछड़ी जाति के जो असहाय अपंग समाज में अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाते थे उनको राजनीतिक आजादी तो मिली लेकिन न आर्थिक आजादी मिली और न सामाजिक आजादी मिली । इसके लिये और उनको अच्छा स्थान दिलाने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है कि उनके बच्चों से काम शुरू किया जाय उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की थी । मुझको कहने में संकोच नहीं है कि 63 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा उनके बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण होता था किन्तु सुचारु रूप से उन तक नहीं पहुंच पाती थी । हमारी सरकार ने छात्रवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है, गांव के प्रधान को भागीदार बनाया है । गांव के वरिष्ठ सदस्य को भी भागीदार बनाया है । स्कूल के प्रधानाचार्य को भी हिस्सेदार बनाया है । अनु० जाति के अध्यापक को भी हिस्सेदारी में रखा है । इस प्रकार हमारी सरकार ने तय किया है कि 63 समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जो छात्रवृति का वितरण होता था उसको विकेन्द्रित करके समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम से खाता खोला जाएगा और वहां छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाएगा जो भी अधिकारी गड़बड़ करेगा, हमारी सरकार उसको बख्सेगी नहीं ।

मान्यवर, इतना ही नहीं किया है, उनके काम को ठीक से सुचारु रूप से चलवाकर, प्रशिक्षण का काम देकर, आगे बढ़ाने का काम किया है । हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिये कई कार्यक्रम चलाए हैं । पूर्वदशम् कक्षाओं में छात्रवृत्ति की स्वीकृति यह अनुसूचित जाति के छात्रों के संबंध में शुरू की गयी है । यहां आश्रम पद्धति विद्यालय की व्यवस्था की गयी है । विशेष फीस मांफी की व्यवस्था की गयी है, छात्रावासों की स्थापना की गयी है, शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक संस्थायें हैं उनके बारे में बात कही गयी है । अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं, पढ़कर के ऊंचे क्लास में जाते हैं, ऊंचे क्लास में अच्छी व्यवस्था न होने के नाते जातीय आधार पर उनको तिरस्कृत किया जा रहा था, हमारे अनुसूचित जति के नौजवान थोड़ा पढ़ लिखकर समाज में अच्छा काम करें इस अव्यवस्था में नहीं आ सकते थे हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और डाक्टरी कोर्स में प्रवेश परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करायी है । इसके माध्यम से छात्रवृत्ति भी देते हैं और इसमें तमाम व्यवस्थायें करते हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र जो पैसे की कमी के नाते किताबें नहीं खरीद सकते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते,

कपड़ा नहीं दे सकते उनके लिये भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, इन सबकी वजह से प्रदेश सरकार ने आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की । आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से हम उनके पढ़ने, उनके भोजन, उनकी किताबों, उनके कपड़े की व्यवस्था करते हैं और सारी सुविधायें उपलब्ध कराते हैं ।

मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय जो हमारे यहां थे उनको हमने उच्चीकृत भी किया है । जो कक्षा 1-2 तक चल रहे थे इनको तीन किया, जो तीन तक चल रहे थे उनको चार किया है जो 4 तक चल रहे थे उनको पांच किया है इस तरह से जो 8 चल रहे थे उनको 9-10 किया है । इन उच्चीकृत आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिये अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की है । मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से अनुसूचित जातियों/जनजातियों की संख्या 21 प्रतिशत पड़ती है, इसलिये इनको अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके अच्छी सुविधायें दी जा सकें उसके लिये छात्रावास की व्यवस्था की गई है मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं होता कि जो छात्रावासों की व्यवस्था थी वह खराब थी, इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं होता । मैंने कई छात्रावासों का निरीक्षण किया, वहां राजनीतिक दलों के कार्यालय चलाये जा रहे थे वहां दलों के कार्यालय के अलावा अव्यवस्था फैलाने के ढंग से उनका दुरुपयोग लोग कर रहे थे ।

हमारी सरकार ने इस अव्यवस्था को दूर करने का काम किया है इन छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को अच्छी सुविधा दी जायेगी इसके बारे में व्यवस्था की है । यह पूरे छात्रावास इन छात्रों की उपलब्धता को देखते हुए कम पड़ रहे हैं । एक और व्यवस्था की है, स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से, उनको अनुदान देकरके, उत्तर प्रदेश में 57 नये विद्यालय और एक छात्रावास को सूची में सम्मिलित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । केवल यहां शिक्षा से काम चलने वाला नहीं है । हमारी सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नौजवानों को, इनके छात्रों को रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाये, शिक्षा के माध्यम से ऐसी शिक्षा के अंतर्गत, यह शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि यह आगे चलकर रोजगार के कार्य कर सकें इसके लिये हमने तीन आई० टी० आई० और एक पालिटेकनिक की व्यवस्था की है–एक लखनऊ में, एक गोरखपुर में और एक नैनीताल में और एक पालीटिकनिक, जो गोविन्द बल्लभ पंत के नाम से है, लखनऊ में स्थापित है । मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता है कि इन शोषितों की जो व्यवस्था थी, मैंने स्वयं जाकर देखा कि एक असहाय, एक अपंग की सी व्यवस्था थी, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनका शोषण किया जाता था, उनके पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कालेज नहीं था, न ही पुस्तकें थीं तो हमारी सरकार ने उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं । एक काम और हमने किया है आर्थिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजना चालू की है । उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक योजना चलायी गयी है.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया बात न करें ।

श्री रमापति शास्त्री–

इसमें प्रमुख है दीन दयाल शोध एवं प्रशिक्षण योजना, इसके माध्यम से स्क्रीनिंग, फोटो लैमीनेशन, कम्प्यूटर्स की योजनाएं चलायी गयी हैं। इसके माध्यम से स्वतः रोजगार योजना चालू कर सकते हैं। स्वतः रोजगार योजना के माध्यम से इन नौजवानों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को, जो बेरोजगार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इन्हें ऋण दिलाते हैं। हमारी सरकार ने इनको मार्जिन मनी की व्यवस्था करी है जिन्हें यह उद्योग-धन्धों में लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। कुछ योजनाएं और चला रहे हैं कि कैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाये हमने इनको दुकानें भी बनवाकर दीं।

एक बात कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि जब यह योजना चलायी गयी थी तो इसमें दुकानों को बाजार से दूर बना दिया था, किसी को ऐसी जगह बना दिया था कि न तो वहां पर दुकानदार जा पाता था और न ही सामान खरीदने वाला जा पाता था और यदि शाम को वहां जाता था तो उसका पैसा लूट लिया जाता था, तो हमारी सरकार ने तय किया कि जहां पर जिनका स्थान है, जहां जिनका घर है या जहां लाभार्थी चाहता है वहां पर उसे दुकान को देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने निशुल्क बोरिंग चलाने की व्यवस्था पर भी बल दिया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु सीमान्त कृषकों को हम निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था करा रहे है और हमारी सरकार ने यह तय किया है कि इस वर्ष हम 10 हजार बोरिंग करायेंगे और 120 डिग्गी का निर्माण करायेंगे। मान्यवर, एक व्यवस्था और की गयी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास को ठीक करने के लिये पिछले 40-45 सालों में बड़ी व्यवस्थायें की गयीं, लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि लोगों से कहते थे, मुर्गी पालन करो, भैंस पालन करो, सुअर पालन करो, भेड़ पालन करो, लेकिन इसके लिये जब पैसा देते थे, तो आधा पैसा इनके अधिकारी खा जाते थे और आधा पैसा जब वह काम में लगाता था.....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनके अधिकारी पैसा खा जाते थे, मंत्री जी यह बता दें कि उस समय के कितने अधिकारी अभी भी मौजूद हैं, क्या वह अधिकारी इन्होंने सब बदल दिये हैं ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, हम निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्थितियों को सुदृढ़ करना चाहते हैं। आप देखें कि जब अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति सुअर पालना करेगा, डंडा लेकर भैंस चराने जायेगा, तो क्या उसको सामाजिक स्थान मिल पायेगा, क्या बकरी चराने से, पालने से उसकी स्थिति सुधार जायेगी, इसी को देखते हुये हमारी सरकार ने इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वाहन क्रय करने की योजना को लागू किया है। हम उन्हें टैम्पो दे रहे हैं, मिनी ट्रक दे रहे हैं, मिनी बस दे रहे हैं और यह ऋण हम बहुत कम ब्याज पर इन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। 10-12 सालों में, जब तक इनकी स्थिति सुधर नहीं जाती, तब तक धीरे-धीरे इनसे यह ऋण वसूल किया जायेगा और एक काम इसी संबंध में और किया गया है, वह यह कि पहले यह होता था कि जिस लाभार्थी ने एक बार लाभ प्राप्त कर लिया, उसको दोबारा नहीं दिया जाता था।

हमारी सरकार ने तय किया है कि एक बार जो हमसे वाहन आदि का लाभ प्राप्त करेगा, यदि उसने सारे का सारा वापस कर दिया है तो हम उसे दोबारा वाहन आदि के लिये ऋण देने की व्यवस्था करेंगे ।

मान्यवर, इन लोगों की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिये प्रशिक्षण योजानायें भी सरकार चला रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, कृपया समय का भी ध्यान रखियेगा ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, सबका एक कल्याण है, हमारा समाज कल्याण है । एक बात और बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो पहले उत्पीड़न होता था, उस उत्पीड़न को रोकने के लिये कानून तो बहुत बनाये गये, लेकिन उनकी व्यवस्था को लागू करने में पहले की सरकारें पूरी तरह अक्षम रही हैं ।

इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये निदेशालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जो सुबह 6.00 बजे से लेकर रात्रि 9.00 बजे तक कार्य करता है । अनुसूचित जाति व जन जाति पर उत्पीड़न की जो अन्य कार्यवाहियां होती हैं, उसके लिये भी हम उन्हें अन्य सुविधायें व अनुदान देते हैं । परिवार के काम करने वाले व गैर काम करने वाले मृतकों को हम 10 हजार रुपये अनुदान देते हैं । परिवार के किसी भी सदस्य के स्थायी शरीर की अक्षमता पर हम 10 हजार रुपये अनुदान देते हैं और अस्थाई अक्षमता पर 2 हजार रुपये का अनुदान देते हैं । शारीरिक क्षमता की सीमा के नीचे गंभीर चोट पर हम 1 हजार का अनुदान देते हैं ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व जन जाति की महिलाओं पर तमाम बलात्कार होते हैं । ऐसी स्थिति में बलात्कार से पीड़ित महिला को हमारी सरकार 5 हजार रुपये का अनुदान देती है । अगर कोई बलात्कारी पकड़ में आ गया तो हमारी सरकार उसको बड़ी से बड़ी सजा देगी । भारत सरकार ने डा० अम्बेदकर की जन्मशती के अवसर पर घोषणा की थी स्वच्छकार योजना की । जिसे कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने भंगीमुक्ति योजना का नाम दिया था । हमारी सरकार ने उसे स्वच्छकार मुक्ति योजना का नाम दिया है और अम्बेदकर जन्मशताब्दी पर कई सुविधायें उपलब्ध कराने की योजनाएं भी प्रस्तावित की है । कक्षा एक से कक्षा 10 तक जो छात्र छात्रावासों में रह रहे हैं, उनको निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति दी जायेगी कक्षा–3 से कक्षा–8 तक 200 रुपये प्रति माह, कक्षा-9 से कक्षा-10 तक 250 रुपये प्रति माह । इसके अलावा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 25 रुपये, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 40 रुपये और कक्षा 9 से कक्षा 10 तक 50 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने की योजना इन स्वच्छकार के बच्चों को देने हेतु बनाई गई है । इसके अलावा इन स्वच्छकार के बच्चों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको 500 रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान देने का भी फैसला किया है । हमारी प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई भी स्वच्छकार सिर पर मैला ढोने का काम नहीं करेगा ।

मान्यवर, हमारे विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है । इस संस्थान का मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के सर्वांगीण विकास के संबंध में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक योग्यता पर शोध एवं उसका मूल्यांकन करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय ।

इसके अलावा एक व्यवस्था और है राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति आयुक्त की भी स्थापना हुई है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग करता है लेकिन अनुसूचित जाति के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी व्यवस्था 45 सालों तक सरकारों ने नहीं सुनी लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की नियुक्ति की गयी है जिसके अंतर्गत कर्मचारी सीधे आयुक्त को अपने विभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं । तो जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की समाज में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं वहीं इनके अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था कर रहे हैं ।

यही नहीं जो हमारे संवासीय केन्द्र चल रहे हैं जहां पर संवासिनियां रहती हैं उनके खाने-पीने भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की जाती है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता है कि पिछले 40, 45 सालों में सरकार इन पर 145 रु० प्रतिमाह खर्च करती थी इस प्रकार उनके अधिकारों का हनन होता था । हमारी सरकार ने पहली बार उनके भरणपोषण के लिये 240 रु० दिया और इनका ही नहीं इन 9 महीनों में हमने इसे बढ़ा कर 312 रु० कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये अब तक केवल भरण पोषण के लिये 80 रु० दिया जाता था आप समझ सकते हैं कि 80 रु० प्रतिमाह में पान की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है तो हमारी सरकार ने उसे 240 रु० कर दिया है । इतना ही नहीं समाज कल्याण के अंतर्गत अक्टूबर, नवम्बर 1984 के दंगों में जो एक दुखद घटना हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की हत्या हुई, हत्या एक जघन्य अपराध है लेकिन निर्दोष लोगों को जो समाज के विकृत लोगों ने मारा उनकी विधवाओं को 500 रु० प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था की है । इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तमाम विधवायें जो निराश्रित हैं जिनका कोई बेटा नहीं है आमदनी का कोई जरिया नहीं है उनको 250 रु० प्रति माह देने की व्यवस्था की है ।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक काम और करते हैं वह है विधवा विवाह । विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिये 35 साल से कम उम्र की विधवाओं से जो भी नौजवान शादी करेगा उसमें शर्त यह होगी कि उसकी दूसरी पत्नी न हो ।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हृदय नारायण दीक्षित पुनः पीठासीन हुए)

और आयकर दाता न हो, उन्हें हमारी सरकार ने 11 हजार रुपया का एक मुस्त पुरस्कार देने का फैसला किया है... व्यवधान.... कहेंगे तो इनका भी करा देंगे, लेकिन पत्नी न होने का प्रमाण पत्र उनको देना होगा ।

इसी तरह से समाज में विकलांग, बधिर और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को कक्षा एक से आठ तक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा विकलांग को कृत्रिम अंग लगाने के लिये अब तक सरकार ने 500 रुपया देने का निर्णय किया था किन्तु हमारी सरकार ने इसे बढ़ा कर 1000 रुपया देने का निर्णय किया है । मान्यवर, विकलांगों के कल्याण के लिये हम विद्यालय भी चला रहे हैं । लखनऊ, बांदा, सहारनपुर और बलिया में 105, 75, 60,60 जनसंख्या की क्षमता से स्कूल हम चला रहे हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चों के समान इन स्कूलों में भोजन, वस्त्र और किताब कापियों की व्यवस्था हम करते हैं और उनको वे सारी सुविधायें उपलब्ध कराते हैं जिससे यह बच्चे आसानी से पढ़कर समाज में जीने के लिए अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें ।

मान्यवर, इन विकलांग बच्चों के लिये हाईस्कूल और इण्टर में प्रथम श्रेणी लाने वालों के लिये परीक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है । इसके अन्तर्गत ऐसे छात्रों को हमने 500 और 750 रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है । वर्ष 92-93 में 167 छात्रों को इससे लाभान्वित किया जायेगा ।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारी सरकार ने अम्बेडकर-निधि की स्थापना की है और उसकी स्थापना करके अनुसूचित जाति के हाईस्कूल के 100 बच्चों, और इण्टरमीडिएट के 100 बच्चों को, जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे क्रमशः 250 रुपया और 350 रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है । मान्यवर, इसी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारी सरकार ने, जो 14 अप्रैल, 1992 को जन्म शताब्दी वर्ष समाप्त हो रहा था, हमारे मुख्य मंत्री, जो दलितों के मसीहा हैं ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 14 अप्रैल, 1993 तक कर दिया है । इतना ही नहीं अब से हर वर्ष 14 अप्रैल, को समता दिवस के रूप में बनाया जायेगा । यह पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है ।

इसी तरह से हमारी सरकार में एक महिला कल्याण विभाग भी है जिसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में आप से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री विजय सिंह राणा–

यह तो नेकर-मार सरकार है, इसका महिलाओं से क्या संबंध है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको अभी इस पर अवसर मिलेगा, तब कहिएगा ।

श्री रमापति शास्त्री–

मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिला कल्याण विभाग की हमारी जिम्मेदारी है । इनके यहां जितनी महिलाएं हैं उनका यह कल्याण न कर सकते हों तो उन्हें हमारे पास भेज दें ।

मान्यवर, किसी समाज की प्रगति कितनी हुई है इस संबंध में इसको जानने के लिये मेरी मान्यता है कि यह देखा जाये कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है ? मान्यवर, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसकी आधी हिस्सेदारी है महिलाओं की, उसको लोग उपेक्षित करते हैं । हमारी सरकार ने तय किया है आधे की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं को उपेक्षित नहीं रहने दिया जायेगा । उनको पुरुषों की भांति जीने, खाने का रास्ता बनाने के लिये महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के बराबर रहने का दर्जा हमारी सरकार देगी । शास्त्रों में लिखा है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं । हमारी विचारधारा है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा होना चाहिये और यह हमारी मान्यता है ।

मान्यवर, बाल विकास पुष्टाहार योजना के अंतर्गत बच्चों के विकास की बात हो रही है । इस ओर हमारी सरकार प्रदेश में 313 विकास खण्डों में 34 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र चला रही है और उनके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अच्छी तरह से उनका पालन पोषण हो सके । इसके लिये हम व्यवस्था करते हैं । अभी तक व्यवस्था थी कि गांवों में किसी बड़े के दरवाजे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को इकट्ठा करके उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करने जाती थी जिससे उनको बड़ी परेशानी होती थी और बड़े आदमी के दरवाजे पर वह लोग जाना पंसद नहीं करते थे । इसलिये हमारी सरकार ने 1992-93 की योजना में 260 नये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिये भवन बनाये जाने की योजना बनाई है । 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने केन्द्र चलाये जा रहे हैं उन सबको हमारी सरकार पक्का बना देना चाहती है ।

मान्यवर, 34 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो पुष्टाहार दिया जाता था वह सभी केन्द्रों में न पहुंच पाने के कारण बच्चों को दलिया, भोजन आदि ठीक से नहीं मिलता था । पुष्टाहार के लिये विदेशों से

धन, सामग्री प्राप्त होती है वह कलकत्ता से अब सीधे चार केन्द्रों में भेजी जायेगी । हमारी सरकार ने पहली बार तय किया है उत्तर प्रदेश में चार केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था की है । यह क्षेत्र हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर, गोरखपुर । इन केन्द्रों के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार आसानी से पहुंचाया जा सकेगा । आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जिस प्रकार से पुष्टाहार पहुंचाने की व्यवस्था थी, उसी प्रकार से पहाड़ों पर जब भूकम्प आया तो मान्यवर, भूकम्प से पीड़ित लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से सहायता देकर सराहनीय कार्य किया है वहीं बहुत बड़ी सुविधा व्यवस्था आंगनवाड़ी केन्द्र पर 1 करोड़ की लागत लगाकर डबल खुराक देकर छोटे-छोटे बच्चों को सुविधा प्रदान की है । उनके भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने यह सराहनीय कार्य किया है । एक काम और किया है । आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिये हमने शिक्षा विभाग से, ग्राम विकास विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से और नगर विकास विभाग से सहयोग के लिये कहा है । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमको इन विभागों से पूरा सहयोग प्राप्त होने का आश्वासन मिल गया है । जितनी अव्यवस्थायें थीं उनको दूर करने के लिये हमारी सरकार प्रयासरत है और आशा है इसमें सक्षम हो सकेगी ।

हमारी सरकार ने एक और व्यवस्था की है अब तक 11 से 18 वर्ष की बालिकायें जो समुचित खुराक न पाने के कारण कमजोर रहती थीं, रोगी रहती थीं, उनके लिये यह व्यवस्था की हैं कि महिला मण्डल का गठन किया है । इन महिला मण्डल के माध्यम से इनके स्वास्थ्य की ओर, इनकी शिक्षा की ओर ध्यान देकर, उसकी समुचित व्यवस्था कराकर इनको समाज में पुरुषों के साथ-साथ बराबर बढ़ाने का अच्छा काम कर रही है । हमारी सरकार महिलाओं के विकास के लिये पूर्ण रूप से कार्य कर रही है । महिलायें सुचारु रूप से जिन्दगी जी सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें । अपने पैरों पर खड़ी होकर, इन पुरुषों को चुनौती दे सकें । यह सारी व्यवस्थायें सुचारु रूप से तय करने के लिये 1992-93 में प्रेरणात्मक योजना संचालित कर रही है । बेरोजगार महिलाओं के लिये रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाय । इसके प्रयास किये जा रहे हैं । इसके लिये कौशल सुधार योजना भी लागू की है । महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कौशल सुधार योजना के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं । महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये, एकल महिला छात्रावास की सुविधा की है । पहली बार श्रमजीवी महिलाओं को, छात्रावास बनाकर दिए गए हैं, उन महिलाओं को, जिनके पास रहने के लिये ठिकाना नहीं था । 45 साल की यह सरकारें कुछ नहीं कर सकीं । हमारी सरकार ने 10 छात्रावास स्थापित करके इन श्रमजीवी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है । वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, हरिद्वार, देहरादून आदि जगहों पर 92-93 में यह व्यवस्था पूरी हो जायेगी । एक व्यवस्था हमारी सरकार ने और की है ।

श्री अधिष्ठाता–

शेष बातें दोबारा कह लीजियेगा ।

श्री रमापति शास्त्री–

इस व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये डेरी योजना चलाई है । इसके अन्तर्गत जितनी भी सुविधायें उन्हें प्रदान की जा सकेंगी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सुलभ करायेगी । जितना भी दुग्ध उत्पादन होगा । सरकार उसको खरीदवाने की व्यवस्था करेगी । विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद में, बस्ती, गोरखपुर, गोण्डा में महिला उद्यमियों के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं । महिलाओं के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा उनके द्वारा जो भी माल तैयार किया जायेगा, उनको जो रोजगार देंगे उनके माध्यम से जो वह उत्पादन करेंगी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी बिक्री की गारन्टी दी है । उसकी बिक्री कराकर लाभ अर्जित कराने का कार्य किया है ।

मान्यवर, स्वतः रोजगार योजना भी लागू की गयी है । महिलाओं के रोजगार के लिये जो स्वतः रोजगार करेंगी उनको इसके लिये पैसा दिया जायेगा और 30 प्रतिशत तक मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । मान्यवर, 10,000 रु० तक मार्जिन मनी पर साधारण ब्याज की दर चार प्रतिशत वार्षिक है । इससे अधिक पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक है । इस तरह से मान्यवर, इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

50 मिनट हो गये अब समाप्त करें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो स्वेच्छिक संस्थायें हैं, इनको अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोटे रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाने का काम करती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें जो चीजें रह गयी हैं उनको बाद में कह दें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये, जनजाति के कल्याण के लिये, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये, महिलाओं के कल्याण के लिये अनेक योजनायें तैयार की गयी हैं मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जितनी योजनायें उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय की हैं उन योजनाओं को अगर बताने लगूंगा तो दो दिन का समय लग जायेगा । मान्यवर, आपने मुझे समय दिया अन्त में फिर समय देंगे इसके लिये मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । मान्यवर, यह योजनायें सबसे पिछड़े लोगों के लिये चलाई जा रही हैं। हो सकता है कोई त्रुटि हो, हो सकता है कोई कमियां हों, हो सकता है इसको चलाने में पूर्ण सक्षम न हो पाएं, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को पूर्ण रूप से चलाने के लिये हमारे कमजोर हाथों का बल ही काफी नहीं है हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों का पूरा-पूरा योगदान, इनका आर्शीवाद और सहयोग चाहिये । मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का सहयोग आर्शीवाद चाहूंगा हम आपके सहयोग और बल से आगे बढ़ सकते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस पर मैं प्रस्ताव करता हूं कहिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछड़े लोगों, दलित लोगों, जो सदियों-सदियों से सताये गये हैं, उनके उत्थान के लिये अनुदान की मांग रखी है। मान्यवर, यह लोग स्वतः पिछड़े नहीं है बल्कि पिछाड़े गये हैं। पिछले 4 हजार सालों से इनके ऊपर जुल्म व अत्याचार किया गया है, यह इस देश के मूल निवासी थे और इनकी जनसंख्या 85 प्रतिशत है। लेकिन बाहर से आने वाले चालाक स्वार्थी लोगों ने जाति, वर्ण को बनाकर इन लोगों के जनबल को समाप्त किया गया। इनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखकर इनके बुद्धि बल को नष्ट किया गया। ऋगवेद में व्यवस्था की गयी है स्त्री, शूद्रों नधियताम् इसी तरह से मनुस्मृति में है शूद्रो मतिण्म न ददामि। इनको पढ़ने लिखने से रोक दिया गया जिससे यह शिक्षा विहीन हो गये। मनुस्मृति में व्यवस्था है, इनकी शारीरिक ताकत को कम करने के लिये इनको फटे पुराने कपड़े पहनने, गंदी जगहों पर रहने, बचा कुचा अन्न खाने की व्यवस्था की गयी ताकि यह बलविहीन हो जायं। मनुस्मृति जिसका यह सरकार बड़ा यशगान करती है, प्राचीन संस्कृति जिसका यह सरकार बड़ा यशगान करती है उसमें यह व्यवस्था है कि यदि किसी शूद्र के पास धन हो जाय तो राजा को चाहिये कि उसका सारा धन छीन ले और आधा ब्राह्मणों को बांट दे और आधा राजपाट के काम में लाये।

जिस मुल्क में यह व्यवस्था रही हो भला उस देश में शूद्रों के पास कैसे धन रह सकता है। सामाजिक अत्याचार के कारण यह लोग जनबल, बुद्धिबल, बाहुबल, मनोबल से वंचित होकर समाज में पिछड़ते चले गये और जिल्लत जलालत की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गये। सदियों से इन पर अत्याचार होते रहे, यह अपने आप पिछड़े नहीं बल्कि इनको पिछाड़ा गया और इन्हें इंसान नहीं जानवरों से भी बदतर समझा गया। काशी विश्वनाथ के मंदिर में गाय जा सकती है, कुत्ता जा सकता है और देवी देवताओं की मूर्तियों को चाट सकता है परन्तु इंसान मंदिर में चला जाता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में अनुसूचित जाति का व्यक्ति चला गया जिसके नाते वह अपवित्र हो गया। (शोर) बाबू जगजीवन राम ने जब सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किया था तब यह कहा गया कि अछूत के अनावरण के कारण मूर्ति अपवित्र हो गयी है और मूर्ति को गंगाजल से धोया गया।

एक सदस्य–

मान्यवर, गलत परम्परा पड़ रही है। माननीय सदस्य क्या बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, जब आपको मौका मिलेगा तो जवाब दे लीजियेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

ऐसे लोग, जिन लोगों ने सदियों-सदियों से ऐसे समाज का शोषण किया, दबाते रहे, यह अनायास ही नहीं किया। इनकी आवश्यकता थी, जरूरत थी। जब मुट्ठी भर लोग ज्यादा लोगों पर हुकूमत करते हैं। आज हों या प्राचीन काल में रहा हो, जब चन्द लोग ज्यादा लोगों पर हुकूमत करते हों तो

जरूरत हो जाती है कि बहुसंख्यक लोग इकट्ठे न रहें । उनको भूखा, नंगा, तबाह और कंगाल रहना चाहिये । इसीलिये डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि नीति चाहे जितनी अच्छी क्यों न बनाई जाय लेकिन उसे लागू करने की नीयत अच्छी होनी चाहिये । यह संविधान अम्बेदकर ने बनाया । नीयत अच्छी नहीं होगी तो अच्छा से अच्छा कानून लागू होने वाला नहीं है और लागू करने वाले की नीयत अच्छी है तो खराब कानून भी अच्छी तरह से लागू हो सकता है ।

अम्बेदकर ने संविधान के समापन भाषण में कहा था और ऐसे लोगों की आवश्यकता पर आज 44 साल के बाद हम चर्चा कर रहे हैं । अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के बारे में आज इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं । आज 44 सालों में जिन लोगों की सरकारें रही हैं, मैं भाजपा की सरकार को ही दोष नहीं देता, मैं केवल आलोचना के लिये नहीं, समालोचना के लिये और सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिनकी सरकारें आईं, बड़ी तारीफ की जाती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इतने लाख अनुदान दे दिया । हमारा कल्याण कर दिया । जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनीं, सभी इनका कल्याण करते रहे । पता नहीं ये कैसे लोग हैं कि अभी तक इनका कल्याण नहीं हो पाया । दोष किसका था । नियति का दोष था । वोट लेने के लिये पेपरों में, पत्रिकाओं में कहा जाता है लेकिन कुछ नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता । कारण यही था कि इनका अगर उत्थान हो जायेगा, हालत अच्छी हो जायगी तो जिनकी जनसंख्या 85 परसेंट है, उनके 100 में 85 परसेंट वोट हैं, जो भूखे, नंगे, तबाह और कंगाल रहते हैं, उनकी हालत अच्छी हो जायेगी तो किसी गांव का प्रधान ही नहीं मेम्बर तक ऊंची जाति के लोग नहीं बन पायेंगे, इसलिये उनका उत्थान ही नहीं करने दिया । उनकी नीयत अच्छी नहीं थी । आवश्यकता और जरूरत के अनुरूप भला करने का काम कभी नहीं किया गया । एक चीज और 44 सालों से सरकारों में देखने को मिली इस समाज के जो व्यक्ति मंत्री या मुख्य मंत्री रहते हैं वे अगर अपने समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं तो इनकी तारीफ की जाती है कि बहुत अच्छा सुधार किया है, और जब अपने समाज के भले के लिये काम करते हैं तो इन्हें कुर्सी से हटा दिया जाता है । जैसे राम नरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर रहे हैं । कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठी, लेकिन उनको नाकाबिल करके हटा दिया गया । जगन्नाथ पहाड़िया ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये वाहन क्रय करने के लिये 4 परसेंट ब्याज पर रुपया दिया जायगा और ड्राइविंग लाइसेंस वाले को ही वाहन दिया जायगा । शिड्यूल्ड कास्ट के लिये 33 परसेंट छूट रखी गयी है और बैक्वर्ड के लिये 25 परसेंट की छूट होगी । उसका परिणाम यह हुआ था कि वहां के सारे ऊंची जाति के लोगों की गाड़ियां जो थीं, खड़ी होने लगी थीं और जो ड्राइवर लोग थे, उनकी गाड़ियां चलने लगी थीं उन्हें तुरन्त हटा दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज दो विचार धारा चल रही हैं, एक तो डा० अम्बेदकर का रास्ता है, उन्होंने कहा था यदि मुझे अनुसूचित जाति के हित और राष्ट्र के हित में चुनना पड़ेगा तो मैं अनुसूचित जाति के हित को पहले चुनूंगा ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप बाबू जगजीवन राम के रास्ते चलना चाहते हैं या डा०अम्बेदकर के रास्ते पर चलना चाहते हैं ? यहां दल का मुखिया किसी को हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बैठा दे तो वह मुख्य मंत्री, मंत्री के पद पर बैठ जाता है । मेरा तो पूरा विश्वास है कि आप डा० अम्बेदकर के विचारों पर चलकर ही समाज का कल्याण कर सकते हैं । वर्ष 1991-92 में यह जो समाज कल्याण का बजट था, वह 10.199.15 लाख रु० था और माननीय मंत्री जी ने इतना ज्यादा अथक प्रयास किया अपनी सरकार में और विभाग के लोगों से ज्यादा समाज के लिये और माननीय मुख्य

मंत्री जी इतना ज्यादा अपने समाज के लिये लड़ाई लड़ी कि जो 10,199.15 लाख रु० का था, वह घटकर 9967.83 लाख रह गया । दूसरा मान्यवर, इस देश में, जिनके लिये ये कल्याण करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या 10 करोड़ के करीब है, इन 10 करोड़ लोगों के लिये 9967.83 लाख रु० रखा है, अगर इसमें 10 करोड़ लोगों से भाग कर दिया जाय, तो इसके लिये पता लगेगा कि एक वर्ष में 9.96 रु० एक साल में एक आदमी को देकर उनका कल्याण करना चाहते हैं । ये बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का कल्याण करने जा रहे हैं, एक साल में कितना कल्याण हो पायेगा ? यह मंत्री जी जानें, इनकी सरकार जाने । इसके अलावा इस प्रदेश में 21.16 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की आबादी है और इस जनसंख्या का 89.54 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उसमें से 82 प्रतिशत लोग भूमिहीन कृषि मजदूर हैं । यह मंत्री जी ने जो किताब दिया है "प्रगति की ओर" उसी आंकड़े से मैं बता रहा हूं ।

मान्यवर, इनके बारे में मंत्री जी ने कोई व्यवस्था नहीं की है, कैसे इनका भला होगा ? जब तक इन 82 प्रतिशत लोगों का भला नहीं होगा, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का या गरीब लोगों का कैसे भला होगा । अगर आपके दिल में पीड़ा है, इनकी सहायता करने के लिये, तो जो न्यूनतम मजदूरी जो आपकी सरकार निर्धारित करती है, उसको देने की पूर्ण जिम्मेदारी जो काम करवाता है, उसी को देने की होती है और मजदूर चाहता है कि उसको निर्धारित मजदूरी मिले और किसान जो हैं, जमींदार जो हैं वह इतनी मजदूरी देने के लिये सक्षम नहीं समझता इस कारण मान्यवर, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, संघर्ष होता है और उन पर तमाम प्रकार के अत्याचार होते हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों नहीं जिस प्रकार से अमेरिका में व्यवस्था है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय है और अगर वह मजदूरी उनको नहीं मिल पाती है, तो सरकार देती है, वही व्यवस्था आप भी यहां पर लागू कीजिये और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दें । अगर माननीय मंत्री जी ऐसा करते तो उनका यह कदम स्वागत योग्य होता, उनकी सरकार का यह कदम स्वागत योग्य होता ।

मान्यवर, जितनी जमीन पर खेती है, उससे दुगुनी जमीन बेकार पड़ी है । वह जमीन गांव सभाओं के कब्जे में हैं, सरकार के कब्जे में है, विभागों के कब्जे में और दूसरी गरीब मजदूर और किसान एक-एक इंच जमीन के लिये तरस रहा है । अगर आप इस सारी जमीन को इन गरीब लोगों को दे दें, तो उनका जीविकोपार्जन होगा और उत्पादन होगा । उत्पादन से उनकी स्थिति अच्छी होगी और देश प्रगति की ओर जायेगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया है । इससे आप जो अनाज बाहर से मंगा रहे हैं, उसे न मंगाना पड़ता, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह क्यों नहीं किया जा रहा है । इसमें माननीय मंत्री जी की मजबूरी हैं, अगर वह चाहें तो भी वह नहीं कर सकते थे क्योंकि मान्यवर, अगर ऐसा हो गया तो जो उनके 10-10 हजार एकड़ के फार्म हैं, उन पर कौन काम करेगा और उनकी देखभाल कौन करेगा, मजदूर तो तब अपने ही खेतों पर काम करेगा और वह दूसरों के खेतों पर मजदूरी नहीं करेगा । फिर इनका और इनके खेतों का क्या होगा ।

मान्यवर, नारी के सम्मान की बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 3-4 बिरादरी की औरतें अगर न होती तो जो महीन चावल हम खा रहे हैं, वह खाने को न मिलता । आषाढ़ के महीने में वह औरतें पानी से भरे हुए खेतों में धान की रोपनी करती हैं, यह औरतें चमार जाति की होती हैं, मल्लाह जाति की होती हैं, भर जाति की होती हैं और चौहान जाति की होती हैं, लेकिन इन औरतों के लिये आपने बजट में क्या किया है, कुछ नहीं किया है । आपने इनके लिये बजट में कोई व्यवस्था

नहीं की है । अगर आप इनके लिये व्यवस्था किये होते तो आपका बजट सराहनीय बजट होता, लेकिन आपने उनके लिये कोई कार्य करना उचित नहीं समझा ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने जनसंख्या के बारे में कहा । अनुसूचित जाति के लोगों का देश की साक्षरता में 21.38 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में 14.94 है । यह भी इन्हीं के द्वारा दिये गये आंकड़े हैं । अनुसूचित जाति के पुरुषों और स्त्रियों में पुरुष प्रदेश में 24.83 प्रतिशत हैं और महिलायें 3.9 प्रतिशत हैं और दूसरी जाति के पुरुष का प्रतिशत 42.5 है और महिलाओं का 16.80 प्रतिशत है । तो यह मान्यवर, साक्षरता प्रतिशत है । मान्यवर, शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति माननीय मंत्री जी को बड़ा दर्द है इन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम साक्षर कर देंगे मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक क्या होता रहा है उसमें क्या परिवर्तन किया है । अनुसूचित जाति और गरीब लोगों के बच्चे, बैकवर्ड क्लास के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई को करके अपनी रोजीरोटी के लिये अपने पेट की पीड़ा को मिटाने के लिये उनको घर में या घर के बाहर कोई न कोई कार्य करना पड़ता है तो इन्होंने क्या सराहनीय कदम उठाया है ।

सराहनीय कदम तो उठाया है बिहार के मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव ने । उन्होंने कहा है कि हम ऐसे बच्चों के लिये चरवाह विद्यालय खोलेंगे तो वहां पर जानवर चरेंगे और उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी । उत्तर प्रदेश सरकार को यदि बड़ा दर्द है तो ऐसी कुछ व्यवस्था करती । मान्यवर, जो बजट रखा गया है इसमें इन्होंने व्यवस्था किया है कि एक प्राइमरी विद्यालय में शिड्यूल्ड कास्ट के 14 बच्चों और बैकवर्ड क्लास के 3 बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे यह तो पहले से चली आ रही है आपको तो ऐसे सभी बच्चों को यह सुविधा देनी चाहिये थी लेकिन आप तो चाहते हैं कि न तो शिड्यूल्ड कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ने देंगे और न आपको इनके आरक्षण की व्यवस्था बनानी पड़ेगी मैं तो कहूंगा मान्यवर, संविधान के आर्टिकिल 45 में लिखा है कि फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन होगी और इस मंशा के तहत जितने भी बैकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे होंगे उनको सबको शिक्षा देंगे ।

तो मान्यवर, अगर इन सब बच्चों को यह लाभ दे देते तो कौन सा इनका खजाना खाली हो जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर सारे के सारे शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को स्कालरशिप की व्यवस्था कर देते । इनके पास और काम करने के लिये तो पैसा है, मंदिर बनवाने के लिये पैसा है, नगरों, पार्कों को सजाने के लिये पैसा है परन्तु गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में इनका खजाना खाली हो जायेगा यह तो इनकी सोची समझी प्लान के तहत है कि यह लोग पढ़ न पायें क्योंकि पढ़ने से ज्ञान पैदा हो जायेगा और ज्ञान पैदा हो जायेगा तो सर नीचे करके नहीं चलना चाहेंगे मान्यवर, यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर शासन कर रहे हैं इनकी कुर्सी हमेशा डगमगाती रहती है क्योंकि जम्हूरियत में बहुसंख्यक का शासन होता है जब अल्पसंख्यक शासक होगा तो यह हमेशा तिकड़म लगाते रहते हैं कि यह पढ़ने न पावें । मान्यवर, यह अहिर, कुर्मी, गूजर और लोधी बिरादरी के लोग किसी के बल पर नहीं अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उनकी थोड़ी सी हालत सुधरी है (व्यवधान) इसीलिये मुलायम सिंह के बाद लोधी जाति के व्यक्ति को ही ब्राह्मणवादी पार्टी को भी मुख्य मंत्री बनाना पड़ा है और दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं थोड़े से सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

मान्यवर, गुलामों को यदि उनकी गुलामी का एहसास हो जाय तो वह अपनी गुलामी की बेड़ी को स्वयं तोड़ देंगे यह अम्बेदकर का कथन है तो यह सोचते हैं कि अगर उनको अपनी गुलामी का एहसास हो गया वे पढ़ लिख गये तो उसी दिन अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे इसीलिये यह सरकार ऐसे लोगों के लिये कुछ नहीं करने जा रही है । मान्यवर, मनुस्मृति को तो यह नहीं लागू कर सकते हैं लेकिन अपने तिकड़म के आधार पर पढ़ने से वंचित कर रहे हैं । मान्यवर, इन्होंने सफाई मजदूरों के बारे में कहा है । मैं तो कहना चाहता हूं कि कितना महान काम ये लोग करते हैं । अगर यह सफाई मजदूर काम न करते तो शहर में कोई भी आदमी नहीं रह पाता । परन्तु ऐसे महान काम करने वाले लोगों को आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं इन्हें नीच और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है । इनको चाहे भंगी कहें, चाहे स्वच्छकार कहें, चाहे सफाईकर्मी कहें, कोई भंगी नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी सफाई का काम करे । मजबूरन उसे कोई काम नहीं मिलता है तो उसे भले ही सफाई का काम करना पड़े । आज ऐसी स्थितिं इसलिये है कि वह यह महान काम करने के कारण सम्मान से नहीं देखा जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, अभी आपको एक मौका और मिलेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

सफाई कर्मियों का वेतन, कालोनियां और रहन-सहन अच्छा होता तो दूसरी जाति के लोग भी सफाई कर्मी बनने के लिये तैयार होते । आजादी के 44 साल के बाद आज हम इस सदन में शर्म से कहते हैं कि एक आदमी टट्टी करता है और दूसरा उसे सर पर उठाकर फेंकता है ।

आज उन्होंने कहा है कि वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करने के लिये कदम उठायेंगे । चीन में आन्दोलन करके इसका उन्मूलन किया गया है । आप लोग क्या वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करेंगे, जो कि वेश्या को नगरवधू कहते हैं और ऐसी सड़ी संस्कृति का गुणगान करते हैं । क्या यह इस सामाजिक कलंक को हटाने के लिये साहस कर पायेंगे ? जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन्हें मूल निवासी कहने में इनको शर्म आती है, ये उसे वनवासी यानी जंगली कहते हैं । उनके लिये अगर इन्होंने कोई व्यवस्था की होती तो मैं इनका समर्थन करता ।

अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी, जो नौकरी करते हैं तो सरकारी कालोनियों में भी इनका आरक्षण लागू होना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ।

पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बना है । मुलायम सिंह जी ने एक करोड़ रु० देकर इसकी स्थापना की थी, आज इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो पायी है । जिला स्तर पर इसकी शाखा खोलने के लिये कब तक इस पर काम किया जायेगा ?

इस देश की जाति प्रथा ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया है । आज भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिये कोई आन्दोलन छेड़ा होता कोई कार्यक्रम बनाया होता तो मैं इस बजट का समर्थन करता । इन चुनौतियों को कौन झेलेगा ? एक आदमी जन्म लेते ही बाबू का बेटा बन जाता है, जन्म लेते ही छोटे आदमी का बेटा बन जाता है, जन्म लेते ही अछूत का बेटा बन जाता है । इसको दूर करने के लिये

क्या आपने कोई व्यवस्था की है ? गुलामों की आंजादी के लिये कोई व्यवस्था की है ? सत्ता के लिये भाईचारे के लिये कोई व्यवस्था की है ? यदि इन चीजों के लिये इन्होंने कोई व्यवस्था की होती तो मैं इनके बजट का समर्थन करता । माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज तक जो सरकारें रही हैं, वे दुकानें बहुत दूर-दूर बना दिया करती थीं । क्या अब जो दुकानें बनेंगी वह चाहे दुकान खरीद करके बनानी पड़े नगर के बीच में दुकानदारों के बीच में चाहे किराये के रूप में लेनी पड़े किराये के रूप में लेकर स्पेशल कम्पोनेन्ट में एलाट करनी पड़े चौराहा हो या चौक हो, मुख्य सेन्टर हो वहां पर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में दुकानें खोली जायं और इन लोगों को दी जायेगी । मान्यवर, मैं मजबूर हुआ जा रहा हूं जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिये जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हूं उस पर बल देता हूं ।

श्री तुलसी दास–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं इस सदन में पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं (बधाई हो-बधाई हो की आवाजें)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस समाज से आये हैं उन्होंने उस समाज के दुख दर्द को देखा है, अनुभव किया है । उस समाज में वे पैदा हुए हैं, उसकी तकलीफों को जाना है । मान्यवर, इसीलिये उन्होंने इन वर्गों की भलाई के लिये, उनकी उन्नति के लिये, बहुत ही अच्छा बजट यहां पर प्रस्तुत किया है । इससे पूर्व की जो सरकारें थीं, उन्होंने जो इस विभाग के बजट दिये, उनसे यह बजट भिन्न है और बहुत ही अच्छा है । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, चाहे छात्र के भेष में हो, छात्रवृत्ति की बात हो, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में समिति गठित की है, प्रधान और अनुसूचित जनजाति का कोई वरिष्ठ सदस्य उसका सदस्य होगा । मान्यवर, अभी तक छात्रों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती थीं, उसमें से अधिकांश गरीब, उजड़े बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी । चाहे छात्रवृत्ति मनीआर्डर द्वारा भेजी जाती रही हो, यहां से दो सौ रुपये जाते थे, उन्हें सौ रुपये प्राप्त होते थे । अब यह प्राविधान किया गया है कि बैंक में खाता खुलेगा, बैंक के द्वारा इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है ।

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जहां-जहां बालिकाओं हेतु छात्रावास जो बच्चों के लिये कई जनपदों में बने हुए हैं, मैं मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि हमारे गोण्डा जनपद में भी, जहां जनजातियों के बच्चे और बालिकायें बहुत हैं, वहां भी छात्रावास अधिक से अधिक संख्या में खोले जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, जो सुझाव हों वे मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ये स्वयं मंत्री जी ने गोण्डा के लिये कहलवाया है ।

श्री तुलसी दास–

मान्यवर, जैसा कि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने बताया, हरिजन शब्द को विभागीय कार्य प्रणाली आदि से हटाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है, इसको हम कभी भूल नहीं पायेंगे । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हरिजन शब्द को लगाकर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो

या जनता दल की सरकार रही हो, समाज में एक भेद पाला गया था । हमने हरिजन शब्द को हटा कर के समाज को एकरस बनाने का काम किया है, यह हमारी सरकार की देन है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री तुलसी दास–

मान्यवर, गोस्वामी तुलसी दास जी जब चौपाईयां कहते थे तो एक चौपाई और की बात कही जाती थी, अभी मैं खड़ा ही हुआ हूं, कृपया मौका दे दें ।

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु जो इस बजट में एक लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था की है, अभी तक ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई । इससे हमारे विकलांग भाई प्रदेश की बस द्वारा यात्रा कर सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तुलसी दास जी जो सुझाव हों वे माननीय मंत्री जी को लिखित रूप में दे दीजिये । अ कृपया बैठ जायं ।

श्री तुलसी दास–

मान्यवर, इसी के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, 1990-91 में उक्त बजट 9995 लाख रु० का था परन्तु इस साल 91-92 में यह घटकर 9967 लाख रु० का रह गया है । मैं केवल बताना चाहता हूं परन्तु आप इसे आलोचना न समझें । मान्यवर, वर्ष 90-91 में कक्षा एक से पांच तक के 237175 विद्यार्थी 1991-92 में 360133 विद्यार्थी तथा इस साल 92-93 में दो लाख चौहत्तर हजार लोग इसमें लाभान्विन हुए हैं इससे पता चलता है कि इस वर्ष 91-92 में 86111 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायेगी । यही स्थिति कक्षा छः से आठ तथा कक्षा नौ से दस तक के विद्यार्थियों की है । सरकार ने जो छात्रवृत्ति कम कर दी है इससे उनकी नियत पता चल रही है और हम इसकी आलोचना करते हैं । कक्षा दस से ऊपर के जो छात्र हैं उनके लिये जो प्राविधान पिछले दो वर्षों में था वह कम कर दिया गया है ।

विधवा पेंशन जो सरकार देती है उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ऐसे गैंग हैं, जिसमें मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की भूमिका है, वह फर्जी नाम से विधवा पेंशन जारी करके सारा पैसा खा जाते हैं और साधारण जनता को जो पैसा मिलने वाला होता है वह उसे नहीं मिल पाता है । हमारे विधान सभा क्षेत्र बस्ती में एक ग्राम भरवलिया ब्लाक बनकटी एवं ब्लाक तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद इसके उदाहरण हैं । यहां पर ऐसे विकलांग हैं जो इनामी कुश्ती लड़ते हैं और विकलांग पेंशन भी पा रहे हैं । अगर इनकी मंशा सही है तो यह समस्त जिलों में दिखवा लें । बीस लोगों में से दस ऐसे होंगे जो इस प्रकार की पेंशन के योग्य नहीं हैं और यह पेंशन पा रहे हैं । विधवाओं को जो पेंशन मिलती है, जो 7.22 करोड़ रुपया है उसको बढ़ाकर सत्तर करोड़ रुपया किया जाये क्योंकि यह बड़ा ही निरीह वर्ग है और बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ग है । अगर इसको बढ़ाया

जायेगा तो आपको पुण्य मिलेगा । इसको बढ़ाकर सत्तर करोड़ रुपया करें । लेखपाल कानूनगो जब इनकी पेंशन बनाते हैं तो दो तीन सौ रुपया ले लेते हैं और तब प्रमाण-पत्र जारी करते हैं इसको भी दिखवाया जाये और उनका शोषण न होने पाये ।

आपने नकल विरोधी अध्यादेश बनाया है और उसको कठोरता से लागू भी किया है तो उसी प्रकार से इसको भी लागू करें, क्योंकि यह वह तबका है जिसको हमारे संरक्षण की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि यह जो विभाग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसे तीसरे या चौथे नम्बर पर वरीयताक्रम में रखा जाये । एक बात और कहूंगा कि जो गांव के बच्चे हैं. उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह गांव से बाहर जा सकें और पढ़ सकें । हम वयस्कों को छात्रवृत्ति देते हैं । ऐसी व्यवस्था करें कि जो बच्चे हैं-जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं उनको भी विकलांग सहायता मिले । अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इस प्रदेश के लोकप्रिय, सत्यप्रिय और धर्मप्रिय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के कल्याणकारी राज्य में समाज कल्याण विभाग का 1992-93 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह तमाम बहुमुखी आयामों को लेकर प्रस्तुत हुआ है । इसके लिये मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं । साथ ही साथ प्रशंसा भी करता है । हरिजन शब्द हटाकर यह पहले ही प्रशंसा के पात्र बन चुके हैं । मान्यवर, यह सब जानते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों में अनुसूचित जाति के लोग सबसे दुर्बल रहे हैं और असहाय रहे हैं । समय-समय पर देश काल और परिस्थितियों ने इनकी इस दुर्बलता के कारण अत्याचारों को प्रोत्साहित किया है । पिछली सरकारों ने इनके लिये तमाम घड़ियाली आंसू बहाये हैं और वोट बैंक बनाया है, लेकिन इस बजट के पेश होने के बाद मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज के बाद से इनका यह वोट बैंक समाप्त हो जायेगा । मान्यवर, भाजपा की इस सरकार ने अपने कुछ नीति निदेशक सिद्धान्त स्थापित किये थे, जो इस बजट में प्रस्तुत किये गये हैं । गांव-गरीब किसान, झोपड़ी का इन्सान, बेरोजगार नौजवान, दलितों का उत्थान और नारी का सम्मान । इन सब बातों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह बजट इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ही बनाया गया है और यह सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है ।

मान्यवर, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में 89.59 प्रतिशत गांवों में रहती है और इसीलिये 92-93 बजट के कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत गांवों पर ही खर्च किया जा रहा है । आप समाज कल्याण विभाग में शिक्षा के ही बजट को देखें । विभाग के कुल बजट का 75 प्रतिशत धन शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और यह इसलिये खर्च किया जा रहा है क्योंकि साक्षरता का जहां तक संबंध है, उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत केवल 14.69 है, यह अत्यन्त कम है और इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय ने अपने बजट का 75 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का प्राविधान रखा है, यह बहुत अच्छा है । मान्यवर, इससे साक्षरता बढ़ेगी और जब साक्षरता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से यह लोग आगे बढ़ेंगे और जब आगे बढ़ेंगें तो इनका उत्थान भी होगा । मान्यवर, अनुसूचित जाति के बालकों के लिये प्राइमरी कक्षाओं में 1 से लेकर 5 तक छात्रवृत्ति बढ़ा दी गयी है, इससे लाखों की संख्या में बालक लाभान्वित हो रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है ।

इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृत्ति देने के लिये 476 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। उसके आगे की कक्षाओं के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्ति को 30 से बढ़ाकर 50 रुपया किया जा रहा है। यह सब बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि शासन इन जातियों के उत्थान के लिये कितना सचेष्ट है। मान्यवर, मेडिकल और इन्जीनियरिंग छात्रों के लिये भी एक मुश्त धन की व्यवस्था की गयी है और इसके लिये 500 रुपया प्रतिमाह देने की व्यवस्था की जा रही है। कक्षा 10 से 12 तक कोचिंग की व्यवस्था तकनीकी शिक्षा के लिये की जा रही है। इसी तरह समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से नारी के सम्मान के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। मान्यवर, नारी का सम्मान भाजपा हमेशा ही करती रही है और करती रहेगी। हमारे नेता अटल बिहारी बाजपेयी कहते रहे हैं पूत कपूत तो हो सकता है परन्तु माता कुमाता नहीं हो सकती। आज अनुसूचित जाति की कमजोर महिलाओं के उत्थान हेतु कई योजनायें हमारी सरकार द्वारा चलाई गयी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने हरिजन शब्द को हटाकर समाज कल्याण रख दिया है। अब मान्यवर, आप छात्रवृत्ति को ही देख लें। पर कैपिटा इनकम जिस तरह से बढ़ी है और 1952 व 1954 को जो मानक था, उस हिसाब से छात्रवृत्ति केवल दो बार बढ़ी है। अनुसूचित जाति के छात्रों को आज भी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आज भी वह मुंह देखते रहते हैं, आज भी उनके पास अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छे स्कूलों में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। थोड़ा सा देकर यह कह देना कि उनको जीवनदान दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक दिखावा मात्र है। जब से प्रधानाचार्यों को छात्रवृत्ति की शक्ति दे दी गयी है, इससे घोर असंतोष फैला हुआ है। आज प्रधानाचार्य, अध्यापक व प्राचार्य इसमें लिप्त हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि छात्रवृत्ति उनके घर की खेती है जो उन्हें अपने जेब से देनी पड़ रही हो।

मैं आपको बदायूं जनपद का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर एन० ए० इन्टर कालेज में अनुसूचित जाति के छात्रों को एक लाख रुपये डिपाजिट में डाल दिया गया और छात्रों में वितरित नहीं किया गया। दो साल इसको हो चुका है। यदि हरिजन अधिकारी के पास यह अधिकार होता तो हम उसे जेल भी भिजवा सकते थे। परन्तु प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो प्रधानाचार्य हैं, उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकते हैं। टाइमली छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं स्वीकृति की जाती है और न ही इसके लिये उनके पास स्टाफ हैं। इसको आप दिखवा लें। स्कूलों में प्रवेश हेतु आपने कोई प्राविधान नहीं किया है, जिसके आधार पर आरक्षण हो। मेरा तो सुझाव है कि यदि आपको एजूकेशनल अधिनियम में या यूनिवर्सिटी अधिनियम में कुछ संशोधन भी करना पड़े तो आप करें। चाहे आप एक्जाम लेकर ही करें परन्तु इसके लिये सीटें निर्धारित होनी चाहिये। कोटा पूरा किया जाना चाहिये। स्वतः रोजगार की स्थिति यह है कि 1991-92 का पैसा 31 मार्च को जिलों में पहुंचता है। 31 मार्च को स्वरोजगार योजना का पैसा जाने से कितना दुरुपयोग होगा आप अंदाज लगा सकते हैं मैं अपने जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां स्वरोजगार और बाल विकास परियोजना का सारा पैसा 31 मार्च को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंचा जिसका पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है और अब तक खाता खुला चल रहा है । उसमें शैड्यूल्ड कास्ट के नाम पर मखौल हो रहा है ।

फ्री बोरिंग की योजना कांग्रेस शासन में लागू हुई थी उसको आपने समाप्त कर दिया । यह एक सामूहिक बोरिंग होती थी जिससे काफी सिंचाई क्षमता बढ़ी थी इसमें हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में फ्री बोरिंग होने से उन लोगों को काफी सुविधा होती थी उसको आपने समाप्त कर दिया वह गरीब लोग अपना ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं बोरिंग हो जाने से सभी को जो आसपास में रहते हैं सुविधा होती थी यह एक महत्वाकांक्षी योजना है इसको चालू किया जाय ताकि हरिजन बाहुल्य गांवों में रहने वाले पनप सकें।

आपने जो बाल परियोजना की बात कही इसके संबंध में कहना चाहता हूं ।

(इस समय 5 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भोलाशंकर मौर्य–

यह योजना पूरी की पूरी गांव के लिये है । इसमें काफी भ्रष्टाचार है आपने हमारे बदायूं जनपद में अभी तक 3 अधिकारियों को निलम्बित किया है । (व्यवधान) एक अधिकारी को आपने निलम्बित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना में जो भ्रष्टाचार है उसको दिखायें क्योंकि इस योजना में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनिवास–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको मैंने बड़े गौर से देखा इसके पहले जो कुछ हुआ है उसमें हरिजनों का कोई उत्थान नहीं हुआ पिछले 45 सालों में सही रूप से काम नहीं हुआ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय त्रिपाठी जी मेरी ओर मुखातिब होकर अपनी बात कहें अन्यथा समय बातचीत में समाप्त हो जायेगा ।

श्री श्रीनिवास–

मान्यवर, मैं बड़ी शांति से इनकी बातें सुन रहा था वैसे ही इनको भी दूसरों की बातें सुननी चाहिये (व्यवधान) मैं अपने ही ढंग से बोलूंगा आपके आदेश के अनुसार नहीं बोलूंगा । आप शांति से सुनें ।

(व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप का मतलब पीठ से है तो यह पीठ को चैलेंज कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री श्रीनिवास–

नहीं मान्यवर, मैं इनसे कह रहा हूं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह पीठ को चैलेंज है। यह किसके आदेश से बोल रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन आपके निर्देश के अनुसार और पीठ के निर्देश के अनुसार चलता है। माननीय सदस्य से जब आपने कहा कि वह पीठ की तरफ मुखातिब होकर बोले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुसार बोलूंगा, आपके आदेश से नहीं बोलूंगा। तो यह तो आपका यह पीठ की अवमानना हुई।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य इससे इन्कार कर रहे हैं, इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

(व्यवधान)

* श्री श्रीनिवास–

मान्यवर, मुझे शिकायत यह है कि एक ही परिवार के जिसको इसका लाभ मिलता जा रहा है उसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बराबर इसका लाभ मिलता चला जा रहा है। उनका तो उत्थान हो चुका है। उनका तो सामाजिक वातावरण दूसरा हो चुका है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों को बिल्कुल ही इसका लाभ नहीं मिला है। उनको भी अब इसका लाभ मिलना चाहिये। इसलिये सरकार अपनी नीति परिवर्तित करे और पूरे अनुसूचित जाति समाज के लोगों को सम्यक रूप से इसका लाभ मिले।

दूसरी बात यह है कि विधवा और निराश्रित पेंशन जो है, यह जिस तरह से मिलनी चाहिये, जिस तरह से इसका बंटवारा होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। कुछ को मिल रही है, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ के लिये दलाल लगे हुए हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है, सभी को विधवा-निराश्रित पेंशन दी जाय।

तीसरी बात यह है कि आपके यहां आंगनबाड़ी एक संस्था है उसके अफसर आकण्ठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसका कोई लाभ देहाती लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके स्टाफ के लोग और अधिकारी कहीं भी कभी गांव में दिखाई नहीं देते हैं। यह कहीं आते-जाते नहीं है। इसलिये या तो इसका सुधार हो या इस योजना को खत्म कर दिया जाय।

चौथी बात यह है कि जो हमारी सरकार ने नई बातें की हैं जैसे बाबा साहब अम्बेदकर सदी वर्ष के संबंध में अम्बेदकर निधि की स्थापना की है, तो यह सराहनीय कार्य किया है। ऐसे ही जितने अच्छे कार्य हमारी सरकार ने किये हैं उसके लिये मैं मंत्री जी की सराहना करता हूं। जब से हमारी सरकार ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्रवृत्ति बंटवाने का कार्य किया है । इसमें बहुत सुधार हुआ है और सही लोगों तक छात्रवृत्ति पहुंचने लगी है । अब इससे सही अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मैं इस विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इस विभाग के मूल में जो भावना है, वह यह है कि सदियों से पिछड़े, दबाये हुए, दबे हुए, कुचले और समाज से उपेक्षित लोगों को किसी तरह से खुशहाल करना । लेकिन सवाल यहां इस बात का पैदा होता है कि यह सरकार उन्हें खुशहाल किस प्रकार करेगी । क्या इन विभागों की जो योजनायें चल रही हैं उनके ऊपर इस बजट में धन देकर या उसको घटाकर ? इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है और लूट खसोट फैली हुई है उस पर अंकुश लगाकर या उसको बढ़ावा देकर । आज आप अपनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि हमने हरिजन शब्द हटा दिया है । यदि हरिजन शब्द हटाकर इसका बजट बढ़ा दिया जाता तो निश्चित ही यह बजट अच्छा होता और बधाई का पात्र होता, तारीफ के काबिल होता । किन्तु यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा बजट है जिसमें धन बढ़ाने के बजाये धन घटाया गया है । इसलिये यह बजट आलोचना का पात्र है ।

मान्यवर, आप देखें 1991-92 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु 1,54,08,86,000 रु० दिया गया था 92-93 में 1,52,65,03,000 रु० दिया जा रहा है । इसी प्रकार जनजाति कल्याण पर 91-92 में 4,62,01,000 रु० और 92-93 में 3,91,11,000 रु० दिया जा रहा है। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास परियोजना में 1991-92 में 49,85,000 रु० दिया जा रहा है और 1992-93 में 46,06,68,000 रु० दिया जा रहा है । तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि धन को घटाकर यह सरकार उपेक्षित लोगों को खुशहाल कैसे करेगी ? बजट में जो धन दिया गया है और जो सरकार का रवैया है, सरकार की नीति और नियत जो है इन आंकड़ों से उनका भण्डाफोड़ होता है और मालूम होता है कि उपेक्षित वर्ग को यह सरकार खुशहाल नहीं बनाना चाहती है क्योंकि विकास, निर्माण और छात्रवृत्ति की राशि में कमी किया है । इसी प्रकार विधवा पेंशन और विकलांगों की पेंशन में कमी की गयी है । वितरण का जो तरीका है उसमें परिवर्तन किया गया है क्योंकि पहले डाकिया वितरण करता था और बाबू वितरण करता था जिसमें तमाम भ्रष्टाचार थे, इसलिये पिछली सरकार ने उसको शिविर लगाकर बंटवाना शुरू किया । लेकिन आपने भ्रष्टाचार फैलाने के लिये नई प्रणाली चालू किया जिसके अन्तर्गत जो डाकिया और बाबू को पैसा दे वहीं पैसा पाये ।

यह विभाग बहुत बड़ा है और आसानी से समझ में आने वाला नहीं है एवं इसके रग-रग में भ्रष्टाचार व्याप्त है । इसके मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं और मंत्री जी उनको दबाने का काम न करें । पहला उदाहरण आजमगढ़ में 150 अनुदानित फर्जी विद्यालय पकड़े गये जिनकी जांच को शासन स्तर पर दबा दिया गया है । इसी प्रकार गोरखपुर में अनुदानित फर्जी विद्यालय में 25 लाख रु० के घपले प्रकाश में आये थे उसको शासन के स्तर पर दबाने का काम किया गया है । सिद्धार्थनगर में गौर विद्यालय का लाखों रु० का घपला प्रकाश में आया लेकिन उसको शासन स्तर पर दबाने का कार्य किया। बस्ती में बाल विकास योजना में शासनादेश के बावजूद तमाम फर्जी नियुक्तियां की गयीं। जिसकी जांच की गई और यहां से दबाने का काम हुआ । इलाहाबाद में फर्जी छात्रावास तथा फर्जी अनुदानित विद्यालय की जांच हुई और जांच रिपोर्ट को शासन स्तर पर दबा लिया गया । पुष्टाहार योजना में पुष्टाहार विदेशों से कलकत्ता बंदरगाह तक फ्री भेजा जाता है लेकिन कलकत्ता से पुष्टाहार केन्द्रों तक रेल से न भेजकर उसे ट्रकों द्वारा ढोया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि रेल द्वारा यह सामग्री क्यों नहीं आ सकती है ? लेकिन बेईमानी, ठेका और कमीशनखोरी के कारण पुष्टाहार ट्रक से मंगाया जाता है । इस तरह भ्रष्टाचार को जब समाप्त नहीं किया जायेगा दलित वर्ग के तरक्की का सवाल नहीं पैदा होता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्रीमती उर्मिला राजपूत–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समाज कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी बड़ी आभारी हूं। मान्यवर, वैसे तो समाज कल्याण विभाग की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक योजनायें हैं उनको संचालित करने के लिये कई निगम और विभाग बने हैं जैसे अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जाति तराई एवं बीज निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, सैनिक कल्याण निगम मद्य निषेध और महिला कल्याण विभाग इन सभी के बारे में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से मंत्री जी ने जो समाज कल्याण विभाग का बजट पेश किया है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं।

समय की कमी की दृष्टि से सभी विषयों में से मैं महिला कल्याण के बारे में बोलना उचित समझती हूं। प्रदेश की आधी आबादी महिला समाज, जिसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है इस प्रदेश में महिलाओं की निरक्षरता इस प्रदेश में महिलाओं को साक्षरता का प्रतिशत 26 प्रतिशत है। उसमें से भी अनुसूचित जातियों की महिलाओं का 16.80 प्रतिशत है। शिक्षा की दृष्टि से आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिये अनुसूचित जाति की बालिकाओं को साक्षर बनाने के लिये, उनकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं और ऐसी बालिकाओं के लिये 10 छात्रावासों का प्रस्ताव विचाराधीन है। यही नहीं, छात्रावासों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अभिभावक उन्हें नहीं भेज पाते थे। इसलिये एक हजार बालिकाओं के मैस का व्यय और उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन के रूप में सहायता दिये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके लिये माननीय महिला कल्याण विकास मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

महिला कल्याण निगम को गति प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की आधी आबादी, महिला समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है उन्हें प्रशिक्षण व मार्जिन मनी ऋण योजना की व्यवस्था की गई है। परन्तु प्रोत्साहन के साथ साथ उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया है। पूर्व की सरकारों द्वारा इसे अनदेखा किया जाता रहा है। प्रदेश की कामकाजी महिलाएं जिनके लिये आवास की व्यवस्था नही थी। ऐसी महिलाओं के लिये 10 आवासीय होस्टल की व्यवस्था की गई है और जो प्रदेश में महिला संरक्षण गृह चल रहे हैं, उनमें जो हमारी संवासिनी रहती हैं, उनके भोजन पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था। भोजन की गुणवत्ता को देखते हुए 145 रुपये प्रति माह की राशि में वृद्धि करके 240 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, महिलाओं के बारे में मैं एक अकेली महिला बोल रही हूं। आप तो कम से कम उदार होइये। मान्यवर, एक प्रमुख काम मैंने पढ़ा है समाज कल्याण विभाग के बजट में। वह यह है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत कम है। चाहे भारतवर्ष के स्तर पर देखें, चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पर। इसका कारण है कि 11 से 18 वर्ष की एक उम्र ऐसी होती है जिसमें शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान न दिया जाय तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी की योजना 313 विकास खण्डों में चल रही है। इनमें से 77 विकास खण्डों में 11 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिये, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखते हुए उनको अच्छे पोषाहार व चिकित्सा सुविधा दिये जाने की व्यवस्था की गई है इसी तरह 15 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिये व्यवसायिक दृष्टि से प्रोत्साहित करने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार हर विकास खण्ड में 300 बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

जो प्राविधान किये गये हैं, उसकी व्यवस्था के बारे में मंत्री जी बता चुके हैं। आप कोई सुझाव देना चाहें तो दें!

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

डेरी परियोजना में पूर्व के 10 जिलों में परियोजना का विस्तार कर 15 हजार महिलाओं को लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई है। उपेक्षित विधवायें, जिनसे बहुत से पुरुष विवाह करने में अपने को हीन भावना से ग्रसित समझते थे। ऐसी महिलाओं से शादी करने पर 11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

दहेज से उत्पीड़ित महिलायें कोर्ट कचहरी में जाती थीं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने पर उनको आगे भरण पोषण की समस्या आ जाती थी ऐसी महिलाओं के लिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

हर महिला के लिए 100 रु० प्रतिमास देने का प्राविधान किया गया है। अन्त में मैं दो सुझाव देना चाहूंगी। पहला सुझाव तो यह है कि महिला उत्पीड़न के सुधार के लिए जो अभी तक की सरकारों ने प्रयास किए हैं वह मेरी दृष्टि में समुचित नहीं हैं, महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए प्रत्येक जिले में महिला सेल की स्थापना करें। सोशल वर्कर्स और प्रशासनिक कर्मचारी इसमें हों।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

भारत सरकार ने महिला आयोग गठित किया है। महिला आयोग गठित करने के कारण पूर्व में ही हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। उसी तरह से यहां पर भी महिला आयोग गठित किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दो के साथ मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हूं और आपको आभार व्यक्त करती हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आपकी अनुज्ञा से मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन्होने बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की दुहाई देकर बड़ी छलांग मारकर बजट प्रस्तुत किया। मैं उनका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके घर में न्याय नहीं होता है वह दूसरों को न्याय नहीं दे सकता है।

बाबा भीमराव अम्बेदकर का जन्म शताब्दी दिवस है । 17 मंत्री कैबिनेट के बने । तीन मंत्री कमजोर वर्ग के होने चाहिये थे । आपने कभी कहा । आप अकेले बना दिए गये । दो तिहाई हिस्सा कहां गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप बजट कैसे लागू कर पायेंगे मैं कहना चाहता हूं प्रारम्भ में शासन तंत्र इनके हाथ में नहीं होगा तो इनको कौन पूछेगा । राज्य मंत्रियों की संख्या-27 है उसमें मस्तराम जी हैं, जाने कहां मस्त रहते हैं इसमें भी चार-पांच आदमी होने चाहिये । आपने इस बात को कहने की कभी कल्याण सिंह जी से हिम्मत की । 18 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए । बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का जन्म शताब्दी दिवस है, आप जो बजट लाए हैं इसकी हालत देखें, इसका दुगुना बजट होना चाहिए था । पिछले वर्ष 1991-92 में बजट पेश किया गया था वह 9,995.09 लाख था इस वर्ष इन्होने 9,967.83 लाख कम कर दिया और बाबा भीमराव अम्बेदकर साहब का नाम ले रहे हैं । न इनको शर्म लगती है न झिझक आती है । इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का गला घोट दिया । अभी मंत्री जी कह रहे थे 34 हजार केन्द्र हैं बाल विकास परियोजना के और 323 ब्लाक हैं, 260 भवन बनवाने की घोषणा इन्होंने की है । इस तरह से पूरी जिन्दगी से एक ब्लाक में नहीं बनवा पायेंगे आज पैसा नहीं देंगे धन आवंटित नहीं करेंगे, यह कैसा बजट है आप एक आदमी को एक ब्लाक में लाभान्वित करेंगे और कहेंगे 11 से 18 साल की लड़कियों के पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गयी उसकी हालत इतनी खराब है प्राइमरी सेक्शन में अनुसूचित जाति के 10 लड़कों को वजीफा देंगे तो बाकी जो 50-60 हैं उनका क्या होगा । इसी तरह से पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें से 3 को देंगे तो बाकी 57 रह जायेंगे । माननीय मंत्री जी बड़ा दहाड़ रहे थे, रमापति शास्त्री जी सीधे, सज्जन और सरल व्यक्ति हैं । कम से कम दबी जुबान से माननीय कल्याण सिंह से कहते कि हरिजनों का शोषण क्यों हो रहा है । इसी तरह से जूनियर हाई स्कूल में 15 लड़कों को वजीफा देगें बाकी 45 का क्या होगा । इस तरह से जो आप योजनायें चला रहे हैं उनमें कटौती की गयी है । यह बाबा साहब अम्बेदकर जन्म शताब्दी वर्ष था, इस वर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आप अधिक से अधिक योजनायें चलाते तो इनका फायदा होता । आप सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, समाज के कमजोर वर्गों को बढ़ाने के लिये काम नहीं कर रहे हैं । मंत्रि मंडल में ही इनका परसेंटेज पूरा नहीं है इससे आप अन्दाजा लगा लीजिये । रमापति जी सीधे आदमी है इनको समाज कल्याण विभाग दे दिया गया कि वजीफा बांटिए । बिजली ले गये लाला जी, और पी० डब्लू० डी० ले गये, सरदार जी । आपके हाथ में कुछ नहीं है । आप देखें कि आज हरिजनों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न गोण्डा जिले में हो रहा है । आप को हिम्मत करके इस परसेंटेज को घटाना चाहिये था । गोण्डा, बांदा, बहराइच इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा हरिजन उत्पीड़न हो रहा है इस संबंध में कोई योजना आती तो हम स्वागत करते और धन्यवाद देते ।

आप देखें समाज कल्याण विभाग के तीन विगं है । एक महिला कल्याण है और दूसरा बाल कल्याण है । आप की आगंन बाड़ी की योजना है । यह योजना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है । इसको भ्रष्टाचार से निकालने के लिये आप ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 70 फीसदी जो इस योजना का पैसा है वह कर्मचारियों और अधिकारियों की जेब में चला जाता है । यह योजना इनकी चरागाह बन गई है । मेरे यहां बेवर और करहैल ब्लाक में यह योजना चल रही है । सिर्फ 5-6 महीनों में एक बार पोषाहार बंटता है । महिलाओं

के लिये जो योजनायें है उनके बारे में कोई जानता तक नहीं है । कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं का शोषण करते है लेकिन इन योजनायों में महिलायें महिलाओं का शोषण करती है । मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे । शासन जो धन का आवंटन करता है वह लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है । इसी तरह से गरीबों की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता देने की योजना है । इसमें भी वही लोग मदद पाते है जो आधा रुपया दफ्तर में खर्च करते है । अधिकांश लोगो को कोई मदद नहीं मिल पाती है ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह जो धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च करने जा रहे हैं इसको किसी तरह बचाने की घोषणा करें और अधिकारियों के जेब में यह धन न जाकर इन वर्गों के लोगों को लाभ पहुचे, ऐसी व्यवस्था करें । मैंने जो दो ब्लाकों का जिक्र किया, वहां पर 70 फीसदी धनराशि खा ली जाती है । कम से कम 2-4 अधिकारियों को जेल भेजे ताकि व्यवस्था ठीक हो ।

जो कमजोर वर्ग के लिये धन आवंटित होता है, उस पर कौवे की तरह से निगाह रखनी चाहिये माननीय मंत्री जी को, तब कल्याण होगा, वर्ना कल्याण होने वाला नहीं है । कल्याण तो पहले ही समाप्त कर दिया । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री परमानन्द दण्डी स्वामी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा निराश्रितों के लिये, विकलांगों के लिये शोषितों के लिये, दलितों, पीड़ितों और ऐसे असहाय निराश्रितों के लिये जो पीड़ा देखी समझी गयी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो बजट पेश किया है, मैं बड़ी सूझबूझ और दृढ़ता के साथ उस बजट का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि थोड़ी देर के बाद आप लाल बत्ती दिखा देंगे इसलिये बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा । स्मरण रहे कि पूर्ववर्ती सरकारें अनुसूचित जातियों को लालच देकर गुमराह करती रहीं, उनका शोषण करती रहीं । बचपन का इस सम्बन्ध में एक दृष्टांत देना चाहूंगा । बचपन की एक कथा है कि एक भूरी भैंस तालाब में कीचड़ में फंस गयी । लोगों ने इसे निकालने का प्रयास किया । वह नहीं निकलना चाहती थी तो उसको बाजरे और ज्वार की पत्ती दिखा कर कहने लगे भूरी आ, भूरी आ, तो जो भैंस तालाब से नहीं निकल रही थी, निकल आयी । इसी तरह से इन पूर्ववर्ती सरकारों ने ये बकरियां लो, भैंस लो, गाय लो, कहकर गुमराह करते रहे और शोषण करते रहे और हानि पहुंचाते रहे । लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार ने जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, इन गाय और बकरियों कि जगह ट्रक देंगे, बसें देंगे और इस तरह से सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें ट्रक, बसें और टेम्पो देंगे । दूसरी बात यह है कि आप देख रहे है कि इस देश में जो जाति प्रथा चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए, हमारे मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी ने,सरकार ने जो हरिजन शब्द हटाया है । इस संबंध में एक दृष्टान्त और है । आप देख सकते है ।

मेरा देश नर्क कर डाला, जहरीले कृत्रिम लोगों ने,
बना दिया शैतान जंमाना, मानवता के शत्रु जनों ने,
जाति पांति का जहर विषैला, जब से जन को गया पिलाया,
जन जीवन बरबाद हो गया और मनुज ने पाप कमाया,
खेली गयी खून की होली, मानवता की लाश जलाकर ।
फांसी दे दी गयी प्यार को, जाति पांति का रोग लगाकर,
इन अस्तित्वहीन रोगों ने, कर दी मानव की बर्बादी,

क्योंकि मनुज ने जाति पांति के, झगड़ों में सब शक्ति गंवा दी ।
लोग चांद पर पहुंचे, लेकिन मेरे भारत की बलिहारी,
जाति पांति की खूंटी पर ही, रही लटकती प्रगति हमारी ।
देख रे चेतन जग भर के जन, आपस में हम भाई भाई ।
मोची मेहतर धोबी नाई, हिन्दू मस्लिम सिख इसाई ।
पर जन मानस के जो रगड़े, हैं निर्मूल व्यर्थ के झगड़े ।
कौन से,
तुम चमार हो, वह कुम्हार है, ये सुनार तो वह लुहार है,
तुम हो भंगी वह नट कंजड़, कलाबाज तुम, वह है कंजड़ ।
यें पनवाड़ी, वो पंसारी, तू है भिस्ती वह अंसारी,
तू है अहिर गड़रिंया वह है सपली गढ़ भुड़भुड़िया, वह है भुजी, तू है तेली,
तू मुराव, तुझसे क्या लेंना, वह ठाकुर है, मैं सक्सेना ।
गूजर धानुक धुना धुनुक, सब भीलकोल व डोमबिचारे,
हरबोला मल्लाह भटियारे, धीमर जाति खटिक बा बनिया,
सबकी अलग अलग है दुनिया, खरे जगोता एवं मोदी,
भाट भांड़, भड़भूजा लोधी, भांति-भांति के अगठित लफड़े ।
लादे मूर्खता में अकड़े जाति पांति का जो गड़ढा है, वह तो भूतों का अड्डा है ।

इसके साथ ही सरकार ने जो हरिजन शब्द हटाया है, वह प्रशंसनीय है । मैं चाहता हूं कि एक ऐसी योजना तैयार की गयी जिससे इन तमाम जातियों को समाप्त किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं । केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याणार्थ प्रदेश में जो समाज सेवी संस्थायें काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को विकलांगों के हित में केन्द्र सरकार 90% अनुदान देती है और 10% संस्थाओं से वहन करने को कहा जाता है, और वहन करती हैं । यदि यह 10% धनराशि उ० प्र० सरकार वहन कर ले तो यह संस्थायें और भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं । इसमें सरकार पर कोई अधिक भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी संस्थाओं की संख्या बहुत कम है । दूसरी बात यह है कि इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वितरण हेतु वेतन अधिनियम लागू किया गया और इन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग से जोड़ दिया गया ।

इसके अलावा प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन हेतु वेतन अधिनियम लागू किया जाय । इसके साथ ही मैं मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समाज कल्याण विभाग के बजट के अनुदान संख्या 49.79.80.81 पर पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज समाज कल्याण मंत्री का बजट भाषण सुन कर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी पूर्व सरकारों की तरह पात्र परम्पराओं का निर्वाह किया है, क्योंकि मान्यवर, अब तक आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं और उन सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये ईमानदारी से लागू कर दिया गया होता, तो इस प्रदेश में क्रांति हो गयी होती । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि इस सदन में जहां उपस्थित है, उसका भी एक सचिवालय है और उस सचिवालय में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोटा पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मानीनय सोनकर जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप विधान सभा सचिवालय का जिक्र न करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि इसको भी आप देखें । मान्यवर, इसी तरह से सरकार के विभागों में भी आज तक इन वर्गों का कोटा पूरा नहीं हुआ है, जब कि सरकार कोटा पूरा करने के लिए बार-बार घोषणायें करती है । मैं मान्यवर, आपका अधिक समय नहीं लूंगा । इस विभाग के द्वारा विधवा पेशन विधवाओं को दी जाती है । अभी पिछले दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र चायल, इलाहाबाद में विधवा पेशन का एक कैम्प लगा था, जहां मैंने देखा था, बहुत सी विधवायें ऐसी हैं, जो 60 साल से ऊपर हो चुकी हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चलावें, जिसमें जो विधवायें 60 साल के ऊपर की हो चुकी हैं, उनको वृद्धावस्था की पेंशन दें तथा अन्य विधवाओं को जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें पेंशन दिलाने की कृपा करें । मान्यवर, इसी प्रकार इस विभाग के अन्दर अनुसूचित जाति वित्त विभाग निगम लिमिटेड भी है, जो इन वर्गों के बेरोजगारों को ऐसे रोजगार धंधा करने के लिए ऋण देता है ।

मान्यवर, मेरे इलाहाबाद में ऐसे रैकेट है, जो इन वर्ग के लोगों से 30-30, 40-40 प्रतिशत कमीशन लेकर लोन दिलाने का काम करता है तथा उनका शोषण करता है और उनके इस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से साठ-गांठ रहती है, वह कमीशन के बल पर मारुति कारों से घूमा करते हैं और ऋण लेने वाला व्यक्ति परेशान होकर सड़कों पर घूमता रहता है । मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इलाहाबाद में इस विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये ऐसे लोगों को ऋण के रूप में दिया गया है जो इसके पात्र भी नहीं है । मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करावें । मान्यवर, इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र चायल में आंगन बाड़ी कार्यक्रम, जिसमें कई महीनों से कई पद रिक्त हैं, किन्तु अभी तक उसे भरा नहीं गया और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है । इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई अुनसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का वास्तविक कल्याण चाहते हैं, तो इनके कल्याण की जो भी योजनायें हैं, उसको सही ढंग से लागू करवाने का काम करें । इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए जो भी अधिकारी दोषी पाये जायं,

उनके विरुद्ध कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए उसका पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री बृज राज त्रिपाठी–

मान्यवर, 1992-93 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, प्रातः स्मरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके नाम से मेघावी छात्र और छात्राओं के लिये एक निधि की स्थापना की है, वह बड़ा सराहनीय कार्य है । मैं सोंच रहा था कि विपक्ष के जो लोग अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इस कार्य की अवश्य प्रशंसा करेंगे, लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने इसकी सराहना नहीं की है ।

मान्यवर, अगर आप इस बजट को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकलांगों के लिये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । विकलांगों के अंगों के लिये पिछली सरकार ने 500 रुपया रखा था. जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने एक हजार रुपया कर दिया है, यह एक सराहनीय कदम है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इस बजट में हरिजनों की पुत्रियों की शादी और विवाह के लिये और बीमारियों में उनको दी जाने वाली सहायता में हमारी सरकार ने वृद्धि की है । यह 1991-92 के बजट में 51.50 लाख रुपये थी, और हमारी सरकार ने इसको बढ़ा कर 55.75 लाख कर दिया है, यह बड़ा सराहनीय कदम है, जिसके लिये सभी विपक्षी लोगों को सराहनीय करनी चाहिये थी । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने जो हरिजन आवास बनाये थे, वह गांव के बाहर बनाये थे और 13x8x8 का एक छोटा सा कमरा होता था और उसका आधा बरामदा होता था, इतनी कम जगह में कोई परिवार कैसे रह सकता है । हमारी सरकार ने इस पर विचार किया और समता लाने के लिये यह निश्चय किया है कि जहां पर उनके घर हैं, वहीं पर इस तरह के आवास बनाये जायें । पिछली सरकार ने प्रत्येक आवास के लिये 6 हजार रुपये की धनराशि रखी थी जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया जाना चाहिये और जो कमरा बनाकर दिया जाये वह 13×10×10 फुट हो और बरामदा 13×9×10' का हो 13×15 फुट का आंगन हो, जिससे उसमें कम से कम एक परिवार ससम्मान रह सके । मान्यवर, मेरे जनपद बहराइच में रेवली में हरिजन समाज कल्याण बाल शिशु मंदिर है, इसको वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया जाये तो बहुत अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के साथ-साथ विमुक्त जातियों का भी उल्लेख है, लेकिन मान्यवर, विमुक्त जाति के लोगों को कोई अधिकारी प्रमाण पत्र नहीं देता है और जो उनको मिलने वाली सुविधा है वह भी उनको नहीं मिल पा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें, जिससे विमुक्त जाति के लोगों को मिलने वाला लाभ मिल सके । मान्यवर, गोरखपुर में आश्रम पद्धति का एक स्कूल चलता है, लेकिन इसपर असामाजिक तत्वों का ही कब्जा है इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाये । मान्यवर, मैं छात्रवृत्ति की बात कहना चाहता हूं, तोरावार में एक स्कूल है, यहां पर लड़के अपना एडमिशन केवल छात्रवृत्ति लेने के लिये

कराते हैं और पढ़ाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है उसमें स्कूलों के प्रधानाचार्य और विद्यार्थी सब आपस में मिलकर उसका दुरुपयोग करते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आपके हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल चलाये जाते हैं और मैं समझता हूं कि काफी दिनों से चलाये जा रहे हैं उनमें स्कूलों का हाल यह है कि एक अध्यापक पेड़ के नीचे 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता है आप इनको टीन तक मुहैया नहीं करा सकते हैं तो ऐसे समाज कल्याण के नाम पर स्कूल चलाने से कोई फायदा नहीं है आप स्कूलों को बिल्डिंग दीजिए, छप्पर दीजिए, कुछ न कुछ सुविधा दीजिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। आपका गोरखपुर में जो लाल डिग्री छात्रावास है वहां पर जाकर देखें तो वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं वहां पर विद्यार्थी कैसे रहते हैं यह सोचने की बात है। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री माम चन्द्र–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, कल्याण मंत्री जी ने जो बजट रखा है इसकी बहुत ही उपलब्धियां हैं अपने आप में इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। इस देश का दुर्भाग्य है कि 40 साल में यदि पहले ही यह हरिजन शब्द हट जाता तो जितने लोग बैद्ध धर्म स्वीकार करते गये हैं बाबा साहब तक थे उसमें तो शायद वह दिन न आता इसके लिये मैं समाज कल्याण मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंनें हरिजन शब्द को समाप्त किया।

दूसरा यह बजट इस बात को दर्शाता है कि वह अपनी उपलब्धियां स्वयं लिये हुए हैं, हर तरह से उपलब्धि है, छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ी है और महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी है–

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,

आंचल में है दूध और आंखों में पानी।

इसके लिए जो अनुदान बढ़ाया संवासिनियों के लिए जो प्रतिमाह 240 रुपया कर दिया गया है यह अपने आप में एक उपलब्धि है। और महिलाओं का उत्थान है। मान्यवर, विधवा महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता था अब जो भी उनसे शादी करेगा उनको 11 हजार रुपये दिये है यह एक उपलब्धि है। अगर इन उपलब्धियों को देखा जाये तो लगेगा कि माननीय मंत्री बड़े ही सुझबूझ से इस बजट को रखा है इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह बजट में प्रस्ताव रखना धन आवंटन के लिए और उस पर कटौती का प्रस्ताव रखना यह सदन की शाश्वत परम्परा रही है और यह भी परम्परा रही है कि उस पक्ष में जो बैठ जाता है चाहे हम बैठे हों या आप बैठे हों या कोई बैठा हो उसने कहा कि क्रांन्तिकारी बजट आया है इससे हरिजनों का कल्याण हो जायेगा और इस पीठ से हमेशा यह कहा गया है कि कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है कि इस धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं किस तरह से जब माननीय मंत्री जी सोचनें चले हैं हरिजनों की दशा के बारे में कल्याण होगा। मैं कुछ प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि एक तो जब पहली बार इस प्रदेश में जमींदारी एबोलीशन एक्ट लागू हुआ था, कि वह

–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग जो जमीन को जोतते बोते थे उसका लाभ लें इसके साथ जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट लागू किया गया था चौ० चरण सिंह की मंशा साफ थी कि देश के अंदर कोई देश और कोई समाज तब तक तरक्की कर सकता जब तक उसके हाथ को काम देने वाली योजनाएं इस देश में लागू नहीं की जायेंगी। इसके लिये जमींदारी एबोलिशन एक्ट लागू किया गया था। आंकड़े मांगना चाहता हूं कि जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट लागू किया गया था तब हरिजनों के पास कितनी जमीन थी और आज 42-43 साल के बाद हरिजनों से जमीन छूटकर कहां चली गयी ? देश की आबादी कितनी है हरिजनों की उसके हिसाब से आप कितने प्रतिशत उत्थान कर पाये हैं हरिजनों का। आप ऐसे ही कहते हैं कि क्रांतिकारी बजट लाये हैं। यह सारी व्यवस्थाएं ऐंसी हैं जिन पर हमको एक मन से सोचना होगा। आपने हरिजन कल्याण विभाग के बजट का एक बड़ा भाग छात्रवृत्ति बांटने के लिए लगाया है इसके पीछे भावना यह थी कि इस प्रदेश का शोषित समाज बिना शिक्षा के तरक्की नहीं कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन परिवारों के कितने लड़के पढ़ रहे हैं।

एक मा० सदस्य–(सत्तापक्ष)–

कृपया हरिजन शब्द का प्रयोग न करें, 'हरिजन' शब्द हटा दिया गया है।

श्री विजय सिंह राणा–

ठीक है 'हरिजन' शब्द हट जायेगा लेकिन क्या 'हरिजन' शब्द हट जाने से हरिजन ब्राह्मण हो जायेंगे ? आप पूरी वर्ण व्यवस्था को देखे, पूरे समाज को चार वर्णों में बांटा गया था और एक वर्ण विशेष से यह कहा गया था कि वह दूसरे वर्ण वालों की सेवा करेगा। हरिजनों के साथ जो अत्याचार और उत्पीड़न किया गया है उसमें शब्द हटाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। चैरिटी से, फण्ड से, दान से, अनुदान से कोई देश, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को अगर वास्तव में कुछ करना है तो लाइये ऐसी योजना जिससे इनकी सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आये। जैसा डा० अम्बेदकर कहते थे कि इस देश में जब तक आजादी का सही उपयोग नहीं हो पायेगा वह जातिवाद के जम्हूरे में उलझ कर रह जायेगी। अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ तो आर्थिक परिवर्तन के लिये सोचा गया सपना अधूरा रह जायेगा।

तो माननीय मंत्री जी आप इस परिवर्तन को नहीं ला पाये, कोई परिवर्तन की दिशा नहीं दे पाये, इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं आज परिवर्तन के लिये समाज में उनका स्थान दिलाने के लिये क्रांतिकारी कदम उठायेंगे तो इस सदन के बीच में मैं घोषणा करता हूं कि अगर हरिजन शोषित दलित के हित के लिये हितकर कदम उठायेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा और समर्थन करूंगा। लेकिन, अभी आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सके इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम औतार शाक्य––

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर श्री बी० आर० वर्मा द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये उनकी बहबूदी के लिये विभिन्न योजनाओं के बारे में अपने बजट भाषण में चर्चा की है। मान्यवर, यह सारी की सारी योजनायें आपके घड़ियाली आंसू बहाने के बराबर हैं। तब तक आप व्यवहार में अमल नहीं

करते हैं, तब तक आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, जब तक आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है तब तक कभी भी दलित शोषित और पिछड़े वर्गों का लाभ नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, रूड़की विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अनुसूचित जाति, जनजाति का एक सेल है जिसमें लाखों रुपये की सहायता अनुसूचित जाति, जनजाति के इस सेल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाती है । मान्यवर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर सेक्रेटरी ने भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, उसका आपरेटिव पोरशन मैं सूक्ष्म में पढ़े देता हूं ।

आई वुड देयरफोर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यूज योर गुड आफिसेज एण्ड परसुएड दी आफिसर्स आफ टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट टू कनवे दि एसोरेन्श आफ दि यू० पी० गवर्नमेन्ट टू टेक ओवर दि लाईबिलिटी आफ दिस सेल विद इफेक्ट फ्राम 1-4-1995 आन रिसीट आफ दिस एसोरेन्श दि यू० जी० सी० गुड एक्सटेन्ट देयर फाइनेन्शियल असिसटेन्ट अप टू 31-3-1995 ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका हिन्दी रूपान्तर कर दें ।

श्री राम औतार शाक्य–

युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पत्र उ० प्र० सरकार को लिखा और उसमें यह आशा की कि यदि आप आश्वासन दे दें तो 31 मार्च, 1995 तक इस सेल को आर्थिक सहायता देते रहेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बराबर 1995 तक अपने रिर्सोसेज से उस सेल को आर्थिक सहायता देता रहेगा । आप अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की रक्षा की बात करते हैं, केवल आप उन्हें आश्वासन नहीं दे सके। उस अनुसूचित जाति जनजाति सेल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया 31 मार्च, 1992 को, आप द्वारा उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया । इसमें कोई वित्तीय संसाधन की बात नहीं थी, इसके मायने यह हुए कि आपकी नीयत साफ नहीं है । जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा सहायता दी जा रही थी वह बंद कर दी गयी । बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 10 हजार इन वर्गों की लड़कियों ने परीक्षा दी थी मुख्य सेविका पद की आपने उन 10 हजार परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी ।

आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे इनका समानांतर संगठन आर० एस० एस० जो है वह चला रहा है उसके निर्देशन के कारण वह परीक्षा रद्द कर दी गयी । यह उस परीक्षा में अब आर० एस० एस० और बजरंग दल के लोगों को शामिल करना चाहते हैं आप किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का हित करना चाहते है । आप दुहाई देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की, हमारे पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की फोटो लगी है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह घोषणा करके कल इसी सदन में उनकी फोटो लगा दें । इसमें न तो धन की आवश्यकता है और न किसी और चीज की । यदि आप उनके सम्मान की रक्षा करते हो, उनसे जुड़े हुए लोगों की रक्षा करना चाहते हों तो आज ही इस सदन में घोषणा करें । एक बात और कहना चाहूंगा यह भी देखें कि बजट में यह देखें कि किस तरह से यह संभव हो कि आप बिना अधिक पैसा बढ़ाये हुए आप उनके स्टेन्डर्ड को कैसे बढ़ायेंगे, कैसे बिना अधिक संसाधन लिये उनके स्टेन्डर्ड को ऊंचा करेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती है । यदि आप उनके स्तर को ऊंचा उठाना चाहते है तो आपको इस देश के इतिहास में जाना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण यह दलित हो गये, शोषित हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैं जाति व्यवस्था पर चोट करूंगा। यह प्रकृति ने नहीं दी बल्कि इंसान के द्वारा बनायी गयी है। एक वर्ग ऐसा है जो उनको गुलाम बनाये रखना चाहता हूं। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर शुक्ला जी बीमार हो जायें तो उनके इलाज के लिये उनका भाई नहीं बल्कि जो सफाई करने वाले, जो मेहतर हैं, जो बिस्तर उठाने वाले हैं वह काम आते हैं। अगर किसी को खून की जरूरत है तो उनके भाई नहीं बल्कि जो रिक्शेवाले होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं उनका ही खून काम आता है उसमें कोई भेद नहीं होता, वह एक ही ग्रुप का होता है। अगर माननीय मंत्री जी इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिये एक आयोग गठित करें जिसमें हिन्दू भी हो, मुसलमान भी हो, बौद्ध भी हो और सिक्ख भी हो और वह इसका अध्ययन करे कि कैसे इस देश में जाति व्यवस्था पैदा हुई और कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपनी सरकार को बधाई देता हूं। जो आज उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो के उत्थान के लिए बातें कहीं हैं, अभी तक जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखा है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को माना है कि पिछली सरकारें जो भी करती आयी हैं वह गलत थी आज हमारी सरकार ने पहली बार इस बजट को पेश करके उस जाति के लोग के उत्थान की बात कहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारी सरकार ने कहा है वह करके दिखायेगी ? मान्यवर, हमारी सरकार ने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं उनके लिये उन्होंने जो योजनाएं बनायी हैं, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग धन्धें लगाने की व्यवस्था भी कह है उसके लिये भी में उन्हें बधाई देता हूं।

एक बात विशेष रूप से, कानपुर छावनी का विधायक होने के नाते कहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा लिया था उन्हें सौ रूपया प्रतिमास पेंशन दी जाती है, पिछली सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद से उस पर रोक हटा दी है और उसे चालू कर दिया है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जो भू० पू० सैनिक पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में, 1962. 1965 या 1971 में हिस्सा लिया था उनको प्रादेशिक सरकार पेंशन देती है तो उसके अलावा भी उन्हें दो सौ रुपये अतिरिक्त दी जाये।

मान्यवर, 1965 या 1961 के युद्ध में जिन लोगों ने अपने पुत्र, पति को फौज में भरती कराया था, उनके लिये 5 वर्ष तक पेंशन देने का प्राविधान था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें संशोधन करके उसे पूरे जीवन तक के लिये किया जाय, इसी के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के लिये बधाई देता हूं और उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर माननीय बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी बढ़-चढ़कर घोषणायें की और मैंने इनके भाषण को बड़े ध्यान से सुना। एक कहावत है "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया", समाज कल्याण विभाग का बजट ठीक उसी की परिणिति है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि हमने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कई बड़ी-बड़ी योजनायें बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर जन्म शती वर्ष में शुरू किया और उन्होंने अभी अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार पर भी चिन्ता प्रकट की। मान्यवर, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ तो बलात्कार होता ही रहता था, लेकिन माननीय मंत्री जी के इस बजट के साथ माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय कल्याण सिंह ने बहुत बड़ा बलात्कार किया है।

मान्यवर, आप देखें कि जो पूरा बजट है, वह पिछले साल 1.01.099 लाख का था, उसे इस वर्ष घटाकर 9.967.83 लाख कर दिया गया है। इस तरह से पिछले साल छात्रवृत्तियों और छात्र वेतन के नाम पर जो बजट रखा गया था, वह था 8.346.97 लाख रुपये और इस साल उसे घटाकर 7.967 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार मान्यवर, आप देखें कि जब पैसे का प्राविधान ही कम कर दिया गया तो समाज कल्याण की बहुबुद्धि कैसे हो उसके साथ न्याय कैसे होगा ? हमारे श्री बाबूराम यादव जी ने एक बात कही थी कि सरकार जो अपने मंत्रिमंडल के साथ न्याय न कर सकी, वह समाज कल्याण की दृष्टि से अनुसूचित जातियों, जनजातियों को कोटा कैसे पूरा करें।

मान्यवर, इन्होंने मंत्रिमंडल में ही कोटा पूरा नहीं किया। विभाग के बजट पर बोलने वालों की लिस्ट को आप देखें। उसमें जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बोलने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आप पायेंगे कि सत्ता पक्ष की ओर से सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं भी तरजीह नहीं दी गयी हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों को समाज कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह से समाज कल्याण के नाम पर बाबा साहब के नाम की चर्चा तो जरूर की गयी, लेकिन जब कल्याण करने के लिये पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की घोषणा की, तो मंडल कमीशन लागू न हो पाये, इन्होंने कमंडल उठा लिया। यह लोग अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों के दुश्मन हैं और इनसे इनका कल्याण होने वाला नहीं है, इसकी बात सोचना केवल कपोल कल्पना होगी। मान्यवर, एक बात स्कालरशिप के बारे में कही गयी कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के जो अध्यापक विद्यालयों में हैं, उनके माध्यम से स्कालरशिप मिला करेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का कोई अध्यापक नहीं है, वहां पर स्कालरशिप कैसे मिलेगी। इस संबंध में मैं अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के टी० एन० डिग्री कालेज का उदाहण देना चाहता हूं, जहां अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का कोई भी अध्यापक नहीं है, वहां पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कालरशिप कैसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलेगी । इसी तरह से अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण की बात है । ऐसे छात्रावासों पर जिनमें निर्माण कार्य पहले शुरू हो गया था, उनको भी इस सरकार ने रोक दिया है । मेरे ही जनपद में और मेरे क्षेत्र में टांडा में टांडा डिग्री कालेज में एक छात्रावास बन रहा था, उसका काम रोक दिया गया । इसी तरह से श्री जयराम वर्मा बापू स्मारक, नऊसांडा अनुसूचित जाति का एक छात्रावास के निर्माण की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, परन्तु उसको भी इस सरकार ने रोक दिया है । मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन छात्रावासों पर निर्माण कार्य चालू करवा कर इन्हें पूरा किया जाये । इस समय पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या टांडा में सबसे ज्यादा है, इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर आप एक आश्रम पद्धति के विद्यालय की स्थापना करने का कष्ट करें । इससे निश्चित रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु जो वायदा आपने किया है, वह पूरा हो सकेगा । अनुसूचित जाति के नाम पर, समाज कल्याण के हित के नाम पर तमाम दूसरे लोग, जिन लोगों के कारण ये अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोग उपेक्षित रहे हैं, सरकारी अनुदान हड़पने के जो केन्द्र इन्होंने खोल रखे हैं, इनको बन्द करने का काम आप करें । इन्हीं शब्दों के साथ श्री बी० आर० वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । समय बहुत कम होने के कारण मैं अपनी बात सुझाव के तौर पर रखना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने अम्बेदकर जी की जन्मशती पर कई घोषणायें की, परन्तु घोषणायें वास्तविकता से परे हैं, और घोषणाओं के अनुरूप नहीं हैं । अब आप छात्रवृत्ति को ही ले लीजिए । पिछली सरकारों ने प्राइमरी कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक जितने भी हरिजन थे, उन सबके लिए छात्रवृत्ति अनिवार्य की गई थी परन्तु इस सरकार ने कक्षा 9 से इसे शुरू किया है । कक्षा 1, 2 व 3 में इसकी सीमा बांध दी है । ये सारी योजनायें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए मात्र धोखा है । दूसरा, यह कि इनसे आशा ही क्या की जा सकती है । जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकार हो । उससे यह आशा की जाय कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति का भला करेगी, केवल एक कल्पना मात्र ही है ।

माननीय मंत्री जी का ध्यान छात्रावासों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । प्रत्येक जिले में हरिजन छात्रावास जिस भी डिग्री कालेज में बनाये गये हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में बनायें गये हैं, वे ऐसी जगह बनाये गये हैं, जो जगहें बिल्कुल उपेक्षित रही हैं । वहां गन्दगी इतनी है कि सफाई नहीं होती है । दूसरा, इन छात्रावासों में दबंग जाति के लड़के रहते हैं, वहां हरिजन छात्र नहीं रह पाते हैं । दो तिहाई दूसरी जाति के छात्र हैं और एक तिहाई अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्र हैं । आप इसकी जांच करा लें। निराश्रित अनुसूचित जाति व जन जाति की जो लड़कियां हैं और उनकी शादी का मामला है, इसमें पहले से ही एक हजार रुपये दिया जा रहा है जो आज की मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है । यह धनराशि भी लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार की संस्तुति पर दिया जाता है । जब ये लोग संस्तुति करते हैं तो 500 रुपये तो तहसील पर रह जाता है और 500 रुपये इन गरीबों के पास जाता है । मेरा सुझाव है कि जिस तरह से विधवाओं के पेंशन हेतु विधायकों की संस्तुति ली जाती है, उसी प्रकार इनके शादी-ब्याह हेतु भी जन प्रतिनिधि की संस्तुति ली जाये । आपने विकलांगों को बहुत कम धन आवंटित किया है, इसको आप बढ़ायें । जिस तरह से हरिजन या अनुसूचित जाति व जन जाति के निराश्रितों हेतु शादी-ब्याह के लिये आपने जो प्राविधान किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अन्य जातियों में भी जो निराश्रित लोग हैं अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । जिनके पास एक बिस्वा खेत नहीं

है और न कोई नौकरी है ऐसे लोगों के लिए भी बजट में प्राविधान करें जिससे उनकी लड़कियों की शादी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री रमापति उर्फ रमाकांत–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, भा० ज० पा० सरकार की नियत है कि दलितों, पिछड़े लोगों और महिलाओं का उत्थान हो उसके लिये वह कृतसंकल्प है उसी के तहत बजट में उन सभी लोगों के उत्थान की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं यह अक्सर देखा जाता है कि गांव में संपन्न लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों का नाम दर्ज कर दिया जाता है ताकि प्रभावशाली लोग बच जायं और उसका परिणाम यह होता है कि अंत में अनुसूचित जाति के लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है।

एक बात मैं और कहूंगा आपके संज्ञान में भी यह होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में गौण जाति के लोग निवास करते हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं 1976 के पहले मिर्जापुर रेंज में बसने वाले लोगों को यह सुविधा मिलती थी। भारत सरकार ने अधिनियम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में गौण जाति के लोग अनुसूचित जाति में माने गये और उनको वही सुविधा मिलने लगी जो अनुसूचित जाति के लोगों को मिलती है। 1977 में इसका एक शासनादेश हुआ। कुछ जिलाधिकारियों के यहां यह मामला अभी भी पैंडिंग पड़ा हुआ है इसके लिये निर्देश इश्यू होने चाहिये ताकि इन लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें। पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह के समय में एक शासनादेश हुआ जिसमें यह कहा गया गौण जाति में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार का समार्थन प्राप्त किया जा रहा है तब से जिलाधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार जब तक सहमति नहीं दे देगी यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार 1977 के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है इसलिये अनुरोध है कि इसको यथावत रखा जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करता हूं कि नया शासनादेश प्रत्येक जिलाधिकारी को दें कि उत्तर प्रदेश में गौण जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की तरह गौण जाति को प्राथमिकता दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग की ओर से एक किताब हम लोगों को "प्रगति के पथ पर" दी गयी है इसके अंतिम पृष्ठ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया बिन्दु 14 और 15 देखने का कष्ट करें इसमें मद्य निषेध का एक संकल्प है–स्कूल कालेजों में मध्य निषेध, इसके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे बांदा जनपद मे एक खाईपार मोहल्ला है वहां पर पूरे जनपद के सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वहां पर देशी शराब का ठेका बड़ी तादात में चल रहा है।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां पर ठेका है उससे 10 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मन्दिर व स्टैण्ड पोस्ट है, और एक अनुसूचित जाति का महिला छात्रावास है । 25 मीटर की दूरी पर आदर्श ज्ञान भारती नामक बालक व बालिका विद्यालय है और 25 मीटर की दूरी पर राजकीय महिला डिग्री कालेज व नर्सेज ट्रेनिंग हाउस है इस ठेके के आसपास बहुत कम दूरी पर ही अन्य पवित्र और धार्मिक स्थान है किन्तु इस ठेके को आज तक वहां से नहीं हटाया गया है इस संबंध में हम लोगों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया था उनसे मिले भी थे किन्तु इस दिशा में कुछ नहीं हुआ । बड़े सोच समझकर सुनियोजित ढंग से उस ठेके को वहां चलाया जा रहा है । उसके आस-पास अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं, इसलिए दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ वह कमाते है वह सब वे शराब में उड़ा देते हैं और घर खाली हाथ जाते हैं । साथ ही मन्दिर में जो महिलाएं जाती हैं, उनको शराबियों द्वारा अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है और अपशब्द सुनने पड़ते हैं । तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस सदन में यह स्पष्ट घोषणा करें कि ऐसी जगह पर जहां -जहां पर ठेके हैं उनको तत्काल हटा दिया जायेगा । हमारे जनपद में तो तमाम ऐसे स्थान हैं, जैसे तिन्दवारी क्षेत्र है, जहां पर गलियों में पैकेट्स में शराब जगह-जगह बेची जाती है । इस पर आप रोक लगाएं ।

अनुसूचित जाति के जो विद्यालय है, उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां गांधी स्मारक छात्रावास है, उसमें बड़ी अव्यवस्था है । वहां न तो लड़के बैठ सकते हैं, न कोई फर्नीचर है और न कोई प्रसाधन के लिये कोई साधन है । छत की यह हालत है कि वह टपकती है । तो मंत्री जी चाहूंगा कि वह इसमें भी कुछ करें । अन्त में मैं बी० आर० वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री श्याम लाल रावत–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण के विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है, मैं इसके लिये आपका अभ्यागत करता हूं ।

मान्यवर, वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, बड़ी सराहना हो रही है शास्त्री जी की कि उन्होने इस वर्ष के बजट से हरिजन शब्द का बहिष्कार कर दिया, हरिजन शब्द हटा दिया है । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि केवल हरिजन शब्द ही नहीं हटाया गया है बल्कि उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण विभाग जो था या हरिजन कल्याण मंत्रालय जो था उसको समाप्त किया गया । हरिजन कल्याण विभाग जो था उसको ही समाप्त कर दिया गया है और पूरे प्रदेश का जो सामाजिक कल्याण है, जिसका बहुत विस्तार है, उसमें ही इसे समाहित कर दिया गया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस हरिजन शब्द के बहिष्कार से जो संवैधानिक विषय है, एक संवैधानिक समस्या पैदा हो गयी हैं । हमारे संविधान के भाग–4 के 46 वें अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण तथा सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा की जो गारन्टी है, उसको इस नई व्यवस्था से धक्का पहुंचा है । हमारे संविधान के भाग-16 के अनुच्छेद 335 में जो आरक्षण की व्यवस्था है, मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आरक्षण का विरोध जो हो रहा है उसका समर्थन इस बात से मिलता है । इसमें आप देखें कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की 66 और अनुसूचित जनजाति की करीब 70 जातियां हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ हैं। इस तीन करोड़ आबादी को जो 66 अनुसूचित जातियों और 70 अनुसूचित जनजातियां हैं उसका जो महत्व था उसको अलग से जो पहचान थी उसको समाप्त किया गया। मान्यवर, आप देखें इन 3 करोड़ की जनसंख्या में शिक्षा का क्या स्तर है। इस समय केवल साक्षरता 14.96 है और 85 प्रतिशत लोग इस समय भी अशिक्षित हैं।

मान्यवर, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है वह इसमें दी गयी है कि 75 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं। सामाजिक न्याय की जो बात है संविधान में उसका उल्लेख है और अन्याय के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। हर स्तर पर शासन के माध्यम से इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। यदि आपने हरिजन कल्याण विभाग को समाप्त कर दिया गया है तो एक अलग से इसके लिये अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय की स्थापना करें ताकि 3 करोड़ आबादी की आर्थिक स्थिति और शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सके। इस समय इन चीजों का कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, बाबा भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा आप देखें लखनऊ से 35 किमी० दूर इटौंजा के अंतर्गत एक गांव है जहां बाबा अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा को तोड़ डाला गया है। इसी तरह लखनऊ के माल थाने के अंतर्गत बाबा अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इस प्रकरण पर सरकार बिलकुल चुप है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें और बैठ जायें।

श्री श्याम लाल रावत–

ठीक है आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अंत में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री रामू प्रियदर्शी–

मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत समाज सुधारक, अनुसूचितोत्थान बजट अत्यंत प्रशंसनीय, सराहनीय सुविधिक तथ्यों से मुक्त कल्याणकारी तथा शोचनीय है। किसी भी समाज का उत्थान मात्र आर्थिक सम्पन्नता, शैक्षिकता के आधार पर हो सकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा यही प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति भारत की प्राचीनतम् जाति है। इसके उत्थान के दो पहलू है।

(1) आज तक पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा क्या मिला ?

(2) इनका उत्थान कैसे किया जा सकता है।

इन तीनों बातों पर चर्चा करना न्याय संगत बात है। माननीय मंत्री जी ने इनके उत्थान के लिये महत्वपूर्ण सुधार किये।

(1) हरिजन समाज कल्याण का नाम बदल कर समाज कल्याण करना।

(2) भंगी मुक्ति योजना के अंतर्गत 45 प्रतिशत ऋण वापसी।

(3) इनके लिए 95% अनुदान पर 20 हजार शौचालयों का निर्माण

(4) प्रत्येक जिले में एक-एक पद शासकीय अधिवक्ता हेतु सृजित।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(5) निराश्रित विधवाओं जिनके पास 5 एकड़ जमीन है राजकीय सिंचाई से निःशुल्क सुविधा ।

(6) निर्बल वर्ग ग्रामीण योजनान्तर्गत एक लाख/इन्दिरा आवास, के अंतर्गत 19 हजार आवास बनाने का लक्ष्य ।

625 इंडिया मार्क टू हैण्डपम्प की व्यवस्था अम्बेदकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ना, 50 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की व्यवस्था, 20 आश्रम पद्यति विद्यालयों को उच्चीकृत करना, 350 वाहन क्रय की सुविधा, निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत पम्प सेट खरीदने की सुविधा, पीड़ित अनुसूचितों को हर्जाना दिलाने की व्यवस्था, 100 ग्रामों में नलकूप स्थापना की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थायें की हैं । इनका सुधार कैसे हो सकता है । मान्यवर, सभी सदस्यगण बैठे हैं । इनके विषय में समुचित रूप से विचार नहीं हुआ कि इन जातियों का उत्थान किस आधार पर किया जाय । जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो कहीं-कहीं पर आज भी सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर हैं । इनका पतन प्राचीन काल से हो गया है, इनका उत्थान कैसे किया जाय । सूअर पालन, बकरी पालन, मुरगी पालन, भेड़ पालन, एक भैंस पालन ..

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामू प्रियदर्शी–

एक गाय पालन पांच हजार रुपये देकर व्यापार कराने से हो सकता है । उत्थान कराना है तो कतिपय सुझाव हैं । सरकार से मांग करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष श्री झाऊ लाल यादव का नाम पुकारे जाने पर श्री झाऊ लाल और श्री रामू प्रियदर्शी एक साथ बोलने लगे, व्यवधान)

* श्री झाऊ लाल यादव–

मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जब माननीय समाज कल्याण मंत्री जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे थे, मैं सोच रहा था जिस समाज का दमन, शोषण और उत्पीड़न हुआ है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है । उस विभाग के मंत्री जी उसे बड़ी गम्भीर मुद्रा में पेश करेंगे । जब इन्होंने प्रस्ताव किया था उसमें भारतीय संविधान में दिये गये तीन तरह के अधिकारों की बात कही थी । सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक । हम लोगों को राजनैतिक अधिकार मिला है किन्तु आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं मिला है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर राजनैतिक अधिकार मिल गये तो जैसा कि अभी बाबू राम जी ने कहा कि बी० जे० पी० की सरकार में हरिजनों का शोषण हुआ है, उतना आज तक की किसी सरकार के समय नहीं हुआ । महिलाओं के साथ, हरिजनों के साथ, दबे तबके के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि छात्रावासों को राजनैतिक अड्डा बना लिया गया था । मैं पूछना चाहता हूं कि आज समूचे उत्तर प्रदेश पर निगाह डालें जितने भी व्यावसायिक केन्द्र हैं, सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं । महिलाओं का शोषण हो रहा है । वृद्ध महिलाओं के लिये वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है। आज आप जनपदों में जाकर देखें । वह पेंशन के लिये इधर-उधर भटक रही हैं, उन्हें पेशन नहीं मिल पा रही है । लेखपाल रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, अधिकारी प्रार्थना-पत्र लेने को तैयार नहीं है। आज यह दुर्दशा हो रही है । बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की बात को कह कर इस प्रकार की बातें रखने जा रहे हैं। यह सरकार और सरकार में बैठे लोग जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान नहीं दे पाये तो बाबा साहब का कितना सम्मान करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इधर आर० एस० एस० के जो लोग बैठे हैं, इन्होंने हरिजनों को अपनी शाखाओं में नहीं लिया। यह लोग मंदिर-मस्जिद का नाम लेते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। परन्तु यह हरिजनों को हेय दृष्टि से देखते हैं। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। मंत्री लोग वाक्चातुर्य और पांडित्य से इधर-उधर की बातें करते हैं परन्तु जब तक हरिजनों के साथ अन्याय होता रहेगा इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं श्री वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को बल प्रदान करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

* श्री मिही लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र चरखारी की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सन् 1987-88 में आश्रम पद्धति विद्यालय का शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने कर दिया था। लेकिन अभी तक चरखारी विधान सभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं खुला है न बना है। साथ ही साथ मान्यवर, मेरी यह भी मांग है कि सारी पत्रावलियों में, जो उस समय कमियां थीं वह पूरी हो चुकी हैं, हमारे अधिकारी विराजमान हैं मैं मंत्री और अधिकारियों से मांग करता हूं कि आश्रम पद्धति विद्यालय का कार्य पूरा करने की कृपा करें। मान्यवर, आंगनबाड़ी योजना चरखारी में चल रही है उस योजना का लाभ सही नहीं मिल पा रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को लाभ पहुंचना चाहिये। जो दाना पहुंच रहा है वह सड़ा हुआ दाना मिल रहा है। महीने में एक-दो बार दाना, दलिया दिया जाता है बाकी सारा दलिया, दाना खत्म हो जाता है। किसके द्वारा वह दाना दलिया कहां जाता है इसके बारे में नहीं कह सकते हैं।

मान्यवर, हरिजन भाइयों के लिये चरखारी में दुकानें बनवाई गयी थीं सन् 1987-88 में, वह दुकानें आज भी बनी हुई तैयार खड़ी हैं। जिले के अधिकारियों के द्वारा न मालूम किस कारण वह दुकानें अभी तक हरिजनों को नहीं दी गयी हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं तत्काल इस महीने के अन्दर उनका आवंटन कर दिया जाय। साथ ही साथ मान्यवर, विकलांग और बेवायें जो हैं, पेंशन की व्यवस्था शासन के द्वारा है उनका किस तरीके से पेंशन का भुगतान हो रहा है इसमें बीच में दलाल लगे हुए हैं जो 1200 रुपये पेंशन एक वर्ष में मिलनी चाहिये वह मात्र 500-600 मिलती है बीच में दलाल खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मान्यवर, प्रमाण पत्र बनता है उसमें बहुत कठिनाई होती है। तहसील के माध्यम से और अस्पतालों के माध्यम से प्रमाण-पत्र बनते हैं, जिला स्तर पर बनते हैं जो प्रमाण-पत्र विकलांग और बेवाओं को दिये जाते हैं तो इन प्रमाण-पत्रों को देने की तहसील स्तर पर व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय हैं और कई हाईस्कूल हैं उनमें हरिजन छात्रावास नहीं हैं। माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हरिजन छात्रावास बनवाने की कृपा करें। मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

-*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी दम का भरोसा नहीं जरा ठहरो,

चिराग लेके कहां सामने हवा के चले ।

और कटौती पर बल देता हूं ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय हैं । समाज के इस वर्ग के लोगों को शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने काफी व्यवस्था की है । उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये 5 हजार रुपये की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है इससे वह विद्यार्थी जो पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर पाते थे उनको बहुत मदद मिलेगी । छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने की है यह सही मानों में समाज के इस वर्ग के लोगों की तरक्की के लिये महत्वपूर्ण कदम है । मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । आंगनबाड़ी योजना में भवनों के निर्माण के लिये व्यवस्था की गयी है इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को सुविधा मिलेगी । मान्यवर, डा० अम्बेदकर निधि के जरिये 100 हाई स्कूल (इस समय 6 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती उर्मिला राजपूत पीठासीन हुईं) तथा 100 इंटरमीडियेट छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है यह एक सराहनीय कार्य है । मैं अपने क्षेत्र के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां गोण्डा जिले में अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी कार्य तराई विकास निगम के जरिये चलाये जाते हैं । 1984 से इस निगम को कोई फण्ड नहीं मिले इसलिये निगम द्वारा कार्य नहीं कराये जा सके हैं । मैं समझता हूं कि तराई विकास निगम से यह कार्य न करा कर निदेशालय द्वारा कार्य कराया जाय और बजट की व्यवस्था की जाय ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके । दूसरी बात कह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के लिये जो धन का आवंटन किया जाता है वह अनुसूचित जन जाति के विकास के संबंध में न खर्च होकर दूसरे क्षेत्रों में खर्च हो जाता है इसकी भी जांच करायें । हमारे क्षेत्र में एक आश्रम पद्धति का विद्यालय है इसका उच्चीकरण करके हाई स्कूल तक किया जाय । हाई स्कूल की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर 2-4 बच्चे ही हाई स्कूल पास हैं । इसलिये इस विद्यालय के उच्चीकरण की व्यवस्था की जाय । इसी तरह से बालापुर में एक आश्रम पद्धति का विद्यालय है उसका भवन नहीं बन सका है । वहां पर पहले 36-37 लड़के थे परन्तु अब 72-75 लड़के हो गये हैं । अगर भवन नहीं बनवाया गया तो शिक्षा में असुविधा होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

मेरा निवेदन है कि बालापुर में जल्दी से जल्दी भवन बनाया जाय । हमारे यहां 400 आवास बनाने के लिये हरिवास निगम को पैसा मिला था लेकिन ग्रामीण विकास परिषद् को पैसा नहीं मिला । मेरा निवेदन है कि आवासों की व्यवस्था करने के लिये पैसों की व्यवस्था करायें ताकि इन वर्गों के लोगों के लिये आवासों का निर्माण हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये ।

डा० बृजभान यादव–

अधिष्ठाता महोदया, हजारों हिज्र पैदा कर चुकी हैं नस्ले आदम की लेकिन अफसोस कि इन्सान अब भी भटकता है । इस सदन में माननीय बी० आर० वर्मा के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी समाज कल्याण मंत्री जी ने ओजपूर्ण शब्दों में विस्तार से अपने विभाग की बातों को रखा है । महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जितने दिनों से बजट रखा जा रहा है, सत्तापक्ष समर्थन और विपक्ष प्रतिरोध करते चले आ रहे हैं और जितनी योजनायें सरकारों ने दीं, यदि सचमुच इस्तेमाल की गयी होतीं तो न तो हरिजन उपेक्षित होता, न किसी गरीब पर अत्याचार होता न ही हरिजन शोषित और बेघर होता । आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यह है कि जो भी योजनायें सरकार बनाती है, जो भी योजना केन्द्र या प्रदेश सरकार से जाती है हरिजनों या पिछड़े वर्ग के लिये, उनका इस्तेमाल सही नहीं होता है । मैं इस बात पर बहुत ज्यादा बल देना चाहता हूं कि जो अधिकारी ऐसी अनियमितता करते हुए पकड़ा जाय, क्योंकि हरिजन या समाज के उपेक्षित लोगों का मसला है, वहां पर जो भी अनियमितता पायी जाय, उसमें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय ।

इस संबंध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बाल विकास योजना है जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार पोषित है और इसमें यूनिसेफ द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री, दवा, अनाज, जीपों आदि और भी तमाम साधन मुहैय्या कराये जाते हैं । अफसोस है कि 1990-91 के वर्ष में 4 करोड़ रुपये की राशि इसी समाज कल्याण विभाग द्वारा समर्पित कर दी गयी । इसका साफ अर्थ यह हुआ कि वह इस्तेमाल नहीं हो पायी । यह बहुत खेदजनक बात है । मैं चाहूंगा इस सदन में कि इस बात की जांच करावें और पता करावें कि जब समाज कल्याण इतना उपेक्षित है तो अधिकारी उस राशि का उपयोग क्यों नहीं कर पाये । उसमें दो-तीन बातें और बताना चाहूंगा । हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने समाज के दलितों को उठाने के लिये शायद इसलिये रखा कि ईश्वर का नाम जुड़ने से हरिजन कुछ ऊपर उठेंगे या हरिजन शब्द जुड़ने पर उनका उद्धार हो सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका । आज इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है हरिजन कल्याण विभाग का नाम बदल कर समाज कल्याण कर दिया गया है । मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी और सत्ता के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आंख का नाम बदल कर कान कर दिया जाय तो क्या आंख सुनने का काम करने लगेगी । नाम बदल देने से हालत नहीं बदलती । हरिजन नाम बदल कर कुछ भी कर दें लेकिन उससे उनकी वास्तविक दशा नहीं बदल जायेगी । तो इससे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है । महोदया, इसलिये जरूरी है कि हरिजनों को मिलने वाली सहायता में लूट खसोट बन्द करें और हरिजनों के आरक्षण कोटे को सरकार सुनिश्चित कराये और आज अपने भाषण में माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करें । मेरा अनुमान है कि समाज कल्याण मंत्री जी उसी वर्ग से संबंध रखते हैं, इसीलिये इसी सदन में कहें । दूसरी बात यह है कि माननीय चौधरी चरण सिंह सदा कहते थे कि हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों का जो जातिगत भेदभाव है उसको खत्म करने के लिये अन्तर्जातीय विवाह पर जोर दिया जाना चाहिये । समाज कल्याण मंत्री जी इसी सदन में बतावें कि सरकारी नौकरियों में अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन के लिये क्या नियम बनाने जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ जो माननीय बी० आर० वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूं ? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी केवल औपचारिकता की बात न कहें, असलियत में हरिजनों का सुधार करना चाहते हैं तो उस ओर ध्यान भी दें ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मुझे आज के प्रस्तुत बजट से यह आशा थी कि इसमें सामाजिक परिवर्तन की झलक मिलेगी, परन्तु बजट प्रस्तुत करने के बाद मुझे घोर निराशा हुई। बजट में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। मान्यवर, जब बच्चा पैदा होता है, तो भगवान तो सबको बराबर का दर्जा देता है, परन्तु कुछ समाज के और धर्म के ठेकेदार उसे विभिन्न जातियों में बांट देते हैं और एक साथ जन्मे बच्चे एक अमीर और ऊंचे वर्ग के घर में जन्म ले लेता है और दूसरा एक गरीब और हरिजन के घर में जन्म लेता है, यह समाज में विषमता सदियों से चली आ रही है और गरीब और शोषित मेहनत करने वाले लोग हमेशा समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग रहे हैं। मान्यवर, समाज में उपेक्षित और अनुसूचित जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा जब तक समाज में नहीं मिलेगा, न तो समाज में एकरूपता आयेगी और न ही देश आगे बढ़ सकेगा।

हरिजनों और समाज के पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक और सामाजिक समानता देने का सबसे पहला कार्य आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में यह लागू किया कि जो जमीन जोतता है, उसी पर उसका स्वामित्व होगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों को काफी राहत मिली। मान्यवर, क्या समाज में उच्च वर्ग के लोग इसकी इजाजत देंगे कि जितने मंदिर और धार्मिक स्थान हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लोग बिना रोक-टोक के पूजा अर्चना कर सकें ? क्या राम लला मंदिर और काशी विश्वनाथ के मंदिर का प्रधान पुजारी एक हरिजन को बनाया जायगा ? जब तक समाज में सभी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जायगा, हमारा प्रदेश और देश कमजोर रहेगा।

समाज में बराबर का दर्जा देने के लिये चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जाति प्रथा समाप्त करने के लिये जो गजटेड पोस्ट हैं, उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए, जो अन्तर्जातीय विवाह करें। क्या चौधरी चरण सिंह के द्वारा कही गयी इन बातों को आज की सरकार लागू करेगी ? मुझे नहीं लगता कि सरकार में यह साहस है, बल्कि इसके विपरीत इस सरकार में वे लोग बैठे हैं, जो हमेशा गरीबों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के शोषक रहे हैं।

मान्यवर, इस बजट के ऊपर दृष्टिपात करें, तो पता चलेगा कि 91-92 के मुकाबिले में 5 करोड़ 8 लाख रु० का धन का आबंटन किया गया है। इसमें शिक्षा की कई बातें कही गयी हैं, परन्तु यदि आप देखें, तो जहां छात्रवृत्तियों में 91-92 में 72.81 लाख रु० खर्च का प्राविधान था, 92-93 में यह घट कर 40 लाख 10 हजार रु० रह गया। विद्यालयों के रख-रखाव का खर्च इन्हीं वर्ष में 7.90 लाख से घट कर 4 लाख कर दिया गया। छात्रावास के खर्चे में 91-92 के मुकाबिले में लगभग 2 लाख रु० कम कर दिया गया कृषि और बागवानी में 2 लाख रुपया कम कर दिया गया और कुटीर उद्योग धंधों में 28 लाख की कमी कर दी गयी। इस प्रकार से यह बजट कुल मिला कर बहुत ही निराशाजनक है।

मान्यवर, अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए और सभी कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए, जो सरकार द्वारा कोटा, परमिट और लाइसेंस आदि दिये जाते हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी जन संख्या के अनुसार आबंटन करना चाहिए।

वीरगति प्राप्त तथा विकलांग व्यक्तियों के परिवारों के लिये नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए और सीमा पर लगने वाले सैनिकों को और अधिक सुविधायें देनी चाहिए ।

महिलाओं के लिये बलात्कार की घटनाओं में जो 5 हजार रु० दिये गये हैं, इससे कोई सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा । जो भ्रष्टाचारी हों, उन्हें बिना साक्ष्य के कड़ी से कड़ी सजा देने का कानून बनाना चाहिए, जिससे कि किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य करने का साहस न हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री वर्मा जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री लाखी राम जोशी--

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बड़ा सराहनीय है । मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, आज समाज कल्याण के नाम पर मैं देख रहा हूं कि कुछ विपक्ष में लोग जिस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनकी दशा देख कर तरस आ रहा है । मान्यवर, आज आजादी के 43 वर्षों के बाद विपक्ष के लोग दलितों, शोषितों और पीड़ितों की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है ।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन अनुसूचित जाति के भाइयों की बात की जाती है, उनके बारे में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है । मैं उत्तरांचल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने परिवार कल्याण का कार्यक्रम वहां पर चलाया था, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कार्यक्रम में दलितों और शोषितों को प्रलोभन देकर उनका परिवार नियोजन कराया गया । मेरे पास ऐसे बहुत से आंकड़े हैं, जिनके माध्यम से मैं बता सकता हूं कि पिछली सरकारों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों का परिवार नियोजन का कोटा निश्चित किया था और उसके फलस्वरूप बच्चों, बूढ़ों और विधवाओं का परिवार नियोजन कराया गया । ऐसे लोगों की नसबन्दी करायी गयी जिनके बच्चे नहीं थे और आज यह अनुसूचित जाति के लोगों की दुहाई दे रहे हैं । पति-पत्नी का आपरेशन कर दिया गया और आज यह लोग उनकी बात करते हैं ।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनमें से एक जाति का व्यवसाय ढोल बजाना है, मान्यवर, उनके पास साधन न होने के कारण वह अपने इस व्यवसाय में तब्दीली नहीं ला सकते हैं और उनका यह व्यवसाय बन्द होता जा रहा है और वह भूखों मरने लगे हैं । मेरा निवेदन है कि इस जाति के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाये, जिससे उनका यह व्यवसाय चलता रहे और वह अपने इस व्यवसाय को विकसित कर सकें ।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल में एक बेडा जाति के लोग रहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय अपनी कला का प्रदर्शन करना है, लेकिन उनका भी यह व्यवसाय धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है । उनका मुख्य व्यवसाय लोक गीत और अपनी नृत्य कला है, लेकिन यह भी समाप्त हो रहा है, उनका विकास किया जाना चाहिये और उनको आर्थिक सहायता देना चाहिये, जिससे वह अपनी कला में आधुनिकता ला सकें और उनका व्यवसाय प्रगति कर सके । इससे इस जाति के लोगों का आर्थिक विकास होगा । मान्यवर, पर्वतीय अंचल में लोग हस्तकला के छोटे-छोटे कार्य करते हैं, जैसे रिंगाल से कंघी बनाना, कंडी बनाना और टोकरी बनाना आदि, इनको भी अगर आर्थिक सहायता दी जाये, तो अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं । इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । मान्यवर, टेहरी गढ़वाल में 3 हजार

-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवेदन पत्र विकलांगों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग में वर्ष 1984 से पड़े हुए हैं। इनको पेंशन की राशि भुगतान नहीं की गयी है और आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मान्यवर, नई टेहरी में कल्याण भवन और विश्राम कक्ष हेतु 39.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बड़े ईमानदार आदमी हैं और बड़े ही मधुर आदमी हैं, अच्छे हैं। महोदया, आप भी जानती हैं कि मुझे तो इनके ऊपर तरस इस बात का आ रहा है कि मुझे आज मालूम हुआ कि इतना काम इनके जिम्मे है कि अनुसूचित जाति के साथ-साथ महोदया आपके विभाग को भी देखना है, महिला कल्याण को भी देखना है बाल कल्याण को भी देखना है, बड़ा काम है।

श्रीमन्, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसमें 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं और उसमें से भी 75 प्रतिशत जो गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले लोग हैं तो उनके विकास के लिये आपने अपनी योजना में, बजट में क्या प्राविधान किया है, मैंने बड़ी पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दिया इसलिये कि 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई खेती नहीं है वे मात्र मजदूरी के अलावा कुछ नहीं करते हैं, इतने गरीब लोग हैं कि उनका भरण-पोषण के साथ-साथ समाज का विकास करना और जिस रफ्तार से समाज बढ़ रहा है विकास की तरफ उसमें अपने को सम्मिलित करना मैं समझता हूं कि बड़ा कठिन काम है। आपने छात्रवृत्ति का नाम लिया, आपने पुस्तिका छापी "प्रगति के पथ पर" इसमें मुख्य मंत्री जी का फोटो है उसमें छात्रवृत्ति पर बड़ा जोर दिया है। यह बड़ी सत्य बात है कि हम चेक सिस्टम से छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं यह तो पिछला परिपाटी है लेकिन आज भी मेरे मऊ जनपद में पोस्ट आफिस के माध्यम से ही छात्रवृत्ति आती है और उसमें घपला इस तरह से होता है कि पोस्ट आफिस वाले 3-3, 4-4 महीने तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं पहुंचा पाते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप छात्रावास बनवाते हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय है उसमें छात्रावास वर्ष 1991-92 के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुआ उसमें 5 लाख रुपये दिये गये हैं तो इस 5 लाख रुपये में कौनसा छात्रावास बनेगा, मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, निशुल्क बोरिंग में 6500 का लक्ष्य रखा गया है पूरे प्रदेश में जिसके लिये 13,000 रुपये लाभार्थी को देंगे इसमें से 5000 रुपया अनुदान के रूप में होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार होता है कैसे इसको रोका जाय इसको देखें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक मिनट में खत्म करूंगा।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 3 जगह हैं तिनहरी, चचाईपार और पहाड़ीपुर में दुकानें बनाई गयी थीं जो आज तक बेकार पड़ी हुई हैं और किसी को एलाट नहीं की गयी हैं ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मऊ जनपद में इस सरकार द्वारा 1,000 कम्बल खरीदे गये थे वह एक भी नहीं बांटे गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, अन्त में मैं आपके आदेश का पालन करूंगा । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, हमारे बांदा जिले में कोल आदिवासी बहुत हैं । जब लिटरेचर को देखा तो उसमें कोल आदिवासियों की जो सूची है वह अनुसूचित जाति के हैं मान्यवर, कोल जाति के लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं वह मध्य प्रदेश में तो आदिवासी जन जाति के हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के हैं तो उनको जन जाति होने का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

हमारे यहां तमाम जो सामंती लोग हैं उन्होंने उनके कब्जे की जमीनों को ले लिया है । मेरी मांग है कि कोल जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल किये जाने की व्यवस्था की जाय । समाज कल्याण विभाग में बड़ी विसंगतियां हैं । बांदा में विकलांग और विधवा पेंशन के प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय भेज दिये जाते हैं वहां पर दो हजार प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं । एक तो बजट की कमी है और दूसरे जो बजट आता भी है उसमें से पांच-छः सौ रुपया एडवांस ले लेते हैं तब पेंशन स्वीकार करते हैं । वितरण में भी धांधली है । यहां व्यवस्था है कि जब चाहे मनीआर्डर से लें और जब चाहे चेक से लें । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है मेरे गांव का मामला है वहां पांच-पांच, छः-छः लोगों ने अपने खाता नम्बर दे दिये लेकिन उनको फिर भी मनीआर्डर से पैसा भेजा गया । पोस्ट आफिस ने कम पैसा उनको दिया ।

पूरा पैसा लाभार्थी को प्राप्त नहीं हुआ । पोस्ट आफिस सेन्ट्रल गवर्नमेंट में आता है इसलिये जिला प्रशासन का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है । इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । जो बजट रखा गया है इतना ही कहना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह गागर में सागर है । भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें अनुसूचित जातियां, पिछड़ी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जातियां, जन जातियां, विमुक्त जातियां कोई भी जातियां रही हों पिछली सरकारों ने इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया है। पिछली सरकारों ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया और इन्हें वर्गों में विभाजित कर दिया तथा इनकी तमाम श्रेणियां बना दी हैं। आज कोई यह कहने के लिये तैयार नहीं है कि हम भारतीय हैं। इस कल्याणकारी सरकार ने सुविधाजनक और कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा है जिससे वर्गवाद समाप्त हो जाएगा और जनता का कल्याण हो जायेगा।

किसी भी वर्ग का और जाति का स्तर शिक्षा से ही मापा जा सकता है। इस बजट में व्यवस्था है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। 75 प्रतिशत धन शिक्षा के लिये रखा गया है। प्रारम्भ से ही प्राइमरी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिये इस सरकार ने पहली बार व्यवस्था की है कि प्रत्येक स्कूल से 14 बच्चे अनुसूचित जाति के लिये जायेंगे, 3 पिछड़ी जाति के लिये जायेंगे और विमुक्त जाति के लिये जायेंगे। सभी बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी। महोदया, जहां तक छात्रवृत्ति की बात है, हमारी सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रत्येक विद्यालय के अनुसूचित जाति के 21, पिछड़ी जाति के 8 छात्र-छात्राओं को, विमुक्त जाति के सभी पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है। मान्यवर, इसी तरह से कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राओं की बात है, पिछली सरकार ने 30 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति का प्राविधान रखा था, हमारी सरकार ने इसे बढ़ा कर 50 रु० प्रति माह कर दिया है। जिसमें 363 लाख रुपये का व्यय भार आयेगा तथा 6,05,000 छात्र-छात्रायें लाभान्वित हो सकेंगी। कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिये विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गयी है जिसमें कक्षा 10 की कोचिंग हेतु प्रत्येक विषय के अध्यापक को, जिसमें गणित, विज्ञान व अंग्रेजी शामिल है 200 रु० मासिक मानदेय का प्राविधान किया गया है ताकि इन कोचिंग के माध्यमों से बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी तरीके से कक्षा 12 की कोचिंग हेतु 300 रु० मासिक मानदेय का प्राविधान किया गया है। महोदया, विधवाओं से विवाह पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार ने दम्पत्ति को 11 हजार रुपये दिये जाने की बात कही है यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। महोदय, इसी तरीके से विधवाओं और सैनिक विधवाओं को 500 रु० मासिक प्रति महिला की दर से देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे सिलाई कढ़ाई आदि का कार्य कर अपना जीवन यापन कर सकें। महोदया, यह बहुत ही कल्याणकारी बजट है।

मान्यवर, पिछली सरकारों द्वारा यहां के विकलांगों के साथ, जो कि उनके लिये एक अभिशाप सा है, खिलवाड़ किया गया। यहां हमारी सरकार ने प्रदेश में आने जाने के लिये बसों में व्यवस्था उनके लिये फ्री की है, वहीं मैं कहना चाहूंगी कि उनको रेलवे में चौथाई किराया देना पड़ता है, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन का पूरा चार्ज देना पड़ जाता है मैं अनुरोध करूंगी इस रिजर्वेशन चार्ज को पूरी तरह से मुक्त कराने की कृपा करें। महोदया, आपके निर्देश को स्वीकार कर अपनी बात यहीं समाप्त करते हुये प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय बी०आर० वर्मा द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय शास्त्री जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं उन्होंने एक लच्छेदार भाषण आपके सामने बजट के रूप प्रस्तुत किया। लेकिन मान्यवर, जो 91-92 और 92-93 का बजट देखा गया तो यही लगा कि माननीय शास्त्री जी इतनी चुनौती भरी बातें जो यहां पर कह रहे हैं, जो 40 साल का कोढ़ था उसे समाप्त करने के लिए इन्होने संकल्प कर लिया लेकिन पिछले वर्ष से आप देख लें जब आप बजट ही नहीं देंगे तो फिर इस तरीके के चुनौती पूर्ण भाषण से

कोई समाधान होने वाला नहीं है । कहा गया कि अधिकारी लूटते थे, मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों में अधिकारी लूटते थे, माननीय मंत्री जी आप सर्वेक्षण करा लें और देख लें कि जिन जिलों में आपने समाज कल्याण अधिकारी भेजे उसमें कितने भ्रष्ट हैं जिनको आपने नियुक्त किया है । मान्यवर, जब तक जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर आपका अंकुश नहीं होगा आप कितना ही बजट पर पैसा खर्च करते रहें कुछ लाभ होने वाला नहीं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी वही हैं भ्रष्ट अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ।

मान्यवर, एक गोंड़ जाति है जिसे भारत सरकार में पारित अनुसूचित जाति, जन जाति अधिनियम, 1976 दिनांक 27 जुलाई, 1977 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी माना जाय । एक आदेश आया कि गौड़ जाति को भी इस जाति के अन्दर ले लें, मगर उन्हें अभी तक नहीं लिया गया है । यह बड़ा दुर्भाग्य है तो आप इसकी जांच करा लें । एक एम० एल० ए० जो गौड़ जाति का है जो निर्वाचित होकर चला आता है तो आप उस एम० एल० ए० को वहीं सुविधायें दे देते हैं लेकिन जो उसकी सम्पूर्ण जाति के लोग हैं उसको आप उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं । मान्यवर, आपने छात्रवृत्ति और आंगनबाड़ी की बात कही है । आज इन दोनों में बड़ा भ्रष्टाचार है । आंगनबाड़ी के बारे में आप समीक्षा करा लें, वहां पर बड़ा ही भ्रष्टाचार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक दो बातें और कह लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

आंगनबाड़ी में जो आप सामग्री भेजते हैं वह उनको नहीं मिल पाती है, वहां पर लूट-पाट हो जाती है तो इसकी आप जांच करवायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय बी० आर० वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बजट पेश किया और मैंने उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और मुझे ऐसा लगा कि इनके दिल में टीस है अनुसूचित जाति और जन जाति, पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रति । यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों का उत्थान हो, गरीब महिलाओं और विधवाओं का उत्थान हो । मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तो यह चाहते हैं कि इनका विकास हो लेकिन

* वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह ऐसी सरकार से जुड़े हुए हैं, ऐसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिसने हजारों हजारों साल से इस जाति को शोषण करने का काम किया है ....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बजट में बोलें ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

मान्यवर, अभी एक पुस्तिका दी गयी उसके लास्ट पेज में 1991 के कुछ आंकड़े दिये गये हैं जिसमें मद्य निषेध के बारे में, नशा विरोधी सभाओं/गोष्ठियों की संख्या, जाति एवं पंचायतों में नशा विरोधी कार्यों की संख्या एवं इसी तरह से 18 के संबंध में बातें कही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी संस्थायें चल रही हैं वह सब फर्जी चल रही हैं । मैं अपने जनपद की बात कहना चाहूंगा वहां पर इन संस्थाओं का कोई योगदान नहीं है, न तो वह गांवों में जाते हैं और न ही शहरों में जाते हैं और न ही मद्य निषेध का कोई आयोजन करते हैं जिसमें लोगों को समझायें कि नशा बुरी चीज है । इसमें फर्जी लोग कार्यरत हैं और वह तनख्वाह ले रहे हैं ...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

आप लागू तो करना चाहते हैं लेकिन जो आपके अधिकारी वहां हैं, जो कर्मचारी हैं इनकी मानसिकता बहुत खराब हो गयी है, वहां पर अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है जब तक आप इन पर रोक नहीं लगायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है । जो पैसा आप हरिजन छात्रों और विधवा महिलाओं के नाम से देते हैं वह सब यह खा जाते हैं । मैं अपने जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा वहां का जो हरिजन समाज कल्याण अधिकारी है वह बहुत भ्रष्ट है, वहां के क्लर्क बहुत भ्रष्ट हैं .....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं इलाहाबाद जनपद के प्रतापपुर क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं । मेरे क्षेत्र में एक मेलहन गांव हैं, वहां के 6 विकलांग बच्चे मुझसे मिले थे ...

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

(श्री किशोरी श्याम का नाम पुकारे जाने पर)

(दोनों ही माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

मान्यवर, आप इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर रोक लगायें, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

* श्री किशोरी श्याम–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने जो बजट रखा है, वह बहुत ही अच्छा है। मान्यवर, यह यहां की परम्परा है कि इधर के सदस्यों को इसे अच्छा और उधर के सदस्यों को बुरा कहना है। मैं आपके माध्यम से उधर बैठे सदस्यों से कहना चाहता कि अब तक जितने भी बजट रखे गये, वह खराब बजट नहीं थे, बल्कि उन बजट का पालन कराने वाले लोग थे, उन्होंने इसे चौपट किया। परन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है, पूरा पालन होगा और नियमानुकूल होगा, क्योंकि हमारे अन्दर साहस है और हमारे अन्दर नैतिकता है और तभी जो गैलरी में बैठे हुए अधिकारीगण हैं, वह भी इसका अनुसरण करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में सारी मान्यताओं का पालन होगा, समय इसमें इसलिये लग रहा है कि यह इसको फोड़ा बना कर छोड़ गये होते, तो यह जल्दी ही ठीक हो जाता, लेकिन इन्होंने इसे कोढ़ बना कर रख दिया है और जब कोढ़ हो जाता है, तो इलाज के लिये डाक्टर होने चाहिये और काफी समय चाहिये। हमारे पास अच्छे डाक्टर भी हैं ...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। केवल एक प्रार्थना करना चहता हूं। मान्यवर, जो हरिजन नाम बदला गया है और जो अब रखा गया है, मैं इन दोनों से सहमत नहीं हूं। मै एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसका नाम हरिजन या अनुसूचित जाति न रख कर अमीर-गरीब रखा जाय, क्योंकि हरिजन या अनुसूचित जाति दोनों ही नाम ऐसे हैं, जिनसे अच्छा संकेत नहीं मिलता, इसलिये गरीब-अमीर कर दिया जाय। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

महोदया, आपने मुझे बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे में ज्यादा न कह कर संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मंत्री जी ने महिला एवं बाल विकास के बारे में कहा है, उसी के संबंध में कहना चाहता हूं कि इन्होंने नारी का उत्थान, नारी का सम्मान करने की बात कही है, इन्होंने गोवध का अधिनियम भी बना दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सवर्ण लोग इन्सान को इन्सान नहीं समझते। एक जानवर जो जानवर है, उसको मां कहते हैं और अनुसूचित जाति या जन जाति की महिलाओं को मां नहीं कह सकते क्योंकि वे शूद्र वर्ण की हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, अन्यथा बजट पर ही बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

मैं वही बजट की बात कर रहा हूं कि एक मैला खाने वाली गाय को मां कह सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जाति की महिला है और दूसरी सवर्ण जाति की महिला है, तो गाय को छूकर तो ये रोटी खा लेते हैं तो उनकी जीभ में छाले नहीं पड़ते हैं, वहीं रमापति शास्त्री या निषाद जी की मां को छूकर अथवा बनाया खाना खा लेते हैं तो इनके जीभ में छाले पड़ जाते हैं । ये इन्सान को इन्सान नहीं समझते । ऐसी सरकार से हम अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के उत्थान की आशा कैसे कर सकते हैं । इन्होंने जो हिन्दू वर्ण लागू किया है, उसमें इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र-चार वर्ण रखे हैं । वर्ण के आधार पर इन्होंने जाति-प्रमाण-पत्र दिये हैं । यदि पाण्डेय जी या चतुर्वेदी जी होंगे तो उन्होंने ब्राह्मण का सर्टीफिकेट दिया जायेगा, यदि चौहान व परिहार जी होंगे तो उन्हें क्षत्रिय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, यदि कोई वैश्य होगा तो उसे वैश्य का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, परन्तु शूद्र को शूद्र का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा । एक बात मैं और कहना चाहता हूं । दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार में गोंड, माझी, मझवार जाति के लोग रहते हैं, जो मछुवा जाति की उप जातियां हैं, इन्हें इन प्रदेशों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में मल्लाह, निषाद, केवट, बिन्द, बाथम, मांझी, रैकथर, ढीमर जो मल्लाह जाति की उप जातियां हैं और इनका आपस में रोटी-बेटी का संबंध है लेकिन पिछड़ी जाति में हैं इसलिये इन जातियों को भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय । इन्ही शब्द के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में कोई नई बात नहीं कही गई है । मुरादाबाद में समाज कल्याण व बाल विकास की प्रगति की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के कल्याण हेतु 1991-92 में 23 लाख 52 हजार रुपये का परिव्यय रखा गया था, जिसके विपरीत 18.94 लाख रुपये अवमुक्त हुए और 1-4-1992 तक 11 लाख 39 हजार रुपये का व्यय हुआ । इस प्रकार कुल प्रगति 48.4 प्रतिशत रही। इस सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तथा खासतौर से मंत्री जी को शर्म आनी चाहिये कि साल के खत्म होने के बाद इन्हें 48.4 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हुआ । जिन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, कक्षा 1 से 5 तक व कक्षा 6 से 8 तक, इन बच्चों को आप छात्रवृत्ति कब तक देंगे ।

सत्तारूढ़ पक्ष के माननीय सदस्यों की संस्तुति पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं । इसकी आप जांच करवा लें । इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के लिये मुरादाबाद में 93 लाख 25 हजार रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ था और यह पूरा का पूरा पैसा अवमुक्त हो गया और इसमें से 83.23 लाख रुपये का व्यय हो गया । इस प्रकार 1-4-1992 तक 89.3 प्रतिशत की उपलब्धि रही । इसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग लोगों को अनुदान दिया जाना था, वह नहीं दिया गया । निराश्रित विधवाओं का जो चयन किया गया है, वे सब गलत किये गये हैं और उनसे रिश्वत ली गई है पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद जिले में 1991-92 में परिव्यय 29 लाख 46 हजार स्वीकृत हुआ था इसके विपरीत 1-4-92 तक कुल 6 लाख रुपया अवमुक्त हुआ । इस प्रकार उपलब्धि 20.4 प्रतिशत रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

पुष्टाहार में हमारे मंडल में आपके अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी की है आप जांच करवा लें और उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ।

श्री राम चरित्तर–

मान्यवर, हमें भी इस पर बोलना है (श्री राम चरित्तर के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

[श्री रवीन्द्र प्रताप का नाम पुकारने पर (व्यवधान) श्री राम चरित्तर जी आप जो बोलेंगे उसको नहीं लिखा जायेगा मैंने आपको अनुमति नहीं दी है मैंने माननीय मल्ल साहब को बोलने के लिये कहा है ।]

श्री रवीन्द्र प्रताप–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं । हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके अनुसार माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इससे पहले की जो सरकारें थीं और जो उसके मंत्री थे उनके कुछ चुने हुये अधिकारी थे जो अपने कल्याण में लगे हुये थे समाज के कल्याण का उनसे कोई मतलब नहीं था । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वे सभी लोग जो 44 वर्षों से उपेक्षित थे, गरीब, कमजोर, कुचले, दबे, शोषित तबके के है उनको आगे बढ़ाने के लिये कार्य किया है । बच्चे से लेकर बूढ़े तक गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग के विकास की व्यवस्था की है । पिछली बार हमने एक शिकायत की थी, समाज कल्याण विभाग देवरिया में निवर्तमान मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अधिकारी बैठाये गये थे उन्होंने दो हजार विधवाओं को जो पेंशन दी थी उसमें काफी फर्जी विधवाओं को सहायता दी गयी । इसकी शिकायत हमने की थी उसकी जांच कराई गयी तो जनपद देवरिया के देवरिया शहर में ही 11 सौ में से 6 सौ फर्जी लाभर्थी पाये गये जो इसके पात्र नहीं थे । तो शासन में मंत्री और अधिकारी इस प्रकार की बात करते थे । हमारी सरकार ने विधवा और विकलांग, गरीब, अनाथ बच्चों की सहायता तथा वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिये इस बजट में काफी काम किया है । मेरा ख्याल है कि नये सिरे से जो योजनायें चल रही हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिये और यह लाभ गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं ।

* श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे माननीय वर्मा जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। साथ ही अनुरोध करता हूं क्योंकि शायद आप इस बजट पर न बोल पायें इसलिये.....तो आपकी तरफ से, क्योंकि आपके जनपद का हूं, कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा। माननीया मंत्री जी ने और यह सरकार बड़े लम्बे-लम्बे आश्वासन देती रही है और बड़ी लम्बी-लम्बी घोषणायें करती रहती हैं। देखना यह है कि जो करती है वह पूरी होती है या नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही आश्वासन या घोषणाओं को वह पूरा कर पाती है। उसका एक उदाहरण मैं जनपद फर्रुखाबाद का देना चाहता हूं। घोषणाओं के अनुसार जो अनुदान मिलना चाहिए, वह पूरा नहीं मिलता है। फर्रुखाबाद में छात्रवृत्ति के लिये सरकार ने घोषणा की थी कि पिछली सरकार से हम ज्यादा देंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद में 90-91 में 12 लाख रुपया मिला था और 91-92 में भी 12 लाख मिला है, अर्थात् घोषणा के अनुसार कोई धनराशि नहीं बढ़ायी गयी।

एक चीज और कहना चाहूंगा कि नवीन निराश्रित जो विधवाएं हैं या विकलांग हैं उनके लिये शासन के पास कोई आधार नहीं है, जिसके द्वारा वह जिलों से जानकारी करे कि नई विधवाओं की संख्या कितनी हुई, जिनको पेंशन मिलनी चाहिये। हमारा जिला पिछड़े वर्गों का वाहुल्य क्षेत्र है और उसके बाद भी दशमोत्तर में वर्ष 90-91 में 9 लाख रुपया दिया गया था और 91-92 में उसे घटा कर 70210 कर दिया गया है। इस तरह मंत्री जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको कितना पूरा कर पायेंगे। हमें लगता है नहीं पूरा कर पायेंगे माननीया, आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि महिला कल्याण में विकास कल्याण की जो योजनाएं हैं .....व्यवधान.....नाम मात्र की भी योजनायें कहीं नहीं चलाई जा रही हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। समाज कल्याण मंत्री जी ने निर्बल और पिछड़े वर्ग के दुःख दर्द को महसूस किया और उसी के अनुरूप अपना बजट पेश किया, इसलिये मैं इस बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं। मैं दो पंचवर्षीय योजनाओं में ब्लाक प्रमुख रहा और मैंने विकास कार्यों को देखा है। जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने कार्य किये हैं, यदि उसी प्रकार से कार्य होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। उन खामियों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। निर्बल वर्ग आवास के लिए धन दे दिया जाता है लेकिन वह भवन बनते ही टूट जाते हैं। तो जो पैसा हम निर्बल आवास और इन्दिरा आवास के लिए देते हैं उनसे उनके लिए ठोस और मजबूत मकान बनने चाहिए, ताकि ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके। विकलांगों की सर्टीफिकेट देने के लिए केवल अस्पतालों में व्यवस्था है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। अतः विकलांग का प्रमाण पत्र देने के लिए ब्लाक मुख्यालय पर शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि उनको वहीं पर अपने समीप ही प्रमाण पत्र मिल सके।

अब मैं बाल विकास परियोजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो पुष्टाहार छात्रों को दिया जाता है वह अच्छा होता है इसलिये मैं चाहता हूं कि बच्चों को अच्छा पुष्टाहार दिया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(इस समय 7 बजकर 41 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री बरखू राम वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं । मान्यवर, समय कम है इसलिये दो-तीन सुझाव ही देना चाहता हूं । मान्यवर, आप जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं वह इतनी निकम्मी हो गई है कि अनुसूचित जातियों को और जनजातियों व गरीबों व महिलाओं को जो सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है । विकलांगों और विधवा पेशन का पैसा 6-6 महीने से नहीं मिला है । जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो रहा है । इसी तरह जनपद गाजीपुर के अम्बेदकर विद्यालय एवं अनुसूचित जाति के नाम से विद्यालय चलते हैं उन्हें इस वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करने की कृपा करें । इसलिये मैं चाहूंगा कि उनका अधिक से अधिक सत्यापन करा कर लोगों को आर्थिक सहायता दी जाये । आई० सी० डी० सी० जो स्कीम है उसमें गांवों का चयन करके धन दिया जा रहा है । लेकिन क्या कोई भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा कराया जा रहा है ? जो जिला स्तर पर प्रोग्राम अधिकारी है उनके माध्यम से कितना सत्यापन हो रहा है ? जो न्यूट्रीशन की योजना है उसके तहत क्या लोगों को सहायता मिल रही है और उसके सत्यापन के लिये सरकार क्या कर रही है ?

मान्यवर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 250 से 275 रु० दिया जाता है वह बहुत कम है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाये जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके तथा काम सही रूप से कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक मिनट और दे दें ।

मान्यवर, निर्बल वर्ग आवास विकास निगम के माध्यम से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं । उनकी स्थिति बहुत खराब हैं । (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का मैं विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम चरित्तर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से समस्त पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की देख-रेख में हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सराहनीय है।

मान्यवर, कांग्रेस के 41 वर्ष शासन के बाद 18 महीने जनता दल के शासन में दलित वर्ग के बंधुओं का बहुत शोषण हुआ है लेकिन वह दलितों से लाभ लेते रहे हैं किन्तु उनकी दशा को सुधारने हेतु कोई काम नहीं किया है।

अगर कुछ किया होता तो आज इतने कोटे खाली न होते। यह भरे क्यों नहीं जाते ? पहली बार 18 महीने जनता दल का शासन रहा, तब भी दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इसी तरह से अत्याचार होता रहा। दलितों के विकास का लालच दे–देकर इन लोगों ने सीट पाई है और आज क्या किया गया है, इन लोगों के लिये। कुछ नहीं किया गया है लोगों को बेवकूफ बनाकर यहां आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

* श्री जागेश्वर प्रसाद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने बोलने का अवसर दिया। पहले मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे जो समाज कल्याण के मंत्री हैं, कर्मठ और अनुभवी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरीबों के लिये ज्यादा काम करेंगे। जितना आज तक की सरकारों ने किया है, उससे कहीं अधिक करेंगे। आप जैसे आदमी को धन्यवाद और आर्शीवाद देता हूं। कार्यों के अनुसार दुनिया में जो किसी को दुःख या सुख होता है, इन्सान उसको भोगता है। भगवान राम जी ने आपको बहुत अच्छा समय दिया है। आप हुकूमत कर रहे है। आपसे निवेदन है कि गरीबों के लिये, अमीरों के लिये, सबके लिये काम करें। गरीबों के लिये ज्यादा काम करें। गरीबों का काम करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। अमीरों के पास तो पैसा है, खाते–पीते रहते हैं, उनके पास दिमाग है। गरीब असहाय है, उसका भला जरूर करें। इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र लम्हैटा जो यमुना नदी किनारे का गांव है, उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पिछली सरकार से भी निवेदन किया था। वहां पर यमुना नदी के पानी से झोपड़ियां बह जाती हैं। इसलिये आपसे निवेदन करूगा कि आप वहां के जिला अधिकारी से सर्वेक्षण करवा कर वहां पर कालोनी बनवायें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, दो मिनट का समय और दें । साठ साल के वृद्ध और वृद्धा जो भी हों, उनको पहले की हुकूमत में पेंशन दिये जाने का प्राविधान है । हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस तरह की पेंशन जो निःसहाय हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, कोई सहारा नहीं है, पेंशन जरूर देंगे । आपके पास पैसे की कमी नहीं है । आपको परमात्मा ने बहुत दिया है । परमात्मा ने सारी चीजें मुहैया कराई हैं । क्योंकि–

पूर्ण है वह पूर्ण है पूर्ण से निष्पन्दन होता पूर्ण है,

पूर्ण में से पूर्ण को यदि लें निकाल शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा ।

अतः परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है । अगर थोड़ा सा आप खर्च कर देंगे तो आपका पास कमी नहीं होगी । अच्छे काम का अच्छा फल आपको मिलेगा । इसलिये निवेदन करता हूं कि गरीबों का काम जरूर करें । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि आप गरीबों के लिए काम करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो माननीय वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । यद्धपि मैं भी मानता हूं कि किसी भी विभाग या किसी सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत करना अपने आप में औपचारिकता का निर्वहन करना लेकिन हम यह भी मानते हैं कि बजट सरकार का प्रतिबिंब होता है । जिस प्रकार से समाज कल्याण मंत्री जी जोश के साथ बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना क्रान्तिकारी होगी, लेकिन बजट का जो साहित्य है उसको देखने से निराशा ही हुई ।

मान्यवर, समाज कल्याण का बजट पिछले वर्ष में 9.995 लाख का था, इस वर्ष 9.967 लाख कर दिया गया । इसी तरह से जन जाति, विकास का बजट है यह केवल मैथमेटिकली एक्सरसाइज है फोर प्रोग्राम है सिर्फ आंकड़े है । कोई प्रभावी योंजना नहीं है । मान्यवर, पहले महिला बाल विकास की बात कही गई । आई० सी० डी० एस० के प्रोग्राम की बात कही गई यह प्रोग्राम जिस स्वरूप में है जिस शेप में है उससे करेप्शन ही बढ़ा है । मान्यवर, मेरे जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्रों सहजपुर, विकास नगर, कालसी व चकराता विकास खण्डों में आई० सी० डी० एस० के अन्तर्गत जो सामान मिलता है उनका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है । आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बुलाकर यह कहा जाता है कि इसको उठा ले जाओ चाहे बेचो, चाहे जो करो क्योंकि इन कार्यकत्रियों को पौष्टिक आहार को गांव तक पहुंचाने का किराया तक नहीं दिया जाता है । तो माननीय मंत्री जी आपका यह प्रोग्राम जो है यह इफेक्टिव नहीं है, इसमें जो लूपोल्स है, जो कमियां हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे इस दिशा में आपने कोई प्रभारी योजना नहीं बनाई ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के बारे में कहा गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में लामा पोखरी में जो बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय हैं उसकी प्रभारी प्रधानाचार्य के विरुद्ध चार- पांच वर्षों से शिकायत है परन्तु प्रधानाचार्य वहां लगभग 8 वर्षों से मुस्तकिल रूप से तैनात हैं उच्च पदस्थ लोगों की सांठ-गांठ के कारण । इसी तरह से मान्यवर, जनजाति के लोगों के छात्रावास के बारे में कहा गया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनजाति का 50 प्रतिशत लगभग जनपद देहरादून के अन्तर्गत हैं । साईना, नागथाल, लखवाड़ कोटी, चकराता, कालसी त्यूनी तथा बोक्सा जन जाति आबादी वाले विकास खण्ड सहसपुर तथा विकास नगर के क्षेत्रों में कोई भी छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो यहां छात्रावास की व्यवस्था कराई जाय । तथा बोक्सा जन जाति क्षेत्रों में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आई० टी० डी० पी० के संचालन के लिये ट्राइवल प्रोजेक्ट यथारिटी बनाई गई । यह कहा गया कि बांडेड लेबर रिहेबिलीटेशन स्कीम के कर्मचारियों को समायोजित किया जायगा, लेकिन बांडेड लेबर स्कीम को तो बन्द कर दिया गया, परन्तु जो कर्मचारी सरप्लस हो गए उनको समायोजित नहीं किया गया उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया । मेरा अनुरोध है कि बांडेड लेबर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ विभागों में समायोजित करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड विकास नगर तथा सहसपुर में बोक्सा जन जाति के लोगों की काफी आबादी है । उनके लिये 100 परसेंट सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम है । लेकिन इस सरकार ने बोक्सा जन जाति के लिये आश्रम पद्धति के विद्यालय खोलने को, हैंड पम्पों को लगाने की तथा सम्पर्क मार्गों को पक्का करने के लिये किसी भी योजना का जिक्र नहीं किया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय बरखू राम वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री राम किशन ददाजू–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय विरोध पक्ष के लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं । मेरा दावा है कि इस बार बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है । हमारे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया है । निशुल्क बोरिंग के अंतर्गत 15 हजार पम्प सेट लगाये जा रहे हैं । 54 लाख की व्यवस्था की गयी है फिर भी यह लोग रो रहे हैं । इस वर्ग के लोगों को यातायात के वाहन देने की व्यवस्था की गयी है इससे इन वर्गों के लोगों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रोजगार मिलेगा । समाज कल्याणं विभाग द्वारा अनुमोदित स्कूलों के बच्चों को 240 रुपये की जगह पर 300 रुपये देने की व्यवस्था की गयी है फिर भी विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री अवध पाल सिंह–

मान्यवर, आपका आभारी हूं जो आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कुछ नहीं किया है । यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि काश्मीर के विस्थापितों के लिये उन्होंने 13 लाख रुपये रखे हैं और प्रदेश में डाकुओं द्वारा सताये गये लोगों के लिये केवल 12 हजार रुपये बजट में रखे हैं इससे जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या है । जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, उन्होंने रोजगार समर्थन योजना चलायी है । पी० सी० डी० एफ० द्वारा संचालित महिला डेरी परियोजना के लिये 12 जिलों का चयन किया गया है लेकिन उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं लिया गया है ज्यादातर योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये चलायी गयी हैं । एटा जनपद के लिये आपने 1 प्रतिशत क्या कहूं एक प्रतिशत भी आपकी कृपा नहीं हुयी है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एटा जनपद के लिये भी अपनी कृपा दृष्टि रखें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय बी० आर० वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा––

मान्यवर, डाक्टर अम्बेदकर का जन्मशती वर्ष मनाया जा रहा है और उसमें यह समाज कल्याण विभाग का बजट पेश हुआ है, मान्यवर, डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि अगर देश की किसी समस्या की जड़ में जाओगे तो जाति का दानव रास्ता रोके नजर आयेगा । सचमुच किसी भी समस्या को ले लिया जाय, उसके जड़ में इस मुल्क की, हिन्दू धर्म की जो जाति व्यवस्था खत्म नहीं किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक कोई भी आर्थिक सुधार किया जाय, जैसा कि राणा जी ने कहा, वह बेकार जायेगा । मान्यवर, जितने भी सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष के, जो सुझाव दिये हैं, उनके भाषणों को बड़े ध्यान से सुना हूं और उसके बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और मान्यवर, इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिये किसी को खोजने की जरूरत नहीं है । डाक्टर अम्बेदकर ने इन्हेरिलेशन आफ कास्ट किताब लिखी है, उसमें व्यवस्था दी है कि कैसे जाति व्यवस्था समाप्त होगी । इतना ही करने का साहस नहीं है चूंकि रमापति शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री हैं, इनकी सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाली सरकार इन्हेरिलेशन आफ कास्ट में दिये गये सुझावों का अनुपालन कभी नहीं कर सकती । उसके लिये निर्मम होकर आपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी । कोई मानवतावादी पार्टी या सरकार ही ऐसा कर सकती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही प्रस्ताव में जोड़ दें कि जो भी अन्तर्जातीय शादियां करेंगे, ऐसे नवयुवक या नवयुवती को ही सरकारी नौकरी दी जायगी तो एक सराहनीय कदम होगा । दूसरा सुझाव यह है कि प्राइमरी स्कूलों के जो छात्र हैं, प्राइमरी कक्षा पास करते-करते अनुसूचित जाति के 62 परसेंट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं । उनके लिये सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी ? ये सब छात्र आगे पढ़ सकते तो इनमें तमाम प्रतिभाएं होती हैं जो देश को संवारने, निखारने का काम कर सकते हैं, परन्तु उनका विकास नहीं हो पाता है । इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार की बात कही, तमाम माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी, खास तौर से महिला एवं बाल विकास विभाग (आंगनबाड़ी) के तहत तमाम भ्रष्टाचार है और इसमें मैंने अपने सवाल में भी उठाया था तो एक तरफ मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें कहा था कि कोई भी पैसा 1990-91 में वापस नहीं किया गया और इसी सत्र में दूसरे दिन के उत्तर में है कि शेष पैसा वापस किया गया । इस तरह से जो अधिकारी लापरवाही बरत करके दो तरह का उत्तर दिये हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करा कर,जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो लाखों करोड़ों रुपया गरीबों और महिलाओं तक पहुंचना चाहिये, उन्हें नहीं पहुचा और अधिकारी खा रहे हैं, उनको दण्डित करने की कृपा करें ।

मान्यवर, हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में हजारों विद्यालय, अनुसूचित जाति के विद्यालय जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, वे तमाम अनुदान हड़पने का काम करते हैं अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है जांच के बाद, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसी जो जांच रिपोर्ट हैं उनको देख कर अधिकारियों को दण्डित करने का काम करें । विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या छात्रवृत्ति शिविर लगा कर दी जाती है उस प्रथा को तोड़ दिया गया । इसको उन्हीं लोगों के हाथों में दे दिया गया जो विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं । वे शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं बांटेंगे यह तो वही हुआ "चमड़े का बेड़ा कूकुर रखवार" ।

यह ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया है, तो वे लोग कहां से भला करेंगे, जो इनका अच्छा नाम, बरदास्त नहीं करते, इनका अच्छा खाना कपड़ा और अच्छा मकान देख कर जलते हैं, तो वे लोग क्या इनको छात्रवृत्ति देंगे ? जैसा कि माननीय राम ललित चौधरी ने सुझाव दिया है कि छात्रवृत्तियां को ब्लाक स्तर पर सिविर लगा कर बांटी जायं, तो इन तक पहुंच जातीं । मान्यवर, आरक्षण आज की ज्वलंत समस्या है । आमदनी के तीन जरिये हैं, खेती-बिजनेस, मिल फैक्ट्री और नौकरी । नौकरी में साढ़े 22 प्रतिशत इनका आरक्षण है, उनमें से कितना आरक्षण कोटा इनका पूरा हुआ है, यह सभी को मालूम है । पहले नाट अवेलेबुल कह कर, फिर नाट सुटेबुल कह कर इनके आरक्षण कोटा को नहीं पूरा किया गया । माननीय मंत्री जी ने 31 मार्च तक पूरी करने के लिए कहा था । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जो 44 सालों से नहीं हुआ, वह 2 महीनों में कैसे होगा ? परन्तु 31 मार्च बीतने के बाद आज एक भी जगहों पर शैड्यूल कास्ट की भर्ती नहीं हुई है ?

डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी में देख लीजिए तो एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों की भर्ती नहीं हुई है । इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है । मान्यवर, जब ये आश्रम पद्धति विद्यालय की बात करते हैं, तो मुझे एकलव्य का अंगूठा याद आता है । क्या इस आधुनिक आश्रम पद्धति विद्यालयों में आधुनिक द्रोणाचार्यों द्वारा एकलव्यों का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया जाता रहेगा ? मान्यवर, अनुसूचित जाति की महिला के साथ [x x x] होने पर सरकार 5 हजार रु० देगी । मान्यवर, एक युवती की लाज लुट जाय, तो उसे 5 हजार रु० दिया जाय । अगर ऐसे लोग इन गरीब महिलाओं की लाज के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी मानसिकता का परिचायक है, तो मैं इस सदन से

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कहना चाहता हूं कि सवर्ण जाति की महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा [x x x] करवायें, तो मैं 10 हजार रु० देने के लिये तैयार हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। माननीय वर्मा जी, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं निकालेंगे। अगर कोई आपत्तिजनक शब्द आयेगा, तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। अब आप समाप्त करें।

(घोर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, गरीबों की औरतों की इज्जत, उनकी निगाहों में इज्जत नहीं हुआ करती है और सवर्ण की औरत की इज्जत, इज्जत है। 5 हजार रु० ही अनुसूचित जाति की महिला की इज्जत इनकी निगाहों में है और उनकी महिलाओं की इज्जत करोड़ों और अरबों में नहीं आंकी जाती है। यह मनुस्मृति में जो व्यवस्था है, उसी के तहत इन्होंने कहा है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति सवर्ण जाति की महिलाओं की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। यदि आंख उठावे, तो उसकी आंख फोड़ दी जाय और हाथ उठावे तो हाथ काट दिये जायं, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र तीनों जाति की महिलाओं के साथ खुले आम सम्भोग कर सकता है। यदि सूद्र के पास कोई खूबसूरत कन्या पैदा हो जाय, तो वह पाल-पोष कर सवर्णों की हवस मिटाने के लिए दे दे।

डा० अम्बेदकर जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंन्ट डा० अम्बेदकर की साहित्यों को अंग्रेजी में छपवा रही है। खुशी होती है यदि यह सरकार उन समस्त अम्बेदकर साहित्यों को हिन्दी में छपवाती तो जन साधारण डा० अम्बेदकर के विचारों से लाभान्वित होता और डा० अम्बेदकर के विचारों को जान सकता। इन कारणों से ऐसे दूषित ब्राह्मणवादी मानसिकता के मंत्री के हाथ में धन देना बन्दर को छुरा देना है। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने-अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उन सुझावों को शिकायत के रूप में नहीं ले रहा हूं, बल्कि शिक्षा के रूप में स्वागत करता हूं। मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बजट में कटौती कर दी गयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के बजट में वर्ष 1991-92 की तुलना में कमी नहीं है, क्योंकि आयोजनागत और आयोजनेतर पक्ष के प्राविधान को मिलाते हैं तो शुद्ध 145.83 लाख रुपये की कमी परिलक्षित है, परन्तु अनुसूचित जाति की कक्षा 1 से 5 के लिये योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति नहीं है, जिसमें 91-92 में 194 लाख रुपये का प्राविधान त्रुटि से हो गया था जिसे 92-93 में नहीं रखा गया। अतः इस 194 लाख रुपये को छोड़ते हुये यदि देखा जाये तो 92-93 के बज में 50.17 लाख रु० का अधिक प्राविधान है।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने छात्र वृत्ति की बात की है। उत्तर प्रदेश के कल्याण मुख्य मंत्री जी ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी जाये, इस आशय का पत्र भारत सरकार को लिखा है और मान्यवर, 11 तारीख को होने वाले अम्बेदकर जन्म शताब्दी समारोह में मैंने भी कहा था कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर बढ़ाना है और अच्छी जिन्दगी जिलाना है, तो हायर एजूकेशन

की तरह से छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिये । मान्यवर, प्राइमरी कक्षाओं में छात्रवृत्ति की दर 12 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये, जूनियर हाई स्कूल में 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हाई स्कूल में 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये प्रस्तावित है । इसके लिये केन्द्र सरकार को लिखा जा रहा है कि वह हमारी मदद करें ।

मान्यवर, वर्ष 1991-92 में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 28 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निदेशालय स्तर पर और शासन स्तर पर 3 जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निलम्बित किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि छोटे बच्चों के हक जो मारेगा, उसको यह सरकार बक्शेगी नहीं और जो लोग उनके हितो का ध्यान रखेंगे और उनके विकास में सहायता करेंगे उनको सम्मान दिया जायेगा ।

मान्यवर, अभी कुछ हमारे मित्रों ने अम्बेदकर प्रतिमाओं को तोड़े जाने की सूचना दी है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि वह जितनी भी प्रतिमाएं कहीं भी टूट रही हैं जो वास्तव में नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या व्यवस्थित ढंग से, प्रमाणित ढंग से लगाई गयी हैं उन प्रतिमाओं को उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर बनवाने की व्यवस्था करेगी ।

मान्यवर, गोड़ जाति के लिये बात आई । गोड़ जाति के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्र की सरकार की तरह से मान्यता प्रदान कर दी है और हमने भारत सरकार को उसकी मान्यता दिये जाने के लिए लिखा है वह जैसे ही आ जायेगा उनको पूरी सुविधा दी जायेगी उसमें कटौती करने की कोई नीयत नहीं है । मान्यवर, मैं पूरा-पूरा जवाब दूं इसके लिए मुझे दो घंटे का समय चाहिये । एक बात मुझे याद आती है अभी मैं पूछ रहा था अपने सहयोगी राज्य मंत्री जी से, एक शैर पूछ रहा था–

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती

मान्यवर, 45 साल की इस व्यवस्था को हमारी 9 महीने की व्यवस्था से मिलाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा तो उसकी होती है जो सत्ता में होता है और जो सत्ता में है, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं सारी व्यवस्था को सुचारु रूप से ठीक करना चाहता हूं मैं तो उस व्यवस्था को भी ठीक करना चाहता हूं एक श्लोक के माध्यम से राणा जी ने हमको कहा था–

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भागभवेत् ।।

ऐसी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं और इस व्यवस्था को सुचारु रूप से ठीक करना चाहते हैं । मान्यवर, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं पहली बार मंत्री हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

और अंतिम बार भी हैं ।

श्री रमापति शास्त्री–

अंतिम बार नहीं, अगली बार भी आने वाले हैं । हमें विरासत में खंडहर मिले और खंडहर को महल बनाने के लिये हमें उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी । मान्यवर, साधन सीमित हैं और रास्ता लंबा है, इच्छा काम करने की है इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं मुझे याद आता है महात्मा गांधी का चित्र सामने देखकर कि महात्मा गांधी ने राम राज के स्वप्न की परिकल्पना की थी । हमारे 40 साल तक राज्य करने वाले मित्रों ने भी राम राज की परिकल्पना की थी, मैं परिकल्पना नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में रामराज की परिकल्पना को पूरा करना चाहती है । ऐसे भगवान राम जो राजा दशरथ के राजमहल को छोड़कर, राज्याभिषेक को छोड़कर जंगल में आदिवासी, गिरिवासी, जंगलवासी, जन जातियों के कल्याण के लिये गये थे इतना ही नहीं किया शबरी के झूठे बेर खाकर और दलितों को गले से लगाया था, निषादराज के आतिथ्य को स्वीकार किया था और इतना ही नहीं धोबी की पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था ऐसे समाजवादी रामराज की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपने ऐसी बात कह दी है जिसमें सारा उत्तर समाहित है अब आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध कर लें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, भाजपा सरकार को चिन्ता है, इनका स्तर ऊंचा हो, उनका उत्थान हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इस व्यवस्था को हम सुचारु रूप से चलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को समय-समय पर राजनैतिक सहायता उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता दिलाना चाहते हैं । मान्यवर, ऐसी सहायता को दिलाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुचारु रूप से ठीक करने के लिए आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का आह्वान करते हैं और सबसे सहयोग की अपेक्षा करते है । इसके साथ ही मैं सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं । इस माननीय सदन का सहयोग मिलेगा । केवल विरोध के लिए नहीं बल्कि काम को पूरा करने के लिए सहयोग मिलेगा । इस माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जन जाति कल्याण का कुछ कार्य आपको देखने को मिलेगा ।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, निषादराज की चर्चा इन्होंने की है । सम्बूक की चर्चा भी कर देते तो अच्छा होता ।

श्री रमापति शास्त्री–

मैंने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को भयमुक्त समाज और दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है । इसमें जो भी अड़चन डालेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उससे शक्ति से निपटेगी । राम के राज्य में परिकल्पना की गयी थी कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा । इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को ज्ञान होना चाहिये । राम ने तय किया था कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा । शम्बूक एक ऋषि था जो ऋषि होता है वह न ब्राह्मण होता है न क्षत्रिय होता है न वैश्य होता है और न शुद्र होता है । शम्बूक ने तपस्या करना शुरू किया था । उसके पिता ने जाकर राम से कहा था कि आपने तो कहा था कि पिता

के समाने पुत्र नहीं मरेगा राम ने उत्तर दिया कि मेरे राज्य का जो विरोध करेगा उसे कभी नहीं छोड़ेंगे उसका वध करूंगा । इसलिये राज्य सत्ता का जो विरोध करेगा उसे नहीं छोड़ेगे । जहां भगवान राम ने दलितों को गले से लगाया और बाल्मीकी आश्रम में जाकर स्वयं शिक्षा प्राप्त की और अपनी पत्नी और बच्चों को शिक्षा दिलवायी वहीं ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण का भी विनाश किया । जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मैं अपनी ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, राज्य मंत्री ने जो सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद देता हूं, विपक्ष के सदस्यगण, जिन्होने मेरा ज्ञानवर्धन किया है उनको धन्यवाद देता हूं, अधिकारियों ने बजट में जो सहयोग किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातों को धैयपूर्वक सुना । आपके माध्यम से माननीय बी० आर० वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार दलितों के उद्धार के लिये काम करना चाहती है इसमें हमारा सहयोग कीजिये और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय, बी० आर० वर्मा क्या कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,38,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत के अतिरिक्त 40,67,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1.27.20.83.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3.25.91.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 27 अप्रैल, 92 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री लालजी वर्मा की प्रदेश में अल्प संख्यकों के मदरसों की सहायता राशि बन्द किये जाने तथा कब्रिस्तान आदि की भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जेदारी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में प्रस्तावित 30 शैय्या अस्पताल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में अर्धनिर्मित दुगड्डा चौकी पिपलीघार डागर मोटर मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है । चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री भोला शंकर मौर्य की जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् अध्यक्ष, श्री गुलाब सिंह के ऊपर कातिलाना हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में कथित रूप से पुलिस संरक्षण में बढ़ते माफिया प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी

शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री लाखी राम जोशी की जनपद टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी के विरुद्ध कथित रूप से भ्रष्टाचार के पुष्ट प्रमाण होने के बावजूद कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की जनपद देवरिया में विभिन्न स्थानों पर अग्नि काण्डों में हुई धन जन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री कुंवर अखिलेश सिंह की जनपद महराजगंज की नौतनवां तहसील के कतिपय ग्रामों में हुई आगजनी की घटनाओं के पीड़ितों को राहत न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है अन्य सूचनाएं जो कि श्री पवन कुमार पाण्डेय की श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री गामाराम शास्त्री व श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की है वह अस्वीकार की जाती हैं ।

प्रदेश में नील गायों (वन रोजों) की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों की तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह राज्य मंत्री द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, नील गाय प्रदेश के समस्त मैदानी क्षेत्र में पायी जाती हैं...

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[और अधिकतर कृषि क्षेत्रों में रहती है तथा नील गाय कृषि फसलों को भी नष्ट करती है । नील गाय के नाम के साथ "गाय" शब्द जुड़ा होने के कारण त्रुटिपूर्ण धार्मिक भावना के कारण लोग इसे मारते भी कम है । वन्य जीव को संरक्षण देने के उद्देश्य से "वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972" को वर्ष 1973 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत वन्य पशुओं के शिकार पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया । वर्ष 1983 से शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दियां गया । जिसके फलस्वरूप अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ नील गायों (वन रोजों) की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई जिससे कृषि फसलों को वन रोजों द्वारा क्षति पहुंचाने की शिकायते प्राप्त होने लगी । इस पर वर्ष 1983 में कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाली वन रोजों को वन क्षेत्रों के बाहर मारने के लिये सूटिंग परमिट जारी करने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन शासन द्वारा अधिकृत किया गया था ।

2–इस बीच भारत सरकार द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिनांक 2-10-1994 से संशोधन कर दिया गया है । संशोधित अधिनियम की धारा-9 के अनुसार अब आखेट (मारना, पकड़ना आदि) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । जिसके परिणाम स्वरूप उक्त धारा के अन्तर्गत

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिलाधिकारियों को प्रदत्त वन रोजों को मारने के लिये परिमिट जारी करने विषयक अधिकार स्वतः समाप्त हो गये हैं । अब केवल अधिनियम की धारा 11 (1) (बी) जिसमें खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य पशुओं को नष्ट किये जाने का प्राविधान है, के अन्तर्गत मुख्य वन्य जन्तु पशु पालक की अनुमति प्राप्त करके उत्पाती वन रोजों को नष्ट किया जा सकता है ।

3–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अक्टूबर, 1991 में संशोधन से पूर्व वन रोजों को अधिनियम की धारा–62 के अन्तर्गत आवंछित (वर्मिन) पशु घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को था परन्तु संशोधित अधिनियम में धारा -62 में किसी वन्य पशु को वर्मिन घोषित करने का प्रदेश सरकार का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और यह अधिकार अब केवल केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है । उल्लेखनीय है कि नील गायों के उत्पातों को नियंत्रित करने के लिये राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद् की चौथी बैठक जो दिनांक 30-7-1989 को हुई थी, उसमें विचारोपरान्त निर्णय लिया गया था कि नील गाय को सामान्य रूप से ''वर्मिन'' घोषित न किया जाय बल्कि उन क्षेत्रों में जहां यह फसल को क्षति पहुंचा रही है वहां संबंधित जिलाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर वन क्षेत्रों के बाहर उन्हें नष्ट करवाने के आदेश दे सकते हैं ।

4–उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ''नील गाय'' जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से ''गाय'' वंश का पशु नहीं है, बल्कि ''एन्टीलोप'' वंश का पशु है, को नष्ट किये जाने की समुचित व्यवस्था थी परन्तु वन्य जीव ''संरक्षण'' अधिनियम, 1972 में दिनांक 2-10-91 से संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप अब शूटिंग परमिट जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारों के अधिकार समाप्त हो गये हैं और अब मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक के पास ही समस्त अधिकार है । कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि वन रोजों को पकड़वा कर अन्यत्र जंगलों में या अन्य स्थानों में भिजवाया जाये । उल्लेखनीय है कि वन रोजों को पकड़ना न केवल कठिन व खर्चीला है बल्कि अव्यवहारिक भी है और यदि कुछ वन रोजों को किसी प्रकार पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छुड़वाया जाये तो यह कार्यवाही समस्या का समाधान न होकर मात्र एक क्षेत्र की समस्या को दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा । यह भी उल्लेखनीय है कि पकड़ने तथा ट्रांसपोर्ट करने में वन रोज पिंजड़े में अपने को बुरी तरह घायल कर लेता है, जिसे छोड़ने के बाद उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है । अतः यह विकल्प समस्या का समाधान नहीं है ।

5–नीलगायों (वन रोजों) द्वारा किसानों की कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की समस्या के प्रति शासन पूर्णतः सजग है । और इसके निराकरण के लिये गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारियों को शूटिंग परमिट जारी करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का विषय विचाराधीन है जिससे इस समस्या का प्रभावी निराकरण किया जा सके ।]

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय श्री सूर्यप्रताप शाही जी ने दिया है इसमें उन्होने स्वीकार किया है कि नील गाय आज खेतों को नष्ट कर रही है । इसमें इन्होंने लास्ट में यह कहा है कि नील गायों द्वारा किसानों की कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की समस्या के प्रति शासन पूर्णतः सजग हैं । और इसके निराकरण के लिये गंभीरता से विचार किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे आप प्रश्न के रूप में रखें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि विचार किया जा रहा है तो क्या निर्णय यह ले रहे हैं जबकि पूरे प्रदेश में नीलगायों ने बहुत अधिक क्षति कर रखी है । 10-12 एकड़ फसल यह एक-एक दिन में क्षतिग्रस्त कर देती है, तो यह एक अहम सवाल है, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में क्या नीति बना रखी है इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वक्तव्य में स्थिति बहुत स्पष्ट है । वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–9 के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को शासन द्वारा अधिकृत किया गया था कि वह नील गायों को मारने के लिये परमिट जारी करें । लेकिन इस बीच में केन्द्र द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, जिसमें इसको मारने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, उसमे कहा गया कि वन्य जीवों का होना पर्यावरण की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जिस प्रकार फसलों की क्षति हो रही है, इसीलिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेटों को लाइसेन्स का अधिकार दिया जाय, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर के ग्राम डिंगुरपुर मजरे रतापुर में कथित रूप से किए गए अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री(श्री सूर्य प्रताप शाही)–

श्री बाबू लाल यादव पुत्र श्री झूरी यादव, निवासी ग्राम डिंगुरपुर, मजरे रतापुर, थाना पीपरपुर, जनपद सुल्तानपुर ने थाना

(पढ़ा हुआ माना जाये की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वसम्मति से पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[पीपरपुर में दिनांक 18-03-92 को इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 17/18-03-92 की रात्रि 11.30 बजे के लगभग जब वह गांव के ही राम पदारथ यादव व महराजदीन यादव के साथ पहरा दे रहे थे तो विपक्षी राम बहादुर सिंह, राम दहन सिंह, हरिहर सिंह, शंकर सिंह, बल्लू सिंह, शिव प्रसाद निवासीगण ग्राम भादर, थाना पीपरपुर, जनपद सुल्तानपुर अपने अन्य 20-25 साथियों सहित लाठी डन्डे से लैस होकर आये और हमारे घरों में आग लगा दी तथा उनके ससुर को जान से मार डाला, जिसकी लाश मौके पर पड़ी है । इसके अलावा एक बछड़ा व एक पड़िया आग लगने से जल कर मर गई । विपक्षियों ने रामचन्द्र तथा उसकी मां को भी मारा पीटा । इस सूचना के आधार पर मु० अप०

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सं० 93/92 धारा 147/148/149/429/323/436/302/427/504/506 व 153 ए भा० दं० वि० बनाम राम बहादुर सिंह आदि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष, संग्रामपुर द्वारा की जा रही है। इस घटना में चार व्यक्तियों को चोटें आयी हैं तथा रामदास यादव सा० डिंगुरपुर की मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अज्ञात है। इस घटना में 7 व्यक्तियों के जानवरों के बांधने के घरों के छप्परों का जलना पाया गया है परन्तु कोई रिहायशी मकान नहीं जला है। एक बैल (बछड़ा) तथा एक पड़िया आग लगने से जल कर मरी है।

2–विवेचना के दौरान 24 घण्टे के अन्दर दो अभियुक्त 1-हरिहर सिंह, 2-शिव प्रताप सिंह तथा तीन अभियुक्त 3-राम बहादुर सिंह 4-राम बदन सिंह 5- बल्लू सिंह को एक सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा एक मुल्जिम शंकर सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–ए–29\दिनांक 29-03-92\के अन्तर्गत धारा 147/148/436/429/427/323/504/506/153 ए भा० दं० वि० न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है स्थानीय पुलिस द्वारा उभय पक्षों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 107/116 द० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है।

3–इस घटना की पृष्ठभूमि में राम नायक सिंह एवं राकेश सिंह निवासी ग्राम भादर, थाना पीपरपुर, जनपद सुल्तानपुर की हत्या यादव गुट के लोगों द्वारा 17/07/91 को किया जाना है.। इस घटना में मुकदमा अपराध संख्या–251/91 धारा 304 भा० दं० वि० बनाम 30-40 नफर अभियुक्त ग्राम रतापुर पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना के अपराध अन्तर्गत धारा 147/302 भा० दं० वि० का होना भी पाया गया है। यह मुकदमा अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

4–वर्तमान प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए ग्राम रतापुर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ढेड़ सेक्शन पी० ए० सी०, एक ए० पी० गार्द तथा एक उ० नि० एवं दो सशस्त्र आरक्षी को मौके पर कैम्प किये जाने एवं सतत सतर्कता बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है तथा ग्रामवासियों के साथ वार्ता एवं शान्ति समितियों की बैठकें भी की जा चुकी हैं। अब स्थिति सामान्य है तथा उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

5–यह कहना असत्य है कि इस घटना में थानाध्यक्ष उप निरीक्षक श्री के० एन० सिंह एवं क्षेत्राधिकारी श्री यशवन्त सिंह का कोई सहयोग है बल्कि पुलिस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी ने तत्परता व प्रभावी रूप से कार्य किया है, क्योंकि अभियुक्तों को बन्दी बनाने, कुर्की आदि की कार्यवाही इन्हीं अधिकारियों द्वारा सम्पन्न की गयी है। फिर भी थानाध्यक्ष पीपरपुर श्री के० एन० सिंह को हटा दिया गया है वर्तमान में सम्प्रति ग्राम तथा क्षेत्र में साम्प्रदायिक एवं जातीय आधार पर कोई तनाव परिलक्षित नहीं है।]

जनपद गाजीपुर के थाना बड़ेसर के अन्तर्गत हत्या एवं डकैती विषयक नियम-51 की सूचना पर गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (सूर्य प्रताप शाही)–

माननीय सदस्य ने जनपद गाजीपुर से संबंधित चार सूचनायें दी हैं। पहली दिनांक 21-3-92 को श्री चन्द्र बहादुर गुप्त की .

(पढ़ा हुआ माना जाय की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वसम्मति से पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[माननीय सदस्य ने जनपद गाजीपुर से संबंधित चार सूचनायें दी हैं–(1) दिनांक 21-3-92 को श्री चन्द्र बहादुर गुप्त की हत्या, (2) दिसम्बर, 1991 में श्री सोमारू विन्द के घर पड़ी डकैती, (3) वर्ष 1991 में श्री श्रीनाथ सिंह की हत्या, और (4) एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की हत्या ।

उपर्युक्त चारों बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 21-3-92 को अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दुकान से घर आते हुए श्री चन्द्र बहादुर गुप्त की हत्या की गयी । मु० अ० सं० 31/92 धारा 302 भा० द० वि० थाना बड़ेसर पर पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी । पूछताछ से अभियोग का रहस्योद्घाटन नहीं हो पाया । विवेचना प्रचलित है ।

श्री सोमारू विन्द के घर दिनांक 8/9 दिसम्बर, 1991 की रात्रि में डकैती पड़ी थी । मामले में मु० अ० सं० 130/91 पंजीकृत हुआ । विवेचना के मध्य चार डकैत प्रकाश में आये जिनमें से 2 को पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया, एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा चौथे के विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही की गयी जिस पर उसने भी न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया । इनमें से एक डकैत के पास से डकैती का माल भी बरामद हुआ है । आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

दिनांक 5/6 अक्टूबर, 1991 की रात्रि अपने पंपिंग सेट पर सोये श्री श्रीनाथ सिंह की हत्या हो गयी । मामाले में मु० अ० सं० 221/91 धारा 302 भा० दं० वि० थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत होकर संबंधित थाना बड़ेसर को स्थानान्तरित होकर मु० अ० सं० 110/91 पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र मुसहर का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त के फरार होने पर 82/83 द० प्र० सं० को कार्यवाही की गयी और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

दिनांक 14-10-91 को जमीन के विवाद में, पंपिंग सेट पर जाते हुए श्री नाजिम हुसैन पर काशी; लालू एवं शिव धारी द्वारा लाठी-गड़ासे से आक्रमण किया गया । अभियुक्त भाग गये और चोटों के कारण हुसैन की मृत्यु हो गयी । मामले में मु० अ० सं० 112/91 धारा 302 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान 2 अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया और तीसरे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

इस प्रकार उपर्युक्त चारों अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही की गयी है और कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है ।]

जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद की चौकी शहनिन्दा के अन्तर्गत पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने विषयक नियम 51 की सूचना पर गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि जनपद गाजीपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा श्री मनोज कुमार, श्री बब्बन प्रसाद, श्री अनिल कुमार एवं श्री महेश प्रसाद नामक निर्दोष एवं सम्मानित व्यक्तियों को फर्जी....

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(पढ़ा हुआ माना जाय की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वसम्मति से पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिये दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से कराई जाय ।

प्रकरण की जांच में सामने आये तथ्य इस प्रकार हैं कि उपर्युक्त चारों व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हैं एवं मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में लगे रहे हैं । इन चारों का आपराधिक इतिहास है । मनोज चौधरी के विरुद्ध वर्ष 1990 से 92 तक 5, बब्बन चौधरी के विरुद्ध वर्ष 1990 से 92 तक 3 अनिल चौधरी के विरुद्ध वर्ष 1991 से 92 तक 2 एवं महेश चौधरी के विरुद्ध वर्ष 1978 से 92 तक 11 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं ।

मनोज चौधरी को 200 ग्राम हेरोइन के साथ 14-3-92 को बन्दी बनाया गया और मु० अ० सं० 52/92 धारा 8/18/21 एन० डी० पी० एस० ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा गया । बब्बन चौधरी को 200 ग्राम हेरोइन के साथ 15-3-92 को बन्दी बनाया गया और मु० अ० सं० 55/92 धारा 8/18/21 एन० डी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा गया । अनिल चौधरी हेरोइन के अवैध व्यापार में लगे अमीनुल्ला गिरोह का सदस्य है और उसे मु० अ० सं० 56/92 धारा 3(11) उ० प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 24-3-92 को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया है । महेश चौधरी स्वयं हेरोइन के अवैध व्यापार में लगे एक गिरोह का सरगना है जिसके विरुद्ध मु० अ० सं० 57/92 धारा 3(11) उ० प्र० गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत करके 24-3-92 को बन्दी बनाया गया । ये सब मुकदमें विवेचनाधीन हैं ।

इस प्रकार पुलिस द्वारा चारों व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही नियमानुसार है, अतः किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । साथ ही, विवेचना प्रचलित होने से सी० आई० डी० जांच की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।]

दिनांक 11 मार्च 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं वास्तव में माननीय सिंचाई मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने एक शासन में रहने वाले मंत्री के रूप में वास्तव में हमारी समस्या पर सदभावना व्यक्त की और वास्तव में हमारी पीड़ा को मन से समझने और सुलझाने का प्रयास किया है, मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । मान्यवर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद ऐसे जिले हैं, जहां न तो किसानों की फसलों के लिये एक बूंद पानी है और न जनता के रुंधे हुए गले को गीला करने की कोई व्यवस्था है । मान्यवर, इस पीड़ा को मैंने इस आदरणीय सदन में, कोई नियम ऐसा नहीं है, जिसमें व्यक्त न किया हो । इसी पीड़ा को आज जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में इस तरह कहना चाहता हूं ।

"जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई,
दुर्दिन में आंसू बनकर, वह आज बरसने आई ।"

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस प्रकार हमारे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ ऐसे जिले हैं, जो एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। यहां का मनुष्य पानी के लिये तरस रहा है। मान्यवर, हमें दुख न होता, यदि यहां पानी के स्रोत न होते। मान्यवर, हमें तब भी दुख न होता यदि यहां पानी की व्यवस्था करना संभव न होता। यदि ऐसा होता तो हमारा काश्तकार चुपचाप बैठ जाता। लेकिन विडम्बना यह है कि हमारे पड़ोस में हमारे ही पानी से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान धान की खेती कर रहे हैं और दिन रात हमारे पानी का शोषण कर रहे हैं और हम हैं कि इतने वर्षों से एक-एक बूंद पानी के लिये तरसते रहे हैं और मरते रहे हैं। मान्यवर, यही हमारी पीड़ा है। मान्यवर, मैं आगरा, मथुरा की प्यासी जनता के जीवन की आप से भीख मांगता हूं। मान्यवर, जीवन द्विअर्थक शब्द है और जीवन का अर्थ है पानी, और जीवन का अर्थ है प्राण। आप दोनों में से एक भी चीज दे दें, चाहे प्राण दे दें, चाहे पानी दे दें, हमें दोनों की प्राप्ति हो जायेगी। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस हमदर्दी के साथ आपने हमारी पीड़ा को सुना है, जितना हमको अवसर दिया है, उसी भावना से आप इस समस्या को निपटाने का प्रयास करें। मान्यवर, आगरा जिले को पानी दो स्रोतों से मिलता है। एक तो अपर गंगा कैनाल और दूसरे जमुना के माध्यम से। हमारी पीड़ा यह है कि जमुना के अन्दर जितना पानी है, उसका दोहन और शोषण दिल्ली, हरियाणा राजस्थान तीनों मिल कर कर रहे हैं दुर्भाग्य की बात यह है कि जमुना के पानी में तो उसका शेयर बनता भी है परन्तु अपर गंगा कैनाल में उसका एक बूंद का भी शेयर नहीं बनता है। इसके बावजूद भी वह अपर गंगा कैनाल का 65 परसेंट पानी का उपयोग कर रहा है। कैसी बिडम्बना है। हरियाणा जिस पानी के शेयर की बात करता है और उस पानी के शेयर को वह वचन-बद्ध मान कर अपने हिस्से में ले जाता है। 1981 में हरियाणा 4.25 मिलियन एकड़ फिट पानी का उपयोग करता था, 1982-83 में 5.095 एकड़ फुट का उसने उपयोग किया और 1991-92 में उसने 5.186 मिलियन एकड़ फुट पानी का उपयोग किया। केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस बात को माना है कि 1991 में 5.186 मिलियन एकड़ फुट पानी न होकर अपितु वचन-बद्ध पानी 3.075 मिलियन एकड़ था। हमारे हिसाब से तो वह भी 2.498 मिलियन एकड़ फुट है। विडम्बना यह है कि हमारा हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ प्रारम्भ में, जब पं० गोविन्द बल्लभ पंत जी मुख्य मंत्री थे, तो उस समय एक समझौता हुआ था और उस समय हमने 80 क्यूसेक्स पानी देना स्वीकार किया था वह भी याचना के रूप में मानवीय दृष्टि के साथ। उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ। 1954 में जाकर फिर एक समझौता हुआ कार्यकारी अनुबन्ध के रूप में। दिल्ली, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन चारों को ताजिया वाला हैड वर्क से अलग-अलग पानी का बंटवारा होगा। अब यहां से पानी बहता है और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है।

ताजियावाला हैड वर्क की स्थिति यह है कि जमुना का बहाव हरियाणा की साइड की ओर है। हरियाणा मिट्टी का बांध बना कर उस पानी को बैराज के ऊपर से ले जाता है और मिट्टी के बांध को बनाने में देर लगाता है और वर्ष भर पानी का उपयोग करता है। दिल्ली में वजीराबाद में जहां पानी आता है, उस पानी को पम्प सेट लगा कर व अन्य योजनाओं के माध्यम से उस पानी का उपयोग कर लेता है। बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ में भी इनकी योजना चल रही है। आगरा के हिस्से का जो पानी है थर्मल पावर प्लान्ट हेतु पानी दिया जाता है। अब इन्द्रप्रस्थ की यह स्थिति है कि इसका पानी भी हरियाणा ले जाता है। इसका 20 परसेंट पानी जो डैमेज हो जाता है, जो हमारा होना चाहिये था, उसे भी हरियाणा उठा लेता है। लगभग 380 क्यूसेक्स पानी वह इन्द्रप्रस्थ से उठा ले जाता है। इसके बाद अब आप आगे चलें। यही स्थिति बदरपुर की है। हम थर्मल पावर प्लान की मशीनों को ठंडा करने के लिये पानी देते हैं, यह पानी यहीं पर 20 परसेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद आप आगे चलें। जो

अपर गंगा कैनाल है, यह 43 मील हरियाणा की सीमा से घूम कर आती है । जमुना के पानी में 51 परसेंट हमारा भाग होता है और 49 परसेंट शेयर हरियाणा का होता है । परन्तु स्थिति यह है कि वह इसका भी 65 परसेंट पानी का उपयोग कर लेता है । उसने चैनल बनाकर, माइनर बनाकर वह गूलें बनाकर इसके एक-एक बूंद पानी को ले जाता है और अन्य तरीकों से भी पानी को ले जाता है । जो पानी हरियाणा उठा रहा है, वह केवल जमुना का ही नहीं उठा रहा है अपितु अपर गंगा कैनाल, जिसमें उसका एक परसेंट शेयर भी नहीं होता है, के पानी को भी उठा रहा है । 65 परसेंट पानी का उपयोग हरियाणा करता है । सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि यमुना के पानी में तो हरियाणा का शेयर बनता है लेकिन गंगा के पानी में एक बूंद भी उसका शेयर नहीं बनता है । जो पानी ओखला पर जाता है वह केवल यमुना का नहीं है वह गंगा का पानी भी है । जिसका भी उपयोग हरियाणा करता है । हिंडन नदी में हिंडन कट के द्वारा ओखला के पानी को हरियाणा ले लेता है । जो ओखला का पानी है वह पूरा आगरा का पानी है उसमें एक परसेंट भी हरियाणा का नहीं है उस पानी से हरियाणा में धान की खेती हो रही है और हमारे आगरा, मथुरा के किसान सिर पकड़ कर बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी इस बात का ध्यान रखें कि आधे घंटे की चर्चा है आधे घंटे के बाद अपने आप समाप्त हो जायेगी । आधा घंटा होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

हमारी बात तो पूरी आ जाय (व्यवधान) जब आप यहां बैठते थे तो किसी नियम का पालन नहीं करते थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो व्यवस्था है माननीय राणा जी नियमों को आप जानते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

चर्चा में समय कम पड़ता है तो आपको समय बढ़ाने का अधिकार है । मुझे अपनी बात कम से कम पूरा तो कर लेने दें ।

इसी तरह से हरियाणा चुटांग परियोजना में भी हमारे हिस्से का पानी उठा रहा है इसके अलावा सिरसा नदी का पानी यमुना में आना चाहिये उसमें भी हरियाणा ने जगह-जगह डैम बना कर पानी रोक दिया है उसका एक बूंद पानी भी हमें नहीं मिल रहा है । तो इस प्रकार सिरसा नदी के पानी में जो हमारा शेयर है उसको भी हरियाणा उठा रहा है । इस प्रकार 16 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा ले रहा है । यही स्थिति दिल्ली की है जो 2 सौ क्यूसेक पानी वजीराबाद बैराज से हमें मिलना चाहिये वह हमें नहीं मिल रहा है । इस प्रकार हरियाणा उस पानी का भी शोषण करता है । भाखड़ा नांगल के पानी में जो शेयर दिल्ली का है उसका उपयोग भी हरियाणा ही कर रहा है । दिल्ली में जो पानी की कमी पड़ती है उसको हम पूरा करते हैं इस प्रकार गुड़गांव हमारा पानी लेता है । यही नहीं दिल्ली का जो सिरजन का पानी हैं जो हमें मिलना चाहिये वह भी हमें नहीं मिलता है क्योंकि राजघाट से यमुना नदी के किनारे जितने पार्क या बगीचे बने हैं उसमें वह पानी चला जाता है ।

इसी प्रकार राजस्थान भी हमारे पानी का शोषण कर रहा है । डीप इस्केप के माध्यम से भरतपुर रजवाहे से 20 क्यूसेक पानी ले लेता है इस प्रकार रजवाहों के माध्यम से करीब 5 सौ क्यूसेक पानी

हमारा चला जाता है । मेरा सुझाव है कि इस शोषण से हमें मुक्ति दिलाने के लिये मध्य गंगा कैनाल की रिमाडलिंग करके यमुना में एक्वीजिट लगा कर हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य राज्यों द्वारा जो शोषण हो रहा है वह हमेशा के लिये बंद हो जायेगा । हमको सीधे उत्तर प्रदेश में होकर पानी मिलने लगेगा यह कहना कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, इतनी भारी जनसमस्या के लिये उचित नहीं होगा । टेहरी डैम परियोजना में यह पहले ही प्रेस्क्राइब्ड है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस तरह जब जुड़ जायेगा तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का पूरा पानी बच जायेगा । यह एक लाभ और होगा कि खरीफ में मध्य गंगा का पूरा पानी और रवी में भी पानी मिलेगा । उसके अलावा भी रवी में अतिरिक्त पानी हम अपर गंगा से होकर ले सकेंगे । इस तरह हमें रवी और खरीफ दोनों में इतना अधिक पानी हो जायेगा कि जनपद आगरा और मथुरा तथा आसपास के जिलों के किसानों की एक-एक इन्च जमीन की सिंचाई हो सकेगी । हमारे पानी का दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान शोषण करे इससे आपको कोई लाभ नहीं है । यह जो शोषण की कहानी है, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस शोषण से मुक्त हो । जो आप लखवाड़-वयासी बांध बनाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं इसमें कि यह बने और जल्दी से जल्दी बने लेकिन जब तक खारा-इस्केप के निर्माण का कार्य आप पूरा न कर लें, इसका बनाना प्रदेश के हित में नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी यह पीड़ा बहुत पुरानी है । इस पीड़ा की अभिव्यक्ति मैं इन शब्दों में करना चाहता हूं :–

"बादल भी है, बिजली भी है, बरसा भी है शाम से ।

मेरी प्यास अभी वैसी है, जैसी दी है राम ने ।।"

आज हमारी आगरा की जनता पानी के एक-एक बूंद के लिये तरस-तरस कर मर रही है और पानी वहां से नीचे जा रहा है । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इस पानी की व्यवस्था आगरा और मथुरा में नहीं की गयी तो दस साल में मथुरा और आगरा की जनता को वहां से भागना पड़ेगा । जनता के लिये एक-एक बूंद पानी का महत्व है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः याचना करता हूं और आपसे भीख मांगता हूं कि हमारी जो मांग है उस पर आप गम्भीरता से विचार करें और हमारी योजना को तत्काल कार्यान्वित करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप ओम प्रकाश सिंह जी संक्षेप में उत्तर दे दें .... व्यवधान अभी मैं किसी को अवसर नहीं दूंगा । ओम प्रकाश जी को बुला लिया है, उनका उत्तर हो जाने दीजिये ।

सिंचाई, न्याय एवं विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, इस शासन में सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही इस क्षेत्र की समस्याओं-विशेषकर हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश के जल का शोषण और डकैती की समस्या पर हमारा ध्यान हमारे अधिकारियों ने भी आकर्षित किया । जब विभिन्न समस्याओं को जानना चाहा तो उसमें से यह मूल समस्या थी । राणा जी ने याचना भरे शब्दों में कहा कि हम प्राण दे दें या हमारा पानी दे दें । यह याचना का प्रश्न नहीं है, यह तो हर सरकार का दायित्व है कि अपनी जनता को पानी सुलभ कराये, जो उपलब्ध हो सकता है । आज केवल यह प्रश्न नहीं है कि पानी किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है । आज प्रदेश के सामने सबसे बड़ी इस समस्या जिसको मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं इतने बड़े प्रदेश के हिस्से का पानी कोई दूसरा प्रदेश नीतियों के गलत कार्यान्वियन के कारण या जबरन

या चतुराई से शोषण करके ले रहा है, यह उत्तर प्रदेश के इस शासन को अब बर्दाश्त नहीं होगा । हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई राज्य हमारे पानी का शोषण करे । इसलिये पहली लड़ाई जैसा कि राना जी ने चर्चा किया है कि केन्द्र के साथ, हरियाणा के साथ अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे और एक भी बूंद बनी उन्हें नहीं लेने देंगे यह हमारा संकल्प है । हरियाणा हमारी आगरा कैनाल का पानी लेता है । उसके क्षेत्र से आगरा नहर गुजरती है । यह अनैतिकता है कि अपने हिस्से से अधिक पानी उठा लें और अपने किसानों को छूट दे दें । चूंकि हरियाणा सरकार का नहर की सुरक्षा करने का दायित्व है लेकिन वह उसका निर्वाह नहीं कर रहा है । तमाम बैठकें हुईं लेकिन दबाव डाला जा रहा है लेकिन वह मेरी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । इसलिये यह शासन कृत संकल्प है कि एक भी पानी की बूंद का समर्पण नहीं करेगा चूंकि गंगा नहर का पानी शतप्रतिशत उत्तर प्रदेश का है । इसलिये गंगा नहर का पानी अपने प्रदेश क्षेत्र से लेकर नई कैनाल निकाल कर आगरा नहर से गंगा का पानी डालना चाहिये जिससे आगरा के आस पास के क्षेत्रों की फसल लहलहाये और हमारे स्वाभिमान की रक्षा हो सके । यह टिहरी परियोजना का अंग है । श्री राणा जी और अन्य विधायकों को संतोष हो सके इसके लिये हमने अपने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा किया था । राणा जी चाहते थे कि प्रोसीडिंग का अंग बन जाये और पूरा सदन जाने कि इस नहर को निकालने के लिये कार्यवाही हो रही है । मान्यवर, एक ही कठिनाई है कि 127 करोड़ रु० की योजना है । लेकिन फिर भी सीमित संसाधनों में से, कम पैसों में से अधिक परिणाम देना चाहिये । इस योजना में भी पैसा कम होते हुए भी इसको कार्यान्वित करने का हम प्रयास करेंगे । गंगा कैनाल का पानी आगरा नहर में शतप्रतिशत पहुंचना तभी सम्भव होगा जब एक अलग नहर निकालकर यमुना नदी पर इम्बाडक्ट बनाकर पानी आगरा नहर में डालें हम यह कार्य प्रदेश के हित में करेंगे । मान्यवर, सीमित संसाधनों में समय तो अधिक लगेगा किन्तु आगरा और मथुरा के लोग धैर्य रखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है । टेहरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, हमारा क्षेत्र पूरा का पूरा आगरा कैनाल पर पड़ता है और आगरा कैनाल में जमुना का शुद्ध जल आता था लेकिन आज स्थिति यह है कि दिल्ली का गंदा पानी उसमें आ रहा है और अच्छा पानी दिल्ली और हरियाणा में जा रहा है । सौ मन उड़द होती थी । आज दाल की खेती समाप्त हो गई है कपास की खेती समाप्त हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

किशोरी श्याम जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री केशोरी श्याम–

वहां पर लोगों के जीवन मरण का सवाल है । अतः मैं अपने माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । श्री राणा जी धन्यवाद के दो शब्द कह दें उत्तर के सम्बन्ध में ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, किन शब्दों में माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूं । मैं जिस पीड़ा को लेकर आज 11-12 साल तक इस सदन में रोता-चीखता रहा । यह समस्या हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, आज

वह फलीभूत होने जा रही है इसलिये आप जानते होंगे कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही होगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आगरा कैनाल और गंगा कैनाल की री-माडलिंग के लिये जो खर्च कर रहे हैं, उसे रहने दें । पहले योजना पर खर्च कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा । मान्यवर, आगरा कैनाल तो आज भी उसी स्थिति में है । यदि योजना पूरी हो जाती है तो उससे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आदि जनपदों के लोग लाभान्वित होंगे । योजना के लिये बाकी योजनाओं में धन की कटौती कर के जैसे भी व्यवस्था हो सके करें । यह तो इनका अपना क्षेत्र है, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । इस पुनीत काम को जल्दी से जल्दी पूरा करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

दो शब्द आप भी माननीय मंत्री जी कह कर औपचारिकता पूर्ण कर लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैंने जैसा पहले कहा है संसाधन सीमित हैं । धन की उपलब्धता और संसाधनों को देखते हुए इस कैनाल को बनाने की आवश्यकता में सामंजस्य बैठाकर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कोरम तो देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग श्री अमरेश चन्द्र के साथ अहित कर रहे हैं । कोरम की घण्टी बजाई जाय ।

(कोरम के लिए घन्टी बजायी गई)

(गणपूर्ति न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम के अभाव में अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

27 अप्रैल, 1992

अवर सचिव विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सू० ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृ० 2 पर)

अनुलग्नक

रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, उ० प्र० द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगें

1–राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट न दिये जायं साथ ही अवैध संचालित बसों को रोका जाय तथा दिये गये परमिटों को निरस्त किया जाय।

2–बस अड्डा प्राधिकरण के गठन की योजना को समाप्त किया जाय एवं बढ़ती हुई यात्री संख्या के आधार पर परिवहन निगम के बस बेड़े को बढ़ाया जाय।

3–वेतन विसंगतियों को अविलम्ब समाप्त किया जाय।

4–परिवहन निगम के कार्य में सुधार किया जाय तथा फिजूल खर्चों पर रोक लगायी जाय।

5–रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के घटक संघों के साथ विगत में हुए समझौतों का पालन किया जाय।

6–पेंशन योजना व्यवस्था को कर्मचारियों को विश्वास में लेकर तुरन्त लागू किया जाय।

7–केन्द्रीय कार्यशाला एवं ऐलन फारेस्ट कार्यशाला सहित समस्त क्षेत्रीय एवं डिपो कार्यशालाओं की पूरी क्षमता से संसाधनों की आपूर्ति कर चलाया जाय।

8–उत्पीड़न समाप्त किया जाय तथा अनुशासनिक प्रकरणों की दण्ड संहिता एवं निस्तारण समय सीमा निर्धारित की जाय तथा अपील के अवसर पूर्व की भांति दिये जायं।

9–चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा भत्ता समान दर के तहत समस्त कर्मचारियों को दिया जाय।

10–वेतन भुगतान माह की प्रथम तिथि को ही किया जाय तथा 1-1-86 से बकाया समस्त कर्मचारियों का भुगतान तत्काल किया जाय। अनिवार्य अदायगी की धनराशि संबंधित मदों में तत्काल जमा की जाय और भविष्य में भी नियमित रखा जाय।

11–पार्ट टाइम एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाय तथा शेष को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ता दिया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 26 पर)

संख्या 350/चौवालिस–2-2-26/91

प्रेषक,

डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ।
(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंधित समस्त मुख्य कार्यकारी/प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष ।

लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल, 1991

विषयः–शासन के प्रशासकीय विभागों के सचिवों द्वारा वाहनों के प्रयोग में मितव्ययिता के संबंध में ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे सूचित करना हैं कि विभागीय सचिवों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के वाहनों के प्रयोग के संबंध में मितव्ययिता के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(1) प्रशासनिक विभाग के सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे । जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गयी है, उन विभागों में सचिवों द्वारा विभागाध्यक्ष संगठनों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार भी संभाले हुए हों । अपवाद स्वरूप जहां अत्यावश्यक हो उपक्रम/निगम आदि के कार्य विशेष हेतु सचिव द्वारा उसके वाहन का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु ऐसे वाहन को सचिव एवं अध्यक्ष/निदेशक से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा ।

(2) जिन विभागों में राज्य सम्पत्ति विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग या विभागाध्यक्ष संगठन से सचिव को वाहन आवंटित नहीं है, उन विभागों में उपक्रमों/निगमों आदि के अध्यक्ष या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य करने की दशा में विभागीय सचिव उपक्रम/निगम के वाहन को सम्बद्ध कर सकते हैं । यदि विभागीय सचिव एक से अधिक उपक्रम/निगम के अध्यक्ष/निदेशक हैं तब भी केवल एक वाहन ही सम्बद्ध किया जा सकेगा ।

(3) सचिव द्वारा उपक्रम/निगम आदि के सम्बद्ध वाहन को अवमुक्त किये जाने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निगम में उपलब्ध समस्त वाहनों के प्रयोग की स्थिति की गहन समीक्षा की जायेगी और मितव्ययिता के उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए वाहनों की संख्या को सीमित किया जायेगा ।

(4) सचिवालय के अन्य अधिकारी यथा विशेष सचिव, संयुक्त सचिव आदि के साथ भी उपक्रमों/निगमों आदि के वाहन सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे ।

2–आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ संगठनों के वाहनों के प्रयोग के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०/- डा० विजय कृष्ण सक्सेना,

मुख्य सचिव ।

संख्या 350(1)/चौवालिस-2-2-26/91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभागों की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

ह०/- प्रेम शंकर,

विशेष सचिव ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 31 पर)

विकास खण्ड भटनी, जनपद देवरिया की ग्राम सभा खजुरी करौता में ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वर्ष	आवंटित धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/इकाई	व्यय की गयी धनराशि	कार्य-स्थल का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	1989-90	46,485.00	कच्ची सड़क निर्माण	292x2x.85 मी०	1,458.00	नहर के पुल से शिव प्रसाद के घर तक व रामचीज के घर के बगल उत्तर बाग तक।
2	,,	,,	,, ,, ,,	140x2.5 मी०	1,062.00	मठकेशंवराम, पी० डब्लू डी० रोड मठकेशवराम टोला तक।
3	,,	,,	,, ,, ,,	279x2x.90 मी०	1,224.00	रामकिशन के कोठे से अलगू के घर तक कच्ची सड़क निर्माण
4	,,	,,	,, ,, ,,	600x2.5x.90 मी०	7,488.00	पी० डब्लू० डी० सड़क से रेलवे ढाला तक एवं पी० डब्लू० डी० मार्ग से रेलवे लाइन तक।
5	,,	,,	,, ,, ,,	398x2x.90 मी०	3,600.00	महेन्द्र तिवारी के खेत से राजकुमार यादव के घर तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
6	1989-90	46.485.00	कच्ची सड़क निर्माण	250x2x.90 मी०	1.800.00	पी० डब्लू० डी० रोड से जनकधारी के घर तक व पी० डब्लू डी० रोड से रेलवे लांइन तक।
7	,,	,,	,, ,, ,,	716x2.5x.90 मी०	6.948.00	पी० डब्लू० डी० रोड से रेलवे लाइन तक एवं पी० डब्लू० डी० रोड रेलवे लाइन तक
8	,,	,,	,, ,, ,,	150x2x.85	4.032.00	पी० डब्लू० डी० रोड से रेलवे लाइन तक (करौता) व महेन्द्र तिवारी के खेत से राजकुमार के खेत तक।
9	,,	,,	नाली निर्माण एवं प्रा० पा० भवन मरम्मत।	170 मी०/26x 20.5x11	10.491.00	गांव में नाली निर्माण व प्रा० पा० मरम्मत।
10	,,	,,	अनुसूचित आवास निर्माण	2 अदद	5.773.00	कैलाश व प्रेम प्रसाद
11	1990-91	24.461.00	पक्का कार्य प्रा० पा० फर्श निर्माण।	26x22 फुट	4986.00	प्राइमरी पाठशाला खजुरी करौता।
12	,,	,,	हैण्ड पम्प अनुसूचित	3 अदद	3.258.00	हरिजन बस्ती में।
13	,,	,,	कच्ची सड़क निर्माण/मरम्मत	535x3x.60मी०	3.384.00	पी० डब्लू० डी० रोड से रेलवे लाइन तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14	1990-91	24,461.00	कच्ची सड़क निर्माण/मरम्मत	330x5x.65	7,506.00	खरगू यादव के घर से सत्यदेव यादव के घर तक व नहर के पुल से खरगू के घर तक।
15	..	..	.. .. ..	465	5,708.00	सूर्याग्रहण यादव के घर से उत्तर तरफ व सत्यदेव यादव के घर से राम चन्द्र यादव के घर तक।
16	..	..	.. .. ..	104x3x.30	630.00	पी० डब्लू० डी० पुल से जालिम यादव के खेत तक।
	योग ..	70,946.00		योग ..	68,748.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

संख्या 3/4/90-(1) कार्मिक-2

प्रेषक,

नीरा यादव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल, 1991

विषयः– गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन ने गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर को समाप्त किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया है । इस संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन ने उक्त परियोजना प्राधिकारी के कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :–

(1) सरकारी सेवा हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1-10-1986 या उसके पूर्व परियोजना प्राधिकारी की सेवा में नियुक्ति हुए हों तथा समादेश के समापन की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों ।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के भीतर या बाहर के पदों पर "उपयुक्तता" के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी । ऐसी सेवाओं/पदों हेतु जिनके लिये भर्ती/चयन के निमित्त किसी सेवा नियमावली/कार्यकारी आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनीशुदा कार्मिकों के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुए उपयुक्तता आंकने के लिये अलग से नियमावली प्रदत्त की जा रही है ।

(3) सरकारी सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्तें पूरा करने वाले परियोजना प्राधिकारी के कर्मचारी/अधिकारी ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे । यदि ऐसे कर्मचारी, परियोजना में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे, जिसका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है जिस पद के लिये वे अब अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं ।

(4) परियोजना के अधिकारी/कर्मचारी के लिये सरकारी सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू न होगा ।

(5) सेवा में लिये जाने के दिनांक से राज्य कर्मचारियों पर लागू समस्त नियम, जैसे भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे ।

(6) परियोजना की सेवा में कार्मिक को आहरित अंतिम वेतन को संरक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके विषय में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

(7) उक्त सेवायोजन सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा तथा संबंधित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी ।

(8) प्रदेश के विभिन्न जिलों में कतिपय तैनात परियोजना के समूह "ग" तथा "घ" के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेंगी उन सभी के नाम संबंधित सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग पूल में, परियोजना में उनकी वरिष्ठता क्रम में, व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग होने पर तद्नुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे ।

(9) यह नियुक्तियां करते समय आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः जी–2-490/दस-91. दिनांक 26 अप्रैल, 1991 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

नीरा यादव,

सचिव ।

संख्या 3/4/90(1)–(1) कार्मिक-2. तद्दिनांक

प्रतिलिपि-सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

जय दयाल पुरी,

संयुक्त सचिव ।

संख्या 3/4/90(2)–(1) कार्मिक–2. तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/8/91- सी० एक्स की दिनांक 22 अप्रैल, 1991 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

जय दयाल पुरी,

संयुक्त सचिव ।

संख्या 3/4/90(3)–(1) कार्मिक-2. तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त आदेश के विभिन्न सूचना-माध्यमों से प्रचार व प्रसार हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

जय दयाल पुरी,

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण

नत्थी 'ङ'

(देखिये कार्यसूची की नत्थी 'छ' के अता० प्र० सं० 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 125 पर)

विधान सभा प्रश्न संख्या-160 से संबंधित स्वीकृत पाठशाला भवनों का विवरण

विकास खण्ड	पाठशाला का नाम	शा० सं० एवं तिथि	प्राप्त धन	धन प्राप्त होने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण	प्रगति में	अनारम्भ	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मऊ	1-इटाहादेवी	7592/31-12-84	8.6125.00	2/85	पूर्ण	–	–	–
	2-कोठवामाफी	3707/13-5-86	8.6125.00	2/87	–		अनारम्भ	
	3-सैसा	9203/21-3-86	8.6125.00	2/89	--	–	अनारम्भ	-
	4- इटाहा भैरमपुर	12406/19-3-86	172240.00	2/89	पूर्ण--	–	--	-
	5-वरगढ़	–	–	–	–	–	–	--
	6-डौडिया	100/12-5-86	130000.00	1/87	पूर्ण	–	– 6/91में धन वापस	
	7-बोझ	–	–	–	पूर्ण--	–	–	
	8-बरगढ़	5001/20-6-86	3.14.000.00	1/87	पूर्ण--	–	–	
	9-परदवां	–	–	–	–	–	अनारम्भ	-
	10-दियावल	5892/4-8-87	1.57.000.00	1/87	–	-	अनारम्भ	-
	11पूरबपताई	2743/9-3-88	1.57.000.00	2/89	पूर्ण	--	—	
	12-खप्टिहा	3004/17-7-89	1.57.000.00	5/90	–	–	अनारम्भ	-
मानिकपुर	13-कुबरी	4547/11-10-84	88545.00	1/85	पूर्ण	–	— –	
	14-रामपुर कल्याणगढ़	100/12-5-86	1.95.000.00	1/87	पूर्ण	---	— -	---

अवैध वेबसाइट विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15-अहिरा	–	–	–	पूर्ण–	---	–	
	16-कैलाहा	–	–	–	पूर्ण	–	–	,—
	17-कन्याभौरी	–	–	–	पूर्ण	---	-	–
	18-भगत सिंह नगर	12084/9-10-87	4,93,800.00	3/88	पूर्ण	---	–	
	19-कन्या पचपुरवा	---	–	–	पूर्ण–	--	–	
	20-लक्ष्मणपुर	–	–	–	पूर्ण	-	–	–
	21-बुद्धवारा	–	--	–	पूर्ण–	--	–	
	22-क० मानिकपुर	–	–	–	पूर्ण–	--	–	
	23-गडचप्पा	12406/19-3-86	86125.00	2/89	—	–	अनारम्भ-	-
	24-गुरौला	667/30-6-83	1,50,000.00	6/84	---	प्रगति में	---	
	25-माराचन्द्रा	3001/20-6-86	3,14,000.00	1/87	पूर्ण	——	–	–
	26-माडकुन्डी	–	–	----	—	–	अनारम्भ	-
	27-इटवाडुडौला	2743/9-3-88	1,57,000.00	2/89	—	—	अनारम्भ	
	28-क० मानिकपुर	12407/19-3-86	1,57,000.00	2/89	—	—	अनारम्भ	
								कार्य प्रारम्भ करना है। स्थल 1/92 में प्राप्त हुआ।
	29-बड़ी मडैयन	3004/17-7-89	3,14,000.00	5/90	--	प्रगति में	----	
	30-ऊंचाडीह	–	–	–	–		अनारम्भ	
				योग ...	17	2	10	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये कार्य सूची की नत्थी 'छ' का अता० प्र० सं० 169 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 126 पर)

संलग्नक "क"

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के विकास खण्ड स्तर पर रहने का पता

क्र० सं०	प्रति उप वि० नि० का नाम	विकास खण्ड	विकास खण्ड स्तर पर रहने का पता
1	2	3	4
1	सर्वश्री कृष्ण मुरारी अवस्थी	हसनगंज	क्षेत्र परिवर्तन, निवास ढूंढ रहे हैं।
2	धनराज मिश्र	बिछिया	कार्यालय, उन्नाव (उप वि० नि० का कार्य कर रहे हैं) द्वारा-श्री भइया जी, भू० पू० ब्लाक प्रमुख, बिछिया।
3	मो० शमशेर खां	बांगरमऊ	द्वारा-श्री साजिद अली, मऊ, बांगरमऊ, उन्नाव।
4	वीरेन्द्र सिंह चौधरी	बीघापुर	द्वारा-बसन्त शरण अग्निहोत्री बीघापुर, उन्नाव।
5	राजबहादुर मिश्र	सफीपुर	निवास ढूंढ रहे हैं।
6	मो० शाकिर सिद्दीकी	औरास	निवास ढूंढ रहे हैं।
7	दया शंकर मिश्र	नवाबगंज	निवास ढूंढ रहे हैं।
8	शिवराज पाल	हिलौली	द्वारा-श्री शिवाकान्त त्रिपाठी पटरी टोला, मौरावां, उन्नाव।
9	आदित्य नारायण	फतेहपुर-84	निवास ढूंढ रहे हैं।
10	अली अफ्तर	असोहा	द्वारा-श्री राम कुमार सविता असोहा, उन्नाव।
11	इन्द्र दमन सिंह	सुमेरपुर	द्वारा-श्री लखपति सिंह पाटन, उन्नाव।
12	मुईन अहमद	मियांगंज	द्वारा-मो० जमील, हैदराबाद मियांगंज, उन्नाव।
13	एस० पी० द्विवेदी	गंजमुरादाबाद	केन्द्रीय प्रा० वि०, गंज मुरादाबाद, उन्नाव।
14	ओम नारायण अवस्थी	पुरवा	निवास ढूंढ रहे हैं।

संलग्नक "ख"

क्र०सं०	माह	विद्यालय का नाम	स्तर
1	2	3	4
1	जुलाई, 1991	1-प्रा० वि० मर्दनपुर	प्राथमिक
	अगस्त, 1991	2–कन्या प्रा० प्रा० मर्दनपुर	,,
		3–उच्च प्राथमिक वि० मर्दनपुर	,,
		4–प्रा० प्रा० मौरावां प्राचीन	,,
		योग ... 4	
2	अगस्त, 1991	1-क० प्रा० पा० अकोहरी	प्राथमिक
		2-प्रा० प्रा० बछौरा	,,
		3-प्रा० प्रा० कुदरा	,,
		4-प्रा० पा० बरोला	,,
		5-प्रा० पा० सरस्वती वि० मं० मौरावां	,,
		6-प्रा० पा० अकोहरी	,,
		7-उच्च प्राथमिक अकोहरी	उ० प्रा०
		8-प्रा० क० उच्च प्राथमिक, अकोहरी	,,
		योग ... 8	
3	सितम्बर, 1991	1-प्रा० प्रा० ठाकुराइन खेड़ा	प्राथमिक
		2-प्रा० पा० खेरवा	,,
		3-प्रा० प्रा० मौरावां नवीन	,,
		4-प्रा० पा० मौरावां प्राचीन	,,
		5-प्रा० प्रा० पड़िरी	,,
		6-प्रा० क० मर्दनपुर (भवन की जांच)	,,
		योग ... 6	
4	अक्टूबर, 1991	1-प्रा० पा० बंडौरा	प्राथमिक
		2-प्रा० पा० कटरा चेतरा	,,
		3-प्रा० पा० मर्दनपुर	,,
		4-प्रा० पा० देवमयी	,,
		5-प्रा० पा० बाला सिंह खेड़ा	,,
		6-प्रा० पा० सराय ठाकुरी	,,
		7-प्रा० पा० कारेदेव उच्च प्राथमिक देवमयी	,,
		योग ...–7	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	नवम्बर, 1991	1-प्रा० पा० अहैसा	प्राथमिक
		2-प्रा० पा० चित्ता खेड़ा	,,
		योग ... 2	
6	दिसम्बर, 1991	1-प्रा० पा० मौरावां नवीन	प्राथमिक
		2-क० प्रा० मर्दनपुर	,,
		3-प्रा० पा० अकोहरी	,,
		4-प्रा० प्रा० सगौली	,,
		5-प्रा० क० पा० भवानी गंज	,,
		6-प्रा० पा० भवानीगंज	,,
		7-प्रा० पा० पश्चिम गांव	,,
		8-उच्च प्राथमिक मर्दनपुर	उच्च प्राथमिक
		9-प्रा० पा० ठाकुराइन खेड़ा	,,
		10-उच्च प्राथमिक वि० हिलौली	,,
		11-उच्च प्राथमिक अकोहरी	,,
		योग ... 11	
7	जनवरी, 1992	1-प्रा० पा० महरानी खेड़ा	प्राथमिक
		2-प्रा० पा० कटराचेतरा	,,
		3-प्रा० पा० सराय ठकुरी	,,
		4-प्रा० पा० चित्ता खेड़ा	,,
		योग – 4	
		कुल योग ...42	

पी० एस० यू० पी०–एल० 200 विधान सभा (322)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा